राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2002-2003

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सरदार पटेल भवन
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2002-2003

विषय सूची

प्राक्कथन 1

1. प्रस्तावना 6

2. आयोग के 10 वर्षों का पुनरावलोकन 10

(क) संविधान की कार्य प्रणाली 10

(ख) शिकायतों पर कार्यवाही 13

(ग) मुख्य मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग का मत 15

1) आतंकवाद और मानव अधिकार 16

2) हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, शव–परीक्षा, मुठभेड़ों और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में दिशा–निर्देश 17

3) पुलिस कारागार और आपराधिक न्याय का कार्यान्वयन 18

4) तीन ''अभिशाप''–भूख, निरक्षरता, अल्पायु मौतः आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष 18

5) महिलाओं और बच्चों के अधिकार 19

6) ''समावेशन का मुद्दा'' : समाज के उपेक्षित तथा संवेदनशील वर्गों के अधिकार 22

7) विधायन और समझौतों की समीक्षा 25

8) मानव अधिकार शिक्षा और कोर समूहों का "बहुगुणी प्रभाव" 26

9) निष्कर्ष 27

3. गुजरात की स्थिति 28

4. नागरिक स्वतंत्रताएं 42

(क) आतंकवाद और विद्रोहग्रस्तता की स्थिति में मानव अधिकारों का संरक्षण 42
(ख) हिरासतीय मौतें 54
(ग) मुठभेड़ में हुई मौतें 57
(घ) ढांचागत सुधार : पुलिस 58
(ङ.) राज्य पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली 60
(च) मानव अधिकार और अपराधिक न्याय तंत्र का प्रशासन 61
(छ) हिरासतीय संस्थान 62
1) जेलों के दौरे 62
2) कारागारों में कैदियों की संख्या 64
3) 31 दिसम्बर 2001 को कारागारों में कैदियों की संख्या का विश्लेषण 65
4) 30 जून 2002 को कारागारों में कैदियों की संख्या का विश्लेषण 65
5) जेल के कर्मचारियों का सुग्राहीकरण 66
6) कारागार सुधार 68
7) अन्य सुधारीय संस्थानों/संरक्षण गृहों के दौरे 68
(ज) अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार 69

5. मानव अधिकार संबंधी कानूनों, संधियों और समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा 70

(क) आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 (पोटा) 70
(ख) बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, 1929 73
(ग) घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002 73
(घ) संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों का कार्यान्वयन 74
1) बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 74
2) 1949 के जेनेवा कन्वेंशनों का 1977 प्रोटोकॉल 74
3) यातना के विरुद्ध कन्वेंशन 75
4) शरणार्थियों के दर्जे के बारे में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल 75
(ङ) निशक्तता से प्रभावित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 76

(च) नई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की ओर 78

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता देने के बारे में 1993 के संयुक्त राष्ट्र मानक नियमों में वृद्धि करना 79

6. स्वास्थ्य का अधिकार 82

(क) स्वास्थय संबंधी कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन 82

(ख) स्वास्थ्य और मानव अधिकार 83

(ग) माताओं में एनीमिया और मानव अधिकार 84

7. महिलाओं और बच्चों के अधिकार 86

(क) महिलाओं और बच्चों का देह व्यापार 86

1) महिलाओं ओर बच्चों के देह व्यापार के बारे में कार्य अनुसंधान 86

2) महिलाओं और बच्चों का देह व्यापारः लिंग सुग्राहीकरण के लिए न्यायपालिका हेतु मैनुअल 88

3) यौन पर्यटन और देह व्यापार रोकथाम के बारे में सुग्राहीकरण कार्यक्रम 90

4) सीमा पार देह व्यापार से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल की संयुक्त परियोजना 93

5) सीमापार देह व्यापार की रोकथाम के लिए कदम 93

ख) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटना 94

ग) रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न 98

घ) वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास 99

क) आवास/रिहाइश 99

ख) पेंशन 100

ग) स्वास्थ्य देखभाल 100

घ) एल.पी.जी. कनेक्शन की व्यवस्था करना 101

ङ) आय सृजन 101

च) सामाजिक सुरक्षा कार्ड 101

छ) दाह–संस्कार 101

ज) जागरूकता कार्यक्रम/प्रचार 102

झ) जनसंख्या नीति – विकास और मानव अधिकारों के बारे में परिसंवाद 102

8. कमजोरों के अधिकार 106

(क) बाल और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन 106

1) बाल मजदूरीः मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रयास 106

2) बंधुआ मजदूरीः मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रयास 112

3) बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरीः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के दक्षिणी राज्यों में प्रयास 118

ख) वृहत परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों का पुनर्वास 121

ग) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार 122

घ) वृद्धों के अधिकार 131

ङ) गैर–अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों की समस्याएं 131

च) सिर पर मैला ढोना 133

छ) प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में मानव अधिकार 136

1) उड़ीसा में चक्रवात पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी 136

2) गुजरात भूकम्प 138

ज) जातिवादः डरबन में विश्व सम्मेलन : 'कोम', 'जाति' और 'खानदान' पर आधारित भेदभाव 140

9. अनुसंधान कार्य और परियोजनाएं 142

क) सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार पर रखने से रोकनाः सेवा नियमों में संशोधन 142

ख) मुसाहार – एक सामाजार्थिक अध्ययन 143

ग) भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन 144

घ) निःशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकार – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कनेडियन मानव अधिकार आयोग सम्पर्क परियोजना 145

ङ) आपरेशन आएसिस–पश्चिम बंगाल में मानसिक रोगियों से संबंधित अध्ययन 146

च) भारतीय विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए संसाधन सामग्री विकसित करने हेतु परियोजना 146

10. मानव अधिकार साक्षरता और जानकारी को बढ़ावा देना 148

(क) मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और मानव अधिकार शिक्षा के लिए कार्य योजना 148
(ख) लोक सेवकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण 151
(ग) पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण 152
1) ब्रिटिश परिषद् के साथ संयुक्त परियोजना–मानव अधिकार अन्वेषण और साक्षात्कार दक्षता और मानव अधिकार तथा हिरासत प्रबन्धन 152
2) पुलिस प्रशिक्षण के बारे में अनुसंधान परियोजनाएं 152
3) अच्छी हिरासतीय प्रथाओं को बढ़ावा देना 154
घ) अर्ध सैनिक और सशस्त्र बलों के लिए मानव अधिकार शिक्षा 154
ङ) इंटर्नशिप कार्यक्रम 154
च) विदेशों के दौरेः सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं 155
छ) प्रकाशन और मीडिया 157
ज) आयोग की ओर से विभिन्न राज्यों के दौरे 160

11. गैर सरकारी संगठन 162

12. राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय 164

(क) राज्य मानव अधिकार आयोग 164
(ख) मानव अधिकार न्यायालय 165

13. आयोग के समक्ष शिकायतें 168

क) लंबित शिकायतें 168
ख) मामलों का अन्वेषण 170
ग) 2002–2003 के दृष्टांत मामले 171

पुलिस की ज्यादतियाँ

क) हिरासतीय मौतें 172

1) लापरवाही के कारण गोगों गाँव के पूर्व सरपंच चुहड़ सिंह की हिरासत में मौत : पंजाब (मामला संख्या 431/19/2000–2001) 172

2) यातना के कारण पुलिस हिरासत में बुझाई की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 4238/96–97/रा.मा.अ.आ.) 173

3) यातना के कारण पुलिस हिरासत में राधे श्याम की मौत : राजस्थान (मामला संख्या 205/20/1999–2000–सी.डी.) 173

4) पुलिस हिरासत में हिंसा में कर्ण सिंह की मौत : मध्य प्रदेश (मामला संख्या 1935/12/2000–2001–सी.डी.) 174

5) पुलिस हिरासत में सुरेन्द्रन की मौत : केरल (मामला संख्या 13353/96–97/ रा.मा.अ.आ.) 175

ख) हिरासतीय यातना

6) जमीर अहमद खान की हिरासत में मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 14071/24/2001–2002) 176

7) पुलिस की पिटाई से जगदीश कावले को आई गंभीर चोटें : महाराष्ट्र (मामला संख्या 1585/13/2001–2002) 178

8) कोटा में अध्यापक पर पुलिस की ज्यादती : राजस्थान (मामला संख्या 1603/20/2001–2002) 179

ग) पुलिस द्वारा उत्पीड़न

9) पुलिस कर्मी की लापरवाही से इकरामुद्दीन की गलत तरीके से गिरफ्तारी : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 23239/24/1999–2000) 180

10) एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नवीउल्लाह को झूठे मामले में फंसानाः उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13501/24/2000–2001) 181

न्यायिक हिरासत में लापरवाही के कारण मौत

11) शिबु की मौत – समय पर चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था में विलंब : केरल (मामला संख्या 136/11/2000–2001–एसीडी) 182

12) विचाराणाधीन कैदी हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की लापरवाही के कारण हिरासत में मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 8437/24/1999–2000–सीडी) 183

13) जेल में मानक राम की हत्या और उसके बेटे को गंभीर चोटें : राजस्थान (मामला संख्या 263/20/98–99–एसीडी) 184

चिकित्सीय लापरवाही

14) चिकित्सीय लापरवाही के कारण गर्भाशय का निकाला जाना : राजस्थान (मामला संख्या 1518/20/2000–2001) 185

बच्चों/महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

15) पुलिस कार्मिकों द्वारा श्रीमती उषा किरण वाजपेयी पर अत्याचारः उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 29929/24/2000–2001) 185

16) अधीक्षक परिवीक्षाधीन गृह, देवघर द्वारा कैदियों पर अत्याचार : झारखंड (मामला संख्या 177/34/2001–2002) 186

17) टोंक में बाल श्रमिकों का शोषण : राजस्थान (मामला संख्या 817/20/2001–2002) 187

18) पुलिस की लापरवाही के कारण अवयस्क चन्द्रपाल की मौत : उत्तरांचल (मामला संख्या 11150/20/1999–2000) 188

19) बंधुआ बाल मजदूरी : आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 443/1/2001–2002/एफसी) 189

20) रूढ़ीवादी प्रथाओं के कारण बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन : तमिलनाडु (मामला संख्या 558/22/2002–2003) 189

समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन

21) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार – पाँच दलितों की हत्या : हरियाणा (मामला संख्या 1485/7/2002–2003) 190

22) किसानों द्वारा आत्महत्या : आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 444/1/2001–2002/एफसी) 192

सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

23) 32 राष्ट्रीय राइफल्स के कार्मिकों द्वारा हरसिंगलून चांग्सन का अपहरण और हत्या : मणिपुर (मामला संख्या 19591/96–97/रा.मा.अ.आ.) 193

अन्य महत्वपूर्ण मामले

24) बिजली का करंट लगने से मौत (मामला संख्या 17324/24/1999–2000) 194

25) मुम्बई हवाई अड्डे पर आवर्जन अधिकारी द्वारा श्री कुम्पंपदम थॉमन सकारिया का उत्पीड़न : महाराष्ट्र (मामला संख्या 263/13/2000–2001) 195

26) भुखमरी के कारण मौतें रोकने के उपाय : उड़ीसा (मामला संख्या 37/3/97–एलडी) 197

घ) वार्षिक रिपोर्ट 2001–2002 में सूचित किए गए मामलों पर की गई कार्रवाई 199

1) हिरासतीय हिंसा के कारण संजय सीताराम म्हास्कर की मौत : महाराष्ट्र (मामला संख्या 210/13/98–99–एसीडी) 200

2) राम किशोर की हिरासत में मौत – उत्तर प्रदेश प्रजापति समाज विकास परिषद् की शिकायत (मामला संख्या 483/एलडी/93–94) 200

3) चिकित्सा उपचार में लापरवाही के कारण लल्लन की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 28302/24/1999–2000) 201

4) पुलिस द्वारा दी गई यातना के कारण मनोज कुमार की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 7955/96–97/रा.मा.अ.आ.) 201

5) पुलिस हिरासत में यातना के कारण शिशु रेबे की मौत : अरुणाचल प्रदेश (मामला संख्या 74/96–97/रा.मा.अ.आ.) 202

6) अवैध बंदीकरण और यातना के कारण नागेश्वर सिंह की मौत : बिहार (मामला संख्या 7482/95–96/रा.मा.अ.आ.) 202

7) मधुकर जेटली को झूठे मामले में फंसाया जाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 2385/24/2000–2001) 203

8) पुलिस द्वारा दया शंकर को यातना दी गई : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 791/24/2000–2001) 203

9) डी. एम. रेगे को अवैध रूप से बंदी बनाया गया और यातना दी गई : महाराष्ट्र (मामला संख्या 1427/13/98–99) 204

10) पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाया जाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13161/24/98–99) 204

11) समय पर चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण न्यायिक हिरासत में जसवीर सिंह की मौत के बारे में कानपुर नगर मानव अधिकार न्यायालय का संदर्भ : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 5190/24/1999–2000–सीडी) 205

12) जेल में धीरेन्द्र सिंह की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 21808/24/1999–2000/सीडी) 206

13) अवयस्क दलित बालिका का बलात्कार; कानून के अनुपालन में असफलता : हरियाणा (मामला संख्या 390/7/1998–1999/रा.मा.अ.आ.) 206

14) 12 वर्षीय बाल श्रमिक नौशाद की मौत : कर्नाटक (मामला संख्या 452/10/2000–2001) 207

15) असम सरकार के राज्य मंत्री द्वारा बलात्कार (मामला संख्या 113/3/2000–2001) 207
16) किसानों का उत्पीड़न और उन्हें अवैध रूप से बंदी बनाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 9480/24/1999–2000) 208
17) सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में प्रक्रिया : अर्द्ध सैनिक बलों के साथ अंतिम बार दिखाई पड़े मोहम्मद तय्यब अली का गायब होना (मामला संख्या 32/14/1999–2000) 209
18) सशस्त्र बलों द्वारा की गई गोलीबारी में मौत : मणिपुर (मामला संख्या 25/14/1999–2000) 209
19) अधिवक्ता जलील अंदराबी का मामला : जम्मू और कश्मीर (मामला संख्या 9/123/1995–एलडी) 210
20) बिजली का करंट लगने से मौत – राज्य का पूर्ण उत्तरदायित्व : झारखंड (मामला संख्या 1509/4/2000–2001) 210
21) पुलिस की गोलीबारी में मोहिन्द्र सिंह की हत्या : जम्मू और कश्मीर (मामला संख्या 253/9/2000–2001) 211
22) पुलिस की गोलीबारी में मौत : बिहार (मामला संख्या 2489/4/1999–2000 और 2314/4/1999–2000) 211
23) मानवाधिकारों के रक्षकों की सुरक्षा : ललित उन्याल को झूठे मामले में फंसाया जाना, उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 773/24/1999–2000) 212
24) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार : आयोग ने नेत्रहीन मेडीकल छात्र श्री सी. एस. पी. आंका टोपो को एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता प्रदान की (मामला संख्या 1754/30/2000–2001) 212

14. प्रशासन और संभागीय सहयोग 214

क) विशेष संपर्ककर्ता/प्रतिनिधि 214
ख) कोर समूह 215
ग) राजभाषा का प्रयोग 215
घ) पुस्तकालय 216
ड.) आदान–प्रदान और अन्य विचार–विमर्श 216
च) संगठनों को वित्तीय सहायता 217
छ) निधियाँ 219
ज) मानवाधिकार भवन 219

15. प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सार 220

संलग्नक

1	आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा का भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित दिनांक 3.1.2003 का पत्र	254
2	वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग को सूचित हिरासतीय मौतों की राज्यवार स्थिति	258
3	वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार आयोग द्वारा विचारित एवं संसाधित पुलिस मुठभेड़ों का संख्यात्मक विवरण	260
4	वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए/लम्बित पुलिस मुठभेड़ों के मामलों का राज्यवार विवरण	262
5	घरेलू हिंसा से सुरक्षा विधेयक, 2002–रा.मा.अ.आ. द्वारा सुझाए गए संशोधन	264
6	राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के नाम निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2002	292
7	निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संघ के मंत्रियों के नाम आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2002	294
8	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के नाम आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2002	298
9	जनसंख्या नीति–विकास और मानव अधिकारों पर चर्चा के दौरान अपनाई गई सिफारिशें	300
10	जनसंख्या नीति–विकास और मानव अधिकार परिसंवाद में अंगीकृत घोषणा पत्र	302
11	श्री के.बी. सक्सेना द्वारा प्रस्तावित मुसाहरों के लिए कार्रवाई योजना	306
12	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच की सातवीं वार्षिक बैठक के अन्त में वक्तव्य	314
13	1.4.2002 को विचाराधीन मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण	318
14	वर्ष 2002–03 में मामलों के निपटान का राज्यवार विवरण	320
15 (क–ग)	वर्ष 2002–03 में रिपोर्ट प्राप्ति के बाद निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यवार विवरण	322
16	1.4.2003 को लम्बित मामलों का राज्यवार विवरण	328
17	वर्ष 2002–03 के दौरान पंजीकृत मामलों/सूचनाओं का राज्यवार विवरण	330

18 उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में भुखमरी से हुई मौतों के आरोप के संबंध में 17 जनवरी 2002 को आयोजित आयोग की कार्यवाही से उद्धहरण 332

चार्ट और ग्राफ

1 1.4.2002 को बकाया मामलों की राज्य–वार संख्या 338

2 वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलें 339

3 वर्ष 2002–2003 के दौरान निर्देशों के साथ निपटाए गए मामलें 1 प्रतिशत की अधिक दर से निर्देशों के साथ निपटाए गए 340

4 वर्ष 2002–2003 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की संख्या 341

5 वर्ष 2002–2003 के खारिज किए गए मामलें 1 प्रतिशत से अधिक दर के साथ खारिज किए जाने वाले मामलें 342

6 वर्ष 2002–2003 के दौरान हिरासत में मौत/बलात्कार से संबंधित पंजीकृत सूचनाओं की राज्य–वार सूची 343

7 31.3.2003 को बकाया मामलों की राज्य–वार संख्या 344

8 वर्ष 2002–2003 के दौरान पंजीकृत मामलों/सूचनाओं की राज्यवार सूची 345

प्राक्कथन

एक दशक पहले 12 अक्टूबर, 1993, को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग की दसवी वार्षिक रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट में आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए आयोग के प्रयासों का विवरण दिया गया है, जिसका उद्देश्य देश में मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। विद्यमान रिपोर्ट में वर्ष 2002–2003 तथा गत दशक की गतिविधियों का पुनरावलोकन निहित है तथा गत वर्ष पर विस्तार से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

अपने स्वरूप में यह रिपोर्ट विषयात्मक है क्योंकि इसे आयोग द्वारा ही लिखा जा रहा है।

आयोग के प्रयासों का उद्देश्यात्मक मूल्यांकन भारत के लोगों द्वारा होना चाहिए और आयोग भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में तथा बहुत अधिक विविधता वाले सभी भारतीयों की सेवा करना चाहता है। आशानुरूप इस मुददे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग को कई कठिनाईयां पेश आई हैं तथा आयोग के प्रयासों की उपयोगिता के बारे में, भिन्न–भिन्न अपेक्षाओं के कारण भिन्न–भिन्न विचार अभिव्यक्त किए गए हैं।

ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारत एक जागरूक लोकतंत्र है और प्रगतिशील गणराज्य है। किन्तु इससे एक तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। एक ऐसा संस्थान जो आज से 10 वर्ष पहले अज्ञात था, आज राष्ट्र जीवन का अहम हिस्सा है और शासन की गुणवत्ता पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है।

प्रतिदिन सैकड़ों देशवासी अपनी शिकायतों के उन्मूलन के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते है क्योंकि वे इसमें अपने मानवाधिकारों के हनन होने की प्रवृत्ति में रोक लगाने की क्षमता अनुभव करते हैं।

ये लोग भारत के सभी भागों और सभी समुदायों से संबंधित है। गत दस वर्षों में निःसन्देह संविधान द्वारा प्रतिभूत अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों को शामिल किया गया है जिसमें भारत भी एक राज्य पक्षकार है, तथा यह जागरूकता नाटकीय ढंग से बढ़ी है।

ऐसा आयोग के प्रयासों से हुआ है, जिसने पूरे देश में मानवाधिकारों का संदेश फैलाया है और ऐसे अधिकारों की संस्कृति का संवर्धन किया है।

वास्तव में और शायद व्यंग्यात्मक ढंग से आयोग के तीव्रतम आलोचक भी आयोग के बारे में सामान्यतयः ऐसा बोलते हैं जैसे कि यह गणतंत्र की स्थापना के समय से अस्तित्व में है और आयोग पर आरोप लगाते हैं कि वह पहले हुए मानवाधिकारों के हनन के समय क्या कर रहा था जबकि यह अस्तित्व में भी नहीं था।

ऐसे आलोचकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है किन्तु उन्हें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें आयोग को ऐसे किसी मामले में जांच–पड़ताल ''जो समय विशेष के लिए किसी कानून के अंर्तगत गठित राज्य आयोग अथवा किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो अथवा ऐसा कोई मामला'' जिसमे मानवाधिकारों के हनन की घटना की तारीख के बाद एक वर्ष व्यतीत हो गया हो की जांच करने से अलग रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि आयोग ने लगभग तीन वर्ष पहले अन्य संशोधनों के साथ–साथ अधिनियम के इन उपबंधों में संशोधन किए जाने की मांग की थी किन्तु इस बारे में आयोग की सिफारिशों पर अभी कार्यवाही की जानी है।

गत दशक में आयोग के पास दर्ज किए गए 375758 मामले दर्शाते हैं कि भारत के लोग अपने अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि आयोग उनके अधिकारेां के सम्मान और संरक्षण के लिए हस्तक्षेप करे।

इस तरह से ऐसा कहने का कारण भी है कि आयोग ने देश में लोकतंत्र के अर्थ को गहराई देने में योगदान दिया है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव इस अवधारणा के केन्द्र बिन्दु हैं। किन्तु लोकतंत्र केवल चुनावी जीत पर ही समाप्त नहीं हो जाता। यह देश के लोगों को उनकी विविधता और विभिन्न अपेक्षाओं के साथ उनके अधिकार सुनिश्चित करने का कार्य भी करता है। ये अधिकार तभी सुनिश्चित हो सकते हैं जब स्वतंत्र संस्थान बिना किसी भय अथवा पक्षपात के कार्य करें।

इस संदर्भ में विधि के नियम ऐश्वर्य नहीं हैं और न ही न्याय तथा मानवाधिकारों का संरक्षण अनुषंगी है। ये लोकतांत्रिक उद्यम की आत्मा है।

ये किसी देश में शांति की स्थापना तथा विश्व में भी शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान के बिना न तो चिरस्थायी शांति हो सकती है और न ही अंतर्निहित सिद्धांतों के प्रति सत्य लोकतंत्र स्थापित हो सकता है।

जब इस रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा था, भारत के राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने 29 सितम्बर 2003 को चंड़ीगढ़ में दिए गए अपने भाषण में ''राष्ट्रीय विकास के लिए न्याय और मानव अधिकार'' विषय पर अत्यधिक विद्वता के साथ अपने विचार रखे। उन्होंने कहा:–

> ''हमारे व्यक्तिगत तथा स्थानीय हितों को बहुपक्षीय व्यवस्था में समायोजित किया जाना चाहिए ताकि मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जा सके.........। क्योंकि शांतिपूर्ण मानव जीवन के लिए विधि और न्याय की सहायता आवश्यक है। यदि न्याय मानवाधिकारों के संरक्षण में असमर्थ रहता है तो राष्ट्र भी असमर्थ हो हाता है''।

इसी उद्देश्य के लिए ही देश के अधिकांश लोगों की भलाई के लिए न्याय और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान साथ–साथ चलना चाहिए और इसी उद्देश्य ने गत दशक तथा वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग का मार्गदर्शन किया है।

यही उद्देश्य रहा है कि जिसने आयोग को गुजरात में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाते समय हस्तक्षेप करने तथा अन्य बातों के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत 31 जुलाई 2003 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष याचिका इस अनुरोध के साथ दायर करने की प्रेरणा दी है कि उच्चतम न्यायालय बेस्ट बेकरी मामले में विशेष अदालत के निर्णय को निरस्त कर दे और निष्पक्ष अभिकरण द्वारा आगे जांच के लिए निर्देश जारी करें तथा गुजरात राज्य के बाहर स्थित किसी सक्षम न्यायालय में इस मामले के पुनर्विचारण का आदेश दे। ऐसा कहते हुए कि निष्पक्ष विचारण की अवधारणा संवैधानिक अनिवार्यता है और जब कोई अपराधी दंडित होने से बच जाता है तो समाज को कष्ट झेलना पड़ता है और अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है। विशेष याचिका में यह मत भी व्यक्त किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए न्याय के हित में यह आवश्यक है कि वे संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक विचारणों में अपराध के साक्षियों और पीड़ितो की सुरक्षा के संबंध में दिशा–निदेश तथा निर्देश निर्धारित करे जिनका अभियोजनकारी तथा विधि–प्रर्वतक अभिकरणों और अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा पूर्णतः अनुपालन हो। ऐसा अपराधिक न्याय प्रणाली की सक्षमता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है।

न्याय के लिए इसी चिंता ने आयोग को लगातार मजबूर किया है कि वह इस बात पर अडिग रहे कि देश में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को व्यक्तिगत रूप से अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

व्यक्ति विशेष की जवाबदेही एक अन्य कारण से भी आवश्यक है: जब यह स्पष्ट हो कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है तो गंभीर अपराध करने वाले और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोग ऐसा करने से डरेगें।

इस प्रकार बहुपक्षीय समाज में शांति, विश्व समाज में शांति की तरह न्याय तथा व्यक्ति की जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है।

ऐसे समाज मे सुशासन का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा होना चाहिए तथा हर प्रकार की कट्टरता को मानवाधिकारों तथा सभ्य समाज के हितों के लिए रोका जाना चाहिए।

न्याय की चिंता ने आयोग को आंतकवाद के पीड़ादायक मुद्दे पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए बाध्य किया है। आयोग को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य को आंतकवाद का मुकाबला करने और उस पर विजय पाने का अधिकार है तथा यह उसका कर्तव्य भी है। आयोग का विचार है कि सत्तासीन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आंतकवाद के विरूद्ध किए जा रहे उपाय मानवाधिकारों के उल्लंघन को उचित ठहराने अथवा लोकतांत्रिक सरकार के पवित्र विश्वास को तोड़ने के उपाय न बन जाएं।

आयोग को 11 सितम्बर 2001 से विद्यमान नए अंतरराष्ट्रीय वातावरण में मानवाधिकारों के संरक्षण की जटिलता और 28 सितम्बर 2001 को सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 को पारित किए जाने की जानकारी है जो देशों के लिए अनिवार्य करता है कि वे आंतकवाद के विरूद्ध लड़ाई में विशेष उपाय करें और परस्पर सहयोग करें। तथापि आयोग ने देखा है कि सुरक्षा परिषद ने 20 जनवरी 2003 को संकल्प 1456 पारित किया है जिसके साथ एक घोषणा पत्र संलग्न किया गया है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। यह घोषणापत्र अन्य बातों के साथ–साथ कहता है कि :–

> ''राष्ट्रों को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए किए गए उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपनी सभी बाध्यताओं का अनुपालन करें और अंतरराष्ट्रीय विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों, शरणार्थियों और मानवीय कानूनों के अनुसार ऐसे उपाय करें''।

विगत के समान न्याय और मानवीय प्रतिष्ठा की अवधारणा आयोग के प्रयासों में अटूट धागे के समान विद्यमान है जो न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए अपने अटूट कार्य बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है।

इन सभी मामलों के बारे में आयोग के विचार और कार्यों का आगामी अध्यायों में विस्तार से विवरण दिया गया है। इन अध्यायों में अन्य बातों के साथ–साथ आतंकवाद और घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण सहित नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमा, अभिरक्षा तथा मुठभेड़ में हुई मौतें, पुलिस, कारागार और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रणालीगत सुधार, शामिल है; इनमें मानव अधिकारों के संरक्षण; स्वास्थ्य का अधिकार; देह व्यापार के गंभीर प्रश्न सहित महिलाओं और बच्चों के अधिकार; दलितों और आदिवासियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार; बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापितों के अधिकार और बच्चों तथा बंधुआ

मजदूरों के अधिकार; विकलागों के अधिकार से संबंद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों और कानूनों तथा इन अधिकारों के सम्मान को और सुदृढ़ करने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की आवश्यकता; मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और जानकारी उत्पन्न करने के प्रयास, अनुसंधान परियोजनाएं और कार्यक्रमों का संचालन; और गैर–सरकारी संगठनों आयोग के महत्वपूर्ण साझेदारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में आयोग को प्रेषित शिकायतों पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आयोग के प्रयासों का उल्लेख किया गया है तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जिन प्रमुख मामलों से निपटा गया है उनका संक्षेप में विवरण दिया गया है।

29 सितम्बर 2003 को चंड़ीगढ़ में दिए गए अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने कहाः

''मस्तिष्क की एकता के लिए कार्य करना आवश्यक है। एक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं और मूल पहचान को क्षति पहुंचाए बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें।''

आयोग मानव अधिकारों के सम्मान हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किए गए आवाहन का मन से सम्मान करता है। वास्तव में यह सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे इस आवाहन का सम्मान करें।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, आयोग तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयासों का आधार है। मस्तिष्क की एकता देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग इस वार्षिक रिर्पोट को भारत के लोगों को समर्पित करता है और अधिनियम की धारा 20 के अनुसरण में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है।

(ए0 एस0 आनन्द)
अध्यक्ष

(सुजाता वी मनोहर)	(वीरेन्द्र दयाल)	(वाई भास्कर राव)	(आर0 एस0 काल्हा)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

नई दिल्ली
14 नवम्बर 2003

प्रस्तावना

अध्याय 1

1.1 यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक की अवधि शामिल की गई है।

1.2 9 वी ऐसी रिपोर्ट जो 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए थी, वर्तमान रिपोर्ट लिखते समय तक भी संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है यद्यपि यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 3 जुलाई 2002 को भेज दी गई थी। की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित 9 वी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में हुए विलंब से इसकी विषय वस्तु को सार्वजनिक करने में तदनुरूपी विलंब हुआ है। इस प्रक्रिया में आयोग के कार्य और चिंताओं के बारे में सामायिक तथा व्यापक सूचना से भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा भारत के सामान्य लोग एक बार वंचित रह गए है। इस विलंब से यह अर्थ भी निकलता है कि वर्तमान रिपोर्ट, गत रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, को संसद, जनता तथा इस आयोग को सूचित किए बिना लिखी गई है।

1.3 आयोग की 8 वी वार्षिक रिपोर्ट जो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए थी, केन्द्र सरकार को 31 दिसम्बर 2001 को भेजी गई थी। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20(2) में अभिकल्पित प्रक्रिया के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों के पटल पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित दिसम्बर 2002 को प्रस्तुत किया गया था। परिणामस्वरूप आयोग ने इसे प्रस्तुत किए जाने के एक वर्ष बाद दिसम्बर 2001 में आम जनता को जारी किया।

1.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) कहती है कि :–

"आयोग में:–

(क) एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो;

(ख) एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(ग) एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो;

(घ) दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव अथवा ज्ञान हो, शामिल होंगे।"

अधिनियम की धारा 3(3) कहती है कि :–

"धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) मे विनिर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इस आयोग के सदस्य माने जाएगें।

1.5 अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 में अध्यक्ष और सदस्य जो अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आयोग का गठन करते है, की नियुक्ति करना, पदमुक्त करना और उनके कार्यकाल के बारे में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को विस्तार से शामिल किया गया है, अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो "आयोग के पदेन सदस्य होते है कि बारे में अधिनियम में कोई विवरण नहीं दिया गया है; उनकी नियुक्ति, पदमुक्त करने की विधि और कार्यकाल अपने–अपने आयोगों के संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

1.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसरण में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 17 जनवरी 2003 को अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके पश्चात डॉ0 न्यायमूर्ति ए. एस. आनन्द ने 17 फरवरी 2003 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। डॉ0 न्यायमूर्ति ए. एस. आनन्द ने 10 अक्टूबर 1998 से 1 नवम्बर 2001 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।

1.7 इससे पूर्व डॉ0 न्यायमूर्ति के0 रामास्वामी ने 12 जुलाई 2002 को 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना कार्यकाल पूरा किया। 31 मार्च 2003 तक उनके द्वारा रिक्त किया गया पद, रिक्त पड़ा रहा जैसा कि इससे पूर्व श्री सुदर्शन अग्रवाल द्वारा धारित पद पड़ा रहा था। श्री अग्रवाल ने 18 जून 2001 को सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। अधिनियम की धारा 3(2)

और 4 के उपबंधों के अंतर्गत सेवारत और नियुक्त अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर और श्री वीरेन्द्र दयाल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्य के रूप में कार्य करते रहे।

1.8 अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों के अंतर्गत "आयोग के पदेन सदस्य डॉ0 विजय सोनकर शास्त्री और डॉ0 पूर्णिमा आडवानी क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों के रूप में कार्य करते रहे। तथापि न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद शमीम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 23 जनवरी 2003 को अपना कार्यकाल पूरा किया और डॉ0 तरलोचन सिंह ने 10 फरवरी 2003 को कार्यभार ग्रहण किया।

1.9 श्री पी.सी. सेन समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहे तथा श्री वाई. एन. श्रीवास्तव ने महानिदेशक (अन्वेषण) के रूप में कार्य जारी रखा। श्री एस.सी. वर्मा, रजिस्ट्रार (विधि) ने 15 नवम्बर 2002 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

आयोग के 10 वर्षों का पुनर्वलोकन

अध्याय 2

2.1 12 अक्टूबर 2002 को आयोग ने अपने अस्तित्व के 9 वर्ष पूरे किए और दसवें वर्ष में प्रवेश किया। इसलिए यह रिपोर्ट गत दशक में आयोग के विकास और इसकी प्रमुख चिंताओं के बारे में संक्षेप में पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती है।

क) संविधान की कार्य प्रणाली

2.2 आरम्भ में न केवल गैर–सरकारी संगठनों बल्कि मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के मन में काफी संदेह था कि क्या आयोग का संविधान देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने, जैसा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का ध्येय था, के लिए काफी सुदृढ़ और स्पष्ट है अथवा नहीं।

2.3 आयोग ने अपनी ओर से अपने अस्तित्व के प्रथम वर्ष से ही अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव करने की आवश्यकता महसूस की ताकि इस अधिनियम के उपबंध देश में मानव अधिकारों के "बेहतर संरक्षण" के लिए ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि वास्तव में सहायक हों। आयोग के अस्तितव में आने के छठे वर्ष तक प्राप्त हुए अनुभव के आलोक में आयोग ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी से अनुरोध करने की इच्छा व्यक्त की कि वे अधिनियम में संरचनात्मक परिवर्तनों और संशोधनों की आवश्यकता का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करें। इस सलाहकार समिति की सलाह पर आयोग ने फरवरी 2000

को ध्यानपूर्वक विचार किया और अधिनियम में संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को मार्च 2000 में केन्द्र सरकार को भेजा। ये प्रस्ताव 1999–2000 की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किए गए थे और वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इनका पुनः उल्लेख किया गया। आयोग के लिए यह बड़े दुख की बात है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ये प्रस्ताव, सरकार के शब्दों में, ''बहुत संवदेनशील और दूरगामी परिणामों वाले है'' के बावजूद भी अभी विचारार्थ लंबित है।

2.4 इसी दौरान और आगे के वर्षों में आयोग के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के उच्च प्रयोजनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान के सभी उपबंधो को सुदृढ़ करे। इस ढंग से आगे बढ़ने में आयोग को संविधान के शब्दों से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों से मार्गदर्शन मिलता रहा है अर्थात इन नियमों की विषय–वस्तु की व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रश्नाधीन विधायन की भावना को ही नुकसान पहुंचा दे अथवा वे अनुचित और अप्राप्य परिणामों को जन्म दें। आयोग के इस संबंध में प्रयासों का विवरण वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में विशेष रूप से दिया गया है।

2.5 आयोग की मुख्य चिंता अपनी स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वायतत्ता को बनाये रखना और इसे सुदृढ़ करना है। यह ''राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों'' (पेरिस सिद्धांत) जो अन्य बातों के साथ–साथ जून 1993 में वियना में आयोजित मानवाधिकारों के बारे में विश्व सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1993 को अपने संकल्प संख्या 48/134 द्वारा पृष्ठांकित है के अनुसरण में गठित और कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थान की अनिवार्य विशेषता है।

2.6 जैसा कि अनुभव से ज्ञात हुआ है कि आयोग की स्वतंत्रता के केन्द्र में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आयोग का गठन करने वाले आयोग के अध्यक्ष तथा चार सदस्यों का चयन करने में अपनाए गए मानदण्डों से जुड़े संविधान के उपबंध रहे है जिनमें उनकी नियुक्ति की विधि (अधिनियम की धारा 4); पदमुक्ति (धारा 5); और कार्यकाल (धारा 6) शामिल है। जैसा कि अध्याय 1 में देखा गया है ये उपबंध राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम की धारा 3(3) की शर्तों के अंतर्गत ''पदेन सदस्य'' होते है, की नियुक्ति, पदमुक्ति तथा कार्यकाल उन आयोगों के संविधान और नियमों द्वारा शासित होते हैं जिनके वे अध्यक्ष हों। इस कारण से संसद ने अपनी विद्धता में ''पदेन सदस्यों'' की भूमिका को धारा 12(य) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों तक सीमित कर दिया है। अधिनियम के अंतर्गत उन्हें कोई और भूमिका नहीं सौंपी गई है।

2.7 आयोग की पहुंच और शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत उसे सोंपे गए व्यापक कार्य हैं इस वृहत जनादेश ने भी ''पेरिस सिद्धांतों'' के अनुसरण में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान के रूप में आयोग की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। आयोग का विशेष परिणाम अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत उसे दी गई सक्षमता रही है जो ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी आरोप में निहित किसी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। यह उपबंध गत वर्षों में बार–बार प्रयोग में लाया गया है। प्रक्रिया से जुड़े अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 18(2) में निहित उपबंध भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है जो आयोग को सक्षम बनाता है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत की गई पूछताछ के पूरा होने पर ''उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में निदेश, आदेश अथवा रिट याचिका के लिए जा सकता है जैसा न्यायालय आवश्यक समझे'। यह उपबंध भी गत वर्षों में प्रयोग में लाया गया है और इससे आयोग के अद्धितीय चरित्र और क्षमताओं को परिभाषित करने में सहायता मिली है।

2.8 इन स्पष्ट शक्तियों के बावजूद गत दशक में यह स्पष्ट हुआ है कि आयोग और इसके कार्य के सत्त् निरीक्षकों ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कमजोरियों और कमियों को आंका है। ये ऐसी कमजोरियां है जिनको आयोग ने प्राथमिक रूप से इस संविधान में संशोधन करने के लिए पहले से की गई सिफारिशों के अनुरूप इन कमियों को दूर करने की मांग की है जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में किया गया है। इनमें से प्रमुख हैः–

- सशस्त्र सेनाओं की परिभाषा (धारा 2.1) : आयोग ने प्रस्ताव किया है कि परिभाषा में केवल ''नौसेना, थल सेना और वायु सेना'' को शामिल किया जाना चाहिए तथा अर्द्ध सैनिक बलों को परिभाषा से निकाल देना चाहिए।

- ''अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा'' की परिभाषा (धारा 2.1) (च) : आयोग ने प्रस्ताव किया है कि परिभाषा में केवल 1966 की नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और 1966 की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा को ही नहीं बल्कि ''कोई अन्य प्रसंविदा अथवा कन्वेशन जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित की गई हो अथवा इसके बाद पारित की जा सकती हो को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- ''सशस्त्र सेनाओं के बारे में'' अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं (धारा 19(1) और 19(2)) जो आयोग के विचार में जवाबदेही की स्थिति पैदा करती है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से निपटने में असमर्थ रहती है।

- धारा 20(2) की शब्द रचना जिसके परिणामस्वरूप संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है और जिसके कारण ये सामान्य जनता को उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।

- धारा 36(1) की शब्द रचना जिसका प्रयोग देश में मानव अधिकारों कें ''बेहतर संरक्षण'' में बाधा डालने में किया जा सकता है और जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार के उल्लंघनों और उनके उपभारों के मामलों पर नजर रखने की दूरगामी योग्यता देने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।
- मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में त्रुटिपूर्ण स्थितियों को अपनाने में रूकावट डालने अथवा देश में विभिन्न आयोगों द्वारा कार्यवाही करने जो मानव अधिकारों संबंधी कानूनों और न्यायिक दूरदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है; के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई न्यायिक अधीक्षता और शक्तियों के समान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी कुछ शक्तियां देना आवश्यक है।
- न्याय के हित में जहां किसी कारण से राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग एक वर्ष की अवधि के बाद किसी मामले में संज्ञान लेने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण हों और उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए, के लिए धारा 36(2) के उपबंधों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
- आयोग का यह भी मत है कि अधिनियम की वर्तमान धारा 37 को हटा दिया जाना चाहिए। इसकी बजाय आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 139 क के समान एक उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को समुचित मामलों में, उन मामलों को निपटाने में समरूपता स्थापित कराने में मदद मिले जिनमें एक तरह के मुद्दे उठाए गए हों।

ख) शिकायतों पर कार्यवाही

2.9 देश के लोगों द्वारा आयोग में किया गया विश्वास और मानवाधिकारों संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की तीव्र इच्छा का स्पष्ट संकेत आयोग को भेजी गई शिकायतों की एक भारी संख्या में मिलता है।

2.10 यह संख्या लगातार बढ़ी है। उदाहरण के लिए आयोग के अस्तित्व में आने के पहले छः महीनों में अर्थात अक्टूबर 1993 से 31 मार्च 1994 तक आयोग ने 496 मामले दर्ज किए। यह संख्या बढ़कर 1994–95 में 6987; 1995–96 में 10195; 1996–97 में 20514; 1997–98 में 36791; 1998–99 में 40724; 1999–2000 में 50634; 2000–01 में 71555 और 2001–2002 में 69083 हो गयी। चालू

वर्ष में ऐसे मामलों की संख्या 68779 थी जो दर्शाती है कि यह चरम सीमा पर पहुंच गई है और बढ़ते हुए राज्य आयोग लगातार बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं और उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

2.11 अक्टूबर 1993–31 मार्च 2003 की अवधि के दौरान आयोग ने कुल 375758 मामले दर्ज किए है जिनमें से 365995 मामलों को विचार के लिए हाथ में लिया गया है। किसी भी पैमाने से यह संख्या आयोग के कार्यभार को भारी भरकम बनाती है और विश्व में कही भी मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय संस्थान अथवा इस देश में सांविधिक आधार रखने वाले किसी अन्य राष्ट्रीय आयोग की अपेक्षा बड़ी है।

2.12 निपटाए गए 33811 मामलों में से 169459 (509.12 प्रतिशत) को प्रारंभिक स्थिति में निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 77400 मामलों (22.89 प्रतिशत) को आयोग द्वारा शिकायत की आरंभिक जांच के बाद विशेष निर्देश देकर निपटाया गया है । शेष 91252 (26.99 प्रतिशत) मामलों को आयोग द्वारा नोटिस जारी करके प्राप्त हुई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा इसके बाद आवश्यक पूछताछ अथवा अन्वेषण के बाद निपटाया गया। इन मामलों में एक बड़ी संख्या ऐसी घटनाओं की थी जिनमें शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा हुआ। इन निर्देशों में 559 घटनाओं में अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत मानव अधिकार के उल्लंघन के पीड़ितों को अथवा उनके परिवार के सदस्यों को ''अंतरिम राहत'' का भुगतान शामिल है इनमें ऐसे 295 मामले भी शामिल है जिनमें मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी जनसेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोजन आरंभ करने के निदेश दिए गए। विभिन्न घटनाओं में किए गए अत्याचारों के उपचार के लिए खास उपायों की सिफारिश की गई है; कुछ अन्य घटनाओं में, जनसेवकों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए है जिनमें उदाहरणार्थ हिरासत में मौतों, ''मुठभेड़'' में हुई मौतों, गिरफ्तारी और बंदीकरण, पोलीग्राफ परीक्षणों का प्रयोग, शव परीक्षा करने और वीडियोग्राफी आदि से जुड़े मामलों में अपनाए जाने वाले तरीकों का उल्लेख किया गया है।

2.13 यह कहना महत्वपूर्ण हैं कि आयोग द्वारा प्राप्त शिकायते समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है तथा आतंकवाद, घुसपैठ और समुदायों में परस्पर तनाव से प्रभावित क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों से आई है। इन्हें निपटाने में आयोग ने उपचारात्मक भूमिका निभाई है: सर्वाधिक कमजोर तथा अलग–थलग पड़े लोगों को न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही की आशा बंधी है।

2.14 आयोग ने मामलों के भारी भरकम बोझ पर निगरानी रखने और कार्यवाही में सुधार करने

की लगातार आवश्यकता महसूस की है। 1997–98 में आयोग ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए इसकी जांच करने हेतु pro-bono प्रबंधन अध्ययन आयोजित कराया था और बेहतर प्रबंधन तथा उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये थे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः–

- सम्पूर्ण केस–लोड का कम्प्यूटरीकरण;
- विभिन्न प्रकार के मामलों में "व्यावहारिक निदेश" जारी करना;
- शिकायतों की कुछ श्रेणियों का तीव्र निपटान;
- प्रक्रियात्मक प्रयोजन के लिए समान शिकायतों को मिलाना;
- आयोग की सहायता के लिए उच्च कोटि की योग्यता के "विशेष संपर्ककर्ता" और "विशेष प्रतिनिधियों" की नियुक्ति करना;
- राज्य सरकारों के सहयोग से पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों में "मानव अधिकार कोष्ठों" की स्थापना करना;
- चुनिंदा विषयों पर, इन विषयों से जुड़े प्रख्यात व्यक्तियों में से विशेषज्ञों का मुख्य समूह गठित करना;
- आयोग के कर्मचारियों तथा अन्य जिनमें आयोग के कार्य से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं को विशेष प्रशिक्षण देना।

2.15 किए गए सभी विशेष प्रयासों से आयोग यह नहीं कह सकता कि वह आयोग के पास भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट है। शिकायतों पर कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हो सकता है और यह आवश्यक है कि आयोग द्वारा अपनाए गए कामकाजी तरीकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार समीक्षा होती रहे। इससे और लाभ हो सकता है यदि उचित क्षमता वाले मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हो और उन्हें सभी राज्यों में समुचित सहायता मिले और यदि अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालयों को इसी तर्ज पर गठित किया जाता है तथा उनकी सक्षमता और क्षेत्राधिकार से जुड़े मामलों को समुचित ढंग से तथा निश्चित रूप से स्पष्ट किया जाता है।

ग) मुख्य मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग का मत

2.16 आयोग की प्रमुख चिंताओं को एक गांठ रहित धागा जोड़ता है चाहे वे कितनी भी विविध

और विभिन्न प्रतीत हों। यह धागा है मानवीय प्रतिष्ठा का जिसकी रक्षा करना, आयोग के कार्यों का प्रमुख केन्द्र है तथा हमारे गणतंत्र के संविधान का हृदय।

2.17 आगामी अनुच्छेदों में इन चिंताओं के बारे में आयोग द्वारा बनाए गए मत और किए गए कार्यों का सार देने का प्रयास किया गया है।

1) आतंकवाद और मानव अधिकार

2.18 आयोग ने आंतकवाद के सभी कृत्यों और ऐसे कारनामों को करने वाले लोगों जो मानवाधिकारों तथा सभी मूल अधिकारों सहित जिनमें जीवन का अधिकार प्रमुख है के शत्रु है, की बारबार और एक स्वर से निंदा की है। इसलिए आयोग ने ऐसे कारनामों द्वारा दी गई गंभीर चुनौती पर पूरे ध्यान से अपना ध्यान केन्द्रित किया है और इस खतरे से निपटने में देश को मार्ग दर्शन देने वाले सिद्धांतों पर अपना मत बनाया है।

2.19 जबकि आयोग इस बात से सहमत है कि आंतकवाद के विरूद्ध लड़ाई को निर्भिकता से लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए फिर भी इसका मत है कि हमारे देश के संविधान में राष्ट्रीय एकता की रक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अहम है जो अटूट है किन्तु एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है तथा आंतकवाद से लड़ने के लिए बनाए गए कानून अथवा उपाय संविधान अंतरराष्ट्रीय संधियों जिसमें भारत एक पक्षकार है के अनुरूप होने चाहिए और आवश्यकता तथा समानुपातिकता के सिद्धांतों का सम्मान करने वाले होने चाहिए।

2.20 आयोग के मत को अन्य बातों के साथ–साथ गत वर्षों में उस पत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है जो 20 फरवरी 1995 को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सभी सांसदों को प्रेषित किया गया था जिसमें आग्रह किया गया था कि आंतकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 का नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को पुनः विस्तार से अभिव्यक्ति मिली जब आयोग ने आंतकवाद निवारण विधेयक 2000 के मसौदे के बारे में 14 जुलाई 2000 और 19 नवम्बर 2001 को अपने मत दिए। आयोग ने आंतकवाद निवारण अध्यादेश 2001 का भी विरोध किया। हाल ही में आयोग के मत को 21 फरवरी 2003 को जारी वक्तव्य में व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। इन सभी का पाठ आयोग की वेबसाइट (www.nhrc.nic.in) पर उपलब्ध है।

2.21 आयोग विशेष रूप से चितिंत रहा है कि आंतकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और राज्य द्वारा उन्हें हर संभव सहायता मिलनी चाहिए चाहे यह केन्द्र सरकार

के स्तर पर हो अथवा सक्षम राज्य सरकार के स्तर पर। 1995–96 से आयोग लगभग 300000 कश्मीरी पंडितों जिन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है, को पेश आ रही समस्याओं पर ध्यान देता रहा है। आयोग ने इन्हें व्यवहारिक रूप से सहायता देने के लिए दूरगामी सिफारिशे की है और उन पर जोर दिया है। आयोग ने उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा "नक्लसवाद" से प्रभावित क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ–साथ स्थिति पर नजर रखी है और जैसी भी आवश्यकता हो अपनी टिप्पणियां और सिफारिशे की है।

2) हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, शव–परीक्षा, मुठभेड़ों और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में दिशा–निदेश

2.22 14 दिसम्बर 1993 को ही आयोग ने सभी–मुख्य सचिवों को अनुदेश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिरासतीय मौत और बलात्कार के सभी मामले घटना के 24 घंटे के भीतर सूचित कर दिए जाए, ऐसा न करने पर आयोग द्वारा इसे विपरीत कार्यवाही माना जाएगा। 10 अगस्त 1995 को सभी मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि हिरासत में हुई सभी मौतों की शव–परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जाए। 27 मार्च 1997 को मुख्यमंत्रियों को अलग से अनुरोध किया गया कि वे सभी प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा तैयार नमूना शव–परीक्षा फार्म प्रयोग में लाए। आयोग के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कुल मिलाकर हिरासतीय मौतों के 5500 मामले सूचित किए गए है। इन मामलों की आयोग में भली भांति समीक्षा की गई है और इसमें आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने सहायता की है तथा इन मामलों के बारे में समुचित आदेश जारी किए गए है।

2.23 "मुठभेड़ों का मामला वर्ष 1996–97 में आयोग द्वारा विस्तृत सुनवाई का विषय था, 27 मार्च 1997 को सभी मुख्यमंत्रियों को व्यापक दिशा–निदेश जारी किए गए कि मुठभेड़ों के मामलों की जांच किस ढंग से की जाए और उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

2.24 मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य प्रथाओं के बारे में भी दिशा–निदेश जारी किए गए। उदाहरण के लिए 11 जनवरी 2000 को पोलीग्राफ परीक्षण के प्रयोग के बारे में दिशा–निदेश जारी किए गए और 22 नवम्बर 2000 को मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी और बंदी बनाने के विषय के बारे में विस्तृत दिशा–निदेश देते हुए पत्र भेजे गए।

2.25 भारत द्वारा 1984 के यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड के विरूद्ध कन्वेशंन को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता को पहली बार आयोग ने वर्ष 1994–95

में उठाया। इस मामले में उठाए गए सभी तर्कों और आपत्तियों से निपटने के लिए आयोग ने अप्रैल 1997 में इस विषय पर प्रधानमंत्री को एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस विश्लेषण से भारत को बड़े पैमाने पर 14 अक्टूबर 1997 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने में मदद मिली। तथापि आयोग के बार–बार आग्रह करने के बावजूद इसकी पुष्टि अभी की जानी है।

3) पुलिस कारागार और आपराधिक न्याय का कार्यान्वयन

2.26 पुलिस सुधार का मुद्दा आयोग द्वारा पहली बार 1995–96 में उठाया गया। आयोग ने पुलिस सुधार आयोग की दूसरी रिपोर्ट जो 1979 में दी गई थी और जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पुलिस के अन्वेषण कार्य में राजनैतिक अथवा अन्य बाहय प्रभावों से बचाने की आवश्यकता का उल्लेख था, में निहित प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सरकार से आग्रह किया। तत्पश्चात् प्रकाश सिंह बनाम् भारत संघ के मामले में इस विषय पर विस्तृत ब्यौरे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। आवश्यक सुधार लागू नहीं हो पाने के कारण देश अभी भी इसकी भारी कीमत चुका रहा है। वास्तव में आयोग ने अब एक भिन्न संदर्भ में इस मामले को पुनः उठाया है। 1 अप्रैल और 31 मई 2002 को आयोग की कार्यवाही में गुजरात की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और पुलिस सुधारों पर तेजी से कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस की गई तथा इस विषय पर कार्यवाही न करने के कारण एक से अधिक राज्यों ने इसके गंभीर परिणामों को देखा है।

2.27 भारतीय कारागार अधिनियम 1894 को पुनः लिखने की आवश्यकता की बात आयोग द्वारा आरंभ में 1994–95 में उठाई गई थी तथा तब से कुछ राज्यों में समकालीन तर्ज पर अधिनियमों और मैनुअलों में परिवर्तन करने के लिए लगातार आग्रह करता रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग ने जेलों में भीड़–भाड़, सफाई की कमी, विचारण में विलंब, कैदियों का स्वास्थ्य, मजदूरी का भुगतान, सजा में कटौती और आजीवन कारावास से दंडित कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर विचार करने का लगातार प्रयास किया है।

4) तीन ''अभिशाप''–भूख, निरक्षरता, अल्पायु मौतः आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष

2.28 भारत 1966 की आर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में एक पक्षकार है जिसमें विशेष रूप से ''भूख से आजादी प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार'';

''शिक्षा का अधिकार'' को विशेष रूप से मान्यता दी गई है और कहा गया है कि ''प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क होगी'' तथा ''शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक को प्राप्त करने का अधिकार'' सभी को है। आयोग ने इन आवश्यकताओं को इस भाव से उठाया है कि यह देश का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि इन अधिकारों का सम्मान हो। भारतीय संदर्भ में आयोग ने मत बनाया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंधों को, जीने के अधिकार के अर्थ तथा उसे क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और इसमें इन अधिकारों को शामिल करने तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए उपचार द्वारा लागू मौलिक अधिकारों को प्रतिभूत बनाने के लिए न्यायिक रूप से व्याख्या की गई है।

आयोग ने इसलिए:

- 1997 से उड़ीसा के ''के0बी0के0'' जिलों में स्थिति का विशेष रूप से इस ढंग से प्रबोधन किया है कि भूख से मौत से इस राज्य में बार–बार लगे आरोपों से तथा देश के अन्य भागों में किस प्रकार निपटा गया है।
- 1994 से निशुल्कः तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया है इसे बाल श्रम को रोकने के साधन के रूप में नहीं।
- अप्रैल 2000 में आयोजित कार्यशाला में लौह तथा आयोडीन की कमी और माताओं में एनीमिया को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकार तथा अजन्मे और शिशुओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।
- अप्रैल 2001 में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारों के बारे में एक प्रमुख क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य की देखभाल, तम्बाकू नियंत्रण और पोषण के बारे में विचार–विमर्श किया है।
- एच.आई.वी. / एडस और मानव अधिकार के बारे में नवम्बर 2000 में राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है।

2.29 इन सभी मामलों में से प्रत्येक के बारे में आयोग की सिफारिशों को सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

5) महिलाओं और बच्चों के अधिकार

2.30 गत दशक के दौरान विभिन्न परस्पर संबंधित तरीकों से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों

के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग के प्रयास जारी रहे है। इस प्रकारः

- वर्ष 1993–94 की वार्षिक रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के प्रति भेदभाव तथा लिंग संबंधित हिंसा से जुड़े मुद्दों की विस्तार से जांच की गई थी।
- अगले वर्ष आयोग ने 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता तथा देश में बाल श्रम समाप्त करने के लिए आवश्यक बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1976 में संशोधन की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया इस स्थिति को आगे के वर्षों में दोहराया गया।
- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार किया गया। माताओं का एनीमिया के मामलें को 1996–97 में मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में पहली बार पहचाना गया। इसके बाद वर्ष 2000 में, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अधिकार तथा मानव अधिकार और एच आई वी/एडस, के बारे में कार्यशालाएं और परामर्श आयोजित किए गए। दोनों का महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से सीधा संबंध है।
- 1997–98 में आयोग ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में संशोधन करने के प्रयास शुरू किए। यह ऐसा मामला था जिस पर आयोग ने 2000–01 में सरकार के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
- 1998–99 में आयोग ने सरकारी सेवकों द्वारा 14 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को रोजगार में लगाने पर निषेध करने की सिफारिश की। इस मामलें पर समुचित आदेश बाद में केन्द्र तथा अनेक राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण के रूप में ''भेदभाव'' के मुद्दे की आयोग की 1999–2000 की वार्षिक रिपोर्ट में लिंग तथा जाति–आधारित भेदभाव के संबंध में विशेष रूप से विस्तार से जांच की गई। इन मुद्दों पर अनेक सिफारिशे की गई, क्योंकि देश का निष्पादन संविधान में निहित मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों, उन अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों जिनमें भारत एक राज्य पक्षकार है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय (विशाका और अन्य बनाम् राजस्थान राज्य के मामले में) तथा देश के कानून को ध्यान में रखकर मापा जाता है। आयोग ने पहली बार कुछ समझौता निकायों की कार्यवाहियों तथा सिफारिशों की जांच की, जिससे पहले भारत ने अपनी देश की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अपनी सिफारिशे की। आयोग ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में कन्वेंशन, बच्चों के अधिकारों के बारे में कन्वेशन तथा दलितों को प्रभावित

करने वाला भेदभाव जोकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने के बारे में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत गठित संधि निकाय द्वारा विचार किया गया था, से संबंधित मामलों पर विशेष रूप से टिप्पणी की। ऐसा करने में आयोग ने महिलाओं, बच्चों और दलितों द्वारा अनुभव किए गए भेदभाव के ''बहुपक्षीय'' रूपों के मुद्दे को उठाया।

- वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट में ''जनगणना 2001'' के मानव अधिकार संबंधी आयाम का विश्लेषण किया गया और देश में मोटे तौर पर पुरूषःमहिला लिंग अनुपात तथा कुछ ऐसे राज्यों में जहां खास तौर से महिलाओं का अनुपात कम है, के बारे में टिप्पणी की। आयोग ने शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की सुलभता के बारे में पुरूषों और महिलाओं के मध्य विद्यमान अंतर को कम करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और कानून बनाने का आहवान किया। आयोग ने लिंग निर्धारण परीक्षण के दुरूपयोग को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने का भी आहवान किया। इस परीक्षण से मादा भ्रूण की हत्या की बुरी प्रथा को बढ़ावा मिलता था और जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन था तथा लिंग आधारित भेदभाव का सबसे बुरा रूप था।

- वर्ष 2000–2001 के दौरान आयोग ने अपने एक सदस्य को देह–व्यापार से जुड़े मामलों सहित महिलाओं के मानव अधिकारों के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया तथा अनेक अनुसंधान तथा व्यावहारिक कार्यक्रम आंरभ किए गए।

- कार्यस्थान पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर भी आयोग ने लगातार ध्यान देना शुरू किया है।

- महिलाओं से जुड़े अन्य कार्यक्रमों और मुद्दों को तथा इसके साथ–साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में व्यवस्थित तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता में वृद्धि, बलात्कार की शिकार महिलाओं की पहचान को गुप्त रखना, वृन्दावन में विधवाओं की स्थिति; उन व्यक्तियों की पत्नियां जो मर चुके है, के लिए सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग किए जाने वाले नामकरण; कारागारों, हिरासतगृहों और मानसिक रोगियों के लिए संस्थानों में महिलाओं की स्थितियां; महिलाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए आयोग के भीतर कोष्ठ स्थापित करने के कार्यक्रमों और मुद्दों पर कार्यवाही की गई।

- जहां तक बाल श्रम का संबंध है पिछले दशक के दौरान आयोग ने जोखिम भरे उद्योगों में बच्चों के नियोजन के समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का चटाई बनाने का क्षेत्र, फिरोजाबाद में कांच और चूड़ियों के कारखाने, अलीगढ़ में ताला उद्योग तथा कनार्टक में रेशम उद्योग में इन कार्यक्रमों को चलाया गया है। देश में अनेक

प्रमुख राज्यों में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बारे में आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा की गई ठोस निगरानी विशेष महत्वपूर्ण रही है। आयोग का सत्त ध्येय रहा है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाएं।

6) ''समावेशन का मुद्दा'' : समाज के उपेक्षित तथा संवेदनशील वर्गों के अधिकार

2.31 आयोग के लिए मानवीय प्रतिष्ठा का धागा सभी अधिकारों को जोड़ता है और उन्हें अविभाज्य बनाता है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों का संरक्षण कानून के अधीन समानता और भेदभाव निषेध के स्तम्भों पर टिका है। इसमें अन्यों के साथ–साथ धर्म जाति, कौम, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव शामिल है। अपने आरंभिक वर्षों में आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः–

- आयोग ने ''प्राचीन सामाजिक गलतियों'' की ओर ध्यान दिया है जिनके कारण कुछ भारतीय अन्यों की तुलना में पिछड़ गए तथा धर्म अथवा रीति–रिवाज के आधार पर दीर्घ काल से चल रहे दृष्टिकोण देश के लोगों के अधिकारों के प्रति समुचित सम्मान के विपरीत रहे है। आयोग ने ऐसी भ्रांतियों से मुकाबला करने का ध्येय बनाया जिनके कारण संविधान और विभिन्न कानूनों की मांग के बावजूद ऐसी स्थितियां लगातार बनी रही।

- आयोग ने दलितों और आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए विशेष जोर दिया और भेदभाव, ''छुआछूत'', मानव के प्रति हिंसा, विभिन्न प्रकार के अत्याचार और जनसेवकों तथा अन्यों की ज्यादतियों के बारे में आरोप लगाने वाली शिकायतों की ओर विशेष ध्यान दिया।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली दो घृणित और अपमानजनक प्रथाओंः सिर पर मैला ढोना और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की भावना व्यक्त की। पहले मुद्दे को आयोग द्वारा पहली बार 1996–97 में उठाया गया। हाल के वर्षों में यह मामला आयोग के अध्यक्ष से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों के उच्चतम स्तर तक बार–बार उठाया गया है। बधुंआ मजदूरी के उन्मूलन का विषय प्रथम वर्ष से ही आयोग के लिए मुख्य चिंता का विषय है और यह उच्चतम न्यायालय के 1998 के आदेश के जरिए आयोग को विशेष रूप से सौंपा गया उत्तरदायित्व है।

- ''कौम'', ''जाति'' और ''नीचता'' पर आधारित भेदभाव के बारे में आयोग के विचारों को 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2001 के दौरान डरबन में आयोजित जातिवाद, जातीय भेदभाव, भय और संबंधित असहनशीलता के विरूद्ध विश्व सम्मेलन में आयोग की ओर से दिए गए वक्तव्य में ठोस ढंग से तथा प्राधिकृत रूप से अभिव्यक्त किया गया था। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि ''मानव अधिकार मामलों पर विचारों का आदान–प्रदान, चाहे वे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में संरचनात्मक योगदान दे सकता है।'' आयोग ने यह भी कहा कि भेदभाव के रूप में ''नामकरण'' ही नही जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए बल्कि इसकी निरंतरता पर भी ध्यानदेने की आवश्यकता है। आयोग ने टिप्पणी की कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 में ''कौम'' और ''जाति'' दोनों के आधार पर भेदभाव निषेध करता है और इस संवैधानिक गांरटी को पूरी शक्ति से कार्यान्वित करना पड़ेगा। आयोग का विचार था कि देश में शासन के यंत्र और समाज के ऊर्जाशील और वचनबद्ध गैर–सरकारी क्षेत्र उन ऐतिहासिक अन्यायों पर मिलकर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारे देश के कमजोर वर्गों विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों को कष्ट पहुंचाया है। आयोग ने अंत में कहा कि यह सर्वोपरि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है और नैतिक अनिवार्यता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

- डरबन सम्मेलन के पश्चात् आयोग ने उस सम्मेलन में चर्चित मुद्दों के बारे में लिए गए निर्णयों पर समुचित अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए।

- **वृहत् परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार** : इस बात ने 1996–97 से लगातार आयोग को चितिंत किया है कि जब बारगी बांध द्वारा विस्थापित लोगों की व्यथा पहली बार आयोग के समक्ष लाई गई उस स्थिति तथा अन्य तुलनात्मक स्थितियों के आलोक में आयोग ने 2000–2001 में ऐसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए संशोधित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता जताई। आयोग ने विशेष रूप से आग्रह किया कि ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुर्नस्थापन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों का भाग बना देना चाहिए अथवा इसके लिए समुचित पृथक विधायन होना चाहिए ताकि वे न्यायपरक हो सकें। आयोग के विचारों को मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है।

- **विकलांगों के अधिकार** : आयोग ने विकलांगों (समाज अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्व भागीदारी) अधिनियम 1995 को अपनाने और समुचित कार्यान्वयन का आग्रह किया। वर्ष 2000–2001 में आयोग ने इस अधिनियम में अनेक विस्तृत संशोधनों का प्रस्ताव करना उचित तथा आवश्यक समझा। आयोग ने विकलांगता के आधार पर उत्पीड़न, असहनशीलता

अथवा भेदभाव का अनुभव कर रहे व्यक्तियों की सहायता के लिए अनेक मामलों में हस्तक्षेप भी किया। अनेक सुनवाईयों के बाद वर्ष 2002 में समाप्त एक उल्लेखनीय मामले में मेडिकल के एक छात्र जो अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में एम बी बी एस की डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा था और दृष्टिहीन हो गया था, को अपना अध्ययन पूरा करने तथा अंतिम परीक्षा देने का अधिकार दिया गया। वर्ष 2001–2002 में विकलांगता संबंधी एक कोर समूह, नियुक्त किया गया और अपने उत्तरदायित्वों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आयोग की सहायता के लिए एक विशेष सम्पर्ककर्त्ता भी नियुक्त किया गया।

- **वृद्धों के अधिकार :** जबकि पिछले वर्षों में आयोग ने वृद्धों से प्राप्त अनेक शिकायतों पर कार्यवाई की है फिर भी वर्ष 2000 में जब आयोग ने वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय परिषद के काम में भाग लिया और सक्षम मंत्रालय द्वारा तैयार कार्य योजना (2000–2005) पर टिप्पणी की। आयोग की इस संबंध में संलिप्तता काफी बढ़ गई। उस वर्ष से आयोग में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े समूहों के साथ निकट सम्पर्क रखा है और वह जब भी आवश्यक हो, केन्द्र सरकार को अपना सुझाव देता रहा है।

- **गैर अधिसूचित तथा खानाबदोश जनजातियों के अधिकार :** आयोग ने गत वर्षों मे जनसेवकों विशेष रूप से पुलिस द्वारा ''गैर अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियाँ के सदस्यों के साथ उत्पीड़न और निर्दयता के व्यवहार का आरोप लगाते हुए असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आयोग ने अनेक सिफारिशें की है तथा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस समूह के सदस्यों को पेश आई समस्याओं के बारे में जनसेवकों की सोच बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **अल्पसंख्यकों के अधिकार :** समाज के "समावेषण" का सबसे आलोचनात्मक परीक्षण इस बात से होता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वह किस ढंग से संरक्षण करता है। आयोग के लिए संविधान, देश के कानून तथा संधि बाध्यताएं सतत् उपाए हैं जिनके द्वारा आयोग ने उन लोगों के आचरण को परखा हैं जिनके विरूद्ध देश के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के अधिकारों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए है। भेदभाव अथवा पीड़ित किए जाने के आरोपों की असंख्य व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के अतिरिक्त आयोग ने देश के सभी जन सेवकों ओर विशेष रूप से उन राज्यों जहाँ से ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई है कि जनसेवकों को याद दिलाया है कि वे संविधान तथा देश के कानूनों का सम्मान करे अथवा आयोग की निंदा का सामना करे यदि वे इस बारे में अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से पूरा करने में असफल रहते हैं। इसलिए यह मुद्दा आयोग की मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठकों में तथा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्यों द्वारा किए गए

राज्यों के दौरों में प्रमुखता से उठाया गया है। कई अवसरों पर आयोग ने उन मुद्दो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उठाए गए हैं, के बारे में अपने विचार जोड़े हैं और उन पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का समर्थन चाहा है।

- **प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार :** आयोग के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के उत्तरदायित्व में भारी वृद्धि हुई जब आयोग ने उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में आए विनाशकारी समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति को स्वतः संज्ञान में लिया। आयोग ने विचार किया कि प्रभावित लोगों विशेष रूप से अंति संवेदनशील वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है और इस आपदा के आलोक में सबसे वंचित व्यक्ति को ही सबसे कम सहायता मिलती है। उड़ीसा में आयोग के हस्तक्षेप के सकारात्मक परिणामों से एक ऐसा उदाहरण स्थापित हुआ कि जनवरी 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकम्प के बाद आयोग ने इसी प्रकार की कार्यवाई की। यह भी एक बार फिर सुशासन के मुद्दे पर आयोग के ध्यान केन्द्रित करने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सहायता देने की आवश्यकता पर ध्यान देने से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रभावित लोगों को सहायता देने में मानव अधिकारों के मूल्यों के समुचित पहलू को अक्षुण बनाए रखा जाए।

7) विधायन और समझौतों की समीक्षा

2.32 वर्षों के दौरान टाडा पर अपने विचारों से आरंभ करते हुए आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ मानव अधिकारों से जुड़े कुछेक बीस अधिनियमों, विधेयकों अथवा अध्यादेशों, आतंकवाद विरोधी विधायन सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के विधायन, भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों और दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस और कारागार अधिनियम, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, बंधुआ मजदूरी, दलितों और आदिवासियों के अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा, शरणार्थियों से जुड़े मुद्दों और सूचना के अधिकार जैसे अनेक विषयों पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं।

2.33 अनेक घटनाओं में विशेष रूप से यातना, महिलाओं और बच्चों के अधिकार और शरणार्थियों के बारे में आयोग में मौजूदा स्थिति की जाँच करने तथा विशिष्ट कदम उठाने के लिए पहल की है जो यह सुनिश्चित करें कि मानवाधिकारों का बेहतर सरंक्षण होगा।

8) मानव अधिकार शिक्षा और कोर समूहों का "बहुगुनी प्रभाव"

2.34 अपने आरंभिक दिनों से आयोग का संपूर्ण कार्य देश में "मानव अधिकार संस्कृति" सृजित करने पर केन्द्रित रहा है। गत् दशक के दौरान तथापि आयोग ने मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के साथ काम करना;
- विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर काम करना;
- बैंगलूर में नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी में मानव अधिकारों के लिए अध्यक्षता करना;
- जनसेवकों, पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों और सेना के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में मानव अधिकारों के बारे में पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना;
- न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए पुस्तिका बनाना;
- चिकित्सकों से लेकर रोटरी क्लब के सदस्यों तक विभिन्न समूहों और राजनीतिक दलों के नेताओं से विचारों का आदान–प्रदान करना और उन्हें अपने–अपने कार्य सूची मदों पर मानवाधिकार मुद्दों को रखने का आग्रह करना;
- देश में मानवाधिकारों में बेहतर संरक्षण को केन्द्रिय महत्त्व देने की भूमिका के रूप में गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा और समर्थन देना;

2.35 आयोग की पहुँच असाधारण रही है जिसमें उच्चत्तम प्रतिभा और सम्मान वाले व्यक्ति बेझिजक आयोग द्वारा स्थापित "कोर समूहों" में भाग लेकर मानवाधिकारों के उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता जैसे मुद्दों पर गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग और समन्वय से कानूनी सलाह के लिए आगे आकर काम करते रहे है। आयोग द्वारा नियुक्त विशेष सम्पर्ककर्त्ता और विशेष प्रतिनिधि मिलकर आयोग के प्रयासों को बहुगुणीय प्रभाव देते हैं और इसमें उच्च योग्यता तथा सार्वजनिक समर्थन का व्यापक सामंजस्य हुआ है।

9) निष्कर्ष

2.36 शुरू से ही यह देखा जा सकता है कि गत 10 वर्षों में बहुत प्रयास किया गया है तथा बहुत कुछ प्राप्त किया गया है लेकिन मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाले और इनके संरक्षण के लिए संघर्षरत लोग अपने प्रयासों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और वास्तव में यही धारणा आयोग पर भी लागू होती है। आयोग की स्थापना के एक वर्ष बाद अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने टिप्पणी की:

> "आयोग यह नहीं कह सकता की इसके प्रयासों ने देश में मानव अधिकारों की फिंजा ही बदल दी है अथवा आयोग ने भारत के सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा के लिए क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन आयोग यह कह सकता है कि इसके प्रयासों ने न्यायप्रिय और संवेदनशील लोगों के हाथों को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया है जिनका इस देश में, सभी राज्यों में तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में अभाव है।"

2.37 यह वक्तव्य आज भी काफी हद तक सच है लेकिन गत दस वर्षों में अपनी कमियों के बावजूद आयोग ने जनता के विचार में एक ऐसा निकाय होने का गौरव हासिल किया है जिसे आरंभ में संदेह की नजर से देखा जाता था और अब इसे सुशासन के एक यंत्र के रूप में देखा जाता है जिस पर भारत में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा तथा गणतंत्र के संविधान की विविधता को सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्वास करते है।

2.38 आगामी अध्यायों में इस रिपोर्ट में अनेक मुद्दों के बारे में जिनका इस अध्याय में संक्षेप में उल्लेख किया गया है, आयोग के प्रयासों का विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। इसमें गुजरात राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति जो आयोग के लिए चिंता का कारण बनी हुई है तथा देश में असंख्य अन्य लोग जो यह देखने को उत्सुक हैं कि संविधान तथा देश के कानूनों का सम्मान बना रहे और जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय मिले के लिए चिंता का कारण बनी रही है, के बारे में आयोग की अद्यतन कार्रवाईयों और कार्यों को उजागर करने का प्रयास किया जाएगा।

गुजरात की स्थिति

अध्याय 3

3.1 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर आक्रमण होने और इसमें आग लगाने की दुखदः घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होने और मानव अधिकारों की स्थिति बिगड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी।

3.2 उस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ 1 मार्च 2002 को जिन परिस्थितियों में आयोग ने स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया तथा उसके बाद 6 मार्च 2002 को अपनी कार्यवाही का उल्लेख किया गया तथा तत्कालीन अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोग के उच्चस्तरीय दल ने 19–22 मार्च 2002 को गुजरात का दौरा किया और 1 अप्रैल, 2002 तथा 31 मई, 2002 को आयोग की कार्रवाईयों का भी उल्लेख किया गया तथा दोनों कार्रवाईयों को रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया जो यह बताता है कि आयोग इस मुद्दे को कितना महत्त्व देता है।

3.3 आयोग के लिए यह दुख की बात है कि उन कार्रवाईयों में विशेष रूप से 1 अप्रैल 2002 को आयोग की कार्रवाई के पैराग्राफ 21 में और 31 मई 2002 की कार्रवाई के पैराग्राफ 19, 20, 27, 29 और 64 में की गई मुख्य सिफारिशों और टिप्पणियों पर गुजरात सरकार से पूरा जवाब नहीं मिला। परिणामस्वरूप आयोग को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि आयोग ने अपनी कार्रवाईयों में जिन गंभीर आशंकाओं का उल्लेख किया था, वे सच साबित हुई। इसलिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की प्रारंभिक असफलता उन लोगों को न्याय दिलाने में भी बड़ी असफलता बनकर उभरी जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था।

3.4 चूंकि यह सब कहा जा चुका है इसलिए संक्षिप्तता की वजह से इस रिपोर्ट में उन बातों

का उल्लेख नहीं किया गया है जिनका उल्लेख गत रिपोर्ट में किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में उन प्रमुख घटनाओं का लेखा–जोखा होगा जो उसके बाद घटी हैं। ये घटनाएं नीचे दी गई हैं।

3.5 1 जुलाई 2002 को आयोग ने देखा कि 4 जुलाई 2002 से गुजरात में गौरव यात्रा निकाले जाने की योजना है इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 70 स्थानों पर 12 जुलाई 2002 को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाने का भी कार्यक्रम था। जनसंपर्क माध्यमों की रिपोर्टों तथा गुजरात में आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता श्री पी.जी.जे. नम्पूदरी की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि प्रशासन के विभिन्न वर्गों तथा जनता के बीच इस बात की व्यापक आशंका है कि इन यात्राओं से राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है।

3.6 तद्नुसार आयोग ने 1 जुलाई 2002 को अपनी कार्रवाई में राज्य सरकार से कहा कि वह ऐसी स्थितियों, जिसमें जान और माल को खतरा हो सकता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, को रोकने के लिए राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर सावधानी बरतें। इस संबंध में आयोग ने 31 मई 2002 को हुई अपनी कार्रवाई की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें आयोग ने पुलिस तथा दंडाधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित मामलों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों और दिशा–निदेशों के अनुसरण में अपनी सांविधिक जिम्मेवारी को पूरा करने का स्पष्ट उल्लेख किया था। आयोग ने टिप्पणी की कि ये कानून तथा निदेश स्पष्ट रूप से उस ढंग का उल्लेख करते हैं जिस ढंग से पुलिस तथा दंडाधिकारियों को कार्य करना चाहिए। आयोग ने यह भी जोड़ा कि "सांविधिक उपबंधों, परिपत्रों और दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की कौताही के लिए दोषी जनसेवक व्यक्तिगत रूप से अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे।" आयोग ने यह कहते हुए टिप्पणी समाप्त की कि "उन परिस्थितियों में यह मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक सद्भाव और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चाहे वह राजनैतिक हो अथवा प्रशासनिक – को संविधान तथा संबद्ध सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में वर्तमान में अथवा भविष्य में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए अन्यथा ऐसे भूल–चूक के लिए जवाबदेह होना चाहिए जिससे कानून तथा उनके साथी मनुष्यों के जीने, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा के अधिकारों का उल्लंघन होता है।"

3.7 केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों पर स्थिति पर विचार करने के बाद गौरव यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

3.8 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग गुजरात में अपने विशेष संपर्ककर्ता जो आयोग की संबद्ध कार्रवाईयों से संबंधित गुजरात सरकार द्वारा जमीनी वास्तविकताओं से जुड़ी आयोग की सिफारिशों

के अनुपालन अथवा गैर अनुपालन की स्थिति की पूरी तन्मयता से निगरानी कर रहे थे, से प्राप्त विस्तृत रिपोर्टों और राज्य सरकार के जवाबों तथा रिपोर्टों को प्राप्त करता रहा। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में श्रीनम्पूदरी ने व्यापक रूप से खेड़ा, आन्नद, पंचमहल, वड़ोदरा और साबरकांठा जिलों का दौरा किया तथा हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों सहित दो दर्जन गाँवों का भी दौरा किया। इस दौरान वे 22 राहत कैम्पों में भी गए जो दंगों से प्रभावित लोगों को अस्थाई आवास उपलब्ध करा रहे थे (इन शिविरों को 30 जून 2002 को अधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया यद्धपि अनेक विस्थापितों को अभी स्थायी रूप से बसाया जाना है अथवा उनकी समस्याओं का पर्याप्त समाधान किया जाना है)। श्री नम्पूदरी ने जब भी आवश्यक हुआ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और अनेक मौकों पर सरकारी अधिकारियों से जिनका कर्त्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अन्वेषण करना तथा सामूहिक हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों पर मुकदमा चलाना था, को टोका और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोगों तथा शिविरों की स्थिति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और हिंसा के पीड़ितों अथवा निकटवर्ती संबंधियों को समुचित मुआवजा देने वाले अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप किया।

3.9 चूंकि स्थिति के विभिन्न पहलू आयोग को परेशान करते रहे इसलिए तत्कालीन अध्यक्ष श्री जे.एस. वर्मा ने अपना कार्यकाल पूरा होने से कुछ पहले 3 जनवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री को अपनी चिंताओं के बारे में उल्लेख करते हुए पत्र लिखना अपना कर्त्तव्य समझा। पत्र का पूरा पाठ परिशिष्ठ–I पर देखा जा सकता है।

3.10 उस पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने 1 अप्रैल और 31 मई 2002 को आयोग की कार्रवाईयों में निहित सिफारिशों का उल्लेख करने के बाद ससम्मान टिप्पणी की कि,

> ".................. अगर हमारा देश पीड़ितों, उनके परिवारों, उन पर निर्भर लोगों तथा अन्य व्यक्तियों अथवा पीड़ितों से जुड़े समूहों को तत्परता से तथा कारगर ढंग से न्याय देने में कमी रखेगा तो इसके कानून की नजर में न केवल इससे प्रभावित लोगों बल्कि हमारे देश की गरिमा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा न्यायपालिका सहित शासन से जुड़े संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे।"

पत्र में आगे कहा गया :–

"दुख की बात है कि आज तक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद पीड़ितों,

देश तथा मोटे तौर पर विश्व को आश्वासित करने में लिए पर्याप्त नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि देश में सभी संस्थाएं पूर्ण एकजुटता और निष्ठा के साथ हाल ही में हुई गलतियों का उपचार करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।"

पत्र में यह भी कहा गया है:–

"समकालीन मानव अधिकार न्यायिक दूरदर्शिता की अपेक्षा है कि पीड़ितों को वैधानिक तंत्र सुलभ होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र और कारगर कदम उठाए जाएं कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के कृत्यों के दोषियों के विरूद्ध कारगर, अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, दीवानी और फौजदारी कार्रवाई हो तथा पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से मुआवजा मिले और यह मुआवजा हुए उल्लंघनों तथा क्षतियों की गंभीरता के समानुपात में हो तथा इसमें बहाली, मुआवजा, पुनर्वास, संतुष्टी और ऐसी घटना को न दोहराने की गांरटी शामिल हो।"

पत्र निम्नलिखित के साथ समाप्त हुआ :

"प्रधानमंत्री जी मैं आपको यह पत्र सरकार के प्रमुख तथा दाव पर लगे मुद्दों की गहन समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में लिख रहा हूँ और इस मामले में अध्यक्ष के रूप में अपना पद त्यागने से पूर्व अपने दुःख की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ।

मैं आपका हृदय से आभारी रंहूगा यदि आप स्थिति की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों स्तरों पर सक्षम प्राधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करें कि इस पत्र में रेखांकित तथा आयोग की पूर्ववर्ती सिफारिशों में विस्तार से बताए गए ढंग के अनुसार न्याय सुनिश्चित हो। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रयास में पूरी तरह से शामिल होंगे और आपकी संलिप्तता को मेरे उत्तराधिकारी तथा आयोग के सहयोगियों द्वारा मन से सराहा जाएगा। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि भारत तथा भारत के बाहर व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो हृदय से हमारे देश का हितैषी है आपके प्रयासों की सराहना करेगा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में भी कम नहीं है।"

3.11 डॉ. न्यायमूर्ति ए.एस. आनन्द द्वारा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आयोग ने यह सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास जारी रखे कि गुजरात में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी लोगों को दंड मिले और हिंसा के शिकार लोगों की सुरक्षा और उनको मुआवजा दिलाने के मामले में न्याय का प्रयोजन पूरा हो। इस उद्देश्य से आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता के साथ तथा इस मामले में सहायता करने वाले अन्य लोगों के साथ बार–बार परामर्श किए गए और अनेक व्यवहारिक प्रस्ताव तथा उपाय तैयार किए गए ताकि स्थिति का आकलन हो सके और समुचित समाधान किया जा सके।

3.12 इन उपायों और कदमों को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है यद्यपि ये उपाय 31 मार्च 2003 के बाद अर्थात् इस समीक्षाधीन वर्ष के पूरा होने के बाद उठाए गए थे। इनको इस स्थिति के बारे में जो आयोग के लिए लगातार चिंता का विषय बनी रही है आयोग के कार्यों का अद्यतन लेखा–जोखा देने के लिए अभिलेखित किया जा रहा है।

3.13 9 मई, 2003 गुजरात के नव–नियुक्त मुख्य सचिव तथा नई दिल्ली स्थित गुजरात के रेजीडेंट कमिश्नर ने आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों से भेंट की। इस बैठक में आयोग ने मुख्य सचिव के साथ निम्नलिखित मुद्दे उठाएः–

(i) यह याद दिलाया गया कि आयोग ने 1 अप्रैल और 31 मई 2003 को अपनी कार्रवाई में आग्रह किया था कि कुछ खास मामले केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिए जाए। इनमें गोधरा कांड, चमनपुरा (गुलबर्गा सोसायटी) कांड, नरोडा पतिया कांड, वडोदरा बेस्ट बेकरी मामला और मेहसाना जिले में सदरपुरा मामला शामिल हैं। बैठक में कहा गया कि इन मामलों को अन्वेषण के लिए केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया जाए जिन मामलों में अभी तक न्यायालयों में आरोप पत्र दर्ज नहीं किया गया है।

(ii) यह भी ध्यान दिया गया कि राहत उपायों के बारे में मतभेद हैं सरकार ने जबकि यह दावा किया कि सभी दंगा प्रभावित लोगों को राहत दे दी गई है, प्रभावित लोगों ने शिकायत की कि राहत का समुचित वितरण नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि इसके लिए सरकार की सहायता से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नामित शिकायत निवारण प्राधिकरण गठित किया जाना अपेक्षित है जिसे शिकायतें भेजी जा सकती हैं। इस उपाय से प्रभावित लोगों में विश्वास पैदा होगा।

(iii) पीड़ितों के पुर्नवास के बारे में कहा गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य द्वारा नामित सदस्यों द्वारा यह पता लगाने के लिए कि किन्हें पुनर्वासित किया गया है, तथा पुनर्वास

पैकेज क्या है तथा पुनर्वास का ढंग क्या है, जैसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करवाया जाए।

(iv) यह भी कहा गया कि दंगों से प्रभावित उन व्यक्तियों का सर्वेक्षण भी हो जो अभी भी शिविर जैसी स्थितियों में रह रहे है ताकि उनके वापिस न जाने के कारणों का पता लग सके।

(v) यह भी कहा गया कि गुजरात में विश्वास निर्मित करने के उपाय तथा निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाने की आवश्यकता है।

(vi) दंगो के दौरान नष्ट हुए मकबरों और धार्मिक स्थलों के पुर्ननिर्माण का ब्यौरा तथा इनके पुर्ननिर्माण के लिए तैयार की गई कोई योजना का ब्यौरा भी मांगा गया।

3.14 मुख्य सचिव से राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से परामर्श करने के बाद इन मुद्दों पर उत्तर देने का अनुरोध किया गया। 28 मई, 2003 को मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट के साथ उत्तर प्राप्त हुआ। यह देखकर कि 9 मई, 2003 को चर्चा के दौरान उठे मुद्दों को इस पत्र में अथवा इसके अनुलग्नक में कोई स्थान नहीं दिया गया था और यह 1 अप्रैल और 31 मई, 2003 को आयोग की पूर्ववर्ती कार्रवाईयों के जवाब में गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पिछली रिपोर्टों के सार से अधिक कुछ नहीं था, आयोग ने नई दिल्ली स्थित गुजरात के रेजीडेंट कमीश्नर को 3 जून 2003 को आगे की चर्चा के लिए बुलाया। कमीश्नर ने आयोग को बताया कि मुख्य सचिव ने मुझे आयोग को यह सूचित करने के लिए कहा है कि 28 मई 2003 को उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 9 मई 2003 को उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं थी बल्कि एक अंतरिम रिपोर्ट थी।

3.15 इसके बाद 25 जून 2003 को तीन अनुलग्नकों के साथ मुख्य सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ। पहला अनुलग्नक "राहत और पुनर्वास उपाय" के बारे में एक टिप्पणी थी, दूसरा अब तक दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या तथा "आपराधिक मामलों का अभियोजन तथा प्रगति" से संबंधित संख्या का एक पृष्ठ का विवरण था जबकि तीसरा अनुलग्नक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से 9 जून 2003 को प्राप्त पत्र की प्रति थी जो किसी तरह से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मुख्य सचिव के साथ उठाए गए मुद्दों से संबंधित नहीं थी बल्कि इसमें गुजरात में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दौरे के दौरान की गई व्यवस्था के लिए धन्यवाद किया गया था। मुख्य सचिव का पत्र अपने आप में इस विचार की पुनरोक्ति थी कि "राज्य सरकार महसूस करती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे केन्द्रित अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जा सके क्योंकि अपराधिक अभियोजन जारी है।" पत्र में यह भी कहा गया कि "राज्य सरकार का यह मत है कि मामलों का हस्तांतरण न्याय की प्रक्रिया में विलम्ब कर सकता है। गुजरात में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दौरे का उल्लेख करते हुए

मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने स्वयं राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके कार्यक्रमों में भाग लिया है" और "अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के एक समूह ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है" और "वातावरण में पर्याप्त सुधार हुआ है चूंकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सभी कार्यकलाप सामान्य ढंग से चल रहे हैं।" पत्र इस कथन से समाप्त हुआ कि "हमारा सतत् प्रयास होगा कि गुजरात में सद्भाव, शांति और सद्भावना बनी रही।"

3.16 चूंकि आयोग ने मुख्य सचिव के पत्र में 9 मई 2003 को उनके साथ हुई चर्चा में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल न किए जाने की बात मानी इसलिए ऊपर पैराग्राफ 3.12 में सूचीबद्ध 6 बिंदुओं को तथा 3 जून 2003 को गुजरात के रेजीडेंट कमीश्नर के साथ हुई चर्चा के कार्यवृत को मुख्य सचिव को भेजा और उनसे पूरा जवाब मांगा गया।

3.17 इसी दौरान मुख्य सचिव तथा रेजीडेंट कमीश्नर के साथ हुए विचार विमर्श के साथ–साथ गुजरात में कुछ घटनाओं के बारे में परेशान करने वाली रिपोर्टों के मद्देनजर आयोग ने 21 मई 2003 को अपनी कार्रवाई में निम्नलिखित बात दर्ज की:

> "आयोग मानता है कि गोधरा कांड और उसके बाद हुई हिंसा के कुछ मामलों का विभिन्न न्यायालयों में विचारण जारी है। आयोग यह भी समझता है कि न्यायमूर्ति नानावती जाँच आयोग अपनी सेवा शर्तों के अनुसार साक्षियों का साक्ष्य रिकार्ड कर रहा है। निष्पक्ष विचारण का अधिकार संवैधानिक अनिवार्यता हैं निष्पक्ष विचारण में अभियुक्त के अधिकारों की समुचित सुरक्षा तथा बिना किसी भय अथवा पक्षपात के साक्षियों द्वारा अपनी जानकारी के अनुसार मामले के बारे में खुलकर सही और विश्वसनीय वक्तव्य देने की क्षमता शामिल है। निष्पक्ष विचारण अपराध के पीड़ितों के साथ निष्पक्षता की अभिकल्पना करता है।"
>
> आयोग द्वारा 1 अप्रैल और 31 मई 2002 को की गई पूर्ववर्ती सिफारिशों के आलोक में तथा इस मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आयोग गुजरात के पुलिस महानिरीक्षक से जानना चाहेगा कि:
>
> "क्या जाँच आयोग के समक्ष अथवा न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले पीड़ितों और साक्षियों की सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और निजीपन की सुरक्षा करने के उपाय किए गए हैं और यदि हाँ तो उन्हें स्वतंत्र रूप से तथा निर्भिक होकर ब्यान देने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।"

पुलिस महानिदेशक दो सप्ताह में आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।"

3.18 3 जून 2003 को पुलिस महानिदेशक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि राज्य में विभिन्न अपराधिक न्यायालयों में 2037 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। उनसे की गई विशिष्ट पूछताछ में महानिदेशक ने संकेत दिया कि किसी साक्ष्य/पीड़ित की विशिष्ट शिकायत के अभाव में राज्य पुलिस के लिए प्रत्येक साक्षी/पीड़ित को सरंक्षण देना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि साक्षी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाने को स्वतंत्र है और यह भी कहा कि निम्नलिखित मामलों में अनुरोध किए जाने पर साक्षियों/पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई है:–

(i) अहमदाबाद नगर नरौडा थाना अपराध रिपोर्ट सं0 238/02 और नरौडा थाना अपराध रिपोर्ट सं0 100/02। इन मामलों में साक्षी नदीम मोहम्मद अली सैयद निवासी जुबापुरा, अहमदाबाद नगर ने एस.सी.ए. संख्या 488/02 पुलिस सुरक्षा के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। तद्नुसार 5.9.2002 से उन्हें एक कांस्टेबल (दो पालियों में) प्रदान किया गया है।

(ii) माननीय न्यायमूर्ति नानावती आयोग के 30.4.2003 को बनासकांठा जिला के दौरे के दौरान नवासेसन, तालुका देवदार के कुछ मुस्लिम पीड़ितों ने पुलिस सुरक्षा हेतु अनुरोध किया था उस दिन से उस गांव में बार्डर विंग पुलिस के सात जवान तथा दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक ने आयोग को आश्वासन दिया कि

"..........सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के समुचित निदेश दिए गए हैं कि जब भी कोई साक्षी/पीड़ित अपनी सुरक्षा के प्रति आशंका व्यक्त करता है और सुरक्षा की मांग करता है तो उसे तत्काल सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है।"

3.19 आयोग ने 16 जून 2003 को हुई अपनी कार्रवाई में इस उत्तर पर ध्यान दिया और आशा व्यक्त की कि विचारण न्यायालयों अथवा जाँच आयोग के समक्ष साक्षी/पीड़ित प्रस्तुत होंगे और बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपनी जानकारी के अनुसार मामलों में सच्चे और विश्वसनीय ब्यान देंगे। आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी अभिकरण द्वारा अगर उनको डराने अथवा धमकाने का

प्रयास किया जाता है तो साक्षी/पीड़ित संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक के पास जाकर शिकायत करेंगे और सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। "उनकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के मामले में" आयोग ने कहा "साक्षी/पीड़ित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता श्री नम्पूदरी को इस मामले की सूचना दे सकते हैं और वे उसे पुलिस महानिदेशक (गुजरात) के साथ उठायेंगे और आयोग को सूचना देंगे।" विशेष संपर्ककर्त्ता को पुलिस महानिदेशक (गुजरात) का आश्वासन व्यक्तिगत रूप से अथवा संबंधित गैर–सरकारी संगठनों के माध्यमों से साक्षियों/पीड़ितों को बताने के लिए कहा गया, आयोग ने आशा व्यक्त की कि यह आश्वासन निष्पक्ष विचारण में सहायक होगा।

3.20 30 जून 2003 को आयोग ने अपनी कार्रवाई में कहा कि बेस्ट बेकरी मामले के सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। यह भी कहा जाएगा कि यह उन पाँच मामलों में से एक था जिनके बारे में आयोग ने अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को सौंपे जाने की सिफारिश की थी, बेस्ट बेकरी के प्रसंग में 14 व्यक्ति मारे गए थे जब सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उसमें आग लगा दी गई। सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने की सूचना मिलने पर आयोग ने तत्काल मुख्य सचिव गुजरात सरकार को विचारण न्यायालय के निर्णय की प्रति एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेजने का अनुरोध किया। आयोग ने मुख्य सचिव से गुजरात सरकार द्वारा इस दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तावित कदमों की सूचना देने के लिए कहा।

3.21 इसके बाद आयोग ने "बेस्ट बेकरी मामले में बरी किए जाने के आदेश में निहित मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग के एक दल को मामले के अभिलेखों की जाँच करने, निर्णय की परख करने तथा संबद्ध सामग्री की जाँच के बाद आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वडोदरा जाने के लिए तुरंत तैनात किया।" इस दल में श्री अजीत भरीहोक, रजिस्ट्रार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री सुधीर चौधरी, उप महानिरीक्षक (अन्वेषण) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और श्री पी. जी.जे. नम्पूदरी शामिल थे। दल को विशेष संपर्ककर्त्ता के परामर्श से एक स्थानीय वकील को सहायता के लिए साथ लेने के लिए प्राधिकृत किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, विचारण न्यायालय और राज्य सरकार से इस दल को आयोग के आदेश को पूरा करने में सभी संभव सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया क्योंकि दल को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी थी।

3.22 इसके बाद 6 जुलाई 2003 को, गुजरात के मुख्य सचिव से आयोग की 30 जून 2003 की कार्रवाई के जवाब में कोई उत्तर न मिलने पर, आयोग ने कहा कि कारगर जाँच के लिए, बेस्ट बेकरी

मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत दायर आरोप पत्र की जाँच करने तथा निर्णय सहित विचारण न्यायालय के पूरे रिकार्ड की जाँच करने की आवश्यकता है। इसलिए विचारण न्यायालय से उपर्युक्त रिकार्ड की प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दल को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया क्योंकि इस दल को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के अंतर्गत आयोग की ओर से विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया था। पुलिस महानिदेशक से आयोग के आदेश को पूरा करने के लिए दल को सभी आवश्यक सुरक्षा संरक्षण और संभव सहायता देने का अनुरोध किया गया।

3.23 दल ने 7 और 8 जुलाई 2003 को क्रमशः अहमदाबाद और बडोदरा का दौरा किया तथा बेस्ट बेकरी मामले से जुड़े सभी तथ्यों को नई दिल्ली लेकर वापिस आया। इसके बाद 11 जुलाई 2003 को आयोग की बैठक में तय किया गया कि पूरे रिकार्ड को जाँचने और भावी कार्रवाई के बारे में सलाह देने के लिए जाने माने वकीलों से अनुरोध किया जाए। उसी दिन अर्थात् 11 जुलाई 2003 को बेस्ट बेकरी मामले की अभियोजन पक्ष की प्रमुख साक्षी शेख जहीरा बीबी हकीबुल्लाह, जिसके परिवार के सदस्य बेस्ट बेकरी में जलकर मर गए थे, ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर वक्तव्य देने का अनुरोध किया। अन्य बातों के साथ–साथ उसने बताया कि उसकी तथा उसके परिवार की जान को खतरा है और उसने पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान को विचारण न्यायालय में बदल दिया था। उसने अपने ब्यान को बदलवाने के लिए जिम्मेदार कुछ व्यक्तियों के नाम भी बताए और आयोग से बेस्ट बेकरी मामले को पुनः खोले जाने में सहायता करने का अनुरोध किया। आयोग द्वारा शेख जहीरा के पूरे वक्तव्य को दर्ज करके रखा है।

3.24 31 जुलाई 2003 को, बेस्ट बेकरी मामले में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के अनुरोध के जवाब में आयोग ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कीः

> "अपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और पीड़ितों के मानवाधिकारों के हनन से चिंतित होकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आज वडोदरा भेजे गए अपने दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में इस अनुरोध के साथ विशेष अनुमति याचिका दायर की है कि बेस्ट बेकरी मामले में विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्दकर दिया जाए और निष्पक्ष अभिकरण द्वारा जाँच कराने के निदेश दिए जाएं तथा गुजरात राज्य के बाहर स्थित सक्षम न्यायालय में मामले का पुनर्विचारण कराया जाए।"

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ 31 जुलाई 2003 को दायर विशेष अनुमति याचिका को भी दोहराया है कि :

- निष्पक्ष विचारण की अवधारणा एक संवैधानिक अनिवार्यता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 और 39 क सहित संविधान के विशिष्ट उपबंधों में तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के विभिन्न उपबंधों में स्पष्ट रूप से माना गया है।

- निष्पक्ष विचारण के अधिकार को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में मानव अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, इस प्रतिज्ञापत्र को भारत द्वारा पुष्टि की गई है और अब यह सांविधिक वैधानिक शासन का एक भाग है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (क) के अंतर्गत मान्य है।

- निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में शामिल किया गया है और इस प्रतिज्ञापत्र का भारत भी एक पक्षकार है।

- जब भी कोई अपराधी अदण्डित छूट जाता है तो समाज को हानि होती है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति हताश हो जाते हैं और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए न्यायालय का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह सच्चाई को उजागर करने के लिए और न्याय करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे ताकि अपराधी को सजा मिले।

- इसलिए न्याय के हित में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करके अपराधिक विचारणों में अपराध के साक्षियों और पीड़ितों के संरक्षण के संदर्भ में दिशा–निदेश और निर्देश निर्धारित किया जाना अनिवार्य है, जिनका पालन अभियोजन तथा विधि प्रवर्तक अभिकरणों और अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। ऐसा अपराधिक न्याय तंत्र की सक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

- आयोग ने चार अन्य गंभीर मामलों नामतः गोधरा कांड, चमनपुरा (गुलबर्गा सोसायटी) कांड, नरौडा पविया कांड ओर मेहसाना जिले के सदरपुरा मामले को गुजरात के बाहर विचारण के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत 31 जुलाई 2003 को पृथक आवेदन प्रस्तुत किया है।"

3.25 चूंकि ये मामले अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हैं इसलिए यह आयोग के लिए अनुचित होगा कि वह इस रिपोर्ट में उन पर कोई टिप्पणी करें।

3.26 तथापि बिल्किस याकूब रसूल जिससे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के नेतृत्व वाले दल ने 19–22 मार्च 2002 को गुजरात दौरे के दौरान गोधरा में इकबाल प्राथमिक विद्यालय राहत शिविर में मुलाकात की थी, के मामले का उल्लेख करना उचित होगा। इस दौरे की रिपोर्ट में आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ अभिलेख किया कि :

> "मोरवा (एच0 तालुका) के मोरा गांव की लगभग 25 वर्षीय बिलकिस ने बताया कि जिला दाहोड़ के लिमखेड़ा तालुका में गांव रणदिकापुरा में व्यक्तियों के एक समूह ने उससे बलात्कार किया था। जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि उसकी शिकायत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें उसने 12 व्यक्तियों के नाम लिए थे। प्राथमिकी भी दायर की गई थी और आगे की कार्रवाई के लिए लिमखेड़ा थाना को हस्तांतरित की गई थी। इस प्राथमिकी में उसने तीन नामों का ही उल्लेख किया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष बताए गए अतिरिक्त नाम दाहोड़ पुलिस अधीक्षक को सूचित किए जा रहे हैं।"

3.27 29 अप्रैल 2003 को बिलकिस ने पुनः आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें उसने उसके साथ हुए हादसे का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि उसे "हाल ही में पता चला है कि पुलिस ने न्यायालय को बताया था कि असली अभियुक्तों का पता नहीं चल सका और इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ सकता" उसने यह भी कहा कि "मुझे यह भी पता चला है कि न्यायालय ने पुलिस की बात का अनुमोदन कर दिया है। यह सब मुझे सूचित किए बिना किया गया है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है यद्यपि मैंने अपनी शिकायत में उनके नामों का स्पष्ट उल्लेख किया है।" आयोग को दी गई अपनी याचिका में बिलकिस ने आयोग से अपना केस हाथ में लेने का अनुरोध किया ताकि उसे न्याय मिल सके। उसने यह भी कहा कि उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है।

3.28 इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए श्री पी0जी0जे0 नम्पूदरी, गुजरात में आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने आयोग को सूचित किया कि बिलकिस इस मामले में कानूनी उपचार चाहती है और भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला दर्ज करना चाहती है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि बिलकिस के पास वैधानिक उपचार के लिए साधन नहीं है और उच्चतम न्यायालय में अपने मुकदमे को लड़ने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु उसने आयोग से सहायता मांगी है। आयोग ने तद्नुसार

श्री नम्पूदरी से उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्री अशोक अरोड़ा से उनकी सलाह के लिए संपर्क करने की सलाह दी। आयोग ने यह भी संकेत दिया कि कानूनी उपचार के लिए बिलकिस को वित्तीय/कानूनी सहायता दी जा सकती है।

3.29 25 अगस्त 2003 को निम्नलिखित अनुरोध के साथ बिलकिस याकूब रसूल ने गुजरात सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 2003 की एक रिट् याचिका (फौजदारी) संख्या 118 दायर की:

(i) प्राथमिकी संख्या 59/2002 के मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए लिमखेड़ा के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांक 25.3.2003 के आदेश को निरस्त करने के लिए समुचित रिट् आदेश–निदेश जारी करना;

(ii) प्राथमिकी संख्या 59/2002 के मामले में गुजरात पुलिस लिमखेड़ा द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को लिमखेड़ा के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा स्वीकार करने को निरस्त करने के लिए निरस्तीकरण रिट् आदेश–निदेश जारी करना;

(iii) प्राथमिकी संख्या 59/2002 में उल्लिखित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में स्वतंत्र जाँच कराने के लिए निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश देने के लिए समुचित रिट्, आदेश, निदेश जारी करना;

(iv) अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने तथा कर्त्तव्य के प्रति कौताही बरतने के दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तथा पीड़ितों को समुचित मुआवजा देने के लिए गुजरात सरकार को समुचित निदेश जारी करना।

3.30 उपर्युक्त मामला 8 सितम्बर 2003 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और आयोग ने निदेश दिया कि प्रतिवादियों अर्थात् सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर तथा जिला अधीक्षक पुलिस, जिला दाहोड़ गुजरात को नोटिस भेजे जाएँ।

नागरिक स्वतंत्रताएं

अध्याय 4

क) आतंकवाद और विद्रोहग्रस्तता की स्थिति में मानव अधिकारों का संरक्षण

4.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्व की सरकारों और सभ्य समाज ने आतंकवाद से लड़ने तथा उस पर विजय प्राप्त करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित रखा।

4.2 भारत इसका अपवाद नहीं था। भारत ने सीमापार आतंकवाद सहित हिंसा के इस अनुभव को दूसरे देशों से अधिक लम्बे समय तक झेला है। गत वर्षों में भारत ने आमतौर पर अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी है।

4.3 वर्ष 2002–2003 के दौरान भारत के विभिन्न भागों में आतंकवादियों के घृणित कारनामें जारी रहे। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में ही जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च 2002 को आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 30 व्यक्ति मारे गए और 17 घायल हुए; राजीव नगर जम्मू में 13 जुलाई 2002 को 28 व्यक्ति मारे गए और 27 घायल हुए; अनन्तनाग के चुनवां शिविर में 6 अगस्त 2002 को अमरनाथ की पावन यात्रा पर जा रहे 9 यात्री मारे गए और 3 अन्य घायल हुए तथा नाड़ी मार्ग पुलवाया जिले में 24 कश्मीरी पंडित मारे गए। गुजरात राज्य में 24–25 सितम्बर 2002 को दिल दहलाने वाले आतंकवादी हमले में गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में 28 नागरिको की जान चली गई, इसके अलावा 2 सुरक्षाकर्मियों ने वीरगति पाई तथा 6 अन्य नागरिकों को बचाने तथा आतंकवादियों को खदेड़ने के दौरान घायल हो गए।

4.4 ऐसी बुराई को देखते हुए इसमे कोई संदेह नहीं है कि राज्य को न केवल यह अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है कि वह अपने आपको और ऐसे कारनामों को अंजाम देने वालों को सजा दिलाए।

4.5 कोई भी राज्य जिस प्रकार अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वह समाज के चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है तथा इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि कोई राज्य मानव अधिकार तथा मानवीय प्रतिष्ठा के मुद्दों से किस ढंग से निपटता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में टिप्पणी की है कि :–

> "आतंकवाद की चुनौती से नवीन विचारों और पद्धति से निपटना चाहिए। राज्य आतंकवाद, आतंकवाद से लड़ने का उत्तर नहीं है। राज्य आतंकवाद केवल आतंकवाद को विधिसंगत बनाएगा: यह राज्य, समुदाय और सबसे ऊपर कानून के शासन के लिए बुरा होगा। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके द्वारा तैनात विभिन्न अभिकरण कानून की सीमाओं में रहें और अपने आप में कानून न बन जाएं।"

4.6 इस विषय पर वाद–विवाद के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति चिंता रखने वाले लोगों ने बार–बार यह विचार रखा है कि आतंकवाद से निपटने के साधन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों सहित कानून के शासन के अनुरूप होने चाहिए।

4.7 आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए विश्वव्यापी अभियान को दृष्टि में रखते हुए इस समय यह उपयुक्त होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के मामले में हुई कुछ घटनाओं को याद करें इसलिए नहीं कि ये हमारे देश के लिए उचित है।

4.8 आतंकवाद से निपटने के अब 12 अंतरराष्ट्रीय कन्वेशंन हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में अपनाया गया है, जबकि इन कन्वेशंनों में आतंकवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा की बहुत कमी है फिर भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इस समय एक व्यापक मसौदा कन्वेशन पर विचार किया जा रहा है और अन्य बातों के साथ–साथ इस अंतर को पाटने का प्रयास हो रहा है। आयोग भारत सरकार के ऐसे कन्वेशंन पर सहमत होने के प्रयासों की प्रशंसा करता है। इसके अलावा यद्यपि अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में अधिकृत रूप से आतंकवाद को परिभाषित किया जाना है फिर भी राज्य इसकी मुख्य बातों पर सहमत है।

4.9 इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायो संबंधी घोषणा पत्र जो 9 दिसम्बर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया और इसके संकल्प संख्या 49/60 के साथ जोड़ा गया में कहा गया है कि आतंकवाद में:

> 'ऐसे आपराधिक कृत्य शामिल है जो आम जनता और व्यक्तियों के समूहों अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए विशेष व्यक्तियों में आतंक पैदा करने की इच्छा रखते हैं अथवा आतंकित करने पर आमादा हैं।'

> घोषणापत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे सभी कृत्य

> 'किसी भी परिस्थिति में अनुचित हैं चाहे उनका कोई भी राजनैतिक, दार्शनिक, विचारधारा, कौम, जातीय, धार्मिक अथवा किसी अन्य प्रकार की सोच हो को उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता।'

4.10 महासभा ने इसके साथ–साथ 'मानव अधिकारों और आतंकवाद' विषय पर अनेक संकल्प पारित किए हैं जिनमें से पहला 20 दिसम्बर 1993 को (ए/आर.ई.एस./48/122) को अपनाया गया था इन संकल्पों में महासभा ने एक स्वर से

> ''आतंकवाद के सभी कृत्यों तरीकों और विधियों की ऐसे कार्यकलापों के रूप में निंदा की चाहे वह किसी भी रूप में हों, अथवा किसी के भी द्वारा किए गए हों जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र का विनाश करना है और जो देशों की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालते हैं; कानूनी ढंग से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करते हैं; बहुरंगी सभ्य समाज को चोट पहुचाते है और देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।'

> 'मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानको के अनुसरण में आतंकवाद को रोकने, उसके विरूद्ध लड़ने तथा उसे समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक और कारगर उपाय करे।'

इसी तर्ज पर मानवाधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा कई संकल्प नियमित रूप से अपनाए गए हैं।

4.11 "आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा" विषय से विशेष रूप से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक संकल्प 18 दिसम्बर 2002 (ए/आर.ई. एस./57/219) को पहली बार अपनाया गया। इस संकल्प में पुष्टि की गई कि:–

> 'राज्य यह सुनिश्चित करे कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए किए गए उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार, शरणार्थी और मानवीय कानून के तहत अपनी बाध्यताओं का अनुपालन हो रहा है।'
>
> संकल्प
>
> 'राज्य को आतंकवाद से मुकाबला करते समय मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों और निर्णयों को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और मानवाधिकारों संबंधी आयोग की विशेष प्रक्रियाओं और तरीकों के बारे में सिफारिशों और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधि निकायों के विचारो को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।'

4.12 उन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधि निकायों ने भी हाल के महीनों में देशों की सुरक्षा संबंधी जायज चिंताओं को पूर्ण मान्यता देते समय और आतंकवादी कारनामों से अपने नागरिकों को बचाने के उनके कर्त्तव्यों को समझते हुए इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया कि देशों की मानव अधिकार को सम्मान करने की बाध्यताओं को देखते हुए ऐसा कैसे किया जा सकता है।

4.13 उदाहरण के लिए जैसा कि "आतंकवाद से मुकाबला करते समय मानवाधिकारों के संरक्षण के बारे में संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों की न्यायिक दूरदर्शिता पुस्तिका" जिसे मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा हाल ही में प्रकाशित किया गया है, में संकेत किया गया है।

- 22 नवम्बर 2001 को यातना के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति ने राज्य पक्षकारों को कन्वेंशन की पुष्टि के समय उनके द्वारा ली गई अधिकांश बाध्यताओं का गैर–निदंनीय स्वरूप, यातना और अन्य निर्दयी, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड के विरूद्ध कन्वेंशन की याद दिलाई। यह भी स्मरणीय होगा कि भारत सरकार ने इन कन्वेंशन पर 14 अक्तूबर 1997 को हस्ताक्षर किए थे किन्तु इसकी अभी पुष्टि की जानी है।
- 10 दिसम्बर 2001 को मानवाधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र आयोग के 17 विशेष सम्पर्ककर्ताओं और विशेषज्ञों ने 11 सितम्बर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद देशों को मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उनके दायित्वों

को याद दिलाने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने उन मानव अधिकार उल्लंघनों और उपायों के प्रति चेतनावनी दी जो कुछ विशेष समूहों जैसे मानव अधिकार रक्षकों, प्रवासियों शरण चाहने वालों और शरणार्थियों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जनसंपर्क माध्यमों को लक्ष्य बनाते हैं।

- 8 मार्च 2002 को जातीय भेदभाव उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे ऐसे उपाय सुनिश्चित करें कि आतंकवाद के विरूद्ध कार्रवाई से कौम, रंग, राष्ट्रीय अथवा जातीय उत्पत्ति पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए। भारत जातीय भेदभाव के उन्मूलन संबंधी कन्वेशंन का पक्षकार राष्ट्र है।

- अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति जिसे 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अंतर्गत गठित किया गया था, ने देशों की इस प्रतिज्ञापत्र के अंतर्गत आतंकवाद से लड़ने के उत्तरदायित्व से उनके द्वारा किए गए उपायों की उपयुक्तता के बारे में रिपोर्टों की जांच करते समय क्रमबद्ध रूप से ऐसे प्रश्न उठाए। यह भी स्मरणीय है कि भारत इस प्रतिज्ञापत्र का एक राष्ट्र पक्षकार है और इस प्रतिज्ञापत्र का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 धारा 2(1) (घ) और (च) में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 4 की सामान्य टिप्पणी संख्या 29 है जिसे 24 जुलाई 2001 को मानव अधिकार समिति द्वारा पारित किया गया था। यह टिप्पणी इस मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डालती है कि प्रतिज्ञापत्र के उपबंधों के अंतर्गत कब और किस अधिकार को निरस्त किया जा सकता है और किस सीमा तक।

4.14 इस संबंध में यह स्मरण कराना भी महत्वपूर्ण है कि 28 सितम्बर 2001 के सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 1373 ने देशों पर नई अंतरराष्ट्रीय वैधानिक बाध्यता लागू कर दी कि वे आतंकवाद के विरूद्ध विशिष्ट कदम उठाए और सहयोग करें। इस संकल्प की जटिलताओं से निपटने के लिए दूरगामी कार्रवाई में मानव अधिकार समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर भी बल दिया कि सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 1373 के अनुसरण में पारित विधायन अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र के पूर्णतयाः अनुरूप होने चाहिए और आतंकवाद का भय मानव अधिकारों के दुरूपयोग का स्त्रोत नहीं बनना चाहिए।'

4.15 संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों की इन कार्रवाईयों और टिप्पणियों को कुछ सीमा तक वैश्वीय संदर्भ में दर्ज किया गया है जिसमें हमारे देश को आतंकवाद से मुकाबला करके उसे समाप्त करना है तथा इस संधि की बाध्यताओं को भी भारत को पूरा करना है। यह भी स्मरणीय है कि इस आयोग

द्वारा ली गई स्थिति आतंकवाद विरोधी विधायन के संदर्भ में हैं। इसी स्थिति को 21 फरवरी 2003 को आयोग द्वारा जारी हस्ताक्षरित वक्तव्य में दोहराया गया था जो इस प्रकार है:–

"(i) आयोग ने गत वर्षों में आतंकवाद विरोधी विधायन के संदर्भ में एक निश्चित स्थिति विकसित कर ली है। इस स्थिति को आयोग द्वारा 14 जुलाई 2000 और 19 नवम्बर 2001 को दिए गए अपने विचारों में विस्तार से स्पष्ट किया गया है। ये विचार आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के मसौदे तथा बाद में आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 का विरोध करते समय व्यक्त किए जैसा कि आयोग ने फरवरी 1995 में आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम को जारी रखे जाने का विरोध करते समय कहा था। आयोग के विचारों का पूरा पाठ आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है।

(ii) आयोग के विचारों का सार 19 नवम्बर 2001 को दिए गए उसके विचार में अभिव्यक्त है जिसमें आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा था :

'निसंदेह राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा के बिना व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। तथापि राष्ट्र का महत्व उसमें रहने वाले व्यक्तियों के महत्व से है। जीवन की प्रतिष्ठा की गांरटी देने वाला अनुच्छेद 21 अक्षुण है। राष्ट्रीय अखण्डता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा संविधान में केन्द्रीय मूल्य हैं और इनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए बना कोई कानून संविधान, संबंद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और समझौतो के अनुरूप होना चाहिए तथा इसमें आवश्यकता और समानुपातिकता के सिद्धांत का सम्मान होना चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसलिए इस अध्यादेश के बारे में भी अपने पूर्ववर्ती विचार को दोहराया है।

(iii) आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 को लागू किए जाने के बाद प्रयास था कि इसे आतंकवाद निवारण विधेयक 2001 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तथापि इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के समक्ष लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका और लोकसभा द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया और संसद का 19 दिसम्बर 2001 को अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान कर दिया गया। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2001 (द्वितीय) को 30 दिसम्बर 2001 को प्रख्यापित किया गया। इसके बाद 26 मार्च 2001 को

आतंकवाद निवारण अध्यादेश (द्वितीय) 2001 को संसद के संयुक्त सत्र में अधिनियमित कराकर कानून का रूप दे दिया गया।

(iv) इसलिए आयोग ने यह मत बनाया कि इस अधिनियम को पारित कराने के लिए अपनाई गई संवैधानिक प्रक्रिया का वह सम्मान करता है यद्यपि इस अधिनियम की विषयवस्तु का इसे पारित कराने से पहले आयोग ने विरोध किया था। आयोग अपने संविधान के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए प्रयास करता रहा कि उपर्युक्त अधिनियम इस ढंग से लागू न हो क्योंकि इससे मानव अधिकारों, संविधान तथा देश की संधि बाध्यताओं का उल्लंघन होता है।

(v) आयोग ने इस संबंध में ध्यान दिया है कि टाडा की तुलना में आतंकवाद निवारण अधिनियम में कुछ उपबंध ऐसे हैं जो इसके संभावित दुरूपयोग के विरूद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। तथापि आयोग का यह मत है कि ये सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं। इसलिए यह आयोग का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखे और सुनिश्चित करे कि अधिनियम के उपबंधों का दुरूपयोंग न हो अथवा मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

(vi) इसलिए आयोग दोहराता है कि उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है जो उसे आतंकवाद निवारण अधिनियम के बारे में पहले से बनाया हुआ था।

4.16 इस विचार के आलोक में आयोग ने देश की अभिकरणों को हमेशा स्मरण कराया है कि वे संविधान, देश के कानून और देश की संधि बाध्यताओं के अनुरूप कार्य करें। इसके अलावा आयोग आतंकवाद अथवा विद्रोहग्रस्तता से प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त सभी शिकायतों के बारे में शीघ्रता से कार्रवाई करता रहा है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसे प्राप्त शक्तियों यद्यपि यह सीमित है, का पूरा प्रयोग करता रहा है।

4.17 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर आयोग निकट से ध्यान देता रहा। कुछ सहायक घटनाओं ने राजनीतिक स्थिति को तनावरहित बनाया। अक्टूबर 2002 में आतंकवादियों और उनके आकाओं की धमकियों के बावजूद स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव हुए और लोकतंत्र की जीत हुई। नई सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियों ने मरहम का काम किया। इसके अतिरिक्त अपनी ओर से केन्द्र सरकार ने कश्मीर के मामले में अनेक कदम उठाए। उदाहरण के लिए 22 जुलाई 2002 को श्री अरूण जेटली, संसद सदस्य को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों

तथा अन्य समूहों/व्यक्तियों से जम्मू और कश्मीर के बारे में शक्तियों के विक्रेन्द्रीकरण के मुद्दे पर तथा अन्य विषयों पर बात करने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री एन.एन. वोहरा जिन्होंने केन्द्रीय गृह सचिव तथा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया था को जम्मू और कश्मीर राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और संबंधित व्यक्तियों से बातचीत आरंभ करने के लिए कहा गया।

4.18 इन सकारात्मक घटनाओं के बावजूद भारत सरकार द्वारा जारी आकंड़ो के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान आतंकवादियों से जुड़ी 4038 घटनाएं हुई जिनमें गत वर्ष में 996 व्यक्तियों की तुलना में 1008 व्यक्ति मारे गए; सुरक्षाबलों के 453 जवान शहीद हुए जबकि गत वर्ष 536 जवानों ने अपनी बली दी थी इसमें 1707 आतंकवादी मारे गए जिनमें से 508 विदेशी थे।

4.19 आयोग को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य से 285 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से अनेक में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था प्रत्येक शिकायत के मामले में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को तथा रक्षा और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किए गए और उन्हें विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रत्येक मामले में रिपोर्ट की जांच करने के बाद आयोग ने समुचित निदेश जारी किए। विगत की तरह शिकायतों में बलात गायब होने, अवैध रूप से बंदी बनाने और यातना देने, हिरासतीय मौत, न्यायिक बहिर हत्याएं और जाली मुठभेड़ों सहित विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए थे।

4.20 विशेष रूप से आयोग ने बलात और बिना इच्छा के गायब होने के आरोपों से जुड़ी शिकायतों का विश्लेषण किया। क्योंकि सम्मिलित संख्या और व्यक्तियों के बारे में दी गई रिपोर्टों और विवरणों में व्यापक अंतर था इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को विशेष रूप से निम्नलिखित के बारे में जानकारी देने के लिए कहा:–

i) क्या राज्य सरकार ने बलात अथवा अनिच्छा से गायब होने के आरोपों को दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित किया है और यदि हां तो इस तंत्र का स्वरूप क्या है;

ii) सरकार द्वारा दर्ज किए गए ऐसे आरोपों की संख्या, ऐसे आरोपों की जांच के लिए अब तक स्थापित तंत्र के ब्यौरे और ऐसी जांच के परिणाम;

iii) बलात अथवा अनिच्छा से गायब होने की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय; और

iv) गायब होने की ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए किए जा रहे उपाय तथा पीड़ित व्यक्तियों को न्याय देने के लिए की गई कार्रवाई।

आयोग राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर इन मामलों में कार्रवाई करने का इच्छुक है। आयोग ने गायब हुए व्यक्तियों के अभिभावकों का परिसंघ जिससे शिकायत प्राप्त हुई थी, से कहा है कि वह आयोग को कुछ स्पष्टीकरण से तथा अतिरिक्त ब्यौरा दे जो भी उनके पास इस मामले में मौजूद है। आयोग ने सभी सबंधितों से उन व्यक्तियों की संख्या और स्थान के बारे में सहयोग करने के लिए आग्रह किया है जो तथाकथित रूप से गायब है ताकि इस दुखद मुद्दे पर व्यापक कार्रवाई हो सके।

4.21 आयोग ने उन मामलों में भी अपनी नजर बनाए रखी जिनका आयोग ने पहले संज्ञान लिया था। इस प्रकार चिट्ठी सिंह पुरा त्रासदी के बाद पत्रीबल में सुरक्षाबलों द्वारा मारे गए पांच व्यक्तियों के बारे में आयोग को जनसंपर्क माध्यमों की रिपोर्टों से जान कर दुख हुआ कि डी.एन.ए. जांच के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा चुने गए नमूनों से छेड़छाड की गई है। आयोग को इसके बाद सूचना मिली कि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्री जी.ए. कुम्भई के नेतृत्व में जांच आयोग गठित किया है जो इस मामले की जांच करेगा और इस गड़बड़ के लिए जिम्मेदार दोषी जनसेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा। 16 जनवरी 2003 को जम्मू और कश्मीर सरकार ने मंत्रीमंडल उप–समिति का गठन किया जिसने न्यायमूर्ति कुम्भई आयोग की रिपोर्ट की जांच की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दोषी व्यक्ति अभियोजन से न बचे आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया।

4.22 जहां तक जलील अद्रांकी, जिसका अपहरण कर लिया गया था और बाद में जिसकी मौत हो गई के मामले का संबंध है गत वर्ष के दौरान इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। यह मामला जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा। सेना को इस मामले में शामिल संदिग्ध अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया है। आयोग ने एक बार फिर केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि इस दुखद मामले का समाधान करने के लिए कार्रवाई करे जो पूरे देश के लिए परेशानी का स्रोत बना हुआ है।

4.23 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग कश्मीरी पंडितों को पेश आ रही समस्याओं पर नजर रखने और उन्हें दूर करने के प्रयास करता रहा। लगभग 3 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी में विघटनकारी गतिविधियां आरंभ होने के बाद से अपने घर–बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

4.24 यह भी स्मरणीय है कि आयोग की सिफारिश पर कश्मीरी पंडितों को पेश आ रही कठिनाईयों की जांच करने और उन्हें शीघ्रता से सुलझाने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति गठित करने की

सिफारिश की गई है। इस परियोजन हेतु आयोग ने समिति की सेवार्थ एक विशेष सम्पर्ककर्ता को भी नियुक्त किया था ताकि किए जा रहे प्रयासों की सूचना नियमित रूप से आयोग को मिलती रहे।

4.25 आयोग तथा कश्मीरी पंडितों के लिए यह दुख की बात है कि वर्ष 2000–2001 में समिति नियमित रूप से बैठक नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे को आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ उठाया था।

4.26 अक्तूबर 2002 में चुनाव के बाद राज्य में सरकार के बदलने से आयोग के प्रयासों को बल मिला और नए अध्यक्ष ने आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता के साथ जम्मू का दौरा किया। जम्मू में बुलाई गई बैठक में जिसमें राज्य के राहत आयुक्त तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे, विशेष सम्पर्ककर्ता ने विभिन्न राहत शिविरों के अपने दौरे का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया। नाड़ी मार्ग त्रासदी के पीड़ितों ने 24 मार्च 2003 को हुए आतंकवादी हमले से पूर्व उनके गांव के आसपास हुई घटनाओं का विवरण दिया तथा अपनी पीड़ा का उल्लेख किया। राज्य कश्मीरी पंडित सम्मेलन के महासचिव ने समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों के साथ उन्हें पेश आ रही कठिनाईयों का विस्तार से वर्णन किया। विभिन्न समूहों द्वारा अभ्यावेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए जिनमें एक अभ्यावेदन जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिन्होंने अध्यक्ष को 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होने के बाद से पेश आ रही कठिनाईयों की जानकारी दी।

4.27 उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार की जीवन के मौलिक अधिकार संबंधी दायित्व की व्याख्या की और कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों को प्रतिष्ठा सहित जीवन के अधिकार के अनुरूप जीने के लिए सहायता और सहयोग दे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करे बल्कि उनके आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को बहाल करे तथा अपनत्व की भावना को पुर्नजीवित करे। इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट उपाय निर्धारित किए गए जिनको शिविरों में रहन–सहन की स्थिति को सुधारे के लिए किए जाने आवश्यकता है में अन्य बातों के साथ–साथ जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सक आपूर्ति, मधुमेह, हृदय रोग और मनौवैज्ञानिक रोगों जैसी बीमारियों के विशेष उपचार तथा शिविर विद्यालयों में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों से जुड़ी थी। शिविरों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय भी किया गया ताकि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को शीघ्रता से और विवेकपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। इस संबंध में यह नोट करना भी उचित है कि समिति को कश्मीरी पंडितों की शिकायतों और कठिनाईयों की जांच करने के लिए आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था और यह कई महीनों से निष्क्रिय थी। इस मीटिंग की पुनः बैठक हुई और आयोग के विशेष संपर्ककर्ता ने इसकी कार्रवाई में भाग लिया।

4.28 अध्यक्ष के दौरे के बाद जम्मू और कश्मीर सरकार ने नागरोता मुत्थी और पुरखू शिविरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा शिविरों में स्वच्छता सुविधाएं सुधारने के लिए कदम उठाए है। राज्य सरकार ने चार नियमित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिविरों में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केन्द्रों में अधिकृत मूलभूत संरचना होगी और नियमित औषधि आपूर्ति होगी। आयोग मनो–चिकित्सक तथा विशेषज्ञों को सावधिक रूप से शिविरों को दौरा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। राहत आयुक्त को विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए तथा मुख्यमंत्री कोष से वित्तीय सहायता दिलाने के लिए खतरनाक ढंग से बीमार रोगियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। शिविरों में व्यवस्थित समेकित बाल विकास सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रवासी विद्यालयों में प्रयोगशाला और पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने राज्य सरकार के, शिविरों के निवासियों को दिया जा रहा मासिक निर्वाह नकद भत्ता बढ़ाने के राज्य सरकार के नए प्रस्ताव को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है।

4.29 यह दुख की बात है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो शांति और विश्वास बहाल करने के प्रयासों के बावजूद और शायद इनके कारण राज्य में आतंकवाद की वारदातें करने पर आमदा हैं। पैराग्राफ 4.3 में कुछ भयानक घटनाओं का उल्लेख है जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान घटी है। उनमें से सबसे भयंकर आतंकवादी हमला 24 मार्च 2003 को नाड़ी मार्ग गांव जिला पुलवामा जम्मू और कश्मीर में हुआ जिसमें 11 महिलाओं और बच्चों समेत 24 कश्मीरी पंडितों की जान गई।

4.30 इस मामले में मीडिया रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों जिसमें पास में पुलिस पिकेट के बावजूद लोग मारे गए, पर स्वतः संज्ञान लेकर आयोग ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। आयोग ने 26 मार्च 2003 को जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक तथा सचिव गृह मंत्रालय को इस त्रासदी की रिपोर्ट देने और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा को बढ़ाने तथा मारे गए अथवा खौफजदा परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया। आयोग ने यह भी नोट किया कि एक बार फिर हिंसा के इस अवर्णनीय हादसे ने निर्दोष लोगों की जान ले ली है जो इस बात का सबूत है कि आतंकवादी वारदातों में शरीक लोगों का विवेक मर चुका है। आयोग ने स्पष्ट रूप से ऐसी वारदातों की निदां की और मानवाधिकारों के दुश्मनों के रूप में उन कारनामों को करने वालों को लताड़ा। आयोग ने कहा कि यह हमला दोहरा निदंनीय है क्योंकि यह ऐसे समय किया गया है जब जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति और समझौते के लिए नए प्रयास जारी हैं और इस बारे में आतंकवादी तैयार नहीं है।

4.31 जैसे ही आयोग को कश्मीरी समिति और पूनन कश्मीरी संगठन से इस त्रासिक घटना के संदर्भ में याचिकायें मिली, इन याचिकाओं की प्रतियों को संबद्ध प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ और

प्रतिवेदनों से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए भेजा गया जिनको उन्हें आयोग के लिए तैयार करने हेतु प्रार्थना की गई थी।

4.32 अफसोस की बात है कि आतंकवाद के गंदे हाथ देश में क्रूर वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए है। 25 सितम्बर 2002 को देश की पीड़ा में भागीदार बनते हुए आयोग ने 24 सितम्बर 2002 को गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में हुए मानवता विरोधी आतंकवादी हमले की निंदा की। यह हमला 25 सितम्बर 2002 की सुबह तक जारी रहा। आयोग ने कहा कि ऐसे अपराधिक कृत्य किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराए जा सकते। ये मानव अधिकार का खुला उल्लंघन करते हैं तथा ऐसे आतंकवादी कृत्यों से निपटने के लिए तथा इन जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून की पूरी शक्ति लगनी चाहिए। इस कार्रवाई में आयोग ने आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों और सुरक्षा बलों के जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं, विभिन्न समुदायों के नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों जिनमें उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया था, की प्रशंसा की। आयोग ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा गुजरात के सभी लोगों और पूरे देश के लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकारियों को सहयोग देने के लिए सभ्य समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस संबंध में प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निवर्हन में किसी प्रकार की रूकावट नहीं आनी चाहिए और न ही ऐसा कोई कार्य अथवा वक्तव्य देना चाहिए जो इस स्थिति को और भी बिगाड़ दे।

4.33 आतंकवादी कृत्यों के भड़काने के बावजूद आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत सौंपे गए कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बना रहा। आयोग ने सेना के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों वाली 224 शिकायतों तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा ऐसे उल्लंघनों की 138 शिकायतों पर कार्रवाई आरम्भ की और उसे आगे बढ़ाया।

4.34 रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2002–2003 के दौरान मंत्रालय को सेना के जवानों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप वाली 60 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में 18 मामलों में अन्वेषण पूरा कर लिया गया जबकि 31 मार्च 2003 तक 42 मामले अन्वेषणाधीन थे, 2 मामलों में आरोप सही पाए गए और दंड दिया गया। 1 मामला जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, अभियुक्त को 3 माह के कठोर कारावास की सजा के बाद सेवा से बरखास्त कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय से ठीक विपरीत गृह मंत्रालय ने 2002–2003 को पहली दो तिमाहियों के लिए आयोग को 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है और आगे की दो तिमाहियों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं

हुई है। जिनमें अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप हो। 'शून्य' रिपोर्ट उन लोगों में गंभीरता की कमी का संकेत देती हैं जिन्होंने अर्ध–सैनिक बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन के आरोपों की निगरानी करनी है, यदि अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप वाली शिकायतों की संख्या कुछ दर्शाती है तो यह समझ से परे है कि ऐसी कोई शिकायत सीधे अर्ध–सैनिक बलों अथवा गृह मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई। इसलिए आयोग गृह मंत्रालय को इस मामले में अधिक सावधानी और संवेदनशीलता बरतने का आग्रह करता है जो कि अब तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी है।

4.35 आयोग ने उत्तर–पूर्वी राज्यों से प्राप्त शिकायतों पर निगरानी रखना और उन पर कार्रवाई करना जारी रखा। एक महत्वपूर्ण मामलों में जिस पर आयोग 1997 से नजर रख रहा है जब मानवाधिकारों हेतु कुकी आंदोलन के अध्यक्ष से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि हयोसिगलुन चांगसम नामक एक व्यक्ति का 32 राष्ट्रीय राइफल के जवानों द्वारा अपहरण किया गया और बाद में मणिपुर के चारायावुड जिले में 7 मार्च 1997 को उसकी हत्या कर दी गई, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक को लगी चोटें शरीर के प्रमुख भाग में नजदीक से चलाई गई गोली के कारण हैं न कि अंधेरे में दोनों तरफ की गोलीबारी के कारण, जैसा कि मृतक को सेना की हिरासत से भागने का प्रयास करने पर गोली लगना बताया गया है। रक्षा मंत्रालय से प्राप्त उत्तर पर विचार करके आयोग ने 8 अगस्त 2002 को निष्कर्ष निकाला कि हयोसिंगलुम यांगसम के निकटतम संबंधी को 1 लाख रूपए की राशि राहत के रूप में दी जाए और इस बारे में निदेश भी जारी किया गया।

ख) हिरासतीय मौतें

4.36 हिरासतीय हिंसा को रोकना अपनी स्थापना के समय से ही आयोग का मुख्य ध्येय रहा है। इसलिए यह स्मरणीय है कि 14 दिसम्बर 1993 को आयोग ने अनुदेश जारी किए थे कि आयोग को हिरासतीय मृत्यु अथवा बलात्कार की घटना की सूचना घटना के 24 घंटे के भीतर दे दी जाए; यह भी कहा गया था कि रिपोर्ट को शीघ्रता से देने में असफल रहना इस बात को पक्का करेगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाद के अनुदेशों में कहा गया कि हिरासतीय मौत के बारे में सूचना देने के बाद शव–परीक्षा रिपोर्ट, शव–परीक्षा की विडियोग्राफी रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट आदि भी भेजे जाएं। ऐसे मामलों की समीक्षा में विलंब से बचने के लिए आयोग ने दिसम्बर 2001 में अतिरिक्त दिशा–निदेश जारी किए जिनमें राज्यों से अपेक्षित रिपोर्ट घटना के दो महीने के भीतर भेजने के लिए कहा गया; अन्य बातों

के साथ–साथ यह भी रेखांकित किया गया कि शव–परीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा तैयार किए गए नए फार्मेट में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.37 आयोग ने गत वर्षों में देखा है कि इसके अनुदेशों का मोटे तौर पर राज्य के अभिकरणों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि जब ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करने में विलंब होता है तो आयोग के पास विपरीत भाव निकालने का कारण होता है कि शामिल जनसेवकों का आचरण संदिग्ध है। ऐसी घटनाओं में इसकी जांच करना यह देखने के लिए आवश्यक होता है कि मौत हिरासतीय हिंसा में हुई है अथवा लापरवाही से और इसे तर्कसंगत परिणाम तक ले जाया गया है अथवा नहीं।

4.38 ऐसे मामलों में सच्चाई राज्य की हिरासत में होने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब कोई गलती होती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि सच्चाई को छुपाने का अथवा इसमें संलिप्त लोगों की जिम्मेवारी को कम आंकने का प्रयास होता है। हैरानी तो तब होती है जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 36(1) के उपबंधों को लगाकर यह कहते हुए कम किया जाता है कि हिरासतीय मौत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से पहले किसी अन्य आयोग ने संज्ञान ले लिया है। जैसा कि आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी, ऐसी रणनीतियों को रोकने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 36(1) में आयोग द्वारा की गई सिफारिश की तर्ज पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में संशोधन करने में विलंब देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण में रूकावट है।

4.39 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिरासतीय हिंसा की घटनाओं की समीक्षा के लिए अन्वेषण प्रभाग में स्थापित एक पृथक कोष्ठ अपना कर्तव्य निभाता रहा। इस कोष्ठ को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने तथा उस सामग्री को इस लिहाज से आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषित करने का कार्य सौंपा गया कि इससे आयोग को यह तय करने में सहायता मिले कि ऐसी घटनाओं में आगे कार्रवाई करना अपेक्षित है अथवा नहीं । प्रत्येक घटना में निर्णय का स्पष्ट स्परूप आयोग में ही निहित था।

4.40 वर्ष 2002–2003 में आयोग को सूचित आंकड़ों में 183 मौतें पुलिस हिरासत में और 1157 मौतें न्यायिक हिरासत में हुई। इस प्रकार कुल 1340 मौतें हिरासत में हुई जबकि 2001–2002 में कुल 1307 मौते हुई थी, जिनमें से 165 मौते पुलिस हिरासत में, 1140 न्यायिक हिरासत में तथा 2 मौते अर्ध–सैनिक बलों की हिरासत में हुई थी। वर्ष 2002–2003 में पुलिस तथा न्यायिक हिरासत

में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है यद्यपि यह चौंकाने वाली नहीं है फिर भी बैचेन करने वाली तो है। न्यायिक हिरासत में मौतों की संख्या को किसी अवधि में कारागार के कैदियों की कुल संख्या के संदर्भ में देखना होगा, ये आंकड़े एक बार फिर आयोग के इस विचार को सत्यापित करते हैं कि मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में बेहतर हिरासतीय प्रबंधन तथा पुलिस कार्मिकों को और गहन प्रशिक्षण दिलाए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनका विवरण इस रिपोर्ट में आगे दिया गया है।

4.41 जहां तक वर्ष 2002—2003 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों का संबंध है, रिपोर्टे दर्शाती हैं कि ऐसे मामलों की संख्या में कमी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में देखने में आई हैं। तथापि असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में ऐसी मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

4.42 वर्ष 2002—2003 में आयोग को सूचित की गई हिरासतीय मौतों की संख्या दर्शाते हुए राज्यवार स्थिति अनुबंध 2 में देखी जा सकती है।

4.43 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने हिरासतीय हिंसा के 20 मामलों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(3) के अंतर्गत अंतरिम राहत के भुगतान के लिए 20,95,000 रूपए की राशि देने की सिफारिश करना आवश्यक समझा। आयोग ने ऐसे 6 मामलों में दोषी जनसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्रवाई आरंभ करने का आहवान भी किया। गत वर्ष में आयोग ने हिरासतीय हिंसा के 7 मामलों में ऐसी राहत का आदेश दिया था और 7 मामलों में अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्रवाई का आदेश दिया गया था।

4.44 अक्तूबर 1993 में आयोग की स्थापना के बाद से अब तक इसे पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की कुल 8596 रिपोर्टें मिली है। ऐसे 6552 मामलों का विश्लेषण दर्शाता है कि न्यायिक हिरासत में हुई 80 प्रतिशत मौते बीमारी और बुढ़ापे के कारण थी। शेष 20 प्रतिशत मौते विभिन्न कारणों से हुई जिनमें कुछ मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ना, कैदियों के बीच हिंसा अथवा आत्महत्या शामिल है। यही मामले हैं जिन पर पिछले वर्षों में आयोग ने कार्रवाई की है और ऐसी मौतों के पृथक मामलों में विशिष्ट निर्देश जारी किए है तथा कारागार की स्थितियों में सुधार के लिए कृत्रिम उपाय करने का आहवान किया है। जेलों का बेहतर रख—रखाव और संचालन, बेहतर प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारी वर्ग, चिकित्सा कर्मचारी और मानसिक रूप से बीमार लोगों से निपटने के लिए कारागारों की क्षमता में सुधार तथा कैदियों की रूग्नता संबंधी आयोग के

विचारों से नियमित रूप से राज्य सरकारों को अवगत कराया गया है और इन मामलों में लगातार अनुवर्ती कार्रवाई हुई है। आयोग के विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारें कारागारों के बेहतर प्रबंधन की तरफ अधिक ध्यान दे। इस मामले को इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 4.66–4.90 में विस्तार से बताया गया है।

ग) मुठभेड़ में हुई मौतें

4.45 'जाली मुठभेड़ों' के परिणामस्वरूप न्यायिक–बहिर हत्याओं के आरोप अत्याधिक गंभीर हैं। जब भी ऐसे आरोप वाली कोई शिकायत आयोग को प्राप्त होती है यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि पूछताछ की जाए और 29 मार्च 1997 को आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

4.46 वर्ष 2002–2003 के दौरान विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा पुलिस मुठभेड़ों की 83 घटनाएं सूचित की गई जिनमें से 41 उत्तर प्रदेश से, 10 महाराष्ट्र से तथा 7 आंध्र प्रदेश से थी। ऐसे मामलों की संख्या और आयोग द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुबंध 3 में देखा जा सकता है।

4.47 ऐसी शिकायतें अपने स्वरूप के अनुसार जांच पड़ताल, विश्लेषण और समुचित निर्देशों के साथ समाप्ति के लिए समय लेती है। 2002–03 के दौरान आयोग ने वर्ष 2001–02 से लंबित 55 मामलों में से 22 मामले निपटाए और वर्ष 2002–03 में प्राप्त 83 मामलों में से 3 मामले निपटाए (अनुबंध 4)। प्रत्येक मामले को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि इस बारे में सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं।

4.48 29 मार्च 1997 को मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में आयोग द्वारा जारी दिशा–निदेश आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा जाली मुठभेड़ में पीपुल्स वार ग्रुप के सदस्यों की न्यायिक बहिर हत्याओं के आरोपों के बारे में आयोग की सुनवाई से तैयार किए गए थे। स्थिति की मानव अधिकार संबंधी जटिलताएं आयोग के लिए बड़ी चिंता की बात है। हिंसा और आतंक की कातिलाना वारदातें जिसके लिए पीपुल्स वार ग्रुप उत्तरदायी है, की पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग का पक्का विचार है कि पुलिस द्वारा की गई न्यायिक बहिर हत्या के प्रत्येक मामले में आयोग के दिशा–निदेश के अनुसरण में पूरी जांच होनी चाहिए और जाली मुठभेड़ों के लिए दोषी लोगों को

न्याय के घेरे में लाना चाहिए। इस मामले को देखते हुए आयोग ने चिंतित नागरिकों की समिति के संयोजक श्री एस.आर. शंकरन और राज्य के प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों जो नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के कार्य से जुड़े हैं, से संपर्क बनाए रखा है। स्पष्ट रूप से लंबे समय से चले आ रहे हिंसा के इस चक्र जिसने मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है को तोड़ने की आवश्यकता है। आयोग को मालूम है कि आतंकवाद और हिंसा का विघटनकारी स्वरूप जिसने बार–बार शांति के मार्ग में बाधा डाली है, ऐसा करना आसान नहीं होगा। फिर भी तमाम विषमताओं के बावजूद धैर्य आवश्यक है, इसलिए आयोग ने हर बार शांति की स्थापना के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया है। आयोग को आशा है कि ये प्रयास जारी रहेगें और क्रूरतम भड़काव की घटनाओं के बावजूद सफल होंगे।

4.49 आतंकवाद के खतरे और बार–बार होने वाली आतंकवादी वारदातों के मौजूदा माहौल में आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट खतरों और कठिनाईयों के बावजूद संविधान तथा कानून का शासन बरकरार रहे। इस रिपोर्ट में विस्तार से दिए गए कारणों की वजह से आयोग इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि न्यायिक बहिर हत्याएं चलती रहें और इसे व्यावहारिक मापदंड के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जबकि यह उन लोगों के संबंध में हो रहा है जो तथाकथित रूप से आतंकवादी हैं। इसलिए आयोग यह आवश्यक समझता है कि वह ऐसी घटनाओं के बारे में सूचना मांगे जैसी नई दिल्ली में "अंसल प्लाजा गोलीबारी की घटना"। इस घटना में भी आयोग ने महसूस किया कि दिल्ली पुलिस को पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच के बारे में आयोग के दिशा–निदेशों के अनुपालन की आवश्यकता है।

घ) ढांचागत सुधार : पुलिस

4.50 गुजरते हुए हर वर्ष के साथ आयोग के पास ऐसे सबूत बढ़ते जा रहे है कि यदि मानव अधिकारों की स्थिति को सुधारना है, यदि पुलिस के अन्वेषण कार्य को बाह्य प्रभावों से बचाना हैं और यदि पुलिस को जनता का विश्वास जीतना है जो देश में अपराधिक न्याय तंत्र के मुख्य तत्व के रूप में पुलिस के कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक है तो देश में प्रमुख पुलिस सुधार करना अनिवार्य है।

4.51 आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में जो विशेष रूप से पुलिस सुधारों के प्रश्न से जुड़ा है, के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर शपथ पत्र में

पुलिस की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जहां सुधारों की आवश्यकता है।

4.52 वर्ष 2000–01 की वार्षिक रिपोर्ट के उत्तर में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार ''की गई कार्रवाई का ज्ञापन'' में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि सरकार को पुलिस सुधारों से संबंधित मामले की जानकारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि पदमनभय्या समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशे स्वीकार कर ली गई है और राज्य सरकारों को उनसे संबंधित सिफारिशे कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। यह भी कहा गया है कि कुछ सिफारिशों की गृह मंत्रालय द्वारा आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है और राज्यों में पुलिसबल को आधुनिक बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है जिसके लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर के योगदान की शर्त पर केन्द्रीय आबंटन को बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। कहा जाता है कि इससे राज्य पुलिस विभाग अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार लाने, प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने, बेहतर संचार प्रणाली मुहैया कराने आदि में सक्षम होगें।

4.53 आयोग पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए इन घटनाओं का स्वागत करता है। तथापि जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने में मुख्य तत्व पुलिस के अन्वेषण कार्य में 'बाहय प्रभाव' का दखल बंद करना और पुलिस महानिदेशकों तथा दूसरे प्रमुख अधिकारियों को मनमर्जी से स्थानांतरित करने की 'लटकती तलवार' को हटाना है जो पुलिस को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के पुलिस के कार्य की क्षमता को कमजोर करते रहे हैं।

4.54 क्षमता में यह क्षति पुलिस की गलतियों की व्यापक आरोपों अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन मे ढील के लिए तथा उन लोगों के लिए जिनके साथ गड़बड़ हुई है, को न्याय दिलाने में असफलता के लिए उत्तरदायी है।

4.55 आयोग ने अपनी वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में पुलिस की इसी कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया है जब आयोग ने टिप्पणी की कि देश के विभिन्न राज्यों में हाल की घटनाओं ने आयोग द्वारा पहले से की गई सिफारिशों के अनुरूप पुलिस सुधारों को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि अन्वेषण प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे और इसे बाहय प्रभाव से बचाया जा सके।

4.56 वर्ष 2002–2003 का अनुभव आयोग के पूर्ववर्ती मूल्यांकन की पुष्टि करता है। विश्वसनीयता के साथ अन्वेषण करने में असफलता से आमतौर पर न्याय दिलाने में असफलता होती है। इसलिए

आयोग को पुलिस की ढील से हुई गलतियों की असंख्य शिकायते प्राप्त होती रही है। कोई भी देश जनता के विश्वास और सम्मान में अपराधिक न्याय प्रणाली के स्तर को गिरने नहीं दे सकता। सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वाले संस्थान लोकतांत्रिक समाज के प्रतीक हैं और उतने ही महत्वपूर्ण है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की अच्छाई के लिए अपेक्षित मूल–सुधार राजनैतिक अथवा अन्य बाध्यताओं को ध्यान में न रखकर बिना किसी भेदभाव अथवा अंतर के कार्यान्वित किए जाएं।

4.57 आयोग एक बार फिर आग्रह करता है कि उन पुलिस सुधारों को जिनकी आयोग ने विशेष रूप से सिफारिश की थी और जिनके बारे में अपनी पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में विस्तार से बताया गया है तथा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत अपने कागजातों में कहा गया है, को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किया जाए। आयोग अनुरोध करता है कि इस मामले को दलगत भावना से ऊपर उठकर देश में उच्चतम राजनैतिक स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि संविधान और कानून के शासन को आगे बढ़ाने में कार्य करने के लिए इसकी दूरगामी आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक सुधारों पर विचार और कार्यान्वयन किया जा सके।

ड़) राज्य पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार कोष्ठों की कार्यप्रणाली

4.58 इस आयोग की सिफारिश पर भिन्न–भिन्न राज्यों के पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार कोष्ठ स्थापित किए गए थे। इन कोष्ठों की कार्यप्रणाली के लिए दिशा–निदेश राज्य सरकारों के परामर्श से आयोग द्वारा तैयार किए गए थे।

4.59 अनेक मामलों में इन कोष्ठों ने आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया है। इन्होंने शिकायतों के अन्वेषण, आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा राज्यों में मानव अधिकार तंत्र की कुशलता और आयोग की पूछताछ का जबाव देने में इनकी क्षमता को सुविधाजनक बनाया है।

4.60 फिर भी आयोग इन कोष्ठों की निष्पादन क्षमता को कई कारणों से उचित नहीं पाता। कई अवसरों पर इनमें आधारभूत संरचना और कार्मिकों की गुणवत्ता में कमी पाई गई है। कई बार और अधिक गंभीरता से ये मानवाधिकारों के मामलों जो मुख्य रूप से इनके पथ–प्रदर्शक है, को आगे बढ़ाने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुए हैं।

4.61 इसलिए आयोग के विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि इन कोष्ठों के प्रमुख के रूप में नियुक्त अधिकारी की गुणवत्ता और वचनबद्वता को महत्व दिया जाए तथा जिन्हें नियुक्त किया जाए उनके लिए आवश्यक सामग्री तथा कार्मिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये कोष्ठ राज्यों में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हैं इसलिए जिनता बड़ा कारण है उसी के विचार से अनेक मानव भी हर प्रकार से उच्चतम स्तर के होने चाहिए। इस प्रकार आयोग सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हैं कि इन कोष्ठों की गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर बनाए रखी जाए। आयोग का विचार है कि देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में ये कोष्ठ संस्थागत ढांचे की श्रृंखला की मुख्य कड़ी बनाते हैं।

च) मानव अधिकार और आपराधिक न्याय तंत्र का प्रशासन

4.62 आयोग ने अपनी अनेक रिपोर्टों में देश में आपराधिक न्याय तंत्र के प्रशासन के कुछ पहलुओं में सुधार के उद्देश्य से व्यापक सिफारिशे की है ताकि मानव अधिकार के विषय के प्रति इसे अधिक संवेदनशील बनाया जा सके।

4.63 आयोग की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन में केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस तंत्र को सुदृढ़ करने तथा इसमें सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। बताया गया है कि 900 फास्ट ट्रेक न्यायालय काम कर हैं और ऐसे 421 न्यायलय जल्दी ही कार्य करने लगेगें। आशा व्यक्त की गई है कि ये न्यायालय वर्ष 2000–2005 के दौरान लंबे समय से पड़े सत्र मामले, महत्वपूर्ण आपराधिक मामले तथा अन्य दीवानी मामले निपटा देंगें।

4.64 आयोग इन बातों का स्वागत करता है। तथापि यह देखना चाहेगा कि फास्ट ट्रेक न्यायालयों की संख्या में वृद्धि अपने आप में आपराधिक न्याय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। जहां तक मानव अधिकारों का संबंध है, आयोग ने देखा है और इस दस्तावेज में अन्यत्र विशेष रूप से दर्ज किया है कि अन्वेषण को समुचित ढंग से करने में असफलता, अभियोजन को अच्छी तरह से चलाने में असफलता तथा साक्षियों और पीड़ितों को संरक्षण देने में असफलता, निष्पक्ष विचारण में असफलता को जन्म दे सकती है। इसलिए आयोग के विचार में यह आवश्यक है कि सुधारों तथा देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए व्यापक सोच अपनाई जानी चाहिए।

4.65 आयोग ने इस संबंध में नोट किया है कि न्यायमूर्ति श्री वी. एस. मलीमथ की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार के बारे में अपनी सिफारिशें अब प्रस्तुत कर दी हैं। आयोग उन सिफारिशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहता है। ऐसा करने में इसका मार्गदर्शन इसके संविधान में निहित केन्द्रीय उत्तरदायित्व करेगा अर्थात देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करना, इसको कम करना नहीं।

छ) हिरासतीय संस्थान

1) जेलों के दौरे

4.66 कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा, अक्तूबर 1993 की स्थापना से प्रमुख चिंता रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रयास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती रही। आयोग की ओर से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12(ग) के अंतर्गत आयोग को सौंपे गये सांविधिक उत्तरदायित्व की पूर्ति में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नियमित रूप से जेलों के दौरे किए गए।

4.67 इस प्रकार न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर सदस्य ने 24 मार्च 2003 को सेन्ट्रल जेल ग्वालियर, मध्य प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने कैदियों की रहने की स्थिति तथा विशेष रूप से महिला कैदियों की समस्याएं और उनके साथ रह रहे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की समीक्षा की तथा टिप्पणी की। इसके अलावा पेरोल की मनाही के बारे में कैदियों से प्राप्त शिकायतें जांच के लिए तथा रिपोर्ट देने के लिए महानिदेशक (कारागार) मध्य प्रदेश को भेजी गई।

4.68 श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के लिए आयोग के विशेष प्रतिनिधि ने 27–28 मई 2002 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का दौरा किया। उसकी रिपोर्ट में कारागार में कैदियों की अधिक संख्या, स्वच्छता में कमी और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी का संकेत दिया। उन्होंने जेल कारखाने में कार्यरत कैदियों की मजदूरी के भुगतान के बारे में विपरीत टिप्पणी की और सिद्ध दोष कैदियों को पैरोल देने के बारे में बरती जा रही लापरवाही का उल्लेख किया। उन्होंने टिप्पणी की कि कैदियों की आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध अनेक अपीलें 12 वर्षों से भी अधिक समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी हैं।

4.69 श्री ए. बी. त्रिपाठी, उड़ीसा के लिए आयोग के विशेष प्रतिनिधि ने सर्कल जेल, बारीपाड़ा का 20 सितम्बर 2002 को दौरा किया। उन्होंने पाया कि जेल में सीमा से अधिक कैदी (42 प्रतिशत) हैं और सफाई की कमी है। उनकी रिपोर्ट में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का उल्लेख किया जो लम्बे समय से जेल में सड़ रहे हैं और कारखाना अनुभाग में कार्यरत कैदियों के मजदूरी के लंबित दावों का भी उल्लेख किया। दोनों विशेष प्रतिनिधियों की रिपोर्टों पर आयोग ने विचार किया और समुचित सिफारिशों के साथ संबंधित सरकारों को भेजा।

4.70 श्री चमन लाल, विशेष संपर्ककर्ता तथा प्रमुख समन्वयक, हिरासतीय न्याय कोष्ठ ने डिस्ट्रिक्ट जेल, मेरठ उत्तर प्रदेश (17 जून 2002), डिस्ट्रिक्ट जेल करनाल, हरियाणा (8 जुलाई 2002), सैन्ट्रल जेल, भंटिण्डा, पंजाब (17–18 जुलाई 2002), सैन्ट्रल जेल, पटियाला, पंजाब (16–17 जुलाई 2002), सैन्ट्रल जेल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (13 अगस्त 2002) केन्द्रीय कारागार, वेलूर और विशेष महिला कारागार वेलूर, तमिलनाडु (28 सितम्बर 2002), केन्द्रीय कारागार, बक्सर, बिहार (30 जनवरी 2003), मोडल कारागार, बेयूर, पटना, बिहार (1–2 फरवरी 2003), सैन्ट्रल जेल, कोयम्बतूर, खुली जेल, सिंगनलूर और उप जेल कून्नूर, तमिलनाडु (8–10 फरवरी 2003) का निरीक्षण किया।

4.71 जीवन निर्वाह की स्थितियों, स्वच्छता की स्थिति, चिकित्सा कवर की सीमा और मनोरंजन सुविधाओं की उपलब्धता का वृहत मूल्यांकन करने के अतिरिक्त विशेष सम्पर्ककर्ता ने अपराधियों और विचाराधीन कैदियों की विशिष्ट समस्याओं पर छोटे–छोटे समूहों में उनसे मुलाकात करके विचार किया और निम्नलिखित के बारे में विस्तृत टिप्पणी की:

- फरलो, पैरोल और समयपूर्व रिहाई के बारे में तंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में अधिकतम शिकायतें प्राप्त हुईं।
- आजीवन कारावास के विरूद्ध अपीलों के निपटान में अत्यधिक विलंब जिनमें से अधिकांश कई सालों से उच्च न्यायलयों में लंबित पड़ी हैं।
- विचाराधीन कैदियों के मामले जिनकी जांच उच्चतम न्यायलय की घोषणाओं के आलोक में की गई थी तथा 1999 में भारत के मुख्य न्यायधीश के निर्देशों के अनुपालन को भी देख गया और छोटे–मोटे अपराधों वाले मामलों को निपटाने के लिए जेल परिसर में न्यायालय स्थापित करने के बारे में विचार करना।
- न्यायालय में विचाराधीन कैदियों को प्रस्तुत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की उपलब्धता तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की जांच और लाभकारी कार्य में कैदियों को लगाना।
- आगन्तुक बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई–हाल के वर्षों में यह अनेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग निष्क्रिय हो गए हैं।

- कारागार परिसर से बाहर अस्पतालों में शल्य चिकित्सा/विशेषज्ञ उपचार की अपेक्षा रखने वाले कैदियों के विशिष्ट मामलों की जांच की गई और उनके बारे में कार्रवाई आरंभ की गई।

4.72 आयोग ने विशेष संपर्ककर्ता की प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार किया और सक्षम प्राधिकारियों को समुचित दिशा निदेश दिए। इन निदेशों के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उदाहरण के लिए रांची और जमशेदपुर की जेलों के बारे में जिनका दौरा 2001–02 में किया गया था, झारखंड सरकार से प्राप्त की गई कार्रवाई की रिपोर्टों में स्वच्छता की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस संरक्षण का प्रावधान, न्यायालय में पेशी, लोक अदालत का आयोजन, बच्चों को विशेष आहार की स्वीकृति तथा जेल के कारखानों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार, दर्शाया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल करनाल, डिस्ट्रिक्ट जेल मेरठ, सैन्ट्रल जेल ग्वालियर और केन्द्रीय कारागार वेलूर में भी कुछ सुधार हुआ है। जबकि विचाराधीन कैदियों के कुछ मामलों को जिनकी ओर आयोग ने ध्यान दिलाया था, फास्ट ट्रेक न्यायालयों को हस्तांतरित कर दिए गए है, अन्य कैदियों को उनके मामलों की जांच करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सैन्ट्रल जेल पटियाला, सैन्ट्रल जेल कोयम्बतूर, सैन्ट्रल जेल बक्सर और माडल कारागार बेऊर, पटना के मामले में आयोग के दिशा–निदेशों के अनुपालन पर नजर रखी जा रही है।

2) कारागारों में कैदियों की संख्या

4.73 यह एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अधिकांश जेलों में कैदियों की रहने की स्थिति में बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए सीमा से परे कैदियों की संख्या प्रमुख कारण है, यही वजह है कि लंबे समय से विचाराधीन कैदी न्यायिक प्रक्रिया के ढीला होने के कारण जेलों में पड़े हुए हैं।

4.74 आयोग 2000 से कैदियों के आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करता रहा है ताकि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में समस्या के परिमाण का आकलन किया जा सके। यह विश्लेषण हर वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को आयोग को प्राप्त कारागार आंकड़ों पर आधारित है। गत वर्ष के दौरान आयोग ने 31 दिसम्बर 2001 और 30 जून 2002 को कारागार में कैदियों की संख्या से संबंधित आकंड़ों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से उभरी विशेष बातें आगामी पैराग्राफों में दी गई हैं।

3) 31 दिसम्बर 2001 को कारागर में कैदियों की संख्या का विश्लेषण

4.75 देश के कारागारों में कैदियों की कुल संख्या 3,00,811 थी। यह 2,27,313 की अधिकृत क्षमता के मुकाबले 32.33 प्रतिशत अधिक है दिल्ली झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, गुजरात और त्रिपुरा नामक 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 39 प्रतिशत से 189 प्रतिशत तक सीमा से अधिक कैदियों की संख्या है। दिल्ली में सबसे अधिक 189 प्रतिशत तक सीमा से अधिक कैदी हैं, इसके बाद झारखंड (183 प्रतिशत), हरियाणा (158 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (114 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (90 प्रतिशत) का स्थान है।

4.76 9 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों में जेलों में क्षमता से कम कैदी हैं इनमें मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा पांडिचेरी शामिल हैं।

4.77 विचाराधीन कैदियों की संख्या पूरे देश के कारागारों में कैदियों की कुल संख्या का 75.09 प्रतिशत थी। विचाराधीन कैदियों का समानुपात 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कारागारों की कैदियों की संख्या का 80 प्रतिशत से अधिक था। ये राज्य मेघालय (97.30), दादरा और नगर हवेली (95.83), मणिपुर (93.99), जम्मू और कश्मीर (89.90), उत्तर प्रदेश (89.77), बिहार (85.77), झारखंड (85.37), मिजोरम (82.83), नागालैण्ड (82.08), और कनार्टक (80.47) थे। तमिलनाडु ओर अंडमान और निकाबार द्वीप समूह में विचाराधीन कैदियों की संख्या कुल कैदियों के 50 प्रतिशत से कम थी जो क्रमशः 32.78 प्रतिशत और 42.29 प्रतिशत थी।

4.78 महिला कैदियों की संख्या देश में कैदियों की कुल संख्या का 3.08 प्रतिशत थी। दादरा और नगर हवेली इस सारणी में शीर्ष पर था जहां 12.5 प्रतिशत महिला कैदी थी, इसके बाद मिजोरम (8.83 प्रतिशत), और पंजाब (5.48 प्रतिशत), का स्थान था। त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और केरल में 2 प्रतिशत से भी कम महिला कैदी थी।

4) 30 जून 2002 को कारागारों में कैदियों की संख्या का विश्लेषण

4.79 कारागारों में कैदियों की कुल संख्या 3,04893 थी जो 2,32,412 को बढ़ी हुई अधिकृत क्षमता की तुलना में 31.19 प्रतिशत अधिक है। चूंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,02,70,15,247 थी, भारत में प्रति लाख 29.69 कैदी थे। मिजोरम में प्रति लाख 114.59 कैदी थे

जो चार्ट में शीर्ष पर हैं जबकि जम्मू और कश्मीर में प्रति लाख कैदियों की संख्या 12.76 के साथ सबसे नीचे थी।

4.80 दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और त्रिपुरा नामक 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 31.19 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से अधिक सीमा से परे कैदियों की संख्या थी। विगत की तरह दिल्ली में सीमा से बहुत अधिक कैदी (217 प्रतिशत) थे उसके बाद झारखंड (165 प्रतिशत) और छत्तीसगढ (110 प्रतिशत) का स्थान था। मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, दमन और दीव–चण्डीगढ़, तमिलनाडु, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, केरल, पांडिचेरी और मेघालय नामक 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जेलों में क्षमता से कम कैदी थे। तथापि जेलों में कैदियों की असमान संख्या के कारण यह देखने में आया कि इन राज्यों में भी कुछ उप–जेलों तथा डिस्ट्रिक्ट जेलों में कैदियों की सीमा से अधिक संख्या है।

4.81 देश में विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत कुल संख्या का 74.06 प्रतिशत था जो 31 दिसम्बर 2001 को 75.09 प्रतिशत के समान है। 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत से अधिक थी। ये राज्य थेः दादरा और नगर हवेली (100 प्रतिशत), मेघालय (94.66 प्रतिशत), मणिपुर (92.19 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (91.67 प्रतिशत), नागालैंड (89.87 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (87.37 प्रतिशत), बिहार (86.27 प्रतिशत), झारखंड (83.24 प्रतिशत)। केवल 2 राज्यों नामतः तमिलनाडु (36.16 प्रतिशत), और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (24.05 प्रतिशत) में विचाराधीन कैदियों की संख्या 50 प्रतिशत से कम थी।

4.82 महिला कैदियों की संख्या कुल कैदियों का 3.42 प्रतिशत थी। 10.19 प्रतिशत के साथ मिजोरम पहले स्थान पर था, इसके बाद तमिलनाडु (6.59 प्रतिशत), दादरा और नगर हवेली (6.45 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (5.52 प्रतिशत) और केरल (5.38 प्रतिशत) का स्थान था।

4.83 5–6 वर्ष के बच्चों को जेल में अपनी माताओं के साथ रहने की अनुमति है। कुल 1369 बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे थे, इसका अर्थ है कि 13.15 प्रतिशत महिला कैदी अपने बच्चों को अपने पास रखे हुए थी। पश्चिम बंगाल का 234 ऐसे बच्चों के साथ देश में पहला स्थान था इसके बाद उत्तर प्रदेश (219), बिहार (196), और मध्य प्रदेश (138) का स्थान था।

5) जेल के कर्मचारियों का सुग्राहीकरण

4.84 वर्ष 2000–01 में आरम्भ किया गया जेल के अधीक्षकों तथा जेलरों के लिए सुग्राहीकरण

कार्यक्रम समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहा। संबलपुर, उड़ीसा (24 अगस्त 2002), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (27 नवंबर 2002) और वेलूर, तमिलनाडु (7 फरवरी 2003) में 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। ये कार्यशालाएं हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयक द्वारा आयोजित की गई। श्री ए.बी. त्रिपाठी, उड़ीसा के लिए आयोग के विशेष प्रतिनिधि और श्री बी.बी. मोहंती, अपर पुलिस महानिदेशक और कारागार महानिरीक्षक तथा निदेशक, सुधारीय सेवाएं, उड़ीसा को संबलपुर (उड़ीसा) में कार्यशाला के आयोजन में जोड़ा गया। इसका उदघाटन न्यायमूर्ति श्री पी.के. त्रिपाठी, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक के न्यायधीश, द्वारा किया गया। डॉ0 जी.के. रथ, प्रोफेसर और जे. पटजोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता विधि विभाग, संबलपुर और डॉ. जी.एस. शर्मा, रीडर, एल.आर. लॉ कालेज, संबलपुर अतिथि अधिवक्ता थे। कार्यशाला में 3 महिला अधिकारियों सहित 36 कारागार अधीक्षकों और 30 कारागार कल्याण अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला की उल्लेखनीय विशेषता उड़ीसा की प्रमुख जेलों के दोष सिद्ध तथा विचाराधीन दोनों कैदियों के समूह के साथ विचारों का आदान प्रदान था। इससे कैदियों को पेश आ रही मुख्य समस्याओं पर नजर डालने का अवसर मिला।

4.85 हैदराबाद में श्री के. आर. वेणुगोपाल, आयोग के विशेष संपर्ककर्ता और श्री एम.ए. बसित, महानिदेशक और कारागार तथा सुधारीय सेवाओं के महानिरीक्षक, आंध्र प्रदेश के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के गृह तथा सिनेविज्ञान मंत्री श्री टी0 देवेन्द्र गोड़े ने किया। श्री एस.एस. गोविन्दराजुलू, मुख्य विधि सलाहकार, सी.बी.आई., हैदराबाद को कैदियों के अधिकारों और कारागार स्थितियों से संबंधित उच्च्तम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के बारे में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित करने हेतु आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में केन्द्रिय कारागारों के अधीक्षक तथा डिस्ट्रिक्ट जेलों, डिस्ट्रिक्ट उप–जेलों के प्रमुख उप अधीक्षक के स्तर के 35 अधिकारियों तथा कुछ जेलरों ने भाग लिया।

4.86 तमिलनाडु के जेल अधीक्षकों के लिए 7 फरवरी 2003 को क्षेत्रीय सुधारीय प्रशासन संस्थान (स्किप) में एक कार्यशाला आयोजित की गई। आर. आई. सी. ए. के. निदेशक श्री एम. जी. तावरखोड तथा कारागार महानिरीक्षक तमिलनाडु का इस कार्यशाला में सहयोग लिया गया। इसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के. वेंकटास्वामी द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में 8 केन्द्रीय कारागारों, दो महिला कारागारों और 11 उप जेलों के 19 अधीक्षकों, एक उप अधीक्षक तथा 9 सहायक जेलरों ने भाग लिया।

4.87 आयोग द्वारा लिए गए कदम इस कार्यक्रम का हिस्सा थे जिनका उद्देश्य जेलों में स्थिति का सुधार करना था। प्रत्येक कार्यशाला का अंतिम सत्र जेल अधिकारियों को पेश आ रही प्रशासनिक, वित्तीय सुरक्षा और अनुशासन संबंधी समस्याओं पर खुली चर्चा को समर्पित था। इससे संबंधित

राज्यों में कारागार प्रशासन में आधारभूत संरचनाओं की कमी और अन्य कमियों का पता लगाने में सहायता मिली।

4.88 मुख्य समन्वयक, हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ और विशेष प्रतिनिधि, उड़ीसा ने उस राज्य में जेल की आधारभूत संरचना और उससे जुड़ी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने जेलों के भवनों, स्वच्छता और जलापूर्ति, कर्मचारियों की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, आहार की मात्रा, जेल उद्योग और जेल के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा में सुधार लाने हेतु अनेक विशिष्ट सिफारिशों के साथ आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6) कारागार सुधार

4.89 आयोग 1894 के प्राचीन भारतीय कारागार अधिनियम के आदर्श कारागार विधेयक से प्रतिस्थापित करने की वकालत करता रहा है जिसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा। वर्ष 1996 में आयेाग ने मॉडल कारागार विधेयक की रूपरेखा तैयार करके परिचालित की थी और सभी राज्यों से आग्रह किया था कि वे अपनी भिन्न–भिन्न विधान सभाओं से समुचित संकल्प पारित करवाएं ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत नए अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया जा सके। जब कि यह प्रक्रिया जारी थी गृह मंत्राालय ने इसी से जुड़ा कार्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों को सौंप दिया। 27 दिसम्बर 2002 को आयोग को केन्द्रीय गृह सचिव से महानिदेशक पुलिस और अनुसंधान विकास ब्यूरों के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार मसौदा मॉडल कारागार मैनुअल आयोग की टिप्पणियों के लिए प्राप्त हुआ। हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ द्वारा मसौदा कारागार मैनुअल की जांच किए जाने के बाद आयोग ने मामले पर विचार किया और 11 फरवरी 2003 को अपनी टिप्पणियां गृह मंत्रालय को भेज दी।

4.90 आयोग का विचार रहा है कि जेल सुधारों संबंधी मुल्ला समिति द्वारा अनुशंसित नए कारागार अधिनियम को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अधिनियम मैनुअल के लिए अत्याधिक उचित और सामयिक वैधानिक आधार प्रदान कर सकता है। इसलिए आयोग केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है।

7) अन्य सुधारीय संस्थानों/संरक्षण गृहों के दौरे

4.91 श्री एस. वी. एम. त्रिपाठी, आयोग के विशेष प्रतिनिधि ने 20–21 अप्रैल 2002 को पौड़ी और उत्तरकाशी में राज्य सुधार गृहों का दौरा किया। उन्होंने 23 मई, 2002 को देहरादून में राज्य के

बालिका निकेतन का भी दौरा किया। उनकी रिपोर्ट में संकेत था कि इन संस्थानों का कम उपयोग किया जा रहा है और यहां की रहने की स्थितियां असंतोषजनक तथा चिकित्सा सुविधाओं का पूर्ण अभाव है उनकी रिपोर्ट पर आयोग ने विचार किया और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरांचल सरकार को भेजा।

ज) अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार

4.92 जैसा कि गत रिपोर्ट में संकेत दिया गया था, आयोग गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से, आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के कोर समूह द्वारा तैयार 'सर्वोच्च अपराध–विज्ञान : बेहतर आपराधिक न्याय के लिए' शीर्षक वाली रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का आग्रह करता रहा है।

4.93 आयोग ने नोट किया है कि गृह मंत्रालय द्वारा कुछ सिफारिशों जिनमें पृथक अपराध विज्ञान निदेशालय सृजित करना और अपराध विज्ञान विकास बोर्ड गठित करने के लिए राज्यों को सलाह देना शामिल है, के बारे में कदम उठाए गए हैं। आयोग की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन मे केन्द्र सरकार ने भी कहा कि शेष सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु परखा जा रहा है और राज्य सरकारों को 20 मई 2002 तक इन सिफारिशों के बारे में उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई बताने के लिए कहा गया है।

4.94 चूंकि अनेक राज्य सरकारों ने उस तिथि तक उत्तर नहीं दिया था इसलिए आयोग ने उनके साथ इस मामले को उठाने का निर्णय किया। तदुनसार असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को यह आग्रह करते हुए पत्र लिखे कि वे आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करें और की गई कार्रवाई के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजे। इन रिपोर्टों का विश्लेषण अगली अवधि में किया जाएगा और मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

4.95 आयोग यह फिर दोहराना चाहेगा कि देश में अपराध विज्ञान सेवाओं में कमी ने आपराधिक न्याय प्रशासन पर विपरीत प्रभाव डाला है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए गंभीर परिणाम हुए है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इस बारे में आयोग की सिफारिशों को तीव्रता से कार्यान्वित करें।

मानव अधिकार संबंधी कानूनों, संधियों और समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा

अध्याय 5

क) आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 (पोटा)

5.1 आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 और आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 के बारे में आयोग के विचारों को आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। इसलिए उनको यहाँ पुनः नहीं बताया जाएगा। हाल ही में आतंकवाद विरोधी विधायन के बारे में आयोग के मत को 21 फरवरी 2003 के हस्ताक्षरित वक्तव्य में दोहराया गया था जिसका पूरा पाठ इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 4.15 में दिया गया है।

5.2 इस वक्तव्य में आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ नोट किया कि आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अध्यादेश 2001 को 26 मार्च 2002 को संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर अधिनियमित किया गया था। इसलिए आयोग ने मत बनाया कि "वह इस अधिनियम को पारित कराने में अपनाई गई संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करता है यद्यपि इस अधिनियम के पारित होने से पहले इसकी विषय वस्तु के प्रति आयोग ने अपना विरोध जता दिया था।" आयोग ने जोर देकर कहा कि "आयोग अपने संविधान के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व को समझता है कि अधिनियम को मानव अधिकारों, संविधान और देश की संधि बाध्यताओं का उल्लंघन करके कार्यान्वित नहीं किया जाए।" इसके अलावा इस बात को नोट करते हुए कि "जब इसकी तुलना आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम से की जाती है" तो आतंकवाद निवारण अधिनियम में "कुछ ऐसे उपबंध है जो इसका संभावित दुरूपयोग होने में सुरक्षोपाए के रूप में कार्य करते है," आयोग ने कहा कि यह "आयोग का मत है कि ये सुरक्षोपाए अपर्याप्त है।" इसलिए आयोग ने कहा कि "यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन का यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से प्रबोधन

करे कि अधिनियम के उपबंधों का दुरूपयोग न हो अथवा मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।"

5.3 अधिनियम के उपबंधों के संभावित दुरूपयोग और मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आयोग की आशकांए दुर्भाग्य से सच साबित हुई हैं। अनेक राज्यों से मीडिया में छपी रिपोर्टें अधिनियम के मनमाने और भेदभावपूर्ण प्रयोग की ओर इशारा करते है और बताते हैं कि इससे देश के युवा और वृद्ध सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है।

5.4 इस प्रकार उदाहरण के लिए 20 फरवरी 2003 को टाईम्स आफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार लगभग 200 व्यक्तियों को "नकसलवादियों को समर्थन देने" के आरोप में झारखंड राज्य में आतंकवाद निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। इनमें 12 वर्ष का एक लड़का गया सिंह और 81 वर्षीय वृद्ध राजनाथ महतो शामिल थे। रिपोर्ट ने कहा कि कुल मिलाकर 10 बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस द्वारा तैयार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का सामाजिक विवरण दर्शाता है कि वे सभी किसान, छात्र अथवा दिहाड़ी मजदूर थे। इस रिपोर्ट पर स्वतः कार्रवाई करते हुए आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को नोटिस जारी किए। इसके बाद आयोग को गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि रामा सिंह की उम्र 17 साल है और उसे सुधार गृह, रांची में रखा गया है। वह थाना मानिका, जिला लतेहार के मामला संख्या 42/2002 में अभियुक्त है। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि राजनाथ महतो की उम्र 45 वर्ष है, 81 वर्ष नहीं जैसा कि समाचार पत्र में छपा था। वह और 18 वर्षीय जानकी भुईया आतंकवाद निवारण अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत थाना केरेदारी के मामला संख्या 7/2002 में अभियुक्त है। पत्र में यह भी जोड़ा गया कि विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में पोटा की धाराएं हटा दी है और सभी अभियुक्तों पर साधारण कानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। 31 मार्च 2003 को आयोग के समक्ष इस मामले पर कार्रवाई जारी थी।

5.5 इस रिपोर्ट को लिखते समय तक यह स्पष्ट है कि देश के राजनैतिक नेतृत्व का बड़ा भाग जिस ढंग से इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है, पर बहुत चिंतित है। आयोग के लिए यह हैरानी की बात है क्योंकि आयोग ने बहुत पहले इसके संभावित परिणामों की चेतावनी दे दी थी। इस प्रकार आयोग ने इस बात को नोट किया है कि इस रिपोर्ट को लिखते समय तक भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री अरूण सहारिया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में निम्नलिखित सेवा शर्तों के साथ एक समीक्षा समिति स्थापित कर दी हैः

(i) समीक्षा समिति विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोग की व्यापक जाँच करेगी और

उक्त अधिनियम के प्रर्वतन के मामले में शिकायतों को सुनेगी और तद्नुसार इस अधिनियम की कमियों को दूर करने, यदि कोई हों, के लिए अपने निष्कर्ष और सुझाव देगी; और

(ii) समीक्षा समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि उक्त अधिनियम के उपबंधों को केवल आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए ही लागू किया जाए।

समीक्षा समिति के कार्य का प्रभाव आयोग के लिए ध्यान देने वाला होगा।

5.6 आयोग यह देखना चाहेगा कि अधिनियम की संवैधानिकता को अनेक गैर–सरकारी संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई हैं और न्यायालय ने इस मामले पर ध्यान दिया है।

5.7 आयोग इस संबंध में यह भी याद कराना चाहता है कि 1994 में हितेन्द्र विष्णु ठाकुर तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे:

"कोई भी सभ्य देश आतंकवाद को फलने फूलने नहीं दे सकता किन्तु हमें अपराधी और आतंकवादी के बीच अंतर करना ही होगा। जबकि सभी आतंकवादी अपराधी है, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सभी अपराधी आतंकवादी है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि :

"प्रत्येक आतंकवादी अपराधी हो सकता है किन्तु प्रत्येक अपराधी पर टाडा के कठोर उपबंधों को लागू करने के लिए ही आतंकवादी का लेबल नहीं लगाया जा सकता"

5.8 आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 1987 के दुरूपयोग के बारे में न्यायालय के दूरदर्शितापूर्ण और अहतियाती शब्दों पर आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 को कार्यान्वित करते समय ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि आतंकवादी और अपराधी के बीच का अंतर बहुत धुंधला है और अधिनियम को मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग में लाया गया है अथवा इसके कठोर उपबंधो को तभी लागू किया गया है जब साधारण न्यायालय और सामान्य दंडात्मक कानून पर्याप्त नहीं है।

5.9 आयोग ने अपनी ओर से आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन पर पूरी नजर रखी है।

ख) बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, 1929

5.10 देश के कुछ भागों विशेष रूप से राजस्थान और छतीसगढ़ में बाल विवाह की समस्या आयोग के लिए चिंता का कारण रही है। वर्ष 2001–2002 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि उसने अपनी सदस्या न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी0 मनोहर को बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 1929 का अध्ययन करने और अपनी टिप्पणियाँ देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी0 मनोहर ने बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए और अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनेक विशिष्ट सुझाव दिए हैं। उनके विचारों पर जो आयोग की पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में संक्षेप में दिया गया है, 6 फरवरी 2002 को हुई आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा की गईं, जिसमें अन्यों के साथ–साथ महिला और बाल विकास विभाग के सचिव भी उपस्थित थे। इस बैठक में न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी0 मनोहर द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर मामूली परिवर्तन के साथ सहमति बनी। इन संशोधनों को वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध 5 में देखा जा सकता है। इसके बाद इन प्रस्तावों को 3 मई 2002 को संवैधानिक आयोग की बैठक में रखा गया जिस पर आयोग के "पदेन सदस्यों" को प्रस्तावों के अनुमोदन के समक्ष आमंत्रित किया गया।

5.11 मसौदा बाल विवाह प्रतिरोध विधेयक 2002 की संवैधानिक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के संबंधित सचिवों तथा सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को सूचना, विचार और समुचित कार्रवाई के लिए भेजी गई। मसौदा विधेयक की प्रति सचिव, गृह मंत्रालय और सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को भी सूचनार्थ भेजी गई।

5.12 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और दादरा और नागर हवेली की राज्य सरकारों ने आयोग के प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सहमति भेज दी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनकी आयोग जाँच कर रहा है। इस विषय पर आयोग को उत्तर भेजने के लिए अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को स्मरण पत्र भेजे गए हैं।

ग) घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002

5.13 महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के परामर्श

से तैयार घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002 का मसौदा 8 मार्च 2002 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विधेयक को जाँच और परिवर्तन यदि कोई हों के बारे में सुझाव देने के लिए इस मसौदा विधेयक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, महिला और बाल विकास विभाग ने मसौदा विधेयक की एक प्रति, स्थायी समिति की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी टिप्पणी के लिए आयोग को भेजी।

5.14 मसौदा विधेयक के उपबंधों और स्थायी समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट की आयोग ने ध्यानपूर्वक जाँच की और अपने विस्तृत सुझाव 30 जनवरी 2003 को महिला और बाल विकास विभाग को भेज दिए जिन्हें इस रिपोर्ट के अनुबंध 5 पर देखा जा सकता है।

घ) संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों का कार्यान्वयन

1) बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन का प्रोटोकॉल

5.15 वर्ष 2000–2001 की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि भारत सरकार, बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृति और बाल अश्लीलता और सशस्त्र झगड़ों में बच्चों की अंतर्गस्तता से संबंधित बाल अधिकारों संबंधी कन्वेंशन के स्वचयनक प्रोटोकॉल 1 और 2 की जाँच करे और इसमें पक्षकार बने। 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन बताता है कि महिला और बाल विकास विभाग इस समय स्वचयनक प्रोटोकॉल 1 और 2 पर हस्ताक्षर करने से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहा है और विदेश मंत्राालय के विचारों को महिला और बाल विकास विभाग को भेज दिया गया है। आयोग भारत सरकार से इन प्रोटोकॉलों की जाँच शीघ्रता से पूरी करने और आयोग द्वारा अनुशासित तर्ज पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता है।

2) 1949 के जेनेवा कन्वेंशनों का 1977 प्रोटोकॉल

5.16 आयोग ने 1949 के जेनेवा कन्वेंशनों के 1977 प्रोटोकॉलों की जाँच करने और अपनी टिप्पणी देने के लिए भारत सरकार से कहा था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय ने आयोग को

सूचित किया कि अतिरिक्त प्रोटोकॉलों की गहन जाँच की जा रही है और इस जाँच के पूरा होने के बाद इस विषय पर आयोग से बात की जाएगी। आयोग भारत सरकार से 1977 प्रोटोकॉलों की जाँच शीघ्र पूरी करने और आयोग को अपनी टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध करता है।

3) यातना के विरुद्ध कन्वेंशन

5.17 आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 1997 को यातना के विरुद्ध कन्वेशन पर हस्ताक्षर किए। तथापि 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इस कन्वेंशन की पुष्टी नहीं हो पाई है इस विलंब से देश में तथा प्रमुख बाह्य मंचों पर संधि निकायों सहित गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें गंभीर अपराधों के लिए वांछित अपराधियों के प्रत्यार्पण के लिए देश की कानून प्रवर्तन अभिकरणों की क्षमता पर बुरा प्रभाव डाला है।

5.18 आयोग ने नोट किया है कि वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के अनुसार विदेश मंत्रालय के विचार अब प्रारूपित कर लिए गए हैं और अन्य बातों के साथ–साथ संबंधित सरकारी अधिकारियों और संस्थानों से चर्चा की जा रही है जिसमें विधायन लाने की आवश्यकता भी शामिल है।

5.19 आयोग दोहराना चाहेगा कि आयोग के विचार में कन्वेंशन की पुष्टी काफी लम्बे समय से लंबित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है संविधान का अनुच्छेद 21 इस क्षेत्र को कारगर ढंग से कवर करता है। इसके अतिरिक्त यातना के विरुद्ध अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसलिए, यह विलम्ब देश के लिए अपमानजनक है और मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के रूचि लेने वालों के लिए समझ से परे है। यह सरकार की इच्छा पर अनावश्यक लांछन लगाता है जो वास्तव में उचित नहीं हैं।

4. शरणार्थियों के दर्जे के बारे में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल

5.20 आयोग ने देश के समक्ष शरणार्थियों की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय विधायन की आवश्यकता और वास्तविक शरणार्थियों को आर्थिक प्रवासियों, अवैध रूप से देश आने वालों और अन्य विदेशियों में अन्तर करने पर जोर दिया है। आयोग ने आशा व्यक्त की है कि इस बारे में केन्द्र

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निश्चित समयावधि में पूरी कर ली जाएगी और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा इस विषय पर प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप होगी। आशा है कि यह विशेष रूप से शरणार्थियों के दर्जे से संबंधित 1951 के कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल के अनुरूप भी होगी।

5.21 आयोग की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन में भारत सरकार ने संकेत दिया है कि 1951 के कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दों की शरणार्थियों संबंधी राष्ट्रीय विधायन के मसौदे के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जाँच की जा रही है। यह बात आयोग को पिछले वर्ष बताई गई बात से अलग नहीं है। आयोग का विचार रहा है कि भारत सरकार इस मामले को अधिक प्राथमिकता दे क्योंकि शरणार्थियों के बारे में विद्यमान कानून, विनियमन और प्रथाएं मौजूदा समय में अपर्याप्त हैं तथा भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं। आयोग द्वारा अनुशंसित गुणवत्ता और विषयवस्तु वाले समुचित राष्ट्रीय विधायन का अभाव संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यक्रम की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार पर आई जिम्मेवारियों के साथ मेल नहीं खाता।

ङ) निशक्तता से प्रभावित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995

5.22 गत दशक में भारत ने निशक्तता वाले अपने नागरिकों के लिए व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए कार्य किया है। चार महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं जिनके शीर्षक नीचे पैराग्राफ 5.23 में दिए गए हैं। इन अधिनियमों का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना, सहभागिता बढ़ाना, भेदभाव की समस्या से निपटना और सबसे महत्वपूर्ण बात निशक्तता सहित व्यक्तियों को सभी मूल और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना हैं। इन कानूनों का अधिनियम निशक्तता संबंधित मुद्दों की अवधारणा में परिवर्तन भी लाया है तथा अब सोच बदलकर दान पर आधारित से हटकर अधिकार की अवधारणा पर आधारित हो गई है।

5.23 वर्ष के दौरान विशेष संपर्ककर्ता (निशक्तता) सुश्री अनुराधा मोहित की सहायता से आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारत की पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992, निशक्तता सहित

व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 तथा आटिण्म, मानसिक अधरंग, मानसिक अल्पज्ञता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और बहुपक्षीय निशक्तता अधिनियम, 1999 नामक इन अधिनियमों की कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन की समीक्षा की।

5.24 समीक्षा ने दर्शाया की इन अधिनियमों के धीमे और असमान कार्यान्वयन से निशक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों में असंतुष्टी बढ़ी है। जानकारी ने कुछ सामान्य तथ्यों को भी उजागर किया है जिनके कारण राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इन कानूनों का कार्यान्वयन अवरोधित हुआ है।

5.25 इस संबंध में ममता कुमारी बनाम बिहार और उड़ीसा राज्य मामले में पटना उच्च न्यायालय के 22 अक्टूबर 2002 को दिए गए आदेश को पुनः स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया था कि:

> "सरकार और लोग मौटे तौर पर निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और निशक्तता सहित व्यक्ति अधिनियम 1995 को कार्यान्वित करने में इच्छा की कमी निशक्त व्यक्तियों के लिए योजना बनाने में राज्य सरकारों की ओर से निष्क्रियता के रूप में देखा जा सकता है।"

5.26 इस आदेश में न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की कि निशक्तता अधिनियम के अंतर्गत अभिकल्पित योजनाओं के लिए आंबटित निधियां न तो पूरी तरह से वचनबद्ध है और न ही उनका पूरा उपयोग किया गया है। न्यायालय ने इसके बाद इस मामले को समुचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेज दिया।

5.27 इस आदेश के अनुसरण में आयोग ने निशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए योजनाओं को प्रारंभ करने से जुड़े कानून के अंतर्गत सभी उपबंधों को 5 प्रमुख शीर्षो अर्थात् विकलांगता, शिक्षा, रोजगार, सकारात्मक कार्रवाई और गैर भेदभाव का शीघ्र पता लगाने और उसके निवारण के अंतर्गत समूहबद्ध करके संकलित किया। आयोग इनके कार्यान्वयन में आई कमियों की जाँच करने और जहाँ आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से इन शीर्षो के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों से विस्तृत सूचना एकत्र करने का प्रस्ताव करता है।

5.28 इसी दौरान आयोग ने 27 दिसम्बर 2002 को भेजे अपने पत्र (देखें अनुबंध 6) के माध्यम से राज्य सरकारों को यह कहते हुए विस्तृत दिशा निदेश जारी किए हैं कि वे अपनी राज्य नीति

तैयार करने के लिए कार्यबल गठित करें और निशक्त व्यक्तियों के बारे में राज्य की कार्य योजना तैयार करें। इन दिशा निदेशों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय VIII में दिया गया है।

च) नई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की ओर

5.29 दिसम्बर 2001 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने अपने संकल्प संख्या 56/168 में माना कि सरकारें, संयुक्त राष्ट्र निकाय और गैर–सरकारी संगठन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक जीवन में निशक्त व्यक्तियों के लिए पूर्ण और कारगर सहभागिता और अवसरों को बढ़ावा देने में सफल नहीं हुए हैं। "विश्व में 600 मिलियन विकलांग लोगों को हो रहे नुकसान" के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए महासभा ने "मानव अधिकार आयोग और सामाजिक विकास आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर व्यापक और समेकित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन" के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एक तदर्थ समिति स्थापित करने का आह्वान किया। तद्र्थ समिति ने तत्पश्चात् बैठक की ओर अपनी ओर से इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए अन्यों के साथ राष्ट्रीय संस्थानों को भी आमंत्रित किया।

5.30 इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थानों के एशिया–प्रशांत मंच की 7 वीं बैठक 11–13 नवंबर 2002 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में नई संभावित कन्वेंशन के विकास में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के निमंत्रण का सकारात्मक उत्तर देने के लिए मंच के सदस्य सहमत हुए। दिसम्बर 2002 में अपने संकल्प संख्या ए/आर ई एस/57/229, के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मामले में विचार करने में और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा करने के लिए जिसमें मानवाधिकार कन्वेंशन की संधि–निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रीय संस्थान शामिल हों, में राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी के लिए तदर्थ समिति के निमंत्रण को स्वीकार किया।

5.31 आयोग का पक्का विचार है कि वर्तमान संधि–तंत्र के अंतर्गत निशक्तता के बारे में सुगठित और एकीकृत मानव अधिकार सोच विकसित नहीं की जा सकती और मानव अधिकार ढांचे के भीतर निशक्तता के मुद्दे को दर्जा, प्राधिकरण और दृश्यता देने के लिए एक व्यापक कन्वेंशन अपेक्षित है। आयोग के विचार में एक व्यापक संधि से पक्षकार देशों को स्पष्ट रूप से अपनी बाध्यताएं समझने में सहायता मिलेगी और देशों तथा सभ्य समाज दोनों को स्पष्ट ढंग से निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उन्हें पूरा करने का स्पष्ट उद्देश्य मिलेगा। इस विचार को लेकर आयोग ऐसे

सामयिक अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में सोचता रहा है जो सभी राज्यों को अपने राष्ट्रीय विधायन में मानव अधिकार मानकों के समावेशन सहित मानव अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत एक कर्त्तव्य के रूप में मान्यता दे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 51 (ग) के उपबंधों से दिशा निदेश लेता है, जो कहता है कि नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में राज्य "एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अतंरराष्ट्रीय कानून तथा संधि बाध्यताओं के लिए सम्मान" विकसित करने का प्रयास करेगा। तद्नुसार आयोग ने निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के लिए व्यापक कन्वेंशन हेतु समर्थन जुटाने के लिए सक्रियता से कार्य किया है। इसने भारत सरकार को संधि तैयार करने की प्रक्रिया में रचनात्मक और अग्रगामी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया है।

5.32 इस प्रकार जून, 2002 में संयुक्त राष्ट्र और मैक्सिको सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में, आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने सम्भावित कन्वेंशन से जुड़ी चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई। आयोग ने अक्टूबर, 2002 में यू एन इ ए सी ए जी द्वारा जापान में बुलाई गई अन्तर–सरकारी बैठक में ऐसी कन्वेंशन की आवश्यकता की वकालत भी की। आगे, समीक्षाधीन अवधि में, आयोग ने, नई कन्वेंशन के स्वरूप और तत्वों पर चर्चा करने और महासभा की तदर्थ समिति की भावी बैठकों में कारगर सहभागिता के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र कूल और एशिया–प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यशाला के लिए योजना आरंभ की।

छ) निशक्त व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता देने के बारे में 1993 के संयुक्त राष्ट्र मानक नियमों में वृद्धि करना

5.33 मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग ने संकल्प संख्या 2000/51 को पारित होने के बाद से निशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर देने संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानव नियम को "विकलांगों से संबंधित मानव अधिकार मानकों के अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल्यांकन यंत्र" के रूप में मान्यता दी। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि समानता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन अथवा निशक्त व्यक्तियों के साथ नकारात्मक भेदभाव संयुक्त राष्ट्र मानव नियमों के अनुरूप नहीं है और निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण है।

5.34 राज्यों के निष्पादन के मूल्यांकन और नीति प्रारूपण के लिए मानक नियमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के लिए अगस्त 2002 में नेपाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र की जटिलताओं पर केंद्रित नियम 1 से 4 तक का विश्लेषण प्रस्तुत किया।

5.35 आयोग अपने विशेष संपर्ककर्त्ता के माध्यम से सूचना की स्वतंत्रता ओर निःशक्त व्यक्तियों के संभार के अधिकार के बारे में यूनेस्को के सूचना प्रभाग को सूचना प्रदान करता रहा है। घरेलू स्तर पर जनवरी 2003 में आयोग ने शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को निःशक्त व्यक्तियों के लिए रूकावट विहिन आधारभूत संरचना तैयार करने हेतु सुगमता में रूकावट का पता लगाने, अनुसंधान क्षेत्रों का सुझाव देने, प्रसारण, दूर–संचार और परिवहन तन्त्र, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मौजूदा कानूनों, नीतियों और विनियमनों में संशोधन करने अथवा उनमें वृद्धि करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों, विभागों और निःशक्तता से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित एक सुयंक्त कार्यबल गठित करने के लिए आगे आने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य का अधिकार

अध्याय 6

क) स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन

6.1 आयोग का लगातार यह विचार रहा है कि संविधान में निहित मानवीय प्रतिष्ठा सहित जीवन का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुदृढ़ करने में सहायक होना चाहिए कि इस देश के लोग विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।

6.2 आयोग इनसे जुड़े मुद्दों की समझ को बढ़ाने और इस विचार को बढ़ावा देने की स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्रतिष्ठा के साथ जीवन के लिए अनिवार्य है, जोर देता रहा और आयोग ने 1998 में अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रोफेसर वी0 रामालिंगस्वामी, डॉ0 शांती घोष, डॉ0 प्रेमा रामाचन्द्रन, प्रोफेसर प्रवीण विसारिया, प्रोफेसर एन0 कोच्चूपिल्लई, प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी (संयोजक) और प्रोफेसर एल0एम0 नाथ सहित स्वास्थ्य संबंधी एक कोर सलाहकार समूह गठित किया। समूह से विशेष रूप से देश में स्वास्थ्य प्रदान करने वाले तंत्र में तत्रिक सुधारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने और मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में आयोग को सलाह और सहायता देने का अनुरोध किया गया था।

6.3 प्रोफेसर वी0 रामालिंगस्वामी के देहावसान के बाद आयोग ने डॉ0 एन0एच0 अंतिमा, निदेशक, समुदाय स्वास्थ्य में अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह का पुनर्गठन किया। उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त सुश्री रेखा शर्मा, मुख्य आहार विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डा0 एच0के0 सुदर्शन, अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी कृतिक बल, कर्नाटक सरकार ने समूह के सदस्यों के रूप में सहयोग दिया।

ख) स्वास्थ्य और मानव अधिकार

जन–स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बारे में क्षेत्रीय परामर्श समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6.4 4 जुलाई 2002 को आयोग ने "जन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों संबंधी परामर्श" की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 10–11 अप्रैल 2001 को आयोजित की गई थी। इसमें अन्यों के साथ डॉ0 आर. वी. वी. अय्यर, सचिव महिला और बाल विकास विभाग, श्री एस. के. नाईक, सचिव, स्वास्थ्य विभाग और डॉ0 एस.पी. अग्रवाल महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) ने भाग लिया।

6.5 बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सशक्त करना आवश्यक है और जहाँ तक आयोग का संबंध है इसका प्राथमिक ध्यान देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अभिकल्पित करने तथा उपलब्ध कराने में सुधार संबंधी प्रयासों पर होना चाहिए। तद्नुसार आयोग ने तय किया कि आयोग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के लिए रणनीति की समीक्षा करने हेतु संयुक्त रूप से राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करेंगे। इस परामर्श में केन्द्र तथा राज्य स्तर के सभी दावेदार शामिल होंगे। यह भी तय किया गया कि आयोग इसके बाद उन रणनीतियों को अपनाने के लिए निगरानी करेगा और उनके कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का नागरिकों का अधिकार समुचित रूप से संरक्षित हो। सुझाव दिया गया कि जन–स्वास्थ्य कानूनों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी हेतु मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनों को तेयार करने और उनको लागू करने के लिए राष्ट्रीय विधि विद्यालयों को सुदृढ़ करके और उनका विस्तार करके आधार प्रदान किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी ओर से जन–स्वास्थ्य कानून की परिधि में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क को सुदृढ़ करने और उसमें विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

6.6 बैठक में "स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता" और "आपातकालीन चिकित्सा देखभाल" से संबंधित सिफारिशों की विस्तार से समीक्षा की गई। आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास विभाग से अप्रैल 2001 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय परामर्श में की गई प्रत्येक सिफारिश पर अपनी लिखित टिप्पणियां और स्थिति रिपोर्टें प्रदान करने का अनुरोध किया। इस बैठक

से उभरे दो मुख्य कार्य बिंदु निम्नलिखित थे:

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के बारे में राष्ट्रीय परामर्श का आयोग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त आयोजन और
- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सेवाओं की समीक्षा और सुधार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भागीदारी से आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन।

ग) माताओं में एनीमिया और मानव अधिकार

6.7 स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में आयोग की मुख्य चिंता माताओं और बच्चों दोनों पर एनीमिया के दुष्प्रभाव रही हैं। इसलिए आयोग ने गर्भवती माताओं में लोहे धातु की व्यापक कमी के मुद्दे को उठाया है जिसके कारण न केवल शिशु और माताओं की मृत्यु दर बढ़ी है बल्कि जन्म के समय कम वजन से जुड़ी विकास संबंधी विकलांगता विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में देखने में आती है।

6.8 आयोग ने महिला और बाल विकास विभाग तथा यूनीसेफ के सहयोग से 26–27 अप्रैल 2000 को माताओं में एनीमिया विषय पर स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में ढांचागत सुधारों के लिए कार्ययोजना तेयार करने के उद्देश्य से किया था। इस कार्यशाला की सिफारिशों को समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया।

6.9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कार्यशाला के आयोजन के बाद प्राप्त रिपोर्ट दर्शाती है कि गर्भवती किशोर महिलाओं और स्कूल जाने की आयु से पूर्व के बच्चों में एनीमिया दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- देश में सभी जन–स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों को आयरन फोलिक गोलियों की आपूर्ति की जा रही हैं आयरन फोलिक गोलियों के वितरण और एनीमिया की रोकथाम के बारे में माताओं को शिक्षित करने में सहायता करने हेतु बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला)/ए एन एम और उप केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्य अर्ध–चिकित्सीय कार्यकर्ताओं और समेकित बाल विकास सेवाओं के अग्रगामी कार्यकर्त्ताओं की सहायता ली जा रही है।

- देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाओं में सुधार लाने के लिए 17 राज्यों में 1020 जन–स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन बाल–स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसा जन–स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति दो महीनों में एक बार किया जाएगा।
- सभी आयु समुहों द्वारा लोह भरपूर खाद्यों को नियमित रूप से लेने को बढ़ावा देने के लिए सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से पोषण शिक्षा दी गई। इनके अलावा लोहे का अवशोषण बढ़ाने (विटामिन सी से भरपूर भोजन) के लिए भोजन का उपभोग, चाय/कॉफी जो अवशोषण को रोकती हैं की कमी और लौह भरपूर फलों तथा सब्जियों को घर के बगीचे में उगाने पर भी जोर दिया गया। एनीमिया सहित महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचना और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित निचले स्तर की योजनाओं जैसे महिला स्वास्थ्य संघ स्कीम, जेड एस एस–आई ई सी स्कीम और संबंधित गैर–सरकारी संगठनों तथा स्व–सहायता समूहों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से दी गई।

6.10 भारतीय औषधि और होम्योपैथी पद्धति विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संकेत दिया है कि उसने प्राथमिक/स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर राष्ट्रीय आर सी एच कार्यक्रम में आयुर्वेद/सिद्ध पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए परिवार कल्याण विभाग से मिलकर एक प्रयोजक परियोजना हाथ में ली है। सरकार ने पांच राज्यों अर्थात् राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिलों में एक 30 मासिक संचालनात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रथम प्रारंभिक चरण के लिए अनुदान जारी कर दिया है। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सेवा देने वालों के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल, सेवा देने वालों के लिए पुस्तिका और आई ई सी सामग्री तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। प्रसूति पूर्व, प्रसूति पश्चात् और नव–प्रसूति देखभाल के लिए और नवजात शिशुओं तथा बच्चों की आम बीमारियों के लिए आयुर्वेद/सिद्ध पद्धति से उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट बताती है कि माताओं में एनीमिया प्रसूति पूर्व देखभाल के एक भाग के रूप में माना जा रहा है तथा एनीमिया के प्रतिरोधक और उपचारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

6.11 कार्यशाला ने माताओं में एनीमिया से संबंधित जानकारी देने के लिए साक्षरता अभियान की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। माताओं में एनीमिया के बारे में शिक्षा और जानकारी से जुड़ी चार सिफारिशें समुचित कार्रवाई हेतु प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई। उक्त विभाग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

अध्याय 7

7.1 जैसा कि पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है आयोग ने न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर से देह व्यापार से जुड़े मामलों सहित महिलाओं के मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का फोकल पॉइन्ट के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मुद्दों के बारे में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हुई।

क) महिलाओं और बच्चों का देह व्यापार

1) महिलाओं ओर बच्चों के देह व्यापार के बारे में कार्य अनुसंधान

7.2 गत वर्ष आयोग तथा यूनीसेफ ने संयुक्त रूप से भारत में महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार के बारे में कार्य अनुसंधान कार्यक्रम आंरभ किया। वर्ष 2002–2003 के दौरान इस प्रयोजना पर कार्य जारी रहा। समाज विज्ञान संस्थान नई दिल्ली इस अनुसंधान कार्यक्रम का शीर्षस्थ गैर–सरकारी संगठन समन्वयक है। समस्या के स्वरूप के कारण भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सेवाएं आयोग में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए ली गई है।

7.3 कार्य अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों और संरचना का विवरण वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। कार्य अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र,

उत्तर पूर्वी राज्यों, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रभावित जिलों से सूचना एकत्रित करने के लिए 11 अनुसंधान साझिदारों की पहचान की गई है। कार्य अनुसंधान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलूर और हैदराबाद महानगरों को कवर किया जाएगा क्योंकि ये मुख्य मांग क्षेत्र हैं।

7.4 कार्य अनुसंधान की विशेषता को ध्यान में रखते हुए देह व्यापार के शिकार विशेष रूप से वे जिन्हें इस से निकाल लिया गया है और जो अभी भी शोषण का शिकार हैं जैसे वेश्याएं, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, भिखारी आदि से सूचना एकत्र की जा रही है। इस सूचना के लिए स्त्रोत क्षेत्र बचाव गृह, वेश्यावृति के क्षेत्र, रेन बसेरे, किशोर अपराध गृह और ऐसे ही स्थान हैं। मानसिक गृहों और सुरक्षा गृहों में महिलाएँ और बच्चे विशेष रूप से यौन शोषण और अन्य शोषण के शिकार होते हैं। अनुसंधान में गुलामी, दासता, ऊंट दौड़ आदि जैसे उद्देश्यों के लिए देह व्यापार सहित देह व्यापार के अन्य पहलुओं की जाँच किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान में एच आई वी/एड्स के विशेष खतरे और देह व्यापार हेतु बच्चों की घटती आयु जैसे देह व्यापार के स्वास्थ्य आयाम की भी जाँच की जा रही है।

7.5 आरम्भ में महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार संबंधी राष्ट्र स्तर के कार्य अनुसंधान के लिए एक दिवसीय तकनीकी परामर्श का आयोजन 9 अक्टूबर 2001 को समाज विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में किया गया। यह परामर्श कार्य अनुसंधान के रीति विधान पर केन्द्रित था।

7.6 इसके बाद स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और अन्य दावेदारों को सम्मिलित करके स्थानीय मुद्दों का पता लगाने तथा देह व्यापार की समस्या के बारे में उन्हें सुग्राही बनाने और आयोग द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से देश के भिन्न–भिन्न भागों में 11 परामर्श बैठकें/कार्यशालाएं आयेाजित की गई हैं। इसका प्रतिउत्तर उत्कृष्ट रहा है। आयोग के नोडल अधिकारी ने देह व्यापार अपराधों के बारे में पुलिस में जागरूकता पैदा करने के लिए भिन्न–भिन्न राज्यों में अनेक पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम संबोधित किए है।

7.7 कार्य अनुसंधान का बहुमूल्य परिणाम देश के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करके देह व्यापार संबंधी नोडल अधिकारियों के नेटवर्क का सृजन रहा है। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा दो नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, एक पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है जो देह व्यापार के मामलों का अन्वेषण, पता लगाना, अभियोजन और निवारण को देखता है तथा दूसरा कल्याण अभिकरणों का प्रतिनिधि है जो पीड़ित तथा पीड़ित होने वालों के बचाव, पुनर्वास, पुर्नएकीकरण और आर्थिक/सामाजिक सशक्तिकरण को देखता है।

7.8 इन सभी नोडल अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 29 अक्टूबर 2002 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में नोडल अधिकारियों को जानकारी दी गई और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने की नींव रखी गई। इस सम्मेलन में आयोग द्वारा तैयार नोडल अधिकारियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा देते हुए सेवा शर्तों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। इन सेवा शर्तों को अब सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। यह नेटवर्क स्थाई किस्म का है जो देह व्यापार के सभी पहलुओं से निपटेगा और देह व्यापार करने वालों का पता लगाने, उन्हें गिरफ्तार करने तथा उन पर मुकदमा चलाने में सहायता करेगा तथा पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करेगा।

7.9 कार्य अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देह व्यापार से मुक्त कराई गई महिलाओं, देह व्यापार में लिप्त वेश्याओं, देह व्यापार करने वालों, वेश्यावृत्ति कोठों के मालिकों, मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों, पुलिस अधिकारियों, ग्राहकों और समाज से सूचना एकत्रित करने के लिए, 8 भिन्न–भिन्न प्रकार की साक्षात्कार अनुसूचियां तैयार की गई है। कार्य अनुसंधान में लगे सभी अनुसंधान भागीदारों को क्षेत्र में साक्षात्कार अनुसूचियों को भरने और क्षेत्र से संबद्ध आंकड़े प्राप्त करने के लिए अभिमुखिकरण प्रशिक्षण दिया गया है।

7.10 कार्य अनुसंधान की अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2003 तक पूरी किए जाने की आशा है।

7.11 कार्य अनुसंधान के माध्यम से आयोग एक प्रमाणित आंकड़ा आधार तैयार करने का प्रयास कर रहा है ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों को सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रक्रिया में यह देह व्यापार में अंतर्निहित गंभीर खतरों के प्रति जनता और विधि प्रवर्तक अभिकरणों को सुग्राही बनाने तथा इनकी रोकथाम की आवश्यकता का प्रस्ताव करता है। आयोग का प्रयास है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना का लाभ लेकर कानूनों और विधि प्रवर्तक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा देह व्यापार से जुड़े लोगों को दंड दिया जाए, मुक्ति अभियान चलाए जाएं और पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित हों और इस उद्देश्य के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी जाए।

2) महिलाओं और बच्चों का देह व्यापारः लिंग सुग्राहीकरण के लिए न्यायपालिका हेतु मैनुअल

7.12 वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि आयोग ने वाणिजयक यौन शोषण

के लिए महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार के बारे में न्यायपालिका के प्रयोग हेतु मैनुअल की संरचना और ब्यौरे तैयार करने के लिए समिति गठित की है। न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता में समिति की बैठक जिनमें महिला और बाल विकास विभाग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनिसेफ, यूनिफेम, अधिवक्ता समूह और संयुक्त महिला कार्यक्रम के प्रतिनिधि शामिल थे, ने सिफारिश की कि मैनुअल तैयार करने का कार्य नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन एल एस आई यू) बैंगलूर को सौंप दिया जाए।

7.13 तद्नुसार एन एल एस आई यू ने मैनुअल की मसौदा रूपरेखा तैयार कर ली थी और 15 अप्रैल 2002 को आयोग द्वारा बुलाई गई समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि एन एल एस आई यू इस मैनुअल को तैयार करते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने ध्यान में रखे :

- देह व्यापार से जुड़े मुद्दों के बारे में न्यायधीशों को सुग्राही बनाना;
- न्यायधीशों को इस बात के प्रति संवेदनशील बनाना कि किसी एक मामले में किसी पीड़ित को दिए गए न्यायिक निर्णय से क्या लाभ होगा और महिलाओं और बच्चों में कानून तथा उससे जुड़ी सेवाओं के प्रति विश्वास उत्पन्न हो;
- इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न संगठनों में पीड़ितों के अनुभवों का अध्ययन करना तथा आलोचनात्मक विश्लेषण करना;
- देह व्यापार से जुड़े मामलों में न्यायिक निर्णयों और कानून के रूपों का अध्ययन करना और आलोचनात्मक विश्लेषण करना ताकि निर्णय देने की प्रक्रिया ओर उसमें अंतरालों को प्रभावित करने वाले कारकों का गहन अध्ययन हो सके;
- उस विधि और ढंग का आलोचनात्मक अध्ययन करना जिसमें पीड़ित न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए न्यायाधीश के सामने पहुंच सके और न्यायाधीश के समक्ष अन्य मामलों से जुड़े निर्णयों में समानता देख सके (यह विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में रूप विशिष्ट होना चाहिए); और
- विभिन्न संस्थानों में पीड़ितों के अनुभवों का विश्लेषण करना।

7.14 इन उद्देश्यों के आलोक में यह तय किया गया कि मैनुअल का मसौदा बनाने के उद्देश्य से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश नामक 10 राज्यों से सूचना एकत्रित की जाएगी। इसके अलावा मैनुअल का मसौदा बनाने

के लिए प्रस्तावित रीति विधान द्वि–स्तरीय होगा:

- डाक प्रश्नावली के माध्यम से दस अभि–निर्धारित राज्यों में न्यायिक अधिकारियों से सूचना एकत्रित करना ताकि देह व्यापार से जुड़े मुद्दों के बारे में उनकी समझ का मूल्यांकन किया जा सके;
- दो दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित करना, एक दिन गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस के साथ और दूसरा दिन न्यायिक अधिकारियों और सरकारी वकीलों के साथ।

7.15 इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रीय परामर्श मैनुअल के तैयार होने के बाद इसके पूर्व परीक्षण के लिए भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यह निश्चय किया गया कि एन एस एस आई यू के परियोजना कर्मचारी वेश्याओं अथवा वेश्याओं के बच्चों अथवा बाल वेश्याओं, महिलाओं के लिए राज्य गृहों और बालिकाओं के लिए किशोर अपराध गृहों के काम काज से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों के साथ दौरा करेंगे ताकि देह व्यापार की समस्या वाले प्रत्येक राज्य में इस समस्या की गंभीरता का अध्ययन किया जा सके। इन दौरों के दौरान परियोजना कर्मचारी वकीलों और न्यायपालिका के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे ताकि उनके विचारों का भी पता लगाया जा सके।

7.16 इस रिपोर्ट को लिखते समय, एन एल एस आई यू ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा के संबंधित गैर–सरकारी संगठनों, पुलिस, सरकारी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों से राज्य स्तरीय परामर्श कर लिया था और तैयार की गई प्रश्नावली का प्रयोग करके इन राज्यों के न्यायिक अधिकारियों से सूचना एकत्रित कर ली थी। मसौदा मैनुअल की तैयारी का कार्य जारी है।

3) यौन पर्यटन और देह व्यापार रोकथाम के बारे में सुग्राहीकरण कार्यक्रम

7.17 आयोग ने महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (यूनीफेम) और महिला सामाजिक शिक्षा संस्थान मुंबई के सहयोग से 12 जनवरी 2003 को मुंबई में यौन पर्यटन और देह व्यापार निवारण संबंधी एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आयोग के कार्मिकों के अतिरिक्त प्रमुख प्रशासकों, नीति निर्धारकों, वकीलों, मानव अधिकार विशेषज्ञों, होटल और पर्यटन उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7.18 कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य यौन पर्यटन और देह व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में होटल और पर्यटन उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को सुग्राही बनाना था।

7.19 इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में दो मुख्य बातोंः 'यौन व्यापार के विधायी आयाम' और 'यौन व्यापार और पर्यटन से संबंध : दृष्टीकोण, समाधान और चुनौतियाँ' के बारे में विचार किया गया। भाग लेने वालों ने चिंता व्यक्त की कि यौन पर्यटन और देह व्यापार संगठित गतिविधियां हैं, जो हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों की कमजोरी का शोषण कर रही है। भाग लेने वालों ने सिफारिश की किः

- होटल, पर्यटन और संबंधित उद्योगों में महिलाओं और बालक, बालिकाओं के यौन शोषण को रोकने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए व्यापक समेकित सोच विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ यौन पर्यटन और देह व्यापार हेतु महिलाओं और बच्चों के शोषण में संलिप्त लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए रणनीति बनाने की भी आवश्यकता हैं इस तरीके से होटल और पर्यटन उद्योग में 'मांग की शून्य सहनशीलता' उत्पन्न की जा सकती है।
- 'सीटी बजाने वालों' को बढ़ावा देकर होटल और पर्यटन उद्योग में उल्लंघन करने वालों के प्रति सतर्कता वातावरण पैदा करने की आवश्यकता।
- यौन पर्यटन और देह व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में निम्नलिखित समूहों को जानकारी देना और प्रबंधन दर्शनशास्त्र में "व्यवहार में मानव अधिकार" लाने की आवश्यकता हैः
  - होटल और पर्यटन क्षेत्र में कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता;
  - होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े पत्रकार, सैर यात्रा आयोजक, वायु यात्रा आयोजक और अन्य संस्थान तथा कार्मिक; और
  - किशोर और युवा समूह।
- इसके अतिरिक्त यौन पर्यटन और देह व्यापार की रोकथाम के लिए निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैः
  - मसाज पार्लरस, एस्कॉर्ट सर्विसिज, पार्टी मेजबानों, सहायकों/साथियों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्र;
  - होटल और पर्यटन उद्योग में यौन पर्यटन और देह व्यापार की रोकथाम के लिए दिशा निदेश/पुस्तिका/मैनुअल तैयार/विकसित करना;
  - यौन पर्यटन और देह व्यापार के विधायी दुश्परिणामों के बारे में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को जानकारी देने हेतु पुस्तिकाओं और वायुयानों में वितरण हेतु सामग्री का विकास करना;
  - यौन पर्यटन और देह व्यापार के मुद्दे के बारे में जानकारी देने वाली सामग्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वीडियों द्वारा दिखाने की व्यवस्था करना; और

- आम जनता के लाभार्थ यौन पर्यटन और देह व्यापार की रोकथाम के मुद्दे के बारे में पोस्टर/होर्डिंग आदि जैसी भिन्न प्रकार की जागरूकता सामग्री का विकास और वितरण करना।

निम्नलिखित की भी आवश्यकता थी:

- होटल और पर्यटन उद्योग में महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कदमों के बारे में नई उपलब्धियों संबंधी सूचना के आदान–प्रदान हेतु नेटवर्क तैयार करना।
- यौन पर्यटन और देह व्यापार की रोकथाम के लिए विद्यमान कानूनों को और भी कड़े ढंग से लागू करना। जहाँ आवश्यक हो कानूनों में संशोधन अथवा सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए और विधि प्रवर्तक अभिकरणों को यौन पर्यटन और देह व्यापार के प्रति सुग्राही बनाया जाना चाहिए।
- यौन पर्यटन और देह व्यापार से मुक्त कराए गए पीड़ितों के लिए विद्यमान पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करना और उपलब्ध सेवाओं की गुणवक्ता को सुधारना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है,

- यौन पर्यटन और देह व्यापार की रोकथाम के लिए होटल मालिकों और सैर यात्रा आयोजकों के परिसंघों में आचार संहिता अपनाने के लिए होटल और पर्यटन उद्योग के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम बनाना।
- होटल और पर्यटन उद्योग के निष्पादन पर नजर रखने और यौन पर्यटन और देह व्यापार से निपटने के लिए कारगर रणनीति बनाने के उद्देश्य से निकट भविष्य में राज्यों के पर्यटन सचिवों की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता।
- भाग लेने वालों ने विचार व्यक्त किया कि यौन पर्यटन और देह व्यापार को रोकने और उसका पता लगाने के लिए और देश में यौन पर्यटकों तथा देह व्यापार करने वालों पर जहाँ उन्होंने अपराध किया है और/अथवा जिस देश से अपराधी संबंधित है, मुकदमा चलाने के लिए तैयार रणनीति का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कृतिक बल सृजित करने की आवश्यकता है।

7.20 15 जनवरी 2003 को आयोजित बैठक में आयोग ने एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम

के दौरान की गई उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार किया और अनुवर्ती कार्रवाई आंरभ करने का निर्णय लिया।

4) सीमा पार देह व्यापार से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल की संयुक्त परियोजना

7.21 7 नवंबर 2002 को आयोग ने भारत और नेपाल के बीच सीमापार देह व्यापार से मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त परियोजना तैयार करने की संभावना पर विचार करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल के एक दल से प्रारंभिक चर्चा की।

7.22 दोनों आयोगों का विचार था कि इस समस्या से निपटने के लिए उनके बीच संयुक्त व्यवस्था से अपने–अपने देशों में मानवाधिकारों के सरंक्षण और प्रवर्धन के लिए लाभकारी परिणाम होंगे इसलिए महसूस किया गया कि महिलाओं और बच्चों में देह व्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और प्रत्यार्पण के लिए दोनों आयोगों के बीच एक रणनीति विकसित होनी चाहिए। चूंकि पीड़ित को गवाह के रूप में पेश करना कठिन होता है, विशेष रूप से तब जब पीड़ित को उसके देश भेज दिया गया हो, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि पीड़ित हितैषी प्रक्रियाओं की योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे पीड़ितों का उत्पीड़न न हो।

7.23 विचारों के आदान–प्रदान के दौरान यह तय किया गया कि भारत और नेपाल के बीच सीमापार देह व्यापार से मुकाबला करने के लिए परस्पर सहयोगी कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए अपनी–अपनी सरकारों के चुने हुए अधिकारियों सहित एक छोटा समूह गठित किया जाएगा। समूह की सिफारिशें विचार और कार्यान्वयन के लिए दोनों सरकारों को भेजी जाएंगी।

7.24 यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का एक दल परस्पर सुविधाजनक तिथि को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल का दौरा करेगा जिसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल का दल भारत का दौरा करेगा।

5) सीमापार देह व्यापार की रोकथाम के लिए कदम

7.25 मानव सेवा संस्थान, "सेवा", जो गोरखपुर में स्थित गैर–सरकारी संगठन है और भारत नेपाल

सीमा पर महिलाओं और बच्चों के सीमापार से हो रहे देह व्यापार को रोकने में कार्यरत है, ने आयोग को यह सुझाव देते हुए लिखा कि सीमा पर देह व्यापार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

7.26 इस मामले पर आयोग ने विचार किया और तय किया कि महानिदेशक (अन्वेषण) इस मामले को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा नेपाल और बंग्लादेश सीमा से लगे अन्य संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ उठाएं।

7.27 इस निर्णय के अनुसरण में महानिदेशक (अन्वेषण) ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे मानव सेवा संस्थान "सेवा" को जब भी आवश्यक हो सीमा के पार से महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार को रोकने में सहायता करने के लिए सहयोग देने हेतु सभी सीमावर्ती जाँच चौकियों को अनुदेश दें। यह भी सुझाव दिया गया कि जब भी देह व्यापार में लिप्त कोई अपराधी गैर–सरकारी संगठन द्वारा पकड़ा जाता है और जाँच चौकी के प्रभारी पुलिस अधिकारी के समक्ष लाया जाता है तो समुचित वैधानिक कार्रवाई आंरभ की जाए। इसमें अपराधी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है यदि यह संज्ञेय अपराध हो। सभी तीनों पुलिस महानिदेशकों से यह अनुरोध भी किया गया कि वे इस बारे में की गई कार्रवाई से आयोग को सूचित करें।

7.28 इस रिपोर्ट को लिखते समय तक उत्तर प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग के सुझावों के अनुसार सरकार ने समुचित कार्रवाई की है। अन्य राज्यों के साथ मामले को उठाया जा रहा है।

ख) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटना

7.29 समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुकाबला करने के प्रयास जारी रखे।

7.30 अपनी गत वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने संकेत दिया था कि न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता में 1 मार्च 2001 को बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, आयोग

ने यह सिफारिश करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखा था कि "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े सभी मामलों में शिकायत समिति के निष्कर्षों को दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अंतिम माना जाना चाहिए क्योंकि इससे संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेने में आसानी होगी और पीड़ित बेकार के उत्पीड़न से बच जाएगी। इस प्रयोजन के लिए शिकायत समिति द्वारा की गई जाँच दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत की गई विभागीय जाँच ही माना जाना चाहिए।"

7.31 इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (वैधानिक कार्य विभाग) के परामर्श से आयोग को 15 जून 2001 को उत्तर भेजा कि जबकि शिकायत समिति को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत अभिकल्पित किया गया है, सी सी सी (सी सी ए) नियम, 1965 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए हैं जिनमें संवैधानिक शक्ति है, यह भी कहा गया कि इन नियमों का नियम 14 (2) व्यवस्था देता है कि जब भी अनुशासी प्राधिकारी का मत हो कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप में सच्चाई की जाँच करने के कारण हैं तो वह, इस नियम अथवा जन सेवक (जाँच) अधिनियम 1850 के उपबंधों के अंतर्गत स्वयं जाँच कर सकता है अथवा सच्चाई का पता लगाने के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। अनुशासी प्राधिकारी अथवा इसके द्वारा नियुक्त अन्य प्राधिकारी को इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने विशाखा मामले में कहा है कि नियोक्ता द्वारा संबद्ध सेवा नियमों के अनुसरण में समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए, इसलिए अनुशासनात्मक जाँच नियम 14 के अंतर्गत की जानी चाहिए। इस नियम में शिकायत समिति की नियुक्ति की अभिकल्पना नहीं है। शिकायत समिति के पास मामले में अपेक्षित आवश्यक विशेषज्ञता भी नहीं होती है और इसलिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाना उचित नहीं होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर पत्र में कहा गया कि शिकायत समिति सी सी एस (सी सी ए) नियम, 1965 के नियम 14 (2) की परिधि में जाँच प्राधिकरण नहीं मानी जा सकती।

7.32 उपर्युक्त के मद्देनजर आयोग ने श्री पी0 चिंदाबरम, वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के उच्चतम न्यायालय, से सलाह मांगी। उन्होंने मत व्यक्त किया कि सेवा नियमों में इस ढंग से संशोधन करने में कोई वैधानिक रूकावट नहीं है कि शिकायत समिति द्वारा की गई जाँच को विभागीय जाँच के रूप में मान लिया जाए। इसलिए इस मुद्दे को आयोग के अध्यक्ष द्वारा सी सी एस (सी सी ए) नियम, 1965 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री के साथ उठाया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी पत्र लिखा गया था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से आयोग को लिखे 20 सिंतबर 2002 के पत्र में एक बार फिर कहा है कि इस मामले में सी सी एस (सी सी ए) नियमों में संशोधन करने अथवा शिकायत समिति को जाँच प्राधिकारी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7.33 आयोग की आशंका को दूर करने के लिए कि शिकायत समिति की रिपोर्ट/सिफारिशों पर अनुशासी प्राधिकारी तत्परता से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह स्पष्ट करते हुए 12 दिसंबर 2002 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है कि शिकायतकर्त्ता/पीड़ित की यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत समिति के निष्कर्ष, सी सी एस (सी सी ए) नियम 1965 के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित सरकारी कर्मचारी (ओं) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए अनुशासी प्राधिकारी के लिए बाध्य होंगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को अभियुक्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभिक रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए।

7.34 सभी मंत्रालयों/विभागों से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे इन अनुदेशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाए और सुनिश्चित करें कि शिकायत समिति की रिपोर्ट पर बिना किसी विलंब के आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें।

7.35 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदान प्रदान के समानांतर तत्कालीन अध्यक्ष ने 26 जून 2002 को विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वे इस मामले में कार्रवाई करें और सी सी एस नियमों में उपयुक्त संशोधन करें ताकि सी सी एस नियमों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य हो सके और यह व्यवस्था हो कि इस समिति की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुशासी समिति का आधार होनी चाहिए।

7.36 इसके अतिरिक्त यह जाँच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों और मानदंडो का कार्यान्वयन वैधानिक लोगों द्वारा कैसे हो, 29 जुलाई 2002 को आयोग में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें बार के जाने माने सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से वैधानिक व्यवसाय में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए कारगर शिकायत ढांचा स्थापित करने और दिशा–निदेशों के बारे में जानकारी बढ़ाने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अन्य विभिन्न बार एसोसिएशनों और राज्यों की बार काउंसिलों को किस प्रकार शामिल किया जा सकता है, पर चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित बातों पर सहमति हुईः

- विशाका बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निदेशों और

मानदण्डों को वैधानिक व्यवसाय के लिए भी और शक्तिशाली ढंग से दोहराने की आवश्यकता है। यह सहमति हुई कि बार एसोसिएशनों के गैर–सांविधिक निकाय होने के कारण, इनमें विधि व्यवसाय और महिला शिकायतकर्त्ताओं के मामले में महिलाओं के यौन–उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए बिना किसी विलम्ब के शिकायत ढाँचा स्थापित किया जा सकता है।

- यह सहमति हुई कि बार कांउसिल ऑफ इंडिया को तद्नुसार एक उपयुक्त शिकायत ढाँचा स्थापित करना चाहिए। इससे न केवल, विशाका बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित दिशा–निदेशों और मानदण्डों के बारे में जानकारी फैलेगी बल्कि वैधानिक–बिरादरी में अनुशासन सुनिश्चित होगा।
- यह भी तय किया गया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि एक समुचित शिकायत ढांचे की व्यवस्था हो सके। तथापि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी0 चिदांबरम द्वारा दिए गए सुझाव पर तय किया गया कि जब तक अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते तब तक अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9 में निर्धारित उपबंध के अनुसरण में बार कांउसिल यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक अनुशासनात्मक समिति गठित कर सकती है और तद्नुसार विशाका निर्णय में उल्लिखित शिकायत ढांचे के अनुरूप एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता को समिति का अध्यक्ष बना सकती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9 के अंतर्गत अनुशासी समिति का गठन एक कारगर ढाँचा होगा क्योंकि इसमें अनुशासनात्मक जटिलताएं होंगी और यह उन लोगों के विरुद्ध एक निरोधक का कार्य करेगा जो किसी महिला का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करेगा।
- यह महसूस किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य राज्यों की विभिन्न बार कांउसिलों में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9 के अंतर्गत गठित की जाने वाली प्रस्तावित समिति अधिक कठोर होगी ताकि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
- यह तय किया गया कि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों में एक बार शिकायत ढांचा स्थापित होने के बाद आयोग शिकायत समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देने की पहल करेगा जो आयोग के उस सांविधिक कार्य के अनुरूप होगा जिसके अंतर्गत आयोग से मानव अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है।
- श्री राजू रामचन्द्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय और श्रीमती कामिनी जायसवाल,

अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय ने भी सवाल उठाया कि यदि विशाका दिशा निदेशों को पूर्णतया कार्यान्वित करना है तो न्यायपालिका को इस प्रक्रिया में सभी स्तरों पर शामिल करना होगा क्योंकि न्यायालय महिलाओं का कार्यस्थल है। श्री राजू रामचन्द्रन ने कहा कि वे इस विषय पर विचार करने के लिए आयोग को पत्र भेजेंगे।

7.37 तत्पश्चात् श्री रामचंद्रम ने 30 जुलाई 2002 को यह कहते हुए आयोग को पत्र लिखा कि "एक महिला वकील के लिए कार्यस्थल में अपने वरिष्ठ वकील का चेम्बर, बार पुस्तकालय, केन्टीन अथवा गलियारा ही नहीं बल्कि न्यायालय कक्ष भी शामिल है महिला वकीलों को कई बार महसूस हुआ है कि न्यायधीशों का व्यवहार भी उनके प्रति अनुचित होता रहा है।" तद्नुसार आयोग द्वारा निश्चय किया गया कि अध्यक्ष इस मामले में भारत के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखे। इसके बाद अध्यक्ष ने 15 नवम्बर 2002 को भारत के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा जिसकी प्रति अनुबंध 8 पर दी गई है।

ग) रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न

7.38 रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के उत्पीड़न का मुद्दा आयोग के लिए लगातार चिंता का विषय बना रहा है। अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थी जो यह जाँचने के लिए रेलवे बोर्ड को भेजी गई थी कि क्या उन सिफारिशों पर पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है।

7.39 आयोग की सिफारिशों के जवाब में रेलवे बोर्ड प्राधिकारियों ने अगस्त 2000 में आयोग को सूचित किया कि उनके द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैः

- रेलगाड़ियों के सभी मार्गों पर स्थानीय भाषाओं में प्राथमिकी फार्म उपलब्ध कराने के लिए मंडलीय रेवले को अनुदेश जारी किए गए।
- रेलवे बोर्ड द्वारा दिल्ली स्थित गैर–सरकारी संगठन जागोरी के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक चर्चा की गई ताकि डिब्बों में प्रदर्शित करने के लिए कुछ चित्र तैयार किए जा सके।
- रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित प्रचार सामग्री तैयार करने में सहायता के लिए जागोरी से परामर्श भी किया। जागोरी द्वारा यह सामग्री मिलने पर रेलवे बोर्ड प्रचार कार्रवाई आंरभ करेगा।

- रेलगाड़ियों पर और उन मार्गों/खंडो जहाँ से अधिकतम शिकायतें प्राप्त होती है, में इस बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए मंडलीय रेलवे को अनुदेश जारी किए गए। रेलवे सुरक्षा बल को भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्रवाई करने हेतु अनुदेश दिए गए।
- जागोरी के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई जिसमें उनसे यातायात और सुरक्षा विभाग के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए दो दिवसीय मॉडयूल तैयार करने का अनुरोध किया गया।
- गृह मंत्रालय ने, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति की सावधिक समीक्षा के लिए, रेलवे सुरक्षा बल/सरकारी रेलवे पुलिस और मण्डलीय रेलवे प्रशासन के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में लेकर राज्य स्तरीय समन्वयन समितियाँ गठित करने हेतु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भी सलाह दी।

घ) वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास

7.40 आयोग पिछले वर्षों से वृन्दावन क्षेत्र में रह रही विधवाओं सहित निराश्रित तथा उपेक्षित महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और उनके दर्जे में सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहा है। आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कुछ निर्णय सूचीबद्ध किए गए थे जो 23 अगस्त 2001 को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिए गए थे।

7.41 इस मामले के अनुसरण में, 3 अक्टूबर 2002 को न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी0 मनोहर द्वारा एक बार फिर बैठक बुलाई गई। बैठक में अन्यों के साथ आयोग के पूर्व सदस्य जिन्होंने 5–6 दिसम्बर 2001 को उत्तर प्रदेश में वृन्दावन का दौरा किया था और सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भाग लिया। इस बैठक में वृन्दावन में रह रही निराश्रित/उपेक्षित महिलाओं के कल्याण से संबंधित मुद्दे के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और निम्नलिखित निर्णय/सुझाव दिए गए हैः

क) आवास/रिहाइश

7.42 गत वर्ष आयोजित बैठक में तय किए गए निर्णयों के अनुसार अधिक महिलाओं को आवास प्रदान करने हेतु दो अतिरिक्त भवन किराए पर लिए गए थे; दोनों भवनों में अक्टूबर 2002 के अंत तक महिलाओं के आवासित हो जाने की संभावना थी।

7.43 सामूहिक रूप से रहने के लिए युवा तथा वृद्ध निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने की दृष्टि से 0.809 हेक्टेयर भूखण्ड वृन्दावन में 1000 महिलाओं को बसाने के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया था इस भूमि का कब्जा जिला प्रशासन मथुरा द्वारा शीघ्र ही लिया जाना था और जैसे ही राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग/हुडको आदि जैसे किसी अभिकरण को अभिनिर्धारित करती है। भवन निर्माण का कार्य आंरभ हो जाएगा।

ख) पेंशन

7.44 23 अगस्त 2001 को हुई चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने मौजूदा पेंशन को 125 रू0 से बढ़ाकर 250 रू0 प्रति माह करने का वचन दिया था। तथापि यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। विचार व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार को अन्य योजनाओं के अंतर्गत मथुरा जिले को आबंटित और उपलब्ध धनराशि से वृन्दावन की निराश्रित महिलाओं के लिए 250 रू0 प्रति माह पेंशन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी तय किया गया कि यह पेंशन किसी प्रकार की हेरा फेरी से बचने के लिए चेक के माध्यम से वितरित करनी चाहिए।

7.45 चूंकि वृन्दावन में रह रही अधिकांश निराश्रित महिलाएं पश्चिम बंगाल की हैं इसलिए आयोग ने पेंशन में वृद्धि करने का मुद्दा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी उठाया है। इस संबंध में आयोग को सूचित किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वृन्दावन में रह रही महिलाओं की देखभाल करने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस ट्रस्ट में केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होंगे तथा मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। इस ट्रस्ट के लिए आधारभूत कोष भारत सरकार तथा दोनों राज्य सरकारों के एक बार के अनुदान से सृजित किया जाएगा। इस मामले की आगे की जाँच आयोग द्वारा की जाएगी।

ग) स्वास्थ्य देखभाल

7.46 यह कहा गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महीने में दो बार वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों की सहायता से चिकित्सीय जाँच और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। दवाईयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है। एक महिला डॉक्टर महिलाओं की चिकित्सीय देखभाल/उपचार के लिए सप्ताह में दो बार आती है। इसके अतिरिक्त इन महिलाओं की हेल्पएज इंडिया और विभिन्न अन्य गैर–सरकारी संगठन स्वास्थ्य देखभाल कर रहे हैं।

7.47 आयोग ने जोर दिया कि जैसा गत वर्ष आयोजित बैठक के दौरान आश्वासन दिया गया था, राज्य सरकार को एक अथवा दो अतिरिक्त मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों की व्यवस्था करनी चाहिए।

घ) एल.पी.जी. कनेक्शन की व्यवस्था करना

7.48 खाना पकाने की सुरक्षित व्यवस्था करने की दृष्टि से 25 एल.पी.जी. सिलेण्डरों के साथ 20 गैस कनेक्शन सामूहिक रसोई के लिए प्रदान किए गए थे।

ङ.) आय सृजन

7.49 वृन्दावन में रह रही 3000 निराश्रित/उपेक्षित महिलाओं में से लगभग 1900 बहुत वृद्ध हैं जो कोई आय सृजक कार्य नहीं कर सकती। उनकी इच्छा थी कि वे पूजा पाठ करें और ठाकुर जी की सेवा करें। इस समय लगभग 165 महिलाओं को कपड़े सिलने, मोमबत्ती बनाने, अचार, पापड़ आदि बनाने के काम में लगाया गया है। 440 अन्यों को इन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया किन्तु इसके लिए वित्तीय सहायता और अपेक्षित उपकरणों की आवश्यकता थी। कुछ और महिलाएँ भी ऐसे कार्यों को करने की इच्छुक थी। तथापि यह महसूस किया गया कि ऐसी महिलाओं को अचार/पापड़ आदि बेचने के लिए कहने की बजाय उनमें से दक्ष महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनकी सेवाओं को सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में उपयोग में लाया जा सकता है और इस तरह से वे प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन जी सकती है।

च) सामाजिक सुरक्षा कार्ड

7.50 वृन्दावन में रह रही सभी निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी करने और इन कार्डों को जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के यहाँ पंजीकृत कराने पर विचार किया गया।

छ) दाह–संस्कार

7.51 यह कहा गया कि निराश्रित महिलाओं के दाह–संस्कार की लागत को पूरा करने के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किया गया है।

ज) जागरूकता कार्यक्रम/प्रचार

7.52 चूंकि वृन्दावन में रह रही अधिकांश निराश्रित महिलाएँ केवल बंगला बोल पाती थी और निरक्षर थी इसलिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी देना कठिन था। इसलिए यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार को मुद्रित जन संपर्क माध्यम की बजाय रेडियो/टी.वी./लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना चाहिए।

झ) जनसंख्या नीति – विकास और मानव अधिकारों के बारे में परिसंवाद

7.53 आयोग ने परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से नई दिल्ली में 9–10 जनवरी 2003 को जनसंख्या नीति विकास और मानव अधिकारों के बारे में दो दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया। इस दो दिवसीय परिसंवाद में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के प्रशासकों, नीति निर्माताओं, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस परिसंवाद का मुख्य उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रभावी जनसंख्या नीतियों के बारे में विकास तथा मानव अधिकारों के पहलू पर संवाद आरंभ करना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ढाँचे के बारे में विचार करना था।

7.54 इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिसंवाद ने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया: 'जनसंख्या नीति का विकास संवर्धन'; 'जनसंख्या नीति और वैधानिक प्रतिज्ञा पत्र'; 'जनसंख्या नीति और सामाजिक–वैधानिक पहलू'; दो बच्चों के मानदण्ड का प्रभाव'; और 'जनसंख्या नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण सोच'। परिसंवाद की मुख्य विशेषता जनसंख्या नीतियों के तैयार करने वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां थी।

7.55 परिसंवाद का उद्‌घाटन करते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री शत्रुघ्न सिंह ने देश की जनसंख्या नीति की रूपरेखा बताई और अन्य बातों के साथ–साथ कहा, "किसी नीति अथवा विधायन की वैधता ओर स्वीकृति उस नीति अथवा विधायन की मानवाधिकारों को संरक्षित अथवा परिवर्धित करने की भावना से जुड़ी होनी चाहिए। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक और परिवर्धनात्मक स्वरूप का है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य बिना किसी त्रुटि के व्यापक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।" उन्होंने यह भी कहा कि परिवार और कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों से 'जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मानव विकास में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।"

7.56 उन राज्यों की आलोचना करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना के विपरीत अपनी जनसंख्या नीतियाँ बनाई है, मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किसी व्यक्ति को न तो कोई प्रोत्साहन देती है और न ही कोई दंड की व्यवस्था करती है क्योंकि इससे सबसे अधिक गरीब आदमी मारा जाता है। कुछ राज्यों ने ऐसी नीतियाँ बनाई है जिनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्यों की भावना प्रतिबिंबित नहीं होती।

7.57 मंत्री महोदय ने महिलाओं के गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि यह महिला का अधिकार है कि वह निश्चय करे कि उसने कब और कितने बच्चों को जन्म देना है, सूचना और पूर्व सहमति का अधिकार तथा प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से चिकित्सीय जाँच का अधिकार भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

7.58 इस अवसर पर बोलते हुए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने संकेत दिया कि जनसंख्या नियंत्रण की दंडात्मक विधियाँ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का भाग नहीं है तथापि कुछ राज्य इस नीति से भटक गए हैं और उन्होंने सुविधाओं को वापस लेने और दंडित करने जैसे उपायों को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाया है। सुविधाओं को वापस लेना महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की संवैधानिक गांरटी का उल्लंघन है। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को सराहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को बिना किसी दंड व्यवस्था के कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने जनसंख्या नीति की अधिकार–आधारित पद्धति का आह्वान किया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी राज्य सरकारों से अपनी नीतियों की समीक्षा करने का आग्रह किया। जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप समान मानक आवश्यक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'लक्ष्य' की तरह 'साधन' भी महत्वपूर्ण होने चाहिए।

7.59 परिसंवाद के अंत में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीतियाँ और उनका कठोर कार्यान्वयन दंडात्मक पद्धति दर्शाता है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसी पद्धति से महिलाओं सहित विशेष रूप से समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए परिसंवाद यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को जनसंख्या नीति से ऐसे भेदभावपूर्ण और दंडात्मक उपायों को निकाल देना चाहिए।

7.60 आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा अन्यों जिन्होंने इस परिसंवाद में भाग लिया, द्वारा अभिव्यक्त विचारों की सराहना करता है। आयोग इस मामले पर ध्यानपूर्वक नजर रखने की

इच्छा रखता है ताकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नीतियों और कायक्रमों से महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों को पत्र लिखकर परिसंवाद में की गई सिफारिशों और घोषणाओं का अनुपालन करने के लिए कहा है। (अनुबंध 9 और 10)

7.61 कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, संघ शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, उत्तरांचल, बिहार और पंजाब सरकारों ने आयोग को लिखा है कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं लेकिन उनकी निश्चित रिपोर्टें इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक नहीं आई थी।

7.62 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिसंवाद के दौरान की गई सिफारिशें बहुत प्रगतिकारी हैं और वह स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्राथमिकता आधार पर इनकी जाँच करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार "स्त्री शक्ति" कार्यक्रम के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाएगी।

7.63 मुख्यमंत्री के निदेशों के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि दिल्ली में प्रसूति–पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम, 1994 का प्रवर्तन आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय परिसंवाद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की ओर एक कदम है। इस संदर्भ में इस अधिनियम के प्रति जानकारी देने और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों में इसके कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से 9 जिलों में 'समुचित प्राधिकारियों' की नियुक्ति लिंग निर्धारक परीक्षणों को निरूत्साहित करने की दिशा में प्रमुख उपलब्धि है।

7.64 दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आयोग को सूचित किया है कि दिल्ली जनसंख्या आयोग स्थापित किया जा रहा है और प्रस्तावित जनसंख्या आयोग की सेवा शर्तों में परिसंवाद में अपनाई गई सिफारिशों को मोटे तौर पर कवर किया गया है। प्रस्तावित जनसंख्या आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति द्वारा 2010 तक 14 राष्ट्रीय समाज जनांकिकी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति संबंधी मुख्य बातों पर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निदेश तैयार करेगा। इसके अलावा समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के मानवाधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली उत्पीड़न पद्धतियों को रोकने की दृष्टि से परिसंवाद की सिफारिशों की समुचित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय को भेज दिया गया है।

7.65 उत्तरांचल के मुख्यमंत्री ने आयोग को कहा है कि उत्तरांचल राज्य ने एक पावन पद्धति अपनाई है और समेकित स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति प्रारूपित की और इस नीति में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने पर विशेष जोर दिया गया है। नीति कहती है कि उत्तरांचल सरकार विशेष संचार पद्धतियों का प्रयोग करके लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए आग्रहकारी उपाय अपनाएगी दंडात्मक उपाय नहीं। इसके साथ–साथ लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले व्यवहार के ढंग पर नियंत्रण पाने के लिए विधायी उपाय भी किए जाएंगे। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति में परिसंवाद में की गई सिफारिशों और घोषणा को ध्यान में रखा गया है तथा राज्य सभी बातों में नैतिकता, खुलापन, जवाबदेही और सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के अपने तंत्र को सुचारू बनाएगा। मुख्यमंत्री, उत्तरांचल ने कहा कि क्योंकि स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है इसलिए "हम अब नीति के कार्यान्वयन के लिए संचालनात्मक योजना पर काम कर रहे हैं। आयोग द्वारा उठाई गई चिंताओं पर नीति को कार्यरूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।"

कमजोरों के अधिकार

अध्याय 8

क) बाल और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन

8.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी की समस्या आयोग के लिए प्रमुख चिंता बनी रही। आगामी पैराग्राफ में पहले मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाल मजदूरी की स्थिति का वर्णन किया जाएगा, उसके बाद इन राज्यों में बंधुआ मजदूरी की स्थिति और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के बारे में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया जाएगा।

1) बाल मजदूरीः मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रयास

8.2 डॉ0 न्यायमूर्ति के रामास्वामी, सदस्य ने मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान राज्यों में बाल मजदूरी की स्थिति और बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रवर्तन की समीक्षा की और श्री चमन लाल, आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने इनकी सहायता की। श्री चमन लाल ने उत्तर प्रदेश के कारपेट क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजना के संचालन और बालश्रम अधिनियम के प्रवर्तन पर नजर रखने के अतिरिक्त बिहार में बाल मजदूरी की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा से उभरे विशेष बिन्दु नीचे दर्शाए गए हैं।

मध्य प्रदेश

8.3 समीक्षा ने संकेत दिया कि 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या 9,57,000 है। दस जिलों (सभी जनजाति बहुल जिलें) में 5–14 वर्ष की आयु समुह में बच्चों की कुल जनसंख्या में कार्य करने वाले बच्चों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक था जो झबुआ में 25.5 प्रतिशत था। मध्य प्रदेश में बाल मजदूरी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र, बीड़ी निर्माण, ईंट भट्टा, पत्थर और सलेट खानों में है।

8.4 मध्य प्रदेश में एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में 1996–97 में उच्चतम न्यायालय के दिशा निदेशों के अनुसरण में बाल मजदूरी सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें 8739 बच्चे खतरनाक धंधों में और 3056 बच्चे गैर–खतरनाक धंधों में कार्यरत पाए गए। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि दमोह, रायसेन, सागर, टीकमढ़, जबलपुर और रेवा नामक जिले सबसे अधिक बाल मजदूरी वाले जिले हैं। खतरनाक धंधों में लगे सभी 8739 बाल मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। उनमें से केवल 6663 बच्चों को विद्यालयों में दाखिल कराया गया है। 3033 नोटिस, 3854 नियोक्ताओं के विरुद्ध जारी किए गए और उनसे 20,000 प्रति बाल मजदूर की दर से मुआवजे की वसूली करने की बात कही गई। तथापि 1537 नियोक्ताओं ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया। इसलिए इंदौर, धार, सागर, सिओनी और मंदसौर नामक छः जिलों से 16,93,00,000 रुपए की कुल वसूली में से केवल 1,45,000 रुपए की ही वसूली हो पाई।

8.5 श्रम विभाग 1997 के सर्वेक्षण के बाद से बाल मजदूरी के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण करता रहा है किन्तु फरवरी 2002 के अंत तक केवल 73 बच्चों को खतरनाक धंधों में कार्यरत पाया गया है। 3649 आपराधिक मामले सर्वेक्षण के बाद बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए है तथापि अब तक न्यायालयेां द्वारा 289 मामलों में निर्णय दिया गया है और 286 मामलों में बरी कर दिया गया है।

8.6 मंदसौर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। ग्वालियर और उज्जैन में 40 विद्यालय हैं जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 50 छात्रों की क्षमता है। तथापि मंदसौर जिसमें आरंभ में 40 विद्यालयों को संस्वीकृति दी गई थी, 488 छात्रों की कुल संख्या के साथ केवल 4 विद्यालय चल रहे हैं।

8.7 महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को बालश्रम उन्मूलन परियोजना और भारत सरकार–संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के लिए चुना गया है। परियोजना में बाल

मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में 12 खतरनाक क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में बाल मजदूरों की बड़ी संख्या बीड़ी निर्माण में लगी है। यह 12 क्षेत्रों में से एक है। मध्य प्रदेश में यह योजना जबलपुर, सागर, दमोह, सतना और रायसेन जिलों में कार्यान्वित की जाएगी।

8.8 मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात बाल मजदूरी के उन्मूलन में पंचायती राज निकायों का बढ़ता हुआ योगदान है। बालश्रम अधिनियम के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से राज्य सरकार ने विभिन्न पंचायती राज निकायों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की शक्तियां प्रदान की है। राज्य में गठित जिला योजना समितियों को बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ की गई कार्रवाई पर नजर रखने और उसकी समीक्षा करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

झारखंड

8.9 समीक्षा से पता चला कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत 1996 में आयोजित सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप खतरनाक व्यवसायों में 3570 बच्चे और गैर–खतरनाक व्यवसायों में 6375 बच्चे कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा रिट् याचिका संख्या 465/86, एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी। दोषी नियोक्ताओं से 20,000 रुपए प्रति बाल मजदूर का जुर्माना वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई मुकदमा चलाया गया। बाल मजदूरी का पता लगाने और बालश्रम अधिनियम के प्रवर्तन के लिए 1997 के बाद कोई अभियान नहीं चलाया गया है यद्यपि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन जारी है।

8.10 पश्चिमी सिंह भूम, पकूर, गड़वा, दुमका और साहिबगंज नामक झारखंड के 5 जिलों को राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के कुल 144 विद्यालय 5700 बच्चों को तीव्र प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे।

राजस्थान

8.11 बाल मजदूरी की स्थिति की समीक्षा से संकेत मिला की 10 दिसम्बर 1996 को उच्चतम

न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 3026 बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत पाए गए। जिनमें से केवल 2504 बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़ाया गया और 2070 को विद्यालयों में दाखिल किया गया। 1997 के सर्वेक्षण के बाद बाल मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए कोई सावधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। सितम्बर 2000 में आई एल ओ आई पी ई सी कार्रवाई कार्यक्रम आरंभ करने के लिए जयपुर में सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण से 5–7, 8–12 और 13–16 वर्ष की आयु समूह में 9673 कार्यरत बच्चों का पता लगा। सर्वेक्षण की अनुवर्ती कार्रवाई से आयोग को अवगत नहीं कराया गया। तथापि कहा गया कि बाल मजदूरों का पता लगाने के लिए जनवरी 2002 में नया सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। रिपोर्ट मई 2002 के अंत तक आयोग को भेजी जानी थी किंतु 31 मार्च 2003 तक भी प्राप्त नहीं हुई। दोषी नियोक्ताओं से 20,000 रुपए प्रति मजदूर की दर से जुर्माने की वसूली में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। 2701 मामलों में जारी वसूली प्रमाण पत्रों की तुलना में समीक्षा की तारीख तक केवल 60,000 रुपए की राशि वसूली गई है। अभियोजन को पहले की तरह नजर अंदाज किया जा रहा है।

8.12 जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर और टोंक नामक राजस्थान के 6 जिलों को राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 59 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा 50 छात्र प्रति स्कूल की क्षमता के साथ 180 राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना विद्यालय चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना विद्यालयों में दोपहर का भोजन कार्यक्रम चलाया गया हैं इन विद्यालयों में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क दवाईयां दी जा रही हैं।

बिहार

8.13 श्री चमन लाल, विशेष सम्पर्ककर्ता ने 21 अक्टूबर 2002 को बोंटिहा, पश्चिमी चम्पारन में समीक्षा की बिहार राज्य उत्तर प्रदेश में कारपेट क्षेत्र के लिए प्रवासी बाल/बंधुआ मजदूर मुहैया कराता है। अरारिया, खगारिया, सहरसा, सुपोल, दरभंगा, कटिहार ओर मधुबनी जिलों के अनेक बच्चों को इलाहाबाद, भदोई, मिर्जापुर के लापरवाह नियोक्ताओं की कैद से मुक्त कराया गया है।

8.14 कुल 21,281 बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत पाए गए। ऐसा उच्चतम न्यायालय के राज्यवार सर्वेक्षण कराने के आदेश के फलस्वरूप हुआ। केवल 14,363 (60 प्रतिशत) बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया और 11,265 बच्चों को औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों में दाखिल कराया गया। यद्यपि दोषी नियोक्ताओं से प्रति बालश्रम 20,000 रुपए की वसूली के लिए 2853 नेटिस जारी किए गए, केवल 80,000 रुपए की वास्तविक वसूली हो पाई। 1997 में किए गए सर्वेक्षण के बाद बाल मजदूरों का पता लगाने के लिए कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया।

8.15 राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाएं जमोही, सहरसा और नालन्दा जिलों में संचालित हैं। सहरसा में 50 छात्रों की प्रति विद्यालय क्षमता के साथ 40 विद्यालय, जमोही में 100 छात्रों की क्षमता वाले 20 विद्यालय और नालन्दा में 100 छात्रों की क्षमता वाले 25 विद्यालय सहित कुल 85 विद्यालयों की संस्वीकृति दी गई। कुल 6382 बच्चे अनुपूरक पोषण सहित त्वरित प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और इन विद्यालयों में 100 रुपए प्रति बच्चा की छात्रवृत्ति दी जा रही थी।

उत्तर प्रदेश

8.16 विशेष सर्म्पककर्ता ने कारपेट क्षेत्र में बाल मजदूरी की स्थिति से जुड़ी घटनाओं की समीक्षा के लिए 3–5 जून 2002 को कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद का दौरा किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 11–15 मार्च 2003 को एक बार फिर कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, भदोई और वाराणसी का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट में राज्य में वृहत स्थिति को निम्नलिखित ढंग से दर्शाया गया।

8.17 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 की अवधि के दौरान 448 बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बताया गया और 1159 को गैर–खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बताया गया। इनमें वाराणसी, जौनपुर, गौतमबुद्धनगर (भदोई), मिर्जापुर, सोनभद्रा और इलाहाबाद जिलों के कारपेट क्षेत्र में क्रमशः 180 और 214 बच्चे कार्यरत पता लगाए गए। इसके साथ 1996–97 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण कराने के आदेश के बाद से खतरनाक व्यवसायों में लगे मुक्त कराए गए बच्चों की संख्या 28862 है। जहाँ तक गैर–खतरनाक व्यवसायों का संबंध है, इस अवधि के दौरान इनमें 32973 बच्चे काम कर रहे थे। बालश्रम में लगे कुल 61835 बच्चों में से 53141 (85.9 प्रतिशत) बच्चों को विद्यालयों में दाखिल कराया गया। इनमें कारपेट क्षेत्र के जिलों के 10,600 बच्चे शामिल हैं। इससे मुक्त कराए गए बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास की संतोषजनक तस्वीर सामने आती है।

8.18 दोषी नियोक्ताओं से प्रति बाल मजदूर 20,000 रुपए की दर से 30,52,83,000 रुपए की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए। अनेक आदेशों में न्यायालयों ने स्क्षमनादेश दे दिया है। इन परिस्थितियों में आयोग उत्तर प्रदेश में वास्तव में वसूली गई 89,52,792 रुपए की राशि उल्लेखनीय मानता हैं इसमें कारपेट क्षेत्र के जिलों से वसूली गई 16,13,569 रुपए की राशि शामिल है।

8.19 बच्चों के कुल 23,382 प्रभावित परिवारों को उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में पुनः बसाया गया है। उनमें से 4594 (90.7 प्रतिशत) को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राहत दी गई थी। आयोग को सूचित किया गया है कि 6753 परिवारों के पास रोजगार के कुछ साधन थे। 4250 परिवार किसी प्रकार की सहायता लेने के लिए आगे नहीं आए और 5202 प्रवासी

परिवार अपने मूल स्थानों को लोट गए। आयोग इसे अंकित मूल्य पर स्वीकार करने में मुश्किल मानता है। अभी भी 2583 परिवार बचते हैं जिनका पुनर्वास किया जाना है। कारपेट क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की संख्या 7502 थी जिनमें से आयोग की निगरानी के कारण 1775 परिवारों का पुनर्वास किया जा सका।

8.20 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में संचालित है जिनमें वाराणासी, भदोई और इलाहाबाद कारपेट क्षेत्र के जिले हैं। भदोई और मिर्जापुर के लिए प्रत्येक में 20 विद्यालयों सहित कुल 470 विद्यालय मंजूर किए गए। इनमें वाराणसी और इलाहाबाद में 40–40 विद्यालय शामिल हैं। इस समय 462 विद्यालय चल रहे हैं। फिरोजाबाद के 5 और मिर्जापुर के 3 विद्यालय अस्थाई रूप से बंद है। इन विद्यालयों में 26500 छात्रों की कुल क्षमता की तुलना में 24421 छात्र शिक्षा ले रहे हैं। 238 विद्यालय गैर–सरकारी संगठनों द्वारा और 224 विद्यालय परियोजना समितियों द्वारा चलाए जा रहे है। आयोग ने इन विद्यालयों को चलाने में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की सिफारिश की है। विशेष सम्पर्ककर्ता ने मिर्जापुर में परियोजना समिति की कार्य प्रणाली पर विपरीत टिप्पणी की है।

8.21 आरंभ से यह देखा जा सकता है कि बाल मजदूरी को समाप्त करने के प्रयास एक राज्य से दूसरे राज्य में गुणवत्ता और क्षमता की दृष्टि से भिन्न–भिन्न है। जबकि यह कहा जा सकता है कि आयोग की सतर्कता से कुछ मामलों में जानकारी बढ़ी है और उत्साहजनक परिणाम आए हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि सब प्रयासों के बावजूद और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बावजूद देश में बाल मजदूरी जारी है। अपनी पिछली रिपोर्ट में आयोग ने चिंता व्यक्त की थी कि इसके कई कारण है जिनमें बाल मजदूरी से जुड़े विद्यमान विधायन में अंतरनिहित कमियां शामिल हैं। चूंकि इस रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्र दर्शाए गए हैं जिनके बारे में आयोग महसूस करता है कि बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन करने की आवश्यकता है इसलिए उन सिफारिशों को इस रिपोर्ट में दोहराया नहीं जाएगा। आयोग का सबसे गहरा दुःख यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 39 (ड.), 39 (च) और 45 के साथ पठित अनुच्छेद 24 और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधियों, प्रमुख रूप से बच्चों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन, 1989 जिसमें भारत एक राज्य पक्षकार है, के उपबंधों की अनिवार्यता के बावजूद सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं।

8.22 चूंकि मौजूदा स्थिति असंतोषजनक है, आयोग अपनी यह सिफारिश दोहराता है कि भारत सरकार को बाल मजदूरी से जुड़े कानूनों को तेजी और स्पष्टता के साथ लिखने के लिए कार्य करना चाहिए और देश के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को निश्चित समय सीमा के भीतर

प्राप्त करने के लिए जैसा कि संविधान में वचन दिया गया है, राज्य सरकारों के समन्वय से निष्ठा से कार्य करना चाहिए।

2) बंधुआ मजदूरी: मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रयास

8.23 आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 नवंबर 1997 को, 1985 की रिट् याचिका (सिविल) सं0 3922 में पारित आदेश में किए गए अनुरोध के अनुसार बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन के प्रबोधन में तन्मयता से लगा रहा। आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया था कि संबंधित प्राधिकारी इस बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का तत्परता से अनुपालन करेंगे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान श्री चमन लाल की सहायता से डॉ0 न्यायमूर्ति के0 रामास्वामी, सदस्य ने 4–5 अप्रैल 2002 को अजमेर में हुई बैठक में राजस्थान में बंधुआ मजदूरी की स्थिति तथा 25–26 अप्रैल 2002 को भोपाल में हुई बैठक में मध्य प्रदेश और 22–23 जून 2002 को राँची में हुई बैठक में झारखंड में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की समीक्षा की। श्री चमन लाल ने 3–6 जून 2002 और 11–15 मार्च 2003 को उत्तर प्रदेश के कारपेट क्षेत्र जिलों का दौरा किया और राज्य में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 20–21 अक्टूबर 2002 को पश्चिमी चम्पारन की बेटिहा में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके बिहार में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की समीक्षा की।

8.24 मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में की गई समीक्षा से प्रकट हुई मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शाई गई हैः

मध्य प्रदेश

8.25 योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह ने बंधुआ मजदूरी की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 20 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। राज्य के कुल 45 जिलों में से 44 जिलों में सतर्कता समितियां गठित की गई है। यह सतर्कता समितियां राज्य के सभी 183 उपमण्डलों में अवस्थित हैं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 12825 बंधुआ मजदूरों को 1997 और 2002 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश में मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया गया है। इन मजदूरों में से 11,897 को 1,46,35,000 रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता से पुनर्वासित किया गया है। 328 बंधुआ मजदूरों को राज्य के 6 जिलों विदिशा, रायसेन, रतलाम, इंदौर, शहडोल, और सतना से मुक्त

कराया गया। इससे पूर्व फरवरी 2000 में बंधुआ मजदूरी विषय को श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इनमें से 160 प्रवासी मजदूर थे जिनमें से 17 उत्तर प्रदेश से और 143 छत्तीसगढ़ के थे और वे अपने मूल राज्य को वापस चले गए। इनके पुनर्वास के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई। रतलाम (मध्य प्रदेश) में दादरी (हरियाणा) से आए 7 मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों सहित शेष 168 बंधुआ मजदूरों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वासित किया जाना अपेक्षित था। आयोग को संतुष्टि है कि उनमें से 164 को पुनः बसा दिया गया है। शेष 11 में से 9 को एक–एक हजार रुपए का न्यूनतम अंतरिम अनुदान दिया गया किन्तु वे उसके बाद लापता सूचित किए गए। 1999–2000 में हरियाणा से रतलाम आए 7 व्यक्तियों में से 2 को उनके गायब होने से पूर्व कोई सहायता नहीं दी गई।

8.26 आयोग को सूचित किया गया कि संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट मुक्त कराए गए 11 मजदूरों का पता लगाने और उन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करते रहे। वर्ष 1999–2000 से बंधुआ मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत 328 बंधुआ मजदूरों के बारे में कुल 13 मामले पंजीकृत किए गए हैं।

झारखंड

8.27 झारखंड के 15 जिलों को बंधुआ मजदूरी के लिए अधिक संवेदनशील जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। समीक्षा के समय (22–23 जून 2002) तक कुल 22 जिलों में से केवल 12 में ही जिला स्तर की सतकर्ता समितियां गठित की गई हैं। कुल 33 उप–मंडलों में से केवल 15 में ही उप–मंडलीय सतकर्ता समितियां स्थापित हैं। समीक्षा के समय तक 22 जिलों में से केवल 8 जिलों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्ति प्रदान करने हेतु सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड में 5344 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया था, लेकिन ये सभी मामले बंधुआ मजदूरी अधिनियम को प्रख्यापित करने के समय अर्थात् 1976 के तत्काल बाद के है। उनमें से 5342 को पुनः बसाए जाने की सूचना दी गई। श्रम सचिव ने माना की गत 4–5 वर्षों में झारखंड के किसी जिले में बंधुआ मजदूरों का कोई पता नहीं चला है। 29 फरवरी 2002 को आयोग ने 1994–2001 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के कारपेट क्षेत्र के जिलों में मुक्त कराए गए झारखंड के 40 बंधुआ मजदूरों की सूची श्रम सचिव झारखंड को दी थी। श्रम सचिव ने कहा कि ऐसे 76 व्यक्तियों की एक और सूची साउथ एशियन कोपलेशन ऑन चाइलड सर्विच्यूड नामक गैर–सरकारी संगठन से प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि कुल 116 व्यक्तियों में से मुक्त कराए गए 76 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया तथा उनका पुनर्वास जारी है।

राजस्थान

8.28 सतर्कता समितियां राज्य के सभी 32 जिलों में जिला और उप मंडलीय स्तर पर गठित की गई थी और उनकी बैठकें नियमिति रूप से हो रही है। इनमें से 11 जिलों को बंधुआ मजदूरी वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने में ग्राम सभा, वार्ड सभा और पंचायतों के सदस्यों को शामिल किया गया है जैसा कि आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था वर्ष 2000–01 के अंत तक मुक्त कराए गए 100 बंधुआ मजदूरों को पुनः बसाना शेष था। इनमें से तीन की मृत्यु हो गई। 56 लापता बताए गए और केवल 40 को पुनः बसाया गया। एक मामला अभी भी लंबित है। 15 बंधुआ मजदूरों को जयपुर जिले के एक ईंट भट्टे में काम करने का पता चला और उन्हें 5 फरवरी 2002 को मुक्त करा लिया गया। राजस्थान सरकार को अनेक स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी उनके पुनर्वास की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

8.29 बंधुआ मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत समीक्षा की तारीख तक कुल 341 अभियोजन किए गए। 92 मामलों में दोष सिद्ध हुआ और 162 मामलों में रिहाई हुई। 57 मामले लंबित और 30 मामले निरस्त सूचित किए गए। आयोग ने गत समीक्षा के बाद से हुई प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। तथापि इस रिपोर्ट के आलोक में कि बंधुआ मजदूरी राजस्थान के कुछ भागों में विद्यमान है आयोग ने संकेत दिया कि बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने के लिए अभियान तेज करने की आवश्यकता है।

बिहार

8.30 20–21 अक्टूबर 2002 को बेटिहा पश्चिमी चम्पारन में समीक्षा बैठक की गई राज्य के 38 में से 26 जिलों को बंधुआ मजदूरी वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। यद्यपि श्रम आयुक्त ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों और 115 उपमंडलीय मुख्यालयों में सतकर्ता समितियां बनी हुई हैं। लेकिन वास्तविक पुष्टि केवल 11 राज्यों और 16 उप–मंडलों से ही हुई है। विशेष सम्पर्ककर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने राज्य को दिसम्बर 2002 के अंत तक यह पुष्टि करने का निदेश दिया कि सतकर्ता समितियां वास्तव में सभी जिलों और उपमंडलीय मुख्यालयों में गठित कर दी गई है। यह दुःख की बात है कि आयुक्त एवम् सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग से उनके दिनांक 6 जनवरी 2003 के पत्र द्वारा प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट पुष्टि करती है कि सतकर्ता समितियां केवल 11 जिलों और 20 उपमंडलीय मुख्यालयों में गठित की गई है।

8.31 झारखंड के बनने के बाद और बंधुआ मजदूरी प्रथा (निषेध) अधिनियम 1976 के प्रवर्तन से

बिहार में अब शामिल क्षेत्र में कुल 7995 बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया है। 31 मार्च 2002 तक उनमें से 7780 मजदूरों को पुनः बसाया जा चुका था। शेष में से 115 लापता बताए गए। 1986 के बाद राज्य में किसी बंधुआ मजदूर का पता नहीं लगाया गया। वर्ष 2001 में बिहार से बाहर (उत्तर प्रदेश और गुजरात) में 15 बच्चों सहित 37 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया जो अपने मूल जिलों को लौट गए। उन सभी को भारत सरकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत पुनः बसाया गया है। 2001–2002 में 50 प्रवासी बंधुआ मजदूर वापस आए जिनमें से 38 उत्तर प्रदेश और 12 दिल्ली में आए थे। उनका पुनर्वास किया जा रहा है। आयोग ने 1994–1999 की अवधि के दौरान मुक्त कराए गए बिहार के 143 प्रवासी मजदूरों की सूची सरकार को भेजी थी जिनका पुनर्वास आरंभ नहीं किया गया है। आयोग ने संतोष व्यक्त किया कि इस समूह के 114 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है। इनमें से छः का पुनर्वास हो चुका है। शेष 108 का पुनर्वास किया जा रहा है। 6 जनवरी 2003 की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट दर्शाती है 42 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य का हिस्सा संबंधित जिलों को जारी किया जा चुका है। वर्ष 2002–2003 में (30 सितम्बर 2002 तक), 272 बंधुआ मजदूरों का जिला बेटिहा में पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया तथा 2002–2003 में उत्तर प्रदेश में 22 प्रवासी मजदूरों को वापस लिया गया जिनका पुनर्वास किया जा रहा है।

8.32 समीक्षा के समय पर बंधुआ मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों के अभियोजन के बारे में कोई सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। 6 जनवरी 2003 की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट अस्पष्ट है और इसमें मामलों के निपटान, लंबन और सिद्धदोष दर से संबंधित कोई सार्थक सूचना नहीं है। मामलों के अभियोजन से जुड़े पहलुओं की अनदेखी की गई है।

8.33 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त 2000 में बिहार सहित बंधुआ मजदूरी वाले 13 राज्यों को जागरूकता पैदा करने के लिए 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया, चुने हुए 5 जिलों (3 वर्षों में पूरा करने के लिए) बंधुआ मजदूरी के बारे में सर्वेक्षण के लिए 10 लाख रुपए और 5 जिलों में प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 5 लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया गया। बिहार सरकार को यह अनुदान 2001–2002 में जारी किया गया था किन्तु धन राशि अभी तक अर्थात् समीक्षा की तारीख 21 अक्टूबर 2002 तक संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जैसा कि 6 जनवरी 2003 की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है, पटना, नालन्दा, नवादा, मुंगेर और पश्चिमी चम्पारन जिलों को केवल सर्वेक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

उत्तर प्रदेश

8.34 7 जुलाई 2001 को आयोजित की गई समीक्षा जिसका उल्लेख वर्ष 2001–2002 की आयोग

की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था, में दर्शाया गया कि 70 में से 57 जिलों और कुल 299 उपमंडलों में से 190 उपमंडलों में सतकर्ता समितियां विद्यमान थी। आयोग को संतुष्टि है कि कुल मिलाकर 70 जिलों और कुल 296 उपमंडलों में से 287 में सतकर्ता समितियां विद्यमान हैं (पहले उपमंडलों की संख्या गलती से 299 दर्शायी गई थी) 6 स्थानों पर उपमंडलीय समितियों के गठन का प्रस्ताव सरकार के अनुमोदनार्थ लंबित है। शेष 3 उपमंडलों के बारे में जिला मजिस्ट्रेटों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा हैं तथापि आयोग खेद के साथ कहता है कि अब तक राज्य में सतकर्ता समितियों ने कहीं भी किसी बंधुआ मजदूर का पता नहीं लगाया है। जब भी ऐसे मामलों का पता चलता है यह केवल गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल अथवा आयोग इस संबंध में प्राप्त याचिकाओं के उत्तर में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुआ है।

8.35 वर्ष 2002–2003 (31 जनवरी 2003 तक) 165 बंधुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराया गया। 1996–97 में उच्चतम न्यायालय के आदेश से कराए गए सर्वेक्षण के बाद से पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या 2225 है। इनमें से 1426 प्रवासी कामगार हैं। आयोग ने देखा है कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को कानून के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए अनिवार्य कार्रवाई किए बिना उनके मूल जिलों को भेज दिया जाता है। कई मामलों में मुक्ति आदेश भी जारी नहीं किए जाते हैं और मूल जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को कोई सूचना नहीं दी जाती है। आयोग के बार–बार हस्तक्षेप करने से मामले में सुधार हुआ है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय इस तथ्य से अवगत है कि प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास का कार्य किसी अभिकरण द्वारा कारगर ढंग से नहीं किया जा रहा है। आयोग अपनी सावधिक रिपोर्टों के माध्यम से इस मामले को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया है।

8.36 अब तक मुक्त कराए गए कुल 2225 बंधुआ मजदूरों में से 799 उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें उसी राज्य में पुनः बसाया जाना है। इनमें से 13 की मृत्यु हो चुकी है अथवा लापता है अथवा उन्होंने पुनर्वास के लिए सहायता लेने से इंकार कर दिया है। 31 बंधुआ मजदूर जिनके घर उत्तर प्रदेश में थे लेकिन उन्हें अन्य राज्यों से मुक्त कराया गया को उत्तर प्रदेश राज्य में वापस ले लिया गया है लेकिन उन्हें अभी पुनः बसाया जाना है। उत्तर प्रदेश में पुनः बसाने के 817 मामलों की ताजा स्थिति इस प्रकार हैः–

- पुनः बसाए जाने वाले बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या — 817
- बंधुआ मजदूरों की संख्या जिन्हें पुनः बसाया गया — 317
  (2002–2003 में बसाए गए 8 सहित)

- जिला सोनभद्र में कार्याधीन मामले 317 (धनराशि प्राप्त)

शेष 459

8.37 उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि पता लगाए गए और मुक्त कराए गए मजदूरों के पुनर्वास का कार्य अत्याधिक धीमा है। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब इसका कारण बताया जाता है। तथापि यह देखा गया है कि राज्य सरकार स्वयं केन्द्र को आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में देरी करती रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुनर्वास अनुदान के समतुल्य भाग में प्रयोजन के लिए किए गए बजटीय आबंटनों की समय पर पुष्टि नहीं की है। यही कारक है जो केन्द्रीय अनुदान के विमोचन में विलंब का कारण हैं।

8.38 भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को अक्टूबर 2001 में 25,00,000 रुपए का अनुदान जागरूकता पैदा करने (10,00,000 रुपए), सर्वेक्षण (10,00,000 रुपए) और मूल्यांकीय अध्ययन (5,00,000 रुपए) के लिए जारी किया है। तथापि जिन जिलों में सर्वेक्षण कार्य और मूल्यांकीय अध्ययन किया जाना था, उन्हें विभाजित कर लिया गया है। 31 मार्च 2003 तक इन योजनाओं के अंतर्गत कोई कार्य आरंभ नहीं किया जा सका था, क्योंकि अक्टूबर 2001 में राज्य सरकार के खाते में जमा धनराशि वास्तव में श्रम विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आयोग ने टिप्पणी की कि गुजारा भत्ता के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 1000 रुपए का तत्काल अनुदान अदा नहीं किया गया क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में इसके लिए अनिवार्य राहत उपाय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए डॉ0 न्यायमूर्ति के रामास्वामी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 13 जून 2002 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को पत्र लिखे किन्तु 31 मार्च 2003 तक इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

8.39 आयोग ने श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित बंधुआ मजदूरी वाले 13 (अब 16) राज्यों को निदेश दिया है कि वे 31 दिसम्बर 2001 तक पता लगाए गए और पुनवार्सित बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तथा 1 जनवरी 2002 के बाद से पता लगाए गए और पुनवार्सित बंधुआ मजदूरों का तिमाही विवरण भेजें। अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अरूणाचल प्रदेश नामक छः राज्य ही नियमित रूप से यह सूचना भेज रहे हैं। हरियाणा और पंजाब ने आंरिभक स्थिति रिपोर्टें भेजी थी लेकिन अब वे तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से नहीं भेज रहे हैं। आयोग को खेद है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने अभी तक कोई

उत्तर नहीं दिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुजरात, अरूणाचल प्रदेश और केरल की सरकारों ने नियमित रूप से कहा है कि उनके राज्यों में यह समस्या नहीं है।

3) बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरीः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के दक्षिणी राज्यों में प्रयास

8.40 श्री के.आर. वेणुगोपाल, आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता दक्षिणी राज्यों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा के उन्मूलन से जुड़े मामलों की निकटता से निगरानी करते रहे। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में उन्होंने बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की समीक्षा की दृष्टि से इन राज्यों की सरकारों में बंधुआ मजदूरी के विषय से जुड़े शीर्षस्थ सचिवों तथा मुख्य सचिवों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किया। बाल मजदूरी में कार्यरत बंधुआ बाल मजदूर वास्तव में उत्पीड़न का शिकार है इसलिए श्री वेणुगोपाल ने बाल मजदूरी के समग्र प्रश्न को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल किया और वे इसके उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं।

8.41 अपने प्रयासों में विशेष संपर्ककर्ता ने भारत सरकार के अभिकरणों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चिन्हित बंधुआ मजदूरों की संख्या के संदर्भ में, मुक्त कराए गए मजदूरों की संख्या, पुनर्वासित मजदूरों की संख्या, पुनर्वास की गुणवत्ता, बजट में व्यवस्थित वित्तीय आबंटन, वास्तविक व्यय, राज्य द्वारा किए गए वित्तीय परिवय प्रावधान के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र, बंधुआ मजदूरों के अभियोजित नियोक्ताओं की संख्या, सतकर्ता समितियों का जिला स्तर और उपमंडलीय स्तर पर गठन की स्थिति और उनके द्वारा की गई बैठकों के स्वरूप के बारे में कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए आंकड़े एकत्रित करने और उनको प्रबोधित करने के लिए प्रयोग में लाने हेतु अनेक प्रोफोर्मे तैयार किए।

8.42 मुख्य सचिवों और शीर्षस्थ सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठकों में राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना की गुणवत्ता और परिशुद्धता की जाँच की गई और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए अपनाई गई रणनीति में सुधार करने तथा बंधुआ मजदूरों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के अभियोजन की माँग की। विशेष सम्पर्ककर्ता ने रणनीति के रूप में उन क्षेत्रों से जहाँ काम धीमा चल रहा है के संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को इन समीक्षा बैठकों में बुलाया।

8.43 विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रयास का मुख्य जोर उच्च स्तर पर नीति को प्रभावित करना रहा

है ताकि सरकार के विभिन्न विभागों के नीतिगत प्रयासों को एक बिन्दु पर केन्द्रित करने और उन्हें कारगर ढंग से समन्वित किया जा सके। उन्होंने इस कार्य के लिए उत्तरदायी सभी विभागों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया और उसके बाद यह मूल्यांकन किया कि वे अपनी नीतिगत वचनबद्धताओं को कैसे कार्यान्वित कर रही है। इस प्रकार यह प्रयास बहुपक्षीय था और शासन के किसी एक स्तर तक सीमित नहीं था। नियमानुसार शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, श्रम, ग्रामीण विकास, सहयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और राजस्व विभागों में जो अपने आप में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के लिए शीर्षस्थ विभाग हैं में समकेन्द्रता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ऋण का महत्व और गैर–सरकारी संगठनों की अंतग्रस्तता सहित गरीबी उन्मूलन रणनीतियां विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रयास के केन्द्र में रही है। विशेष सम्पर्ककर्ता का यह विचार है कि इस परिमाण की समस्या के लिए नीतिगत उत्तर आवश्यक है और इसलिए नीति निर्माताओं के साथ सम्पर्क आवश्यक है। यह सम्पर्क न केवल राज्यों में सरकार के वरिष्ठ सचिवों के बार–बार परिवर्तन के कारण बल्कि मुख्य सचिवों के स्तर पर भी निरंतर आवश्यक है।

8.44 वर्ष 2002–2003 के दौरान विशेष सम्पर्ककर्ता ने तमिलनाडु में 5, आंध्र प्रदेश में 5 और केरल में एक समीक्षा बैठके की। इनमें से एक बैठक कर्नाटक में और दो बैठके आंध्र प्रदेश में जिला स्तर पर की गई जिनमें जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों को शामिल किया गया ताकि उन्हें अनुदेश दिए जा सके और सुग्राही बनाया जा सके।

8.45 यह कहना महत्वपूर्ण है कि बंधुआ मजदूरी के बारे में उन्हें सौंपे गए वृहत अधिदेश के अतिरिक्त आयोग ने श्री वेणुगोपाल को चार दक्षिणी राज्यों से प्राप्त शिकायतों के बारे में अनेक संवेदनशील पूछताछ भी सौंपी हैं।

8.46 इनको ध्यान में रखते हुए विशेष सम्पर्ककर्ता ने राज्य के अधिकारियों को शामिल करना चाहा है। इस प्रकार जब विशेष सम्पर्ककर्ता दो बंधुआ मजदूरों जिन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था, के मामले की जाँच करने के लिए मई 2002 में आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के पुलिस अधीक्षक सहित समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को और शिक्षा आयुक्त को अपने साथ ले गए। इसी प्रकार होगराहल्ली, जिला मांडया कर्नाटक में जहां बंधुआ मजदूर को जंजीरों में रखा गया था के कुख्यात मामले में यह पता चलने पर कि विशेष न्यायालय में गवाहों को अभियोजन में मुकर जाने के लिए सरकारी अधिवक्ता भी शामिल है, श्री वेणुगोपाल व्यक्तिगत जाँच के लिए 13 अप्रैल 2002 को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ मांडया गए। 28 नवम्बर 2002 को मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने बंधुआ मजदूरी के विषय पर राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ विडियो

कान्फ्रेंस की; इसके बाद प्रधान सचिव, समाज कल्याण और श्रम आयुक्त, आंध्र प्रदेश द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत अनुदेश दिए गए।

8.47 गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता ने क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान उनसे नियमित रूप से चर्चा की और आयोग के कार्य में उनसे परामर्श और सहयोग मांगा। इस भावना से बंधुआ मजदूरी की समस्या के बारे में जानकारी पैदा करने और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के कार्य में आयोग के सहयोग को दर्शाने के लिए जीविका नामक गैर–सरकारी संगठन द्वारा मई 2002 में आयोजित कर्नाटक के एच डी कोटे में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की रैली में भाग लिया।

8.48 राज्य में बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु कर्नाटक सरकार को तैयार करने के लिए 2001 में सफल प्रयास हेतु श्री वेणुगोपाल ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वे तमिलनाडु में बालश्रम के उन्मूलन के लिए इसी प्रकार की कार्य योजना तैयार करें। इस प्रयास के एक भाग के रूप में नवम्बर 2002 में उन्होंने कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न संबद्ध सूचना तमिलनाडु सरकार को भेजी। आयोग को प्रसन्नता है कि तमिलनाडु में योजना तैयार की जा रही है।

8.49 यह स्मरणीय है कि विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रोत्साहन से तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2000 में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए मैनुअल तैयार किया था। विशेष सम्पर्ककर्ता ने इसके बाद सरकार से आग्रह किया कि वह तमिलनाडु में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए एक नमूना व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करे। इसका मसौदा 7 नवम्बर 2002 में पूरा किया गया और आयोग के सूचनार्थ 3 दिसम्बर 2002 को विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा आयोग के मुख्य सचिव को भेजा गया। यह योजना उच्चतम न्यायालय के अधिदेश के कारगर और सत्यापनीय कार्यान्वयन को सम्पन्न करेगी। यह संसाधनों के उच्च स्तर को गतिशील बनाने के लिए बहुमूल्य यंत्र सिद्ध होगी।

8.50 सतत् प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण प्रयास के रूप में मई 2002 में श्री वेणुगोपाल ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी का दौरा किया और मानवाधिकारों के बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिविक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। सितम्बर 2002 में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और त्रिवेन्द्रम में राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन की अधिकार आधारित पद्धति के बारे में केरल सरकार के वरिष्ठ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया।

ख) वृहत परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों का पुनर्वास

8.51 गत दो वार्षिक रिपोर्टों में वृहत परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में आयोग के विचारों को विस्तार से बताया गया था। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रह से विस्थापित लोगों का पुनर्वास भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों का भाग होना चाहिए अथवा इसके लिए समुचित पृथक विधायन होना चाहिए ताकि संबंधित मुद्दों को न्याय मिल सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने इस मामले को कई अवसरों पर अपने विचारों से अवगत कराते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उठाया।

8.52 गैर–सरकारी संस्था, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति ने 11 अक्टूबर 2002 के अपने पत्र में कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास विधेयक 2002' का मसौदा तैयार किया था और टिप्पणियों के लिए मंत्रियों के समूह में परिचालित किया था। तथापि उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी इस दीर्घकाल से लंबित मांग पर चुप है कि पुनर्वास उपबंधों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का भाग बनाया जाए। चूंकि मसौदा विधेयक सार्वजनिक रूप से जारी किया जा चुका है फिर भी उन्हें यह पता नहीं है कि क्या प्रस्तावित विधायन में स्वयंसेवी संगठनों जिनकी सोच को आयोग द्वारा समर्थन दिया गया है, द्वारा तैयार वैकल्पिक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास विधेयक 2000 की मुख्य विशेषताएं हैं या नहीं। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति ने आयोग का समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए मांगा की परियोजना प्रभावित व्यक्ति पुनर्स्थापन और पुनर्वास विधेयक 2002 अथवा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संशोधन के लिए कोई अन्य प्रस्ताव में ऐसे उपबंध शामिल किए जाएं कि भूमि के वास्तविक अधिग्रहण से पूर्व पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

8.53 उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंद्ध विधेयकों की एक प्रति आयोग को भेजने का अनुरोध किया ताकि यह जाँच की जा सके कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गई है अथवा नहीं।

8.54 उत्तर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है:

> **"परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक)**—मंत्रालय ने सचिवों की स्थायी समिति को अपना प्रस्ताव भेज दिया है

और भिन्न–भिन्न मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा। सचिवों की स्थायी समिति के अनुमोदन की प्रतिक्षा है।

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक – ग्रामीण विकास मंत्रालय को, तत्पश्चात् इस विषय पर दो नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं दोनों प्रस्तावों को शामिल कर लिया गया और विधि मंत्रालय के अनुमोदन हेतु विधि मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया।"

8.55 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आगे कहा कि "उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव सरकार के विचारणाधीन हैं। चूंकि विधेयकों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इन विधेयकों की प्रतियां प्रदान करना संभव नहीं है।"

8.56 आयोग ने इन मामलों में हो रही देरी पर अफसोस जताया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की शर्तों के अंतर्गत आयोग ने विचाराधीन विधायन के बारे में बार–बार टिप्पणी की है। आयोग इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि मसौदा विधेयकों को उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। आयोग ने तद्नुसार अपने महासचिव से समक्ष अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए कहा है और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

ग) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार

8.57 भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग विभिन्न स्तर की शारीरिक मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक निःशक्तता स्थाई अथवा अस्थाई रूप से झेल रहे हैं। वे सामान्यतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मूलभूत संरचनात्मक तथा दृष्टिकोणीय निःशक्तता का सामना कर रहे हैं जिससे समान स्तर पर अधिकार प्राप्त करने में उनको क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आयोग का ठोस विचार है कि निःशक्त लोगों में विकास सहित राष्ट्र जीवन में व्यापक योगदान करने का सामर्थ्य है। बशर्ते कि उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और योग्यता में अंतर को पहचाना जाए। इसलिए आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त व्यक्तियों के मानवाधिकारों को उन्हें मुहैया कराया जाए, सुविचारित पद्धति अपनाई है। इस प्रयास में उन्हें सहायता देने के लिए आयोग ने श्रीमती अनुराधा मोहित, पूर्व उप–मुख्य आयुक्त, (निःशक्त व्यक्ति), भारत सरकार को निःशक्तता से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

8.58 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अंतः गृह निःशक्तता नीति तथा कार्रवाई कार्यसूची अपनाई है। इस नीति का दूरगामी उद्देश्य आयोग के कार्य के सभी पहलुओं में निःशक्तता को समाविष्ट करना है और इसके साथ–साथ मानवाधिकारों पर आधारित निःशक्तता मापदण्डों और मानकों को बढ़ावा देना है। केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा हस्तक्षेप के लिए आलोचनात्मक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और सिफारिशों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाई गई कार्रवाई के साथ भेजा गया। आयोग इस तथ्य के प्रति सजग है कि लिंग, जाति, अवस्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर जैसे अन्य कारकों के साथ निःशक्तता जटिल बाधा उत्पन्न कर सकती है जिससे बहुपक्षीय धरातल पर भेदभाव हो सकता है। ऐसे भेदभाव से मुकाबला करने की रणनीति समान रूप से व्यापक होनी चाहिए यदि निःशक्त व्यक्तियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग करने के सक्षम बनाना है।

8.59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अनेक सिफारिशें की है। इन सिफारिशों को राज्यों और केन्द्र के सक्षम प्राधिकारियों को भेज दिया गया है और इन सिफारिशों की रूप–रेखा नीचे दी गई है:

- **राज्य नीतिः** यह संकेत दिया गया कि राज्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 'निःशक्तता राज्य नीति और कार्रवाई कार्यसूची' विकसित करनी चाहिए:–
    - संविधान तथा निःशक्तता से जुड़े कानूनों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करना;
    - निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए भिन्न–भिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित संसाधनों का भरपूर उपयोग करना;
    - सभी निःशक्त व्यक्तियों को मूल सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए मूलभूत संरचना का समान रूप से विकास करना।
- **रूकावट रहित मूलभूत संरचनाः** भारत सरकार और राज्य सरकारों को निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्मित वातावरण, परिवहन तंत्र, संचार, सूचना और प्रसारण तथा सार्वजनिक सुविधाओं की रूकावट रहित सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सुलभ मूलभूत संरचना के बारे में राष्ट्रीय/राज्य नीतियां तैयार करने और अपनाने के लिए कहा गया है।
- **स्पष्ट समेकनः** यह कहा गया कि सभी मंत्रालय/विभाग तथा विशेषज्ञता–प्राप्त संस्थान महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष समूहों के लिए अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में निःशक्तता चिंताओं को समेकित करें।
- **कानूनों का कार्यान्वयनः** राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों और स्थानीय प्राधिकारियों को निःशक्तता अधिनियम 1995 के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के

लिए योजनाएं, नियम, विनियमन तैयार करने और उन्हें लागू करने तथा प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि बेमेल और निदांकारी उपबंधों को हटाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।

- **शोषण रोकना:** यह भी कहा गया कि सरकार को निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाने तथा भिक्षावृत्ति का संचालन कर रहे माफिया गिरोहों द्वारा विकलांगों का शोषण रोकने के लिए स्थितियां पैदा करे (केन्द्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी गैर–सरकारी संगठनों तथा जन–संपर्क माध्यमों को निःशक्त व्यक्तियों की नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से किया जाता है।)

- **न्यूनतम मानक:** यह प्रस्ताव किया गया कि निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं देने वाले संस्थानों की कार्य प्रणाली को विनियमित करने, मानकीकृत करने, निगरानी करने और उनका पर्यावेक्षण करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

- **सामाजिक सुरक्षा:** यह आग्रह किया गया कि सरकारों को सभी स्तरों पर, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे निःशक्त व्यक्तियों के लिए वास्तविक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को भेजे गए अध्यक्ष के पत्र का पूर्ण पाठ अनुबंध 6 और 7 पर दिया गया है।

आयोग के प्रकाशनों में निःशक्तता दृष्टिकोण का समावेषण

8.60 निःशक्त व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का पूर्ण रूप से कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि निःशक्त व्यक्तियों को सार्वजनिक माल और सेवाओं को प्रदान करने वालों तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लोगों और न्यायपालिका को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है कि निःशक्ता को भी वही अधिकार प्राप्त है जो कि अन्यों को। इन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु विशेष कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से विशेष अधिकारिता और लाभ दिए गए हैं, इसलिए इन उपायों का व्यापक ज्ञान अधिकारियों, सामान्य समरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे निःशक्त व्यक्तियों को उनके अधिकार प्राप्त करने में सहयोग कर सके। इसलिए आयोग ने इन अधिकारों की अधिक

व्यापक और गहरी समझ पैदा करने को उच्च प्राथमिकता दी है। जन सेवकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों की बाध्यताओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापकों और अध्यापक शिक्षकों को सुग्राही बनाने के लिए 16 जनवरी 2003 को एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था जिसमें निःशक्तता के फलस्वरूप उपजे भेदभाव सहित शैक्षिक हस्तक्षेप, सामान्य भेदभाव का उल्लेख किया गया है। आयोग तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे जिला मजिस्ट्रेटों हेतु मानवाधिकार संबंधी मैनुअल में निःशक्तता मुद्दे पर अलग से एक अध्याय निहित है। आयोग के जरनल के प्रथम अंक को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसम्बर 2002 को जारी किया गया था। इस जरनल में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में एक लेख शामिल है।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण

8.61 आयोग का इंटर्नशिप कार्यक्रम युवा पीढ़ी को सुग्राही बनाने के लिए लगातार चलने वाला महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। इस कार्यक्रम में निःशक्तता के पहलू को शामिल किया गया है।

8.62 कनिष्ठ प्रशासकों के लिए सचिवालीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में अर्ध–द्विवसीय सत्र शामिल है, जिसके लिए आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता सामग्री प्रदान करते हैं। इसी तरह फरवरी 2002 में जिलाधीशों के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में निःशक्तता से जुड़ी विभिन्न नीतिगत पद्धतियों पर चर्चा की गई और मानव अधिकार मॉडल पर जोर दिया गया जिसमें आयोग ने पर्याप्त योगदान दिया। नियमित विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षकों और प्रधानाचार्यों के अभिमुखीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं जिनका आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक एवम् अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया गया था, के लिए मानव अधिकार सामग्री आयोग ने उपलब्ध कराई थी। यह भी संकेत दिया गया कि निःशक्त व्यक्तियों से जुड़ी सामग्री को समावेशक शिक्षा की अवधारणा में शामिल किया जाना चाहिए।

निःशक्तता के बारे में अनुसंधान अध्ययन

8.63 आयोग ने वृहत तंत्रीय कारकों की जाँच करने और दस्तावेज तैयार करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का निश्चय किया। ये ऐसे कारक हैं जो शारीरिक और मानसिक निःशक्तता के आधार पर समाज के उपेक्षित वर्गों की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन अध्यायों का क्षेत्राधिकार तथ्यों का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उपेक्षित व्यक्तियों की आवश्यकताओं

के प्रति समाज किस प्रकार कार्य कर सकता है, का पता लगाने के लिए भी है। अध्ययन इस अवधारणा पर आधारित है कि सार्वजनिक नीति और कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिक असमानताओं को कम करना तथा सामाजिक और आर्थिक हानियों पर ध्यान केन्द्रित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आयोग मानवाधिकार मूल्यों के अनुरूप सामाजिक न्याय, नागरिकता और सामाजिक बेहतरी के नए मानदण्ड और मानकों की सिफारिश करने की इच्छा रखता है।

8.64 आयोग ने एक द्विपक्षीय रणनीति अपनाई है ताकि निःशक्तता को शामिल करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। यद्यपि प्रयास यह है कि आयोग के सभी अनुसंधान पहलुओं में निःशक्तता पहलु को शामिल किया जाए और निःशक्तता–विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जाए। आरंभ में निःशक्तता आयाम को "भारत में महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार संबंधी कार्य अनुसंधान परियोजना" में शामिल किया जाए जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट के अध्याय VII में किया गया है। इसी तरह से भारत में उपेक्षित समूहों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के स्तर का विशेष उल्लेख करते हुए मानवाधिकारों की स्थिति की जाँच करना और निःशक्त व्यक्तियों के पहलु से जुड़े प्रश्न की जाँच करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। इस प्रकार दो अनुसंधान परियोजनाएं निःशक्तता के क्षेत्र में ही संचालित की जा रही है। इन दो परियोजनाओं का सार नीचे दिया गया है।

8.65 इस परियोजना में आयोग दृष्टिहीनों के राष्ट्रीय परिसंघ के सहयोग से कार्य कर रहा है। इस परियोजना में एक अध्ययन आयोजित किया जा रहा है जिससे निःशक्त व्यक्तियों के लिए 'समस्तरीय क्षेत्र' प्रदान करने में निहित लागत का अनुमान लगाया जाएगा। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैः

- निःशक्त व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में योगदान करने वालों तथा वर्तमान में प्रदान की जा रही सामाजिक सेवाओं के प्रयोक्ताओं के रूप में आवश्यक न्यूनतम समर्थन के मध्य अंतराल का मूल्यांकन करना।
- असुलभ मूलभूत संरचना और सेवाओं के परिणामस्वरूप जीवन निर्वाह की अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन करना।
- उपचार, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति जन्म सहायक उपकरणों के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अवसरकारी लागत का माप करना।
- शारीरिक, बौद्धिक अथवा मनोवैज्ञानिक विकलांगता वाले व्यक्ति के जीवन निर्वाह की अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा के मानदण्ड को पुनर्परिभाषित करने और अंतराल को दूर करने के उपायों की सिफारिश करना।

इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक अध्ययन आरंभ हो चुका है।

8.66 बधिरता, मानसिक अधरंगता, मानसिक अल्पज्ञता और बहु–निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट के सहयोग से द्वितीय अनुसंधान परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करना है ताकि वे निचले स्तर पर राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है:

- उन तथ्यों का पता लगाना जो जिला स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और योजनाओं के समान कार्यान्वयन में बाधा हैं।
- उन कारकों की जाँच करना जो राष्ट्रीय स्तर की नीति और जिला स्तर की योजनाओं को कार्यान्वित करना सुविधाजनक बनाते है।
- बेहतर समन्वय और सकेन्द्रन के लिए अपेक्षित विशिष्ट संपर्कों को समझना क्योंकि निःशक्तता बहु–आयामीय मुद्दा है जिसमें सभी क्षेत्रों का हस्तक्षेप अपेक्षित है।
- अभी तक अछूते क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए रणनीति तैयार करना।

मानसिक रोग अस्पतालों में गुणवत्ता आश्वासन – रांची, आगरा और ग्वालियर में मानसिक रोग अस्पताल

8.67 आयोग रांची तंत्रिका–मनोचिकित्सिय और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (आर आई एन पी ए एस) मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा (आई एम एच एच) और ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला की कार्यप्रणाली पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राकेश चन्द्र नारायण और अन्यों बनाम बिहार राज्य तथा अन्यों के मामले में 11 नवम्बर 1997 को जारी किए गए आदेश द्वारा इसे दिए गए अधिदेश के अनुरूप नजर रखता रहा है।

8.68 इन अनुदेशों का प्रबन्धन पहले राकेश चन्द्र नारायण और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में रिट् याचिका (सिविल) संख्या 339/86–901/93 और 80/94 और रिट् याचिका (सिविल) संख्या 448/94 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत आता था। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सितम्बर 1994 के अपने आदेश द्वारा, केन्द्रिय स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निदेश दिया कि इन संस्थानों की समग्र कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये जाए जिनका उद्देश्य:

- रोगियों के लिए नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाएं विकसित करना;
- उनके लिए सामाजिक और व्यवसायिक और पुनर्वास सुविधाओं में सुधार करना;

- मनोरोग, क्लीनिकल मनोविज्ञान, मानसिक सामाजिक कार्य और मानसिक नर्सिंग के क्षेत्रों में व्यावसायिक और अर्ध–व्यावसायिक प्रशिक्षण आरंभ करना;
- क्षेत्र में चिकित्सीय और अर्ध–चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।
- व्यावहारिक और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करना।

8.69 चूंकि उच्चतम न्यायालय का कार्य आयोग द्वारा ले लिया गया था इसलिए आगे के अध्यक्षों ने उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन का व्यक्तिगत रूप से प्रबोधन किया जब भी अवसर मिला अध्यक्षों तथा विभिन्न सदस्यों ने इन संस्थानों का दौरा किया। आयोग उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन में प्रगति को देखने के लिए अपने विशेष सम्पर्ककर्ता श्री चमन लाल पर निर्भर रहा है। इस उद्देश्य से समीक्षाधीन अवधि के दौरान विशेष सम्पर्ककर्ता ने 28 फरवरी 2002 को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा, 22 जून 2002 को रांची तंत्रिका मनोचिकित्सीय और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान तथा 12 अगस्त 2002 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का दौरा किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 24 मार्च 2003 को न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी0 मनोहर ने ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का दौरा किया। आयोग के हस्तक्षेप में प्रक्रियात्मक तथा स्थायी मुद्दों को शामिल किया गया।

8.70 आयोग यह देखकर प्रसन्न है कि इन संस्थानों में दाखिल करने और छुट्टी देने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के उपबंधों के अनुरूप सुचारू बनाया गया है। अनिच्छुक दाखिलों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम हो गया है और ठीक हुए रोगियों की छुट्टी की प्रक्रिया ठीक ढंग से चल रही है। बंद वार्डों को खुले वार्डों में बदलने पर अधिक जोर देने से रोगियों का अस्पताल में रहने का समय काफी कम हो गया है। अब यह ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जी एम ए) में रह रहे रोगियों के लिए जिनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं, केवल 10 दिन रह गया है।

8.71 आर आई एम पी ए एस और आई एम एच एच आगरा में नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाओं में काफी सुधार आया है। तथापि अब भी वे जी एम ऐ में उपलब्ध नहीं है जहां क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सीय समामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी के कारण पर्याप्त मनो नैदानिक सुविधाएं और समुचित व्यवहार्य तकनीक विकसित नहीं हो पाई। आयोग के बार–बार निदेशों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार निदेशक का पद भरने में असमर्थ रही है और संस्वीकृत मनोचिकित्सक, क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है।

8.72 रोगियों की जीवन निर्वाह स्थितियां, भोजन की गुणवत्ता और औषधियों की उपलब्धता में इन तीनों संस्थानों में सुधार हुआ है। आर आई एन पी ए एस जहाँ पुरुष और महिला रोगियों की बड़ी संख्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और बुनाई बढ़ईगिरि, सिलाई, टोकरी निर्माण, कागज का कार्य आदि जैसे व्यवसायों में अपनी दक्षता का प्रयोग करके धन अर्जित भी कर रही है, में व्यवसायिक थेरेपी के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कार्यरत रोगियों की संख्या जो 2000–2001 में 311 थी, 2001–2002 में बढ़कर 433 और 2002–2003 में 780 हो गई। 150 से भी अधिक रोगियों ने दक्ष कामगारों का दर्जा पा लिया है जबकि 299 अर्ध–दक्ष दर्जा पा चुके हैं। दोनों समूहों ने वहां से छुट्टी मिलने के बाद अपने रोजगार को चलाने की योग्यता प्राप्त कर ली है। आई एम एच एच आगरा में रसोई में केवल 8 रोगी काम करते हैं और कृषि में 28 रोगी कार्य कर रहे हैं। जी एम ए में दुर्भाग्य से व्यवसायिक थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ व्यवसायिक अनुदेशकों और व्यवसायिक थेरेपिस्टों के संस्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि आई एम एच एच और जी एम ए दोनों में ऐसी सुविधाएं विकसित की जा सकें।

8.73 यद्यपि व्यावसायिक और अर्ध–व्यावसायिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है फिर भी आर आई एन पी ए एस को एम बी बी एस छात्रों के अध्यापन केन्द्र की मान्यता दी गई है और इस समय 28 छात्र क्लीनिकल मनोविज्ञान और मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य में एम. फिल और पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों पर कार्य कर रहे हैं। जी एम ए, एम बी बी एस करने वाले छात्रों को और मेडीसन के स्नात्तोकत्तर छात्रों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अतिरिक्त, यह चार नर्सिंग कालेजों के छात्रों को मनोचिकित्सीय प्रशिक्षण में 2–3 सप्ताह का कार्यक्रम चला रहा है। जनवरी–फरवरी 2003 में निकटवर्ती जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को मनोचिकित्सा में दो सप्ताह का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है। आई एम एच एच आगरा ने 2002–2003 में 18 बैचों को मानसिक स्वास्थ्य में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया है।

8.74 जहां तक समुदाय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार का संबंध है, तीनों संस्थानों ने अच्छी प्रगति की हैं आर आई एन पी ए एस अपने से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोना ब्लाक में सप्ताह में एक बार मनोचिकित्सक, अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारी और छात्रों का एक चिकित्सा दल भेजता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एम फिल/पी एच डी छात्रों द्वारा घर–घर सर्वेक्षण और मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य का प्रभाव बहिरंग रोगियों में वृद्धि से स्पष्ट है जबकि इस कार्यक्रम के आंरभ होने से पूर्व यह संख्या एक अथवा दो रोगी प्रति सप्ताह थी जो अब 25–30 रोगी प्रति सप्ताह हो गई है। आर आई एन पी ए एस को दुमका में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नोडल पॉइन्ट के रूप में चुना गया है।

8.75 आई एम एच एच आगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फराह (मथुरा) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदापद (हाथरस) में एक मनोचिकित्सक कलीनिकल मनोविज्ञानी और मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के एक दल को सप्ताह में एक बार वहां स्थित मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक में भेजता है। जी एम ए मेडिकल कालेज ग्वालियर (दैनिक) और सिविल अस्पताल मुरार (पाक्षिक) में एक्सटेंशन क्लीनिक चला रहा है।

8.76 पुरूष रोगी जो ठीक हो गए है कि लिए गैर–सरकारी संगठनों की मदद से आगरा में हाफ–वे होम स्थापित किए गए है। जी एम ए में पुरूष और महिला रोगियों के लिए सम्पन्न सुविधाएं स्थापित की गई है। इन होमों के प्रयासों से 100 पुरूष और 54 महिला रोगी अपने परिवारों के पास लौट गए हैं।

8.77 गत वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर सदस्य आयोग के नेतृत्व में एक समूह गठित किया गया था जिसका उद्देश्य उन मानसिक रोगियों का पुनर्वास करने की समस्या को देखना था जो अब ठीक हो चुके हैं किन्तु निराश्रित हैं अथवा उनके परिवारों ने उन्हें त्याग दिया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान समूह ने तीन बैठके की और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उनके लिए व्यैक्तिक स्तर पर पुनर्वास योजनाएं तैयार करने की दृष्टि से रोगियों को तीन संस्थानों में श्रेणीबद्ध किया। इन श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल है:–

- वे रोगी जो ठीक हो चुके हैं और जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों से आग्रह करके/परामर्श द्वारा उनके परिवार के साथ पुनः शामिल किया जा सकता है।
- वे रोगी जिनके परिवारों का पता नहीं चल सका लेकिन जो अब ठीक हो चुके है और आंशिक रूप से स्वतंत्र रह सकते है तथा स्थानीय समुदाय में समूहों में संरक्षित जीवन जी सकते हैं। ऐसे रोगियों की व्यवस्था गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र की बड़ी भागीदारी से हो सकती है तथा इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता ली जा सकती है।
- वे रोगी जो लम्बे समय से बीमार है और किसी संस्थान में दीर्घकाल से छोड़े हुए हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसे रोगियों के लिए दीर्घकाल गृहों को तैयार करने की आवश्यकता होगी।

8.78 मानसिक रोग गृहों में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है चूंकि ठीक होने के बाद भी उनके परिवार वाले उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करते। आयोग ने इस कारण से गैर–सरकारी संगठनों की मदद से हाफ–वे होम स्थापित करने के विशेष प्रयास किए है। जैसा

कि पैरा 8.76 में कहा गया है ऐसे होम आगरा और ग्वालियर में कार्यरत है जहां ऐसे दो–दो होम हैं एक महिलाओं के लिए तथा दूसरा पुरूषों के लिए। आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन गृहों में परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। एक्शन ऐड इण्डिया द्वारा प्रदान किए गए स्वयं सेवियों की सहायता से आई एम एच एच आगरा और जी एम ए ग्वालियर में रोगियों को परामर्श देना आरंभ किया गया है। रोगियों के परिवारों को भी परामर्श सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घ) वृद्धों के अधिकार

8.79 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है, आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति परिषद् में प्रतिनिधित्व करता है। आयोग ने भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री के. बी. सक्सेना, आई. ए.एस. (सेवा निवृत्त) को वृद्धों और पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए मौजूदा स्कीमों का अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया है। आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जा रहा है।

ड.) गैर–अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों की समस्याएं

8.80 आयोग गैर–अधिसूचित जनजातियों तथा खानाबदोश जनजातियों के रूप में नामित समुदायों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंतित रहा है। स्वतंत्रतापूर्व भारत में इन्हें "अपराधी जनजातियों" के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था। यद्यपि आपराधिक जनजातियां अधिनियम 1871 आजादी के तुरंत बाद निरस्त कर दिया गया फिर भी उनके विरूद्ध भ्रम की स्थिति बनी रही पुलिस तथा जनता इन समुदायों के व्यक्तियों को "जन्मजात अपराधी" और "आदतन अपराधी" मानती रही।

8.81 प्रख्यात कार्यकर्ता और लेखक श्रीमती महाश्वेता देवी, अध्यक्ष, गैर–अधिसूचित और खानाबदोश जनजाति अधिकार कार्यसमूह ने गैर–अधिसूचित और खानाबदोश जनजातीय समुदाय की दुखद स्थिति का उल्लेख करते हुए मई 1998 में आयोग को एक याचिका भेजी जिसमें प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने का उल्लेख था। यह स्मरणीय है कि

उसके बाद आयोग ने इस मामले से निपटने के लिए 15 फरवरी 2000 को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई।

8.82 उसके बाद राज्य सरकारों को अनेक विशिष्ट सिफारिशें की गई और आयोग ने इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के प्रयास किए। अफसोस है कि जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है और अधिकांश राज्य सरकारों का प्रत्युत्तर निराशाजनक रहा है।

8.83 वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने इन जनजातियों की समस्याओं के प्रति उच्चतम राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशीलता का आग्रह किया था की गई कार्रवाई के ज्ञापन में, केन्द्र सरकार ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशें और टिप्पणियां संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई है। यह भी कहा गया कि जहां तक अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल गैर–अधिसूचित जनजातियों और अधिसूचित जनजातिय समुदायों का संबंध है सरकार ने उनके विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 नामक विशेष अधिनियम पारित किया है।

8.84 केन्द्र सरकार ने आगे कहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रशासनिक मंत्रालय है, अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देता है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में श्रेणीबद्ध अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियां विभिन्न केन्द्र सरकार के क्षेत्रों तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए छात्रावासों, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक प्रशिक्षणों तथा रोजगार के सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्राप्त लाभ के पात्र हैं।

8.85 आयोग की सिफारिश पर, गृह मंत्रालय ने आयोग के विचारों की एक प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को भेजी है, जिसमें कहा गया है कि इसे सभी संबंधित अधिकारियों और अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों में परिचालित किया जाए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को अधिसूचित जातियों और खानाबदोश जनजातियों के बारे में आंकड़े भेजने के लिए पत्र लिखा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य से रिपोर्टे प्राप्त हो गई है जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ने संकेत दिया है कि वे कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने विचार व्यक्त किया है कि आदतन अपराधी अधिनियम को अलग से चलाए रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे कार्यकलाप शामिल है। महाराष्ट्र से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उन्हें स्मरण पत्र भेजा जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने संकेत दिया है कि राज्य की सभी

अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में शामिल किया गया है और उन्हें प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलबध सुविधाएं दी जा रही हैं। इसलिए इन समुदायों के लिए अलग से परिगणना जारी रखना आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत इन समुदायों के अधिकांश लोगों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि उसने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से उन समुदायों की परिगण्ना करने का अनुरोध किया है जिन्हें अनु. जाति/अनु. जनजाति तथ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में नहीं रखा गया है। जहां तक आदतन अपराधी अधिनियम को निरस्त करने का संबंध है मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है।

8.86 आयोग के अध्यक्ष ने तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 सितम्बर 2002 को हुई अपनी बैठक में अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों के मुद्दे पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने संकेत दिया कि आयोग से प्राप्त अनुदेश सभी संबंधित व्यक्तियों में परिचाालित कर दिए गए है तथापि पश्चिम बंगाल में कोई अधिसूचित जनजाति अथवा खानाबदोश जनजाति नहीं है। लोधा जनजाति जो पहले अधिसूचित जनजाति के रूप में मानी जाती थी, को अब टोटो और बिरहोर्स के साथ आदिकालीन जनजाति समूह (पी टी जी) माना जाता है। यह भी कहा गया कि आदतन अपराधी अधिनियम अब पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है।

8.87 आयोग ने इन प्रत्युत्तरों पर ध्यान दिया है। जबकि यह लगता है कि अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों को समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों की श्रेणी में विलय करने के कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं और उन्हें समुचित लाभ दे रहे हैं किन्तु आयोग को कहना पड़ रहा है कि अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों के अधिकारों का उल्लंघन जारी है। स्पष्ट है कि ऐसी वस्तुस्थिति अभी भी है जिसमें इन समूहों के व्यक्तियों को स्वैच्छिक और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति पर आयोग को चिंता है और आयोग चाहता है कि इस मामले को लगातार उठाया जाए।

च) सिर पर मैला ढोना

8.88 ऐसी कुछ प्रथाएं अभी भी जारी है जो सिर पर मैला ढोने से भी अधिक अपमानजनक और मानवाधिकारों की उल्लंघनकारी है। इसलिए आयोग कुछ वर्षों से बार–बार इस मामले को आयोग

के अध्यक्षों के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से केन्द्र और राज्य सरकारों के उच्चतम अधिकारियों के साथ उठा रहा है।

8.89 आयोग की पिछली रिपोर्ट में इस मुद्दे से निपटने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। पहले कदम के रूप में आयोग ने सिफारिशें करने और निश्चित समय सीमा के भीतर सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए योजना बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया। आयोग के महासचिव ने इस मामले को, इस विषय के नोडल मंत्रालय, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में अपने समक्ष अधिकारी के साथ उठाया। मंत्रालय ने अपने जबाव में सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को समय–समय पर सिर पर मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 को अपनाने के लिए कहा है। आयोग ने अपनी ओर से सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ इस अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया है ताकि इस अमानवीय प्रथा को कारगर ढंग से रोका जा सके।

8.90 इस प्रयोजन के लिए आयोग के अध्यक्ष ने 14 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि आयोग को दुख है कि सरकार की ओर से सिर पर मैला ढोने की प्रथा को दूर करने के कार्य के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील और वचनबद्ध प्रतीत नहीं होती। उन्होंने प्रधान मंत्री से 2 अक्तूबर 2002 तक देश में शुष्क शौचालयों को समाप्त करने संबंधी घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान करने की आवश्यकता पर विचार करने का आग्रह किया। 12 अगस्त 2002 को पुनः प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया जिसमें इस मुद्दे पर आयोग की गंभीर चिंता को दोहराया गया था। इस पत्र के उत्तर में प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि 15 अगस्त 2002 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 सूत्री पहल के भाग के रूप में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है।

8.91 अब तक 26 जिलों और सभी संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय कानून को स्वीकार कर लिया है अथवा अपने–अपने कानून बना लिए है। आयोग दोहराना चाहेगा कि इस अस्वीकार्य प्रथा को समाप्त करने की दृढ़ इच्छा उच्चतम राजनीतिक स्वर से आनी चाहिए जिसके बिना सिर पर मैला ढोना सब कानूनों के बावजूद जारी रहेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए ताकि इस अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को समाप्त किया जा सके। देश में प्रत्येक मानव को प्रतिष्ठा के साथ जीने की संवैधानिक गांरटी के मद्देजनर यह आग्रह अनिवार्य है।

8.92 आयोग ने इस मामले में समुचित कार्रवाई की वकालत जारी रखी है। उसने न केवल केन्द्र

सरकार बल्कि राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श जारी रखा है। 6 जनवरी 2003 को बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उतरांचल और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास सचिवों से, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में हुई प्रगति की चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित विषयों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया:

- सिर पर मैला ढोना कर्मचारी रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 को अपनाना;
- सफाई कर्मचारियों और उन पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना;
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करके पहचाने गए सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करना;
- पहचाने गए सफाई कर्मचारियों और उन पर निर्भर व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना;
- भवन निर्माण के उप–कानूनों में नए भवनों के निर्माण को स्वीकृति न देने तथा कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र तब तक जारी न करने के उपबंध बनाना जब तक उनमें पानी डालकर सफाई करने वाले शौचालयों की व्यवस्था न हो;
- एक निश्चित अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए संकल्प पारित करना जब तक राज्यों में शुष्क शौचालय पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे।

8.93 कुछ राज्यों ने जोर दिया कि शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहीय शौचालयों में बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होगी और सुझाव दिया कि भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्त्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने जोर देकर कहा कि राज्यों तथा केन्द्र सरकार को अपने संसाधनों को समूहबद्ध करना चाहिए ताकि मैला ढोने की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।

8.94 शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से कारगर समाधान और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का परामर्श लेने का आग्रह किया गया। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराने में रूकावटों को दूर करने के लिए केन्द्रीय योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है। विभाग ने इस संबंध में सावधिक समीक्षा करने और इस बारे में प्रगति पर नजर रखने पर सहमति व्यक्त की।

8.95 निजी गृहों में जल प्रवाहीय शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में, केरल राज्य में कार्यरत गैर–सरकारी संगठन सामाजिक इकाई मंच द्वारा विकसित जल प्रवाहीय शौचालयों के निर्माण के लिए कम लागत वाली योजना पर आयोग ने 16 जनवरी 2002 को विचार किया। यह तय किया गया कि योजना का विवरण राज्य सरकारों को भेजा जाना चाहिए ताकि वे गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुत सेवाओं को प्राप्त कर सकें। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी है। अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

छ) प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में मानव अधिकार

1) उड़ीसा में चक्रवात पुनःनिर्माण कार्य की निगरानी

8.96 उड़ीसा में अक्तूबर 1999 में आए महा चक्रवात द्वारा प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के बारे मे 8 दिसम्बर 1999 और 21 अगस्त 2000 को आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों को पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का प्रबोधन करना जारी रखा। आयोग को राज्य सरकार से स्थिति के बारे में (तिमाही) रिपोर्ट मिलती रही।

8.97 आयोग ने इस प्रकार नोट किया कि चक्रवात रोधी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए प्रगति जारी रही। उदाहरण के लिए उड़ीसा सरकार ने 5786 प्राथमिक विद्यालयों और 1117 हाई स्कूल भवनों के लिए चक्रवातरोधी आर सी सी ढांचों के निर्माण का प्रस्ताव किया था। 31 दिसम्बर 2002 तक ऐसे 5230 प्राथमिक विद्यालय और 799 हाई स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका था।

8.98 इसके अलावा जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट मे बताया गया था राज्य द्वारा 100 बहु–उद्देशीय चक्रवात शरण स्थल (एम पी सी एस) के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना था जिसमें से 60 मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत तथा 40 विश्व बैंक की सहायता से बनाए जाने थे। 31 मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 43 बहु–उद्देशीय चक्रवात शरणस्थलों का निर्माण पूरा कर लिया गया था। शेष 17 स्थलों पर निर्माण कार्य जारी था 40 बहु–उद्देशीय चक्रवात शरण स्थलों के निर्माण का कार्य जो विश्व बैंक की सहायता से हो रहा है, काफी धीमा पाया गया। कार्य आरम्भ हो चुका है और केवल 19 स्थलों पर संतोषजनक प्रगति हो रही है। 31 मार्च 2003 को समाप्त तिमाही की

रिपोर्ट ने दर्शाया कि अतिरिक्त 19 स्थलों पर निर्माण कार्य निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद आरंभ किया जाएगा। शेष दो एम पी सी एस का निर्माण स्थल के विवाद के कारण नहीं किया जा सका।

8.99 आयोग ने महसूस किया है कि महाचक्रवात के आलोक में 27 संस्वीकृत परियोजनाओं सहित 41 समेकित काल विकास योजना (आई सी डी एस) परियोजना के संचालन में संतोषजनक प्रगति हुई है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ऐसी 39 परियोजनाओं में तैनात कर दिया गया है और क्रमशः 92 प्रतिशत और 99.6 प्रतिशत आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों के रिक्त पदों को भर दिया गया है।

8.100 8 दिसम्बर 1999 को अपनी कार्रवाई में आयोग ने सिफारिश की थी कि रेमल बांध के द्वारों को खोलने में हुए विलम्ब, हाथगढ़ बांध के विधाधर बैरेज के द्वारों को न खोलने और हाथगढ़ बांध से पानी को नियमित करने मे लापरवाही जिसके कारण केओनजार कस्बा और भदरक नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव बढ़ गया था के आरोपों की समुचित जांच की जाए। यह सूचना मिलने पर कि विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच में इस दुर्घटना के लिए एक कनिष्ठ अभियन्ता को ही उत्तरदायी ठहराया था, आयोग ने राज्य सरकार से इस मुद्दे की पुनः जांच करने का अनुरोध किया ताकि पूर्ण तथ्य स्थापित हो सके और इस लापरवाही और असफलता के लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाया जा सके। तत्पश्चात आयोग को सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सरकार ने एक अधीक्षक अभियन्ता एक कार्यपालक अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के विरूद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये सभी अभियन्ता उस कनिष्ठ अभियन्ता के अतिरिक्त है जिसे पहले पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया गया था। आयोग का विचार है कि एक ठोस जांच जिसमें लापरवाही और दुर्घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेवारी निर्धारित होगी, से लोक सेवकों में महत्वपूर्ण संदेश जाएगा कि मानव अधिकारों जिसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है, के संरक्षण से जुड़े कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोताही अस्वीकार्य है और यह नहीं हो सकता कि इस ओर कोई ध्यान नहीं देगा और वे दंड से बच जाऐगे।

8.101 आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने नावों और मछली पकड़ने के जाल की क्षति के लिए मछुआरों को उड़ीसा राहत कोष के अंतर्गत अनिवार्य मुआवजा देने में लापरवाही बरती। यह टिप्पणी उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की है। आयोग की सिफारिश पर 15,53,73,000 रूपए की राशि प्रभावित मछुआरों को देने के लिए आबंटित की गई जिसमें 3000 रूपए प्रति नाव और 1500 रूपए प्रति जाल की दर से मछुआरों

को भुगतान किया गया। आयोग को प्रसन्नता है कि मार्च 2003 के अंत तक प्रभावित मछुआरों को 11,58,08,000 रूपए की कुल राशि वास्तव में वितरित की जा चुकी है।

8.102 चक्रवात के बाद आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश प्राकृतिक विपदा के आलोक में विद्युत, जल, दूरभाष संचार आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए कार्मिकों का एक व्यवसायिक निकाय स्थापित किए जाने से संबंधित थी। इस उद्देश्य के लिए उड़ीसा राज्य सशस्त्र पुलिस में एक विशेष समूह जिसे उड़ीसा विपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओ डी आर ए एफ) कहा जाता है का गठन किया गया। प्रथम चरण में ओ डी आर ए एफ की तीन इकाइयां गठित की गई जिनमें कुल 100 कार्मिक हैं और तीन खास स्थानों पर तैनात की गई। दो और इकाइयां भी जोड़ी जाएंगी। चुने हुए कार्मिकों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रशिक्षण केन्द्र मुकमघाट और सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केन्द्र हावड़ा तथा नागपुर में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ओ डी आर ए एफ इकाइयों को भवनो में फंसे लोगों को बचाने, डूबते व्यक्तियों की जान बचाने, प्राथमिक सहायता देने, भूतल संचार को पुनः स्थापित करने, विपदा के स्थान पर अस्थाई शिविर स्थापित करने और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए उपस्कर प्रदान किए गए है। आयोग भारत सरकार की सराहना करता है कि सरकार ने ऐसे रचनात्मक कदम उठाए।

8.103 पुनरवलोकन में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख राष्ट्रीय आपदाओं के समय मानवाधिकारों के संरक्षण में आयोग की संलिप्तता निःसंदेह मददकारी थी और ऐसा राज्य सरकार तथा प्रभावित लोगों ने भी महसूस किया हैं आयोग की कार्रवाई में राष्ट्रीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न स्थितियों में वे विशिष्ट भूमिका निभा सकते है। यह भूमिका इस बात को सुनिश्चित करने के लिए थी कि सबसे कमजोर समूह के मानवाधिकारों और मानवीय प्रतिष्ठा को भी संकट के समय कोई आंच न आने पाए। वास्तव में विशेष सतकर्ता की आवश्यकता थी ताकि आपदा के समय इन अधिकारों को बरकरार रखा जा सके।

2) गुजरात भूकम्प

8.104 इन्ही कारणों से आयोग ने 26 जनवरी 2001 को गुजारात में आए विनाशकारी भूकम्प के कारण उत्पन्न स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने तत्काल अपने विशेष सम्पर्ककर्ता श्री पी जी जे नम्पूतरी से किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की। आयोग ने श्री एन. गोपालास्वामी, तत्कालीन महासचिव ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री गोपालास्वामी और श्री नम्पूतरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आयोग ने 29 मई 2001 को हुई

बैठक में विचार किया जब गुजरात और भारत सरकार में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए सिफारिशें की गई। इन सिफारिशों के ब्यौरे वर्ष 2001–2002 में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए थे जिसमें 31 मार्च 2002 तक आयोग द्वारा किए गए अनुवर्ती उपायों को बताया गया है।

8.105 वर्ष 2002–2003 में स्थिति की निगरानी रखने के लिए आयोग द्वारा गठित कोर समूह नियमित आधार पर कार्य करता रहा और आयोग को रिपोर्ट देता रहा। यह स्मरणीय है कि कोर समूह में श्री पी.जी.जे. नम्पूतरी, विशेष सम्पर्ककर्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री गगन सेठी, जन विकास ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी; श्रीमती एनी प्रसाद, कच्छ महिला संगठन की अध्यक्ष और प्रोफेसर अनिल गुप्ता, आई आई एम अहमदाबाद शामिल थे। आयोग ने जब भी कोर समूह से रिपोर्टें प्राप्त हुई उन पर विचार किया और जब आवश्यक हुआ, समुचित निदेश/सिफारिशें की।

8.106 फरवरी 2003 में विशेष सम्पर्ककर्ता ने भूकम्प में विकलांग हुए व्यक्तियों की सहायता से जुड़े राहत प्रयास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि:

- विकलांगो को 2000 रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान की जा रही है और वे इस अनुदान को प्राप्त कर रहे हैं तथापि अनेक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें अधिक ध्यान की आवश्यकता है;
- घायल व्यक्तियों को अस्थाई और स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है जिससे वित्तीय सहायता के लिए उनके दावे में रूकावट आ रही है;
- शहरों की योजना और निर्माण में मॉडल मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निकट से निगरानी आवश्यक है ताकि इसे अधिक पर्यावरण अनुरूप बनाया जा सके और
- सरकार ने हाल ही में विकलांगो की सहायता के लिए कुछ फीजियोथेरेपिस्ट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

8.107 यह स्मरणीय है कि भूकम्प के बाद राहत और पुनर्वास प्रयास की निगरानी, देश में उच्चतर न्यायपालिका और आयोग की परस्पर अनुपूरकता का दिलचस्प उदाहरण प्रदान किया है। इस प्रकार गुजरात उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी 2001 को बिपिन चन्द्र जे. दीवान बनाम गुजरात राज्य के मामले में निर्णय की एक प्रति आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 (ख)

के उपबंधों के अनुरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और हस्तक्षेप के लिए भेजी उच्च न्यायालय ने प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश को भी एक लोकपाल के रूप में प्रभावित लोगों से शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें त्वरित राहत प्रदान करने के लिए प्राधिकारियों को भेजने के लिए तैनात किया और इस उद्देश्य के लिए विधायी सहायता प्राधिकारियों को सक्रिय भी किया।

8.108 वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता ने कच्छ जिले के अनेक गांवों का दौरा किया और जिला न्यायाधीश भुज से बैठकें की। इसके अतिरिक्त विशेष सम्पर्ककर्ता ने समाहर्ता भुज और अन्य जिला अधिकारियों से मुलाकात की। अनेक अवसरों पर उन्होंने गुजरात राज्य विपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ कार्यपालकों से, पुनर्वास कार्य में, देखी गई कमियों को उनके ध्यान में लाने के लिए परस्पर विचार विमर्श किया।

ज) जातीयताः डरबन में विश्व सम्मेलन : 'कौम', 'जाति' और 'खानदान' पर आधारित भेदभाव

8.109 अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने इस मत का विस्तार से उल्लेख किया था और उस वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया था जो आयोग ने जातीयता, जातीय भेदभाव, जातिगत भय और संबद्ध असहनशीलता के बारे में 31 अगस्त – 8 सितम्बर 2001 को डरबन में हुए विश्व सम्मेलन में दिया था। आयोग ने वर्ष 2001–2002 की अपनी रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया था कि आयोग डरबन में पारित घोषणा पत्र और कार्य योजना के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करना चाहता है और उस वक्तव्य पर भी कार्रवाई करना चाहता है जिस पर मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए डरबन में सम्मेलन में उपस्थित 47 राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की गई थी।

8.110 यह भी स्मरणीय है कि आयोग ने डरबन में कौम, जाति और खानदान पर आधारित भेदभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे और मत बनाया था कि "मानव अधिकार संबंधी मामलों पर विचारों का आदान प्रदान चाहे यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संरचनात्मक योगदान दे सकता है", यह सुनिश्चित करना "सबसे ऊपर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और नैतिक अनिवार्यता" है कि 'कोम', 'जाति' और 'खानदान' पर आधारित भेदभाव हमारे देश में समाप्त हो जाए और भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक गारंटी का कड़ाई से पालन

हो। इस वक्तव्य और इस प्रयोजन के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने श्री के. बी. सक्सेना, आई ए एस (सेवानिवृत्त) से अनुरोध किया कि वे अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों का अध्ययन करें और इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए समुचित सुझाव दें। तद्नुसार श्री के. वी. सक्सेना ने अध्ययन किया और 25 नवम्बर 2002 को "अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों की रोकथामः नीति और निष्पादनः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए सुझाए गए हस्तक्षेप और पहल" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में श्री के.बी. सक्सेना द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा की और उसके बाद निश्चय किया कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोग में विशेष कोष्ठ गठित किया जाए। कोष गठित किया जा चुका है और इसमें इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई आरंभ कर दी है।

8.111 इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय से प्राप्त सहायता से आयोग ने अध्यापकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से "लिंग, जाति, धर्म और विकलांगता पर आधारित भेदभाव" पर एक पुस्तिका तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है। इस प्रयास में आयोग की सहायता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा की गई। पुस्तिका 15 जनवरी 2003 को जारी की गई। अनुवर्ती कार्रवाई में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् देश में इस पुस्तिका का परिचालन शिक्षा शिक्षक संस्थानों में कर रही है जिनकी संख्या लगभग 2300 है।

अनुसंधान कार्य और परियोजनाएं

अध्याय 9

9.1 आयोग का संविधान आयोग से अपेक्षा करता है कि वह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करे और उसे बढ़ावा दे (अधिनियम की धारा 12 (छ))। आयोग का प्रयास रहा है कि आने वाले हर वर्ष में इस क्षेत्र में और गहरे प्रयास किए जाएं। नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलूर के साथ एक अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त आयोग ने अनुसंधान के लिए अपने मुख्यालय में व्यवस्थाएं सुदृढ़ की है। आयोग ने अनुसंधान कार्य में भाग लेने के लिए युवा इंटर्नो को सूचीबद्ध किया है। आयोग के लिए यह अति महत्वपूर्ण हो गया है कि अनुसंधान ऐसी बातों से जुड़े हों जो मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए व्यावहारिक रूप से सार्थक हों। आयोग का प्रयास रहा कि ऐसे अनुसंधान कार्य किए जाएं जो जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कदमों की संभावना से जोड़े जा सकते हों। इस प्रकार अनुसंधान को न केवल कुछ जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ा गया है बल्कि देश में ऐसा नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी निदेशित किया गया है जो मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को सक्रिय बना सकता हो और ऐसे अधिकारों के उल्लंघन से मुकाबला कर सकता हो तथा आंकड़ा आधार तैयार कर सकता हो। महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार संबंधी–कार्य अनुसंधान जिसका अध्याय VII में विस्तार से वर्णन किया गया है ऐसा ही एक उदाहरण है। अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

क) सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार पर रखने से रोकना: सेवा नियमों में संशोधन

9.2 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी सेवकों द्वारा रोजगार पर रखने को रोकने के

उद्देश्य से आयोग ने सिफारिश की थी कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के आचरण को शासित करने वाले संबद्ध सेवा नियमों में संशोधन किया जाए।

9.3 केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय ने उत्तर में संकेत दिया कि केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 में संशोधन किया था। जैसा कि वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है, केन्द्र सरकार ने समुचित कार्रवाई के लिए संशोधित नियमों को सभी राज्यों में प्रसारित कर दिया है।

9.4 अधिकांश राज्यों ने अब अपने कर्मचारियों के आचरण नियमों में अपेक्षित संशोधन कर लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और उत्तरांचल ने अभी ऐसा करना है। उन्हें समुचित कार्रवाई के लिए स्मरण कराया गया है।

9.5 आयोग का विचार है कि आचरण नियमों के संशोधन से इस मामले को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नियमों पर जोश से निगरानी रखनी चाहिए यदि हमें बच्चों को घरेलू कामों में नियुक्त करने की प्रथा का अंत करना है। आयोग के ध्यान में अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से ऐसी घटनाएं आई हैं कि सरकारी कर्मचारी संशोधित नियमों का अभी उल्लंघन कर रहे है। ऐसी घटनाओं में आयोग ने मामलें को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग को इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

ख) मुसाहर – एक सामाजार्थिक अध्ययन

9.6 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया था आयोग ने बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में रह रहे मुसाहर समुदाय के बारे में ए.एन. सिन्हा समाजशास्त्र संस्थान, पटना द्वारा आयोजित समाजार्थिक अध्ययन का समर्थन किया था। मुसाहर अनुसूचित जातियों में शामिल सबसे उपेक्षित और वंचित समुदाय है।

9.7 अध्ययन पूरा होने के बाद कार्यान्वयक अभिकरण ने आयोग को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार किया और निर्णय किया कि इस रिपोर्ट की जाँच श्री के.बी. सक्सेना आई ए एस (सेवानिवृत्त) से कराई जाए और मुसाहरों की स्थिति के आंकलन के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने में उनकी सलाह ली जाए।

9.8 तद्नुसार श्री सक्सेना ने रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की जाँच की और आयोग के अनुरोध के अनुसार कार्य योजना प्रस्तुत की (अनुबंध 11) इस योजना में उन्होंने मुसाहरों की सहायता के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसाहरों को इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से घर और सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेयजल, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का कल्याण, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, भूमि आबंटन, दक्षता विकास, पंचायत और अत्याचारों से निपटने के तरीकों के लिए अपेक्षित योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

9.9 श्री सक्सेना द्वारा तैयार कार्य योजना पर विचार करने के बाद आयोग ने सिफारिश की कि इसे भारत सरकार और बिहार सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाए। इस मामले पर आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी।

ग) भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन

9.10 यह समझ बढ़ रही है कि मानव अधिकार अविभाज्य तथा परस्पर जुड़े हुए हैं और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समुचित समझ अनिवार्य है। इसलिए आयोग ने नेशनल सेंटर फार एडवोकेसी स्टडीज, पुणे स्थित गैर–सरकारी संगठन को अध्ययन सौंपा है जो विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में भारत में मानव अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा।

9.11 इस अध्ययन के उद्देश्य हैः

- उपेक्षित (आदिवासी, दलित, महिलाएं और बच्चें) व्यक्तियों के विशेष संदर्भ में खास तौर पर खाद्य स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के आबंटन के संदर्भ में सरकार की पहल और हस्तक्षेप का विश्लेषण करना;
- आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर लोगों के दावे की सहायतार्थ सभ्य समाज की पहल की जानकारी लेना;
- आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी सरकारी पहल से लोग किस सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं, को समझना।

9.12 यह अध्ययन भारत के तीन राज्यों, महाराष्ट्र, कनार्टक और छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के एक विकासखंड में क्षेत्र सर्वेक्षण किए जाएंगे। खण्ड का चयन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की अधिकांश संख्या के आधार पर किया जाएगा। अध्ययन में आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उपयोग के लिए वातावरण तैयार करने की दृष्टि से सरकार की पहल का मूल्यांकन होगा। यह इन अधिकारों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए सभ्य समाज के समूहों की मौजूदा भूमिका को भी दर्शाएगा।

घ) निशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकार–राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कनेडियन मानव अधिकार आयोग सम्पर्क परियोजना

9.13 31 मार्च 2003 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कनेडियन मानव अधिकार आयोग के मध्य सम्पर्क परियोजना आरम्भ करने के प्रयास इस स्थिति पर पहुंच गए जहां उन्हें जल्दी की अंतिम रूप दे दिया जाएगा। परियोजना 'निशक्त व्यक्तियों के अधिकार' के बारे में होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई जी एन ओ यू) को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ अभिकरण के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, यह सम्पर्क परियोजना निम्नलिखित कार्य करेगी:

- निःशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाना;
- रा0 मा0 अ0 आयोग और क0 मा0 अ0 आयोग की तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना;
- रा0 मा0 अ0 आयोग और क0 मा0 अ0 आयोग की परियोजना प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

इसके अतिरिक्त क0 मा0 अ0 आयोग के सहयोग से इस आयोग ने तीन मैनुअल: एक विधायी प्रेक्टिसकर्ताओं के लिए; दूसरा शिक्षाविदों के लिए और तीसरा निशक्त अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए विकसित करने का निश्चय किया है। पहला मैनुअल निःशक्त व्यक्तियों के लिए अपनी संबद्धता स्थापित करने हेतु घरेलू विधायी ढांचा बनाने का पता लगाएगा। दूसरा मैनुअल देशीय कानूनों के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध शिकायत और निवारण ढांचे के बारे में पाठकों को जानकारी देगा। तीसरा मैनुअल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिज्ञापत्रों के अंतर्गत उपलब्ध रिपोर्ट करने और उपचारात्मक प्रक्रियाओं सहित अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों और मानकों के बारे में कदमवार दिशा–निदेश के रूप में कार्य करेगा।

9.14 क0 मा0 अ0 आ0, रा0 मा0 अ0 आ0 और आई जी एन ओ यू के मध्य समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है।

ड़) आपरेशन ओएसिस–पश्चिम बंगाल में मानसिक रोगियों से संबंधित अध्ययन

9.15 जैसा कि पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है आयोग कोलकाता स्थित गैर–सरकारी संगठन 'सेवक' को 'आपरेशन ओएसिस' नामक परियोजना के लिए वित्त पोषण कर रहा है। अनुसंधान परियोजना ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न जेलों और गृहों का अभिनिर्धारण किया है और सेवक यहां पड़े मानसिक रोगियों को सहायता दे रहा है। यह परियोजना जो दो वर्ष से जारी है को सेवक से प्राप्त अनुरोध पर विचार करने के बाद बढ़ाकर तीसरे वर्ष के लिए भी अनुमोदित कर दी गई है। आयोग को अनुरोध करते समय सेवक ने कहा कि:

- पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक सुधार/हिरासतीय संस्थानों में सेवक द्वारा अभिनिर्धारित मानसिक रोगियों के उपचार को जारी रखने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया है। यदि परियोजना बीच में बंद हो जाती है तो इन पीड़ित लोगों को मनोचिकित्सीय उपचार और देखभाल नहीं मिलेगी।
- सुधार/हिरासतीय संस्थानों में मानसिक रोगियों के अस्तित्व को राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया हैं परिणामस्वरूप इन रोगियों जो सुधार/हिरासतीय संस्थानों में पड़े हैं कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई लघु अवधि/दीर्घ अवधि नीतियां बनाने के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है।
- गत दो वर्षों में सेवक टीम ने लगभग 30 मानसिक रोगियों जो जेलों/सुधार गृहों में रह रहे थे, को मुक्त कराने में सफलता पाई है।

9.16 तीसरे वर्ष (2003–04) के लिए परियोजना को बढ़ाने हेतु आयोग ने कहा कि ऐसे अनुसंधान कार्य करने के उद्देश्य से अन्य समान संस्थानों को भी अभिनिर्धारित किया जाए। उन्हें भी उनके काम की गुणवत्ता के आधार पर संभव वित्तीय सहायता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

च) भारतीय विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए संसाधन सामग्री विकसित करने हेतु परियोजना

9.17 आयोग ने कर्नाटक महिला सूचना और संसाधन केन्द्र, के डबल्यू आई आर सी बंगलूर से भारतीय विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए स्त्रोत सामग्री विकसित करने हेतु परियोजना

प्रस्ताव अनुमोदित किया। यह प्रस्ताव अक्तूबर 2002 में आयोग के सहयोग से के डबल्यू आई आर सी द्वारा आयोजित मानव अधिकार शिक्षा के बारे में गोल मेज कार्यशाला की अनुवर्ती कार्रवाई या जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े सात डोजियरों पर चर्चा की गई। प्रत्येक डोजियर को मानव अधिकार आंदोलन से जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लिया गया था। डोजियर निम्नलिखित से संबंधित थे :

- भूमि और आवासीय अधिकार;
- मानव अधिकार और पर्यावरण;
- बाल अधिकार;
- सूचना का अधिकार;
- भारत में गृह आधारित कामगार–उनका संघर्ष और प्रकट होती भूमिका;
- दलितों के अधिकार–श्रम की तलाश में प्रवर्जन और दलितों के अन्य अनुभव;
- मानव अधिकारों के लिए मतस्य कामगारों का संघर्ष।

9.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाहाकार समिति ने इन डोजियरों की सराहना की और उनका अनुमोदन किया तथा सिफारिश की कि इन्हें मानव अधिकार शिक्षा में लगे विभिन्न केन्द्रों में प्रयोग में लाया जाए।

9.19 आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के अपने अनुभवों के आधार पर मानव अधिकार शिक्षा पर स्त्रोत सामग्री विकसित करने का सतत् प्रयास करना है।

9.20 इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैः

- निचले स्तर के संगठनों के प्रयोग के लिए डोजियरों का पुर्नलेखन;
- विद्यालय स्तर के लिए डोजियर तैयर करना;
- डोजियरों को हिन्दी और कन्नड दो भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना;
- मानव अधिकार प्रयास के अन्य तीन क्षेत्रों के बारे में डोजियर तैयार करना;
    - भूदान और ग्रामदान जैसे अधिकारों के लिए गांधीवादी संघर्ष;
    - प्रजनन अधिकारों सहित आत्म निर्धारण के लिए महिलाओं के अधिकार;
    - निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार।

9.21 परियोजना एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

मानव अधिकार साक्षरता और जानकारी को बढ़ावा देना

अध्याय 10

10.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ज) में आयोग को मानव अधिकारों के प्रति जानकारी और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट अधिदेश दिया गया है। आयोग के सभी कार्यकलाप मोटे तौर पर इस उद्देश्य के चारों ओर केन्द्रित है। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक शिकायतों के बारे में लिए गए निर्णय, आयोग द्वारा चलाई गई परियोजनाएं और कार्यक्रम, आयोजित की गई संगोष्ठियां और कार्यशालाएं किए गए अनुसंधान और प्रकाशन तथा चर्चाएं सभी का उद्देश्य देश में मानव अधिकारो की संस्कृति को सृजित करना है और ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें अधिकारों का बेघर संवर्धन और संरक्षण हो सके। इसलिए इस अध्याय को इस वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए आयोग के प्रयासों की सम्रगता के संदर्भ में पढ़े जाने की आवश्यकता है। इस अध्याय में मानव अधिकारों की जानकारी और साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयास के ऐसे पहलुओं को दर्शाया जाएगा जो इस रिपोर्ट के अन्य भागों में कवर नहीं किए गए है।

क) मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और मानव अधिकार शिक्षा के लिए कार्य योजना

10.2 गत वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के महत्व पर आयोग के विचारों का उल्लेख किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस बारे में प्रगति की समीक्षा आयोग के महासचिव द्वारा विशेष सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ की गई थी। आयोग को सूचित किया गया था कि भारत सरकार सभी संबन्धितों के परामर्श से मानव अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है। आयोग को यह भी सूचित किया गया

था मसौदा योजना उपलब्ध होने पर, गृह मंत्रालय एक संगोष्ठी का आयोजन करेगा जिसमें आयोग के एक प्रतिनिधी को इस योजना को पारित करने हेतु अंतिम रूप देने के लिए चर्चा करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। चूंकि यह मामला काफी लम्बे समय से लंबित है, आयोग आग्रह करता है कि मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करने का कार्य अब शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

10.3 दूसरी ओर भारत सरकार ने, देर से ही सही, मानव अधिकार शिक्षा के लिए कार्य योजना को मानव अधिकार शिक्षा 1995–2004 हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाने के एक भाग के रूप में अन्तिम रूप दे दिया है। इस कार्ययोजना को कार्यकलापों को दो श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है:

(क) अधिक लोगों में जानकारी फैलाने के लिए रणनीतियां बनाना और

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए पुलिस, सुरक्षा बलों, छात्रों, न्यायिक अधिकारियों और अन्यों जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों में दृष्टिकोणीय परिवर्तन तथा सुग्राहीकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु रणनीति बनाना।

10.4 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, 2000–2001 के 'की गई कार्रवाई के ज्ञापन' में यह कहा गया है कि ''मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना'' शैक्षिक संस्थानों, नौकरशाही तथा पुलिस द्वारा अपनाई गई है। कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न प्राधिकारियों ने पहले ही मानव अधिकार शिक्षा जानकारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक तथा उच्चतम माध्यमिक विभाग) जिसकी देश में मानव अधिकार शिक्षा के प्रसार में प्रमुख भूमिका है, ने, मानव अधिकारों के अव्यव को विद्यालय पाठ्यक्रम में लाने, 'ज्ञान दर्शन' के माध्यम से मीडिया एनीमेशन कार्यक्रमों को तैयार करके दूरदर्शन पर प्रसारित करने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर फांऊडेशनल पाठ्यक्रमों में मानव अधिकारों के अव्यवों को शामिल करके विश्वविद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित करने, बिट्रिश कांऊसिल आदि के सहयोग से मानव अधिकार शिक्षा के लिए संसाधन सामग्री किट तैयार करने हेतु पुनः अभिमुखीकरण द्वारा कार्रवाई की है। केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों ने भी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में मानव अधिकारों पर माड्यूल आरम्भ किए है ताकि अधिकारियों और कार्मिकों में मानव अधिकारियों के बारे में बेहतर जानकारी पैदा की जा सके। सरकार का समाज के अन्य वर्गों में मानव अधिकार शिक्षा में की गई प्रगति को आगे ले जाने और इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव है। आयोग इन बातों का स्वागत करता है और आशा व्यक्त करता है कि मानव अधिकार शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना ध्यानपूर्वक और विधिपूर्वक आगे बढ़ेगी और समाज के बड़े वर्गों को शामिल कर पाएगी।

10.5 जन–जानकारी कार्यक्रम के बारे में, मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में 'दूरदर्शन' तथा 'आकाशवाणी' को शीर्षस्थ मीडिया यूनिटों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। इसलिए आयोग ने, इस कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई आरम्भ कराने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मामलों को उठाया है। आयोग के महासचिव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने हेतु सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मुलाकात की। संयुक्त सहयोग के लिए अनेक कार्य बिन्दु उभरकर सामने आए। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, दूरदर्शन के समाचार कार्यक्रमों में मानव अधिकार मुद्दों को अपेक्षाकृत अधिक रूप से कवर करना, मानव अधिकारों से जोड़कर सामाजिक मुद्दों और समस्याओं पर रेडियो और टी वी स्पॉट्स तैयार करना, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मानव अधिकारों के बारे में पुस्तिका तैयार करना, मानव अधिकार के मुद्दों पर पोस्टर आदि बनाना शामिल है। आयोग के अधिकारियों और दूरदर्शन, आकाशवाणी, श्रव्यता और दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समूह का गठन किया जाना है जो, मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए लघु अवधि तथा दीर्घावधि आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आयोग द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दों और उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करेगा।

10.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग को सूचित किया है कि हाल के वर्षों में अनेक नए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने मानव अधिकारों और कर्तव्य शिक्षा के बारे में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं।

10.7 मानव अधिकारों पर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम, बेहरामपुर विश्वविद्यालय, बेहरामपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, महाकृषि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, इतिराज कालेज फॉर वुमैन, चैन्ने और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम द्वारा आरम्भ किए गए हैं।

10.8 जे. एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, कल्याणी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै; हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

10.9 प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई, अरूणाचल विश्वविद्यालय, इटानगर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, स्वामी रामानंद तीरथ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड़; लंका शासकीय महाविद्यालय, चुड़ा चन्दपुर, मणिपुर और स्टेला मारिस कालेज, चैन्ने द्वारा आरम्भ किए गए है।

ख) लोक सेवकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

10.10 लोक सेवकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से आदान–प्रदान जारी रखा। तत्कालीन महासचिव ने जून, 2002 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का दौरा किया और "जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर–पूर्व में विघटनकारी घटनाओं और मानव अधिकारों के उल्लंघन" तथा "जनजातीय पर्यावरण और मानव अधिकारों के उल्लंघन" विषयों पर दो अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा की। ये दोनों अध्ययन आयोग द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी को सौंपे गए थे। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों के लिए मानवाधिकारों के बारे में मैनुअल तैयार करने में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। जुलाई, 2002 में आयोग में चुने हुए संसाधन व्यक्तियों के साथ मैनुअल को तैयार करने की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई और इसके बाद उपयुक्त मैनुअल तैयार किया गया। मैनुअल के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मानव अधिकार मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेटों/जिलाधीशों/उपायुक्तों को सुग्राही बनाना;
- उनके व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को बढ़ाना और मानव अधिकार मूल्यों को सुदृढ़ करना;
- जिला प्रशासन में सभी स्तरों पर मानव अधिकारों की संस्कृति को विकसित और संवर्धित करना;
- जिला स्तर पर मानव अधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करना;
- जिला मजिस्ट्रेटों /जिलाधीशों/उपायुक्तों को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों के अन्तर्गत आने वाले समाज–राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक घटनाओं की चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार करना।

10.11 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने विधि और व्यवस्था को बनाए रखने, हिरासतीय न्याय, महिलाओं, बच्चों, दलितों अल्प संख्यकों, विकलांगों आदि के अधिकारों जैसे विषयों पर लिखने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों से सम्पर्क किया है। इस रिपोर्ट को लिखते समय, मैनुअल को शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास जारी थे।

10.12 आयोग ने राज्य सरकार के प्रबन्धन संस्थान के सहयोग से तिरूवंतापुरम केरल में सितम्बर, 2002 में वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर दो दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की।

ग) पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

1) ब्रिटिश परिषद के साथ संयुक्त परियोजना– मानव अधिकार अन्वेषण और साक्षात्कार दक्षता और मानव अधिकार तथा हिरासत प्रबन्धन

10.13 विभिन्न क्षेत्रों से लगातार मांगों को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा 2000–2002 के दौरान आयोजित मानव अधिकार अन्वेषण और साक्षात्कार दक्षता और मानव अधिकार तथा हिरासत प्रबन्धन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम को 5 दिवसीय समेकित पैकेज के रूप में पुनः अभिकल्पित किया गया। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के पुलिस कार्मिकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

2) पुलिस प्रशिक्षण के बारे में अनुसंधान परियोजनाएं

10.14 आयोग ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को निम्नलिखित दो अनुसंधान परियोजनाएं सौंपीः–

- भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में मानव अधिकार शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना; और
- भारत में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का ध्यान रखने की भावना विकसित करने हेतु प्रशिक्षण और गैर–प्रशिक्षण संगठनात्मक हस्तक्षेप।

10.15 पहले अध्ययन के उद्देश्य थेः

- पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस के लिए प्रशिक्षण और ''गैर प्रशिक्षण हस्तक्षेपों'' से सम्बद्ध मानव अधिकार शिक्षा आधिपत्य (ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण) का पता लगाना;
- निम्नलिखित आयामों पर विचार करके मानव अधिकारों में पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना;
  - पाठ्यक्रम का उद्देश्य
  - प्रशिक्षण रीति विधान
  - भाग लेने वालों का फीडबैक
  - पाठ्यक्रमों के बारे में आयोजनों का फीडबैक

- विभिन्न रैंकों पुलिस कांस्टेबल, उप निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा में पाठ्यक्रम अभिकल्प का वैधीकरण करना;
- मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के विकास पर केन्द्रित इसके उद्देश्य वक्तव्य के अनुरूप, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मानव अधिकार शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और गैर–प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का अध्ययन करना।

10.16 द्वितीय अध्ययन के उद्देश्य हैः–

- भारत मे पुलिस द्वारा प्रशिक्षण और अन्य हस्तक्षेपों से सम्बद्ध मानव अधिकारों का ध्यान रखने संबंधी बातों (ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण) का पता लगाना।
- भारत में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का ध्यान रखने से जुड़े विभिन्न अभिनिर्धारित ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोणीय अधिपत्य के लिए प्रशिक्षण रणनीति तैयार करना।
- भारत में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का ध्यान रखने हेतु 'गैर–प्रशिक्षण हस्तक्षेपों' की सिफारिश करना।

10.17 प्रथम अध्ययन के संबंध में, दैनिक पुलिस कार्य प्रणाली में मानव अधिकार चिंताओं का पता लगाने के लिए चुने हुए जिला अधीक्षकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके साथ साथ, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने भी विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों में प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न पुलिस मैनुअलों का अध्ययन आयोजित किया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि यह अध्ययन पुलिस अधीक्षकों के लिए मानवाधिकारों संबंधी मैनुअल तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जो दो भागों में हो सकता हैः पहले भाग में दैनिक पुलिस कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को मानव अधिकार मुद्दों से जोड़ा जा सकता है; दूसरा भाग एक अनुबन्ध के रूप में हो सकता है जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित प्रमुख संविधि, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोटोकॉल, न्यायालय के मामले, दिशानिदेश आदि हो सकते हैं। परियोजना पूरी हो चुकी है और मसौदा मैनुअल, जिसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा तैयार किया गया है टिप्पणियों के लिए आयोग को भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट को लिखते समय, मसौदा मैनुअल की आयोग में जांच की जा रही थी।

10.18 द्वितीय अध्ययन के भाग के रूप में, एक प्रश्नावली तैयार की गई है जिसमें कांस्टेबलों, उप कांस्टेबलों, उप–निरीक्षकों/निरीक्षकों, उपाधीक्षकों/अधीक्षकों द्वारा मानव अधिकारों का ध्यान रखने हेतु उनके ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण को कवर किया गया है। इन प्रश्नावलियों से प्राप्त सूचना से अंतरालों का पता लगाया जा सकेगा और प्रशिक्षण तथा अन्य हस्तक्षेपों के लिए सिफारिशें भी इसी आधार पर की जा सकेंगी।

3. अच्छी हिरासतीय प्रथाओं को बढ़ावा देना

10.19 आयोग ने ब्रिटिश परिषद और शुभोदय यातना और हिंसा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास केन्द्र (एच ओ आर ए सी) एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से अच्छी हिरासतीय प्रथाओं को बढ़ावा देने संबंधी परियोजना की है। परियोजना की अवधि ढाई वर्ष है और इसे मार्च, 2005 तक पूरा किए जाने की आशा है। परियोजना में व्यवस्थित कार्यकलापों को चार चरणों में श्रेणीबद्ध किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ एक स्थित्यात्मक अध्ययन, एक प्रशिक्षण संघटक और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां शामिल है। परियोजना का उद्देश्य, मानव अधिकारों से जुड़े कार्यकर्त्ताओं, चिकित्सकों, वकीलों और पुलिस सहित भिन्न–भिन्न अभिकरणों के मध्य यातना को कम करने और वैधानिक अधिकारों की जानकारी और यातना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध उपचारों को बढ़ाने हेतु सहयोग और सम्पर्क सृजित करना है जो इस समय मौजूद नहीं है। आशा है कि परियोजना से समुदाय–आधारित परियोजना के माध्यम से कस्टडी देने में शामिल विभिन्न संस्थायों के मध्य विश्वास पैदा होगा।

घ) अर्ध सैनिक और सशस्त्र बलों के लिए मानव अधिकार शिक्षा

10.20 अर्ध–सैनिक और सशस्त्र बलों को सामान्य तौर से आतंकवाद और विघटनकारी घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में शान्ति तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुलाया जाता है। असाधारण चुनौतियों और भड़काने की स्थिति के मद्देनजर उन पर मानव अधिकारों की जानकारी वाले पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जो उनके लिए शुरू किए जाते हैं, के लिए अधिक जोर देना उचित नहीं है। आयोग के प्रयासों के अनुसरण में मानव अधिकारों का विषय अब सभी स्तरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, अर्ध–सैनिक बलों और आयोग के मध्य परस्पर आदान–प्रदान और अनुभव को बांटने हेतु एक वार्षिक वाद–विवाद प्रतियोगिता हिन्दी और अंग्रेजी में 1998 में आरम्भ की गई थी। वर्ष के दौरान वार्षिक वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय "देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष विधायन आवश्यक है" था। पूर्ववर्ती वर्षों की भांति, इस वाद–विवाद में दोनों भाषाओं में अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों ने बड़ें उत्साह से भाग लिया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग और सेना मुख्यालय, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार–विमर्श करते रहे।

ड़) इंटर्नशिप कार्यक्रम

10.21 आयोग, विश्वविद्यालय के छात्रों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि

से वर्ष 1998 से वार्षिक ग्रीष्मकालीन इटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। यह कार्यक्रम विधि, राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र, अपराध विज्ञान, मानव–अधिकार आदि विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए खुला है। तथापि ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में सीमित संख्या में छात्र भाग ले सकते हैं जबकि इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में अधिक छात्रों को भाग लेने का अवसर देने की दृष्टि से, वर्ष 2000 में एक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया था।

10.22 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 20 अप्रैल से 21 मई 2002 तक चलाया गया था। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और लखनऊ, जम्मू, अरूणाचल प्रदेश, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय तथा शासकीय विधि महाविद्यालय, एर्नाकुलम, केरल के चौदह छात्रों ने भाग लिया। शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 4 दिसम्बर 2003 से 3 जनवरी 2003 तक चला। इसमें महाऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मीलिया इस्लामिया के तेईस छात्रों ने भाग लिया।

10.23 इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान छात्र आयोग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते है। उन्हें मानव अधिकारों के बारे में समझाने के लिए संविधान के उपबन्धों और मुख्य संस्थानों तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। इन्टर्नों को क्षेत्र दौरों पर ले जाया जाता है और मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों से विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे सौपे गए अनुसंधान विषयों पर कार्य करते हैं।

च) विदेशों के दौरे: सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

अन्तरराष्ट्रीय समन्वयन समिति और मानव अधिकारों के बारे में आयोग की बैठकें

10.24 मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वयन समिति राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हैं, के सृजन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का प्रतिनिधि निकाय है।

10.25 मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग, विश्व संगठन का केन्द्रीय मानव अधिकार मंच

है। आयोग राज्यों के आचरण को शासित करने के लिए मानक निर्धारित करता है और एक मंच के रूप में कार्य करता है जहां बड़े और छोटे देश, गैर–सरकारी समूह और विश्व के मानव अधिकार रक्षक अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त कर सकें। अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठकें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की वार्षिक बैठक के साथ आयोजित की जाती है।

10.26 आयोग ने अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बैठकों में प्रतिनिधित्व किया। ये बैठकें अप्रैल 2002 में कोपेनहेगेन और जेनेवा में आयोजित की गई। इन शिष्टमण्डल में तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे एस वर्मा, श्री वीरेन्द्र दयाल, सदस्य और श्रीमती एस जलजा संयुक्त सचिव ने भाग लिया।

अन्य संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

10.27 न्यायमूर्ति जे एस वर्मा तत्कालीन अध्यक्ष ने 3–8 जून 2002 तक बेलाजियों, इटली में आयोजित सम्मेलन में "थॉमस जेफरसन, अधिकार और समकालीन विश्व के बारे में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

10.28 श्रीमती मौसमी चक्रवर्ती, सूचना अधिकारी और श्री शशीकांत शर्मा, वरिष्ठ तंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने "राष्ट्रकुल मानव अधिकार नेटवर्क" विषय पर 12–14 मार्च 2002 तक जोहंसवर्ग, साउथ अफ्रीका में कार्यशाला में भाग लेने के लिए वहां का दौरा किया।

10.29 संयुक्त सचिव श्रीमती एस. जलजा ने रा. मा. अ. संस्थान, मानव अधिकार शिक्षा, मीडिया और जातिवाद के बारे में 15–16 जुलाई 2002 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित कार्यशाला में आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

10.30 डॉ0 सविता भाखड़ी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र के रा0 मा0 अ0 संस्थानों के कर्मचारियों के लिए मानव अधिकारों संबंधी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 21 अक्तूबर 2002 से 1 नवंबर 2002 तक बैंकाक, थाइलैंड में आयोजित किया गया, में आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

10.31 न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर, सदस्य ने "लिंग देह व्यापार के विरूद्ध विश्वव्यापी युद्ध की रणनीति" के बारे में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आयोग का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन 22–26 फरवरी 2003 को वांशिगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था।

छ) प्रकाशन और मीडिया

रा0 मा0 अ0 आ0 का जर्नल

10.32 आयोग के जर्नल के प्रवेशांक का विमोचन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 10 दिसम्बर 2002 को किया गया। जर्नल को जारी करते समय आयोग ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकाशन से देश में मानव अधिकारों के संरक्षण और मानवीय प्रतिष्ठा के संवर्धन के बारे में नई सोच बढ़ेगी। जर्नल का यह भी उद्देश्य था कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार मुद्दों के बारे में विचारों, अनुभव और सूचना के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाया जाए। जर्नल से अनुसंधान को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, मानव अधिकारों के बारे में उच्च गुणवत्ता की छात्रवृत्ति का निकाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच बनेगा और मानव अधिकार विद्वानों के समुदाय को निकट लाया जा सकेगा। यह जर्नल समय के साथ–साथ महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों के बारे में संवाद और संगोष्ठियों के लिए मूल्यवान सिद्ध होगा और नीति निर्माताओं के लिए नए विचार और प्रेरणा का स्रोत बनेगा तथा सर्वोच्च शैक्षणिक परंपरा में मानव अधिकार कानूनों के बारे में न्यायिक निर्णयों संबंधी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रदान करेगा।

10.33 जर्नल वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा और इसमे तीन मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पहली बात यह कि प्रत्येक अंक में भारतीय मानव अधिकार कानूनों में नए परिवर्तनों पर गहन चर्चा होगी। दूसरी बात, यह जर्नल मानवीय प्रतिष्ठा के लिए जारी भिन्न–भिन्न संघर्षों को प्रकाश में लाएगा। तीसरी बात, जर्नल चुने हुए मानव अधिकार मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेगा। इसके अतिरिक्त जर्नल मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा भी करेगा।

10.34 प्रवेशांक की शीर्षक मानव अधिकारः नए आयाम में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे एस वर्मा द्वारा ''मानव अधिकार पुनर्परिभाषितः मानव अधिकारों का नया विश्व'' शीर्षक से एक लेख; श्री फाली एस. नारीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित'' संविधान और मानव अधिकारः विहंगम दृष्टि'' तथा श्री वीरेन्द्र दयाल, सदस्य आयोग द्वारा लिखित ''रा0 मा0 अ0 आ0 का विकास, 1993–2002: दशकीय दृष्टि'' जैसे उत्कृष्ट लेख शामिल हैं।

10.35 मानवीय प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष खण्ड के अंतर्गत जर्नल में सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित लेख ''घरेलू हिंसा ओर कानून''; श्री वी डी शर्मा पूर्व आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का लेख ''जनजातियों के अधिकार''; प्रोफेसर

जी हरगोपाल राजनीति विज्ञान विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद का लेख, "दलितों के अधिकार"; सुश्री अनुराधा मोहित, निःशक्तता मुद्दों के बारे में आयोग की विशेष सम्पर्ककर्ता का लेख "विकलांगों के अधिकार" शामिल हैं। सामयिक मुद्दों के खंड के अंतर्गत श्री दिपांकर गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित "गुजरात हस्तक्षेप" शीर्षक से एक टिप्पणी सुश्री कामिनी जयसवाल, अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय की "जानने का अधिकार" शीर्षक वाली टिप्पणियां शामिल है। जर्नल के खंडों में आयोग की विशेष रूप से गुजरात के बारे में हाल की प्रोसिडिंग्स के अंश शामिल हैं। इसमें सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 के बारे में आयोग के विचार और डरबन में जातिवाद संबंधी विश्व सम्मेलन में आयेाग का वक्तव्य भी दिया गया है। पुस्तकों संबंधी खंड में प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी के ताजा अध्ययन "मानव अधिकारों का भविष्य" की समीक्षा भी शामिल है। यह समीक्षा श्री जी. मोहन गोपाल, निदेशक और प्रोफेसर विधि, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूर द्वारा की गई है।

10.36 दूसरे क्रमागत वर्ष के लिए आयोग ने मानव अधिकारों की भूमिका से निपटने के लिए एक पंचाग प्रस्तुत किया। वर्ष 2003 के पंचाग में "प्रथम 10 वर्ष : रा0 मा0 अ0 आ0 के एक दशक में उठाए गए कदम पर केंद्रित था। इसका विमोचन 10 दिसम्बर 2002 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया।

10.37 नवम्बर 2002 में आयोग ने 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुई त्रासदी से आंरभ होकर हुई हिंसा और उसके बाद गुजरात में मानव अधिकारों की स्थिति के बारे में आयोग की सभी प्रमुख प्रोसिडिंग्स को संकलित करके एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रकाशन में मानव अधिकारों में रूचि लेने वाले व्यक्तियों ने व्यापक रूचि दिखाई।

10.38 जनवरी 2003 में आयोग ने अध्यापकों को विशेष रूप से सुग्राही बनाने की दृष्टि से "लिंग, जाति, निःशक्तता और धर्म पर आधारित भेदभाव" शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की।

10.39 आयोग का मासिक न्यूजलैटर आयोग के कार्य, कार्यक्रमों और चिंताओं के बारे में सूचना का मूल्यवान स्त्रोत बना रहा। आयोग का न्यूजलैटर इसे भेजी गई व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों का सार भी प्रदान करता रहा है। न्यूजलैटर की मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, विधि क्षेत्र से जुड़े सदस्यों, प्रशासकों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, अनुसंधान विद्वानो और छात्रों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की जाती रही है। आयोग को न्यूजलैटर के बारे में सराहना करते हुए तथा इसमें कुछ सुधारों के सुझाव देते हुए लगातार पत्र प्राप्त होते रहे हैं। आयोग की डाक सूची में न्यूजलैटर की मांग में वृद्धि हो रही है। इस न्यूजलैटर को मानव अधिकारों संबंधी

संवाद, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं चाहे ये आयोग द्वारा आयोजित हो अथवा अन्यों द्वारा, में व्यापक रूप से मांगा जाता है। वर्ष 1999 में प्रकाशित न्यूजलैटर आयोग के वेब पेज www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग का और भी व्यापक स्तर पर मानव अधिकार से जुड़ी सूचना के प्रसार के लिए ई–न्यूजलैटर आरंभ करने का प्रस्ताव है।

10.40 रा0 मा0 अ0 संस्थानो के एशिया प्रशांत मंच की नवंबर 2000 में नई दिल्ली में हुई सातवीं वार्षिक बैठक के अवसर पर न्यूजलैटर का एक विशेषांक प्रकाशित किया गया जो एशिया प्रशांत मंच, इसके उद्देश्य, कार्यकलाप, पूर्ववर्ती बैठकें, सदस्य की रूपरेखा और मंच की ज्यूरी की सलाहकार परिषद् की कार्यप्रणाली पर केन्द्रित था।

10.41 आयोग कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा आधार के रूप में अपनी क्लिपिंग सूचना सेवा को बनाए रखे हुए है। इस प्रकार न्यूजलैटर क्लिपिंग्स को न्यूजपेपर वॉर, दिनांकवार तथा विषयवार प्राप्त किया जा सकता है। यह सेवा न केवल आयोग के लिए बल्कि अनुसंधान विद्वानों, छात्रों और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी सूचना का अत्यधिक उपयोगी स्रोत है। ये क्लिपिंग्स राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों के 26 समाचार पत्रों से ली जाती हैं जिन्हें मानव अधिकारों से जुड़ी खबरों के लिए आयोग में प्रतिदिन पढ़ा जाता है। सभी प्रमुख साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों को भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए नियमित रूप से पढ़ा जाता है। सभी प्रमुख साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों को भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए नियमित रूप से पढ़ा जाता है। ये क्लिपिंग्स आयोग को स्वतः संज्ञान लेने के कार्य में सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है।

10.42 आयोग एक बार फिर मीडिया को मानव अधिकार के मुद्दों को व्यापक कवरेज देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहेगा। आयोग तथा मीडिया के बीच लगातार आदान–प्रदान होता रहता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के विभिन्न मुद्दों पर दिए गए साक्षात्कार तथा टिप्पणियां समय–समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं इसके अतिरिक्त मीडिया के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियों तथा वन टू वन आधार पर नियमित रूप से ब्रीफिंग होती रहती है। वास्तव में मीडिया मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में आयोग का प्रमुख सहयोगी है। विगत की तरह आयोग मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मानव अधिकार के उल्लंघनों को संज्ञान में लेता रहा है।

10.43 आयोग द्वारा विचारित मामलों की संख्या और मीडिया में मामलों की रिपोटों से कई फिल्म निर्माताओं ने मानव अधिकार मुद्दों पर अपनी परियोजनाओं के साथ संपर्क किया है। एशिया प्रशांत मंच ने क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य के बारे में बाल श्रम पर आयोग के कार्य को उल्लेखनीय महत्व देते हुए एक फिल्म बनाई है।

10.44 गत वर्षों की प्रथा के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों ने 10 दिसम्बर 2002 को मानव अधिकार दिवस के मौके पर अनेक कार्यकलाप किए। दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों ने मानव अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर पैनल चर्चा आयोजित की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अन्य प्रमुख कार्यकलाप दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर द्वारा आयोग के विशेष प्रतिनिधि श्री ए वी त्रिपाठी की रचना और संकल्पना पर आधारित मानवाधिकारों पर चार भागों में एक सीरियल का निर्माण करना था।

ज) आयोग की ओर से विभिन्न राज्यों के दौरे

10.45 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष, सदस्य, विशेष सम्पर्ककर्ता तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्यों सहित देश के आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का दौरा किया। राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं:–

i) पुलिस महानिदेशक के कार्यालयों में स्थापित मानव अधिकार प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली;

ii) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुकाबला करना;

iii) एच आई वी/एड्स द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के बारे में आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई;

iv) सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन।

10.46 दौरों से आयोग को राज्य में प्रमुख निर्णय लेने वाले अधिकारियों तथा गैर–सरकारी संगठनों और मानव अधिकार समूहों से चर्चा करने का अवसर मिला। इन दौरों में सभी संभव आयोग की चिंताओं को कवर करने का प्रयास किया गया। ऐसा करते समय राज्य की विशेष समस्याओं और मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया।

10.47 प्रत्येक दौरे के बारे में, उठाए गए मामलों पर राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के अनुरोध सहित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। दौरों को आयोग के समक्ष लाई गई उन व्यक्तिगत शिकायतों पर चर्चा करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो लोक सेवकों के आचरण के बारे में अथवा वृहत सामाजिक आवाजों के बारे में संवेदनशील मुद्दों को उठाती है।

एशिया प्रशांत मंच की वार्षिक बैठक

10.48 रा0 मा0 अ0 संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच की सातवीं वार्षिक बैठक 11–13 नवम्बर 2002 को नई दिल्ली भारत में हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 नवम्बर 2002 को किया गया।

10.49 एशिया प्रशांत मंच के सदस्य संस्थानों अर्थात् आस्ट्रेलिया, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, फिलीपिन्स और श्रीलंका तथा नए शामिल हुए मलेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैण्ड के संस्थानों के प्रतिनिधियों ने तीन दिवसीय बैठक में भाग लिया।

10.50 इस बैठक में पर्यवेक्षकों के रूप में आस्ट्रेलिया म्यंमार, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, तिमोर–लेस्टे; के प्रतिनिधियों ने तथा अफगानिस्तान, ईरान, न्यूजीलैंड और फिलीस्तीन के मानव अधिकार संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10.51 भारत के रा0 मा0 अ0 आ0 को सातवीं वार्षिक बैठक के मेजबान संस्थान के रूप में मंच का अध्यक्ष सर्वानुमति से चुना गया। रा0 मा0 अ0 आ0 श्रीलंका के गत वार्षिक बैठक के मेजबान संस्थान तथा रा0 मा0 अ0 आयोग नेपाल को अगली वार्षिक बैठक के मेजबान संस्थान को सर्वानुमति से उप–अध्यक्षों के दो पदों के लिए चुना गया। आस्ट्रेलिया, फिजी, नेपाल और फिलीपीन के रा0 मा0 अ0 सस्थानों को, राष्ट्रीय मानव अधिकार सस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति में क्षेत्र के चार प्रतिनिधियों के रूप में चुना गया।

10.52 बैठक के दौरान मंच ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और प्रतिष्ठा के संरक्षण और संवर्धन संबंधी व्यापक और समेकित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के निमंत्रण का सकारात्मक उत्तर देने का निर्णय किया और राष्ट्रीय संस्थानों को इस विषय पर नई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के विकास में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए कहा। फोर्म ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों और ज्यूरिष्ट सलाहकार परिषद के विचारों को अपनी प्रोसिडिंग्स के दौरान सुना और देह–व्यापार के मुद्दे पर गहराई से विचार किया। फोर्म ने भारत और नेपाल के रा0 मा0 अ0 आयोगों का इस विषय पर मिलकर काम करने पर हुए समझौते का स्वागत किया।

10.53 सातवीं वार्षिक बैठक के अंतिम वक्तव्य की प्रति अनुबंध 12 पर दी गई है।

गैर सरकारी संगठन

अध्याय 11

11.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 स्पष्ट रूप से आयोग से अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा करता है। यह आयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है तथा देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण की आवश्यकता है। वास्तव में गत दशक में आयोग को लगभग प्रत्येक प्रमुख उपक्रम से गैर–सरकारी संगठनों के निकट सहयोग से कार्य करके लाभ हुआ है जिनमें से अधिकांश मानव अधिकारों का पूरे जोश के साथ संरक्षण कर रहे हैं। इन संबंध को सुदृढ़ करने के लिए आयोग क्षेत्रीय आधार पर गैर–सरकारी संगठनों से परामर्श करता रहा है। यह आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों दोनों के लिए काफी बहुमूल्य सिद्ध हुआ है कि वे अपनी समझ को बढ़ाएं और देश में अधिकारों को बढ़ाने के लिए मिल कर कार्य करें।

11.2 गैर–सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क और परामर्शों को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने 17 जुलाई 2001 को गैर–सरकारी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों का एक कोर समूह गठित किया जिसके सदस्यों का विवरण गत वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता श्री चमन लाल से कोर समूह के संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोर समूह की पांचवी बैठक जून 2002 में आयोजित की गई और इस बैठक के अनुसरण में अनेक व्यावहारिक परियोजनाएं हाथ में ली गई।

11.3 गैर–सरकारी संगठनों के साथ क्षेत्रीय परामर्श 13 मार्च 2001 को नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के लिए और 29 जनवरी 2002 को भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। आयोग ने मई 2002 में चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के गैर–सरकारी संगठनों से भी परामर्श

किया। इस परामर्श में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। परामर्श से गैर–सरकारी संगठनों को आयोग के समक्ष अपने पहलुओं और कठिनाइयों को रखने का उपयोगी मंच मिला। आयोग ने अपनी और से इन राज्यों में मानवाधिकारों की विद्यमान वास्तविकताओं का स्वयं लेखा–जोखा प्राप्त किया।

11.4 आयोग इन विशिष्ट मुद्दों के बारे में गैर–सरकारी संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रहा जो कोर समूह तथा आयोग के बीच हुई चर्चाओं में अभिनिर्धारित किए गए थे इनमें पुलिस तथा जेल प्रशासन में तंत्रीय सुधार; महिला गृहों, बाल गृहों और इसी प्रकार के अन्य विभिन्न अभिरक्षीय संस्थानों से जुड़े मामलों; निःशक्त व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और समाज के उपेक्षित वर्गों के व्यक्तियों के अधिकारों; दलितों से जुड़े मुद्दों; मानव अधिकारों के साम्प्रदायिक्ता संबंधित उल्लंघनों की घटनाओं; और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंसगठित कामगारों के मानव अधिकार शामिल हैं। आयोग तथा गैर–सरकारी संगठनों के मध्य इन मामलों में सहयोग की विशिष्ट घटनाओं का लेखा–जोखा इस रिपोर्ट के संबद्ध अध्यायों में दिया गया है।

राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय

अध्याय 12

क) राज्य मानव अधिकार आयोग

12.1 आयोग रा0 मा0 अ0 आ0 1993 के उपबंध के अनुसार राज्य सरकारों को राज्य मा0 अ0 आयोगों को गठित करने के प्रयासों पर नजर रखता रहा है। आयोग को प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मा0 अ0 आ0 गठित किया है अब ऐसे आयोग असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश (विघटित और पुनः गठित) जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में स्थापित है। आयोग इस आशा को दोहराना चाहेगा कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक रा0 मा0 अ0 आ0 गठित नहीं किए है, वे शीघ्र ही ऐसा कर लेगें। राज्य मा0 अ0 आ0 का अस्तित्व मानव अधिकारों के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। यह आयोग अपनी संविधानिक वैधताओं को पूरा करने में संबंधित सरकारों को सहायता करते हैं।

12.2 अनेक राज्य मा0 अ0 आयोगों ने रा0 मा0 अ0 आ0 की कार्यप्रणाली में रूचि दिखाई है और आयोग द्वारा अपनाई गई रीति विधानों और प्रक्रियाओं को अपनाया है विशेष रूचि शिकायत प्रबंधन प्रणाली में दिखाई गई है जिसके लिए आयोग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से एक साफ्टवेयर मॉडयूल विकसित किया है। इसे आयोग द्वारा शिकायतों पर की गई कार्रवाई पर नजर रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रणाली आयोग और शिकायतकर्ताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इससे आयोग के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है।

12.3 रा0 मा0 अ0 आ0 से विचार विमर्श करते हुए कुछ राज्य मा0 अ0 आयोगों ने उनको पेश आ रही वित्तीय तथा अन्य कठिनाईयों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। मा0 अ0 संरक्षण अधिनियम 1993 में देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए आयोगों के नेटवर्क को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर एक–दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अभिकल्पना की गई है। मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत रा0 मा0 अ0 आयोगों के समक्ष मुद्दों के बारे में सिफारिशे करने की स्थिति में नहीं है। इस आलोक में रा0 मा0 अ0 आ0 ने एक ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। यह ढांचा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत रा0 मा0 अ0 आ0 और राज्य आयोगों के बीच अंतर्संस्थागत संबंधों को शासित करेगा और रा0 मा0 अ0 आ0 को अधीक्षता की शक्तियां प्रदान करेगा। सशक्त आयोग एक–दूसरे को मजबूत करेंगे और बेहतर शासन तथा मानवीय समाज के सृजन में सहायक होंगे। इसलिए यह पूरे देश के हित में है कि केन्द्र और राज्य सरकारें आयोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग दें कि अधिनियम की स्कीम का सम्मान हो और उसके उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। आयोगों को एक ऐसे औजार के रूप में देखा जाना चाहिए जो मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में योगदान करेगा और सरकारों के कार्य का अनुपूरक होगा क्योंकि लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करना राज्य की बाध्यता है। आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखने का आग्रह करता है।

12.4 आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर–पूर्वी राज्यों असम और मणिपुर ने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित कर लिए हैं तथा क्षेत्र के अन्य राज्य सैद्धान्तिक रूप से ऐसे आयोगों के पक्ष में हैं। तथापि वित्तीय और प्रशासनिक कारण उनमें रूकावट डाल रहे हैं और यह सोचने की आवश्यकता है कि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्य किस प्रकार एक अथवा अधिक मानव अधिकार आयोग गठित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है यद्यपि ऐसे आयोग गठित होने से क्षेत्र का बहुत लाभ होगा। इसलिए गृह मंत्रालय से एक बार फिर संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने का आग्रह किया जाता है ताकि उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। इन राज्यों के लोगों की भलाई देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

ख) मानव अधिकार न्यायालय

12.5 यह आयोग के लिए दुख की बात है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के वचन को अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया गया है। यह स्मरणीय है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के त्वरित विचारण के उद्देश्य के लिए अधिनियम

की धारा 30 के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है।

12.6 जबकि अनेक राज्यों में ऐसे न्यायालय अधिसूचित किए है फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन अपराधों को मानव अधिकार अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपनी ओर से आयोग ने अधिनियम की धारा 30 में संशोधन का प्रस्ताव किया है जो 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध 1 में देखा जा सकता है। अफसोस है कि इस प्रस्ताव पर किसी निश्चित कार्रवाई के अभाव में ये न्यायालय अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाए हैं जिनके लिए इन्हें नामित किया गया था।

12.7 इसलिए आयोग केन्द्र सरकार को इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों को इस समय पेश आ रही कठिनाईयों से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए यद्यपि इनके समाधान के लिए स्पष्ट सिफारिशे की जा चुकी है।

आयोग के समक्ष शिकायतें

अध्याय 13

क) लंबित शिकायतें

13.1 रिपोर्ट अवधि के आरंभ होने के समय अर्थात् 1 अप्रैल 2002 को आयोग के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 56,462 थी। इनमें 31,923 ऐसे लंबित मामले शामिल थे जिन्हें पूर्ववर्ती रिपोर्टों में लंबित मामलों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 11,589 मामले ऐसे थे जिन पर 1 अप्रैल 2002 तक प्रारंभिक विचार करना अपेक्षित था तथा 12,950 मामलों में प्राधिकारियों से या तो रिपोर्टों की प्रतीक्षा थी अथवा रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी थी और 31 मार्च 2002 तक आयोग में उन पर विचार किया जाना लंबित था। इसका विवरण अनुबंध 13 में दिया गया है।

संख्या और स्वरूप

13.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने 68,779 नये मामले दर्ज किए और इस प्रकार विचार करने के लिए कुल 1,25,241 मामले थे जिनमें से 56,462 मामले गत वर्षों से संबंधित थे। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक की अवधि के दौरान आयोग ने 82,231 मामले निपटाए। राज्यवार तथा श्रेणीवार विवरण अनुबंध 14 और 15 (क) से (ग) तक दर्शाया गया है।

13.3 समीक्षाधीन अवधि के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2003 तक आयोग के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 43,010 थी जिनमें 9,763 मामलों में प्रारंभिक रूप से विचार किया जाना था और 33,247 मामलों में संबंधित प्राधिकारियों से या तो रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी अथवा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी और आयोग में उन पर आगे विचार किया जाना था (देखें अनुबंध 16)।

13.4 2002–2003 में आयोग में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 68,779 थी जबकि वर्ष 2001–2002 में तद्नरूपी आंकड़ा 69,083 था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों में से 67,354 शिकायतें मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित थी, 1340 शिकायतें हिरासतीय मौतों से, 2 शिकायतें हिरासतीय बलात्कारों से और 83 पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित थी। 2002–03 के दौरान हुई हिरासतीय मौतों में से 183 मौतें पुलिस हिरासत में और 1157 मौतें न्यायिक हिरासत में हुई, न्यायिक हिरासत में हुई अधिकांश मौतें बीमारी, वृद्धावस्था अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से हुई थी (देखें अनुबंध 17)।

13.5 पंजीकृत शिकायतों के आंकड़े गत वार्षिक रिपोर्ट में आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन की पुष्टि करते हैं कि क्रमागत वर्षों में तेजी से हुई वृद्धि के बाद आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या अब स्थिर होती प्रतीत होती है। विगत के समान अधिकांश पंजीकृत शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से थी जो आयोग द्वारा पंजीकृत कुल शिकायतों का 60.3 प्रतिशत अर्थात् 40,612 थी। उत्तर प्रदेश के बाद 4028 शिकायतों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर और 3796 शिकायतों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर थी। यह देखना मजेदार होगा कि क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान उत्तर प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना से आगे आने वाले वर्षों में राज्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी आएगी अथवा नहीं।

13.6 वर्ष 2002–2003 में निपटाए गए 82,231 मामलों की कुल संख्या में से 26,128 मामलों को आरंभिक स्तर पर निपटाया गया, 17,262 शिकायतों को समुचित प्राधिकारियों को उपचारात्मक उपायों के निदेशों के साथ और 38,438 मामलों को संबंधित प्राधिकारियों से शिकायतें मंगवा कर निपटाया गया। इनमें से 263 मामले व्यक्तियों के गायब होने से संबंधित, 3595 मामले अवैध बंधीकरण/अवैध गिरफ्तारी से संबंधित, 2783 मामले तथाकथित झूठे मामलों में फंसाने से संबंधित, 706 मामले तथाकथित हिरासतीय हिंसा, 118 मामले तथाकथित 'फर्जी मुठभेड़' से संबंधित थे, 9978 मामले ऐसे थे जो समुचित कार्यवाही न किए जाने से संबंधित थे तथा 9622 शिकायतें अन्य पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों से संबंधित थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 118 मामले विशेष रूप से ऐसी शिकायतों वाले निपटाए जिनमें महिलाओं की प्रतिष्ठा का हनन हुआ था, 159 मामलों में यौन उत्पीड़न का आरोप था, 289 मामलों में अपहरण, बलात्कार और हत्या, 845 मामलों में दहेज के कारण हुई हत्या, 448 मामले दहेज की मांग के बारे में, 200 मामले महिलाओं के शोषण के आरोप से संबंधित तथा 400 मामले महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप से जुड़े थे। आयोग ने बालश्रम से जुड़े 50 मामले भी निपटाए, 26 मामले बाल विवाह तथा 161 मामले बंधुआ मजदूरी के आरोप से संबंधित थे। कारागारों में स्थिति के संबंध में 434 मामले कैदियों के उत्पीड़न से संबंधित थे, 44 मामले जेलों में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी से और 229 मामले जेल की स्थितियों के अन्य पहलुओं से जुड़े थे जिन्हें आयोग द्वारा निपटाया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त 542 मामलों में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति अत्याचारों के आरोप थे जिन्हें आयोग ने प्रश्नाधीन वर्ष में निपटाया जिनमें से 21 मामले सांप्रदायिक हिंसा और 7,407 मामले विभिन्न अन्य श्रेणियों से संबंधित थे। इन मामलों की राज्यवार स्थिति अनुबंध 15 (क) से (ग) तक देखी जा सकती है। आयोग इसे प्राप्त शिकायतों के श्रेणीकरण के लिए तथा अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता और सक्षमता के साथ उन पर कार्यवाही पूरी करने के लिए अपने तंत्र में सुधार लाने का लगातार प्रयास करता रहा है।

13.7 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना से आयोग ने निदेश दिया है कि 559 मामलों में 9,76,68,634 रूपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग ने सिफारिश की कि 39 मामलों में 31,40,000 रूपए की राशि का मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने निदेश दिया कि 5 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही/अभियोजन की कार्यवाही की जाए।

13.8 आयोग दोहराना चाहेगा की यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आयोग द्वारा रिपोर्ट के लिए किए गए अनुरोधों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें तत्परता से कार्यवाही करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर बिना किसी विलंब के कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इस तथ्य पर आधारित है कि आयोग को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसलिए यह उनके लिए अनिवार्य है कि वे अधिनियम में अभिकल्पित स्थिति के अनुसार मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मामलों के निपटान हेतु तत्परता से और कुशलतापूर्वक प्रयासों में आयोग को सहायता दे।

ख) मामलों का अन्वेषण

13.9 आयोग का अन्वेषण प्रभाग का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के रैंक का एक अधिकारी है। महानिदेशक (अन्वेषण) को उप महानिरीक्षक तीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न रैंको के 20 अन्य अन्वेषक सहायता प्रदान करते हैं।

13.10 आयोग के दिशा–निदेशों के अंतर्गत कार्यरत अन्वेषण प्रभाग का प्रमुख उत्तरदायित्व आयोग को प्राप्त शिकायतों के बारे में तथ्य एकत्रित करना और तीव्रता तथा परिशुद्धता सहित आयोग के समक्ष उन तथ्यों को प्रस्तुत करना है। उन मामलों में जहाँ संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से रिपोर्टें पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होती हैं अथवा अन्वेषण प्रभाग द्वारा एकत्रित तथ्य आगे की जाँच की आवश्यकता का संकेत देते हैं, आयोग पूछताछ और घटनास्थल पर अन्वेषण के लिए अन्वेषण प्रभाग

से टीम भेजता है। प्रभाग उन मामलों पर भी निगरानी रखता है जिन पर आयोग ने सी. आई. डी. अथवा सी. बी. आई. से अन्वेषण कराए जाने का आदेश दिया है।

13.11 वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को गत वर्ष के 2,688 मामलों की तुलना में 3,005 मामलों की जाँच करने का निदेश दिया। इन मामलों में से 2,092 मामले देश के भिन्न–भिन्न भागों से 'तथ्यों के संग्रहण' से संबंधित थे। तथापि 130 मामलों में आयोग ने निदेश दिया कि आयोग की टीमें घटनास्थल पर जाकर पूछताछ करें। ऐसी पूछताछ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की गई।

13.12 आयोग ने गत वर्षों में हिरासतीय मौतों के बारे में सूचित किए गए मामलों की बड़ी संख्या के संसाधन और संवीक्षा के भारी भरकम कार्य में सहायता में अन्वेषण प्रभाग को सहयोग देने का निदेश दिया। ऐसे प्रयास विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय IV में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्वेषण प्रभाग के विश्लेषण और परामर्श के लिए आयोग ने फर्जी मुठभेड़ों में हुई तथाकथित मौतों की शिकायतों अथवा झूठे मामलों में फंसाने के फलस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन, अवैध बंधीकरण, यातना, और पुलिस द्वारा किए गए कुकृत्यों के बारे में अनुरोध किया है।

13.13 अन्वेषण प्रभाग के कार्यभार और कार्य के स्वरूप के मद्देनज़र आयोग ने इस प्रभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या और सेवा की स्थिति के बारें में वर्ष 2001–2002 की अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की है। चूंकि ये मामले अभी नहीं निपटे इसलिए आयोग अपनी इस आशा को दोहराता है कि इन पर सकारात्मक रूप से और शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी।

ग) 2002–2003 के दृष्टांत मामले

13.14 जैसा कि पूर्व में देखने में आया है, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त करता रहा है। इनमें हिरासतीय मौतों, यातना, पुलिस की ज्यादती, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उल्लंघन, कारागार की स्थितियाँ, महिलाओं और बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकारों, बंधुआ मजदूरी, लोक प्राधिकारियों आदि द्वारा बरती गई लापरवाही के आरोपों के मामले शामिल है। आयोग बार–बार ऐसे प्रमुख मामलों के बारे में प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता रहा है जिनके बारे में सूचना सामान्य रूप से मासिक न्यूज़ लैटर में शामिल की जाती है और आयोग की वेब साइट पर भी दी जाती है। आयोग ने वेब पर आधारित सुविधा भी स्थापित की है जिससे शिकायतकर्त्ताओं को अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में जानने में सहायता मिलती है। 26 प्रमुख मामलों का सार नीचे दिया गया है:–

पुलिस की ज्यादतियाँ

क) हिरासतीय मौतें

1) लापरवाही के कारण गोगों गाँव के पूर्व सरपंच चुहड़ सिंह की हिरासत में मौत : पंजाब (मामला संख्या 431/19/2000–2001)

13.15 आयोग ने 10 सितम्बर 2000 को पुलिस हिरासत में गोगों गाँव के पूर्व सरपंच चुहड़ सिंह की मौत के बारे में 11 सितम्बर 2000 के 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। पीड़ित को तथाकथित रूप से पोश्त की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था और वह पुलिस हिरासत में अस्पताल में मर गया।

13.16 आयोग के नोटिस के उत्तर में जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने लापरवाही के लिए सहायक उपनिरीक्षक महिलपुर थाना को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि उन्होंने आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की सलाह के विपरित कार्य किया था और चुहड़ सिंह को बिगड़ती हुई हालत में न्यायालय ले जाया गया था। इसलिए सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जाँच आरंभ की गई थी तथापि रिपोर्ट में किसी प्रकार की यातना अथवा पिटाई से इंकार किया गया है जैसा कि मृतक के संबंधियों ने आरोप लगाया है।

13.17 समय पर चिकित्सीय सहायता प्रदान कराने में लापरवाही को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव पंजाब सरकार को चार सप्ताहों के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी किया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत 50,000 रूपए की तत्काल अंतरिम सहायता का भुगतान कर दिया जाए।

13.18 22 मई 2002 को अपनी कार्रवाई में आयोग ने पंजाब सरकार से प्राप्त उत्तर पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि जब तक जाँच को अंतिम रूप नहीं दिया जाता मुआवजे के प्रश्न को स्थगित रखा जाए। तथापि आयोग ने इस आपत्ति को निरस्त कर दिया और अधिनियम की धारा 18 (3) के उद्देश्य की ओर संकेत किया जिसके अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, में तत्काल अंतरिम राहत का प्रावधान है। इसे अन्य कार्रवाई में अंतिम देनदारी के निर्धारण तक प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता। आयोग ने टिप्पणी की कि तत्काल अंतरिम राहत की संकल्पना सार्थक नहीं रह पाएगी यदि इसे उल्लंघनकर्ता के दोष के अस्तित्व के अंतिम रूप से निर्धारित होने की शर्त से जोड़ दिया जाए। पंजाब सरकार को तद्नुसार मुआवजा दिए जाने का निदेश दिया गया।

2) यातना के कारण पुलिस हिरासत में बुझाई की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 4238/96–97/रा.मा.अ.आ.)

13.19 आयोग को पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से 2 अगस्त 1996 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें पुलिस हिरासत में 30 मई 1994 को बुझाई की मौत के बारे में सूचित किया गया था। यह पत्र हत्या के लिए मृतक के विरुद्ध पंजीकृत मामला संख्या 54/94 से संबंधित था। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच में परस्पर विरोधी वक्तव्य थे और इसलिए सी. आई. डी. जाँच की सिफारिश की गई। तद्नुसार मामला संख्या 121/96 अन्वेषण के लिए बेवाना थाना में दर्ज किया गया।

13.20 राज्य के पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और विपरीत टिप्पणियों के मद्देनज़र आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को इस मामले की जाँच करने का निदेश दिया। अन्वेषण प्रभाग की सिफारिश के अनुसरण में आयोग ने राज्य सरकार को अपराध शाखा सी. आई. डी. द्वारा मामले की जाँच करने का निदेश दिया। इस निदेश के अनुसरण में सी. आई. डी. की राज्य की अपराध शाखा ने 28 दिसम्बर 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अपराध करने के लिए 11 पुलिस कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।

13.21 11 मार्च 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने अभियोजन की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना मांगी और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत अदा कर दी जाए। अनेक स्मरण पत्रों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयोग ने 12 जून 2002 के अपने आदेश में कहा की उत्तर प्रदेश सरकार के पास अंतरिम राहत दिए जाने के विरुद्ध कोई कारण नहीं है और आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रुपए की तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी।

3) यातना के कारण पुलिस हिरासत में राधे श्याम की मौतः राजस्थान (मामला संख्या 205/20/1999–2000–सी.डी.)

13.22 12 मई 1999 को आयोग को पुलिस अधीक्षक, जिला झालावार ने राधे श्याम पुत्र रामलाल दर्जी निवासी बच्चापुर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश की 6 मई 1999 की रात को थाना गंगधार, जिला झालावार, राजस्थान की हिरासत में हुई मौत की सूचना दी।

13.23 राजस्थान सरकार को नोटिस भेजे जाने पर, गृह (मानव अधिकार) विभाग ने 2 अप्रैल 2000 को आयोग को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि राधे श्याम को दो अन्य व्यक्तियों के साथ थाना गंगधार के पुलिस कार्मिकों ने मामला संख्या 65/99 में 5 मई 1999 को गिरफ्तार किया था। उसे थाने लाया गया और पूछताछ के दौरान यातना दी गई। इसके बाद उसके शव को साक्ष्य नष्ट करने की दृष्टि से जला दिया गया और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया गया। राज्य सरकार ने मामला दर्ज किया और अपराध शाखा सी. आई. डी. को अन्वेषण का काम सौंप दिया। अन्वेषण के दौरान थानेदार तथा चार कांस्टेबलों के विरुद्ध अपराध स्थापित किया गया। राज्य सरकार ने मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया।

13.24 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रगति रिपोर्ट और संबंधित जन सेवकों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम से संबंधित सूचना मांगी। आयोग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत की राशि प्रदान कर दी जाए। 13 मई 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया जिसमें कहा गया कि न्यायालय में दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है और मृतक के निकटतम संबंधी को प्रदान की गई 50,000 रूपए की राशि को मृतक के हिरासत में मारे जाने के लिए दी जाने वाली अंतिम राशि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।

13.25 आयोग ने कहा कि दी गई राशि एक मनुष्य के जीवन के लिए अपर्याप्त मुआवजा है और राजस्थान सरकार को निदेश दिया की वह मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रूपए की ओर राशि का भुगतान करें। उत्तर में राजस्थान सरकार ने संकेत दिया कि आयोग के निदेशों के अनुपालन में सरकार ने 19 अगस्त 2002 को 1,00,000 रूपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया है।

4) पुलिस हिरासत में हिंसा में कर्ण सिंह की मौत : मध्य प्रदेश (मामला संख्या 1935/12/2000–2001–सी.डी.)

13.26 आयोग ने समाहर्ता और जिला मजिस्ट्रेट, मुरैना, मध्य प्रदेश से 24 अक्टूबर 2000 का एक पत्र प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अम्बा के पुलिस कार्मिक ने छापा मारा और 24 अक्टूबर 2000 को जुआ खेल रहे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आगे कहा गया कि इनमें से एक कर्ण सिंह था जो नशे की हालत में था और उसे अम्बा अस्पताल, जिला मुरैना में दाखिल कराया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।

13.27 गृह सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने पर उपमंडल दंडाधिकारी, अम्बा ने 16 फरवरी 2001 को मजिस्ट्रेट जाँच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जिसमें कहा गया कि कर्ण सिंह की मौत हिरासतीय हिंसा के कारण 24 अक्टूबर 2000 को थाना अम्बा में हिरासत में हुई थी और उसकी मौत के लिए सहायक उपनिरीक्षक और हैड कांस्टेबल उत्तरदायी है।

13.28 26 फरवरी 2002 को आयोग ने कर्ण सिंह की मौत के लिए उत्तरदायी दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई वैधानिक और विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी और मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी किया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए। गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून 2002 की अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत दर्ज मामले के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया है और 10 मई 2001 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक की विधवा को 6 नवम्बर 2000 को 1,50,000 रुपए की राशि अंतरिम राहत के रूप में अदा की गई है। 50,000 रूपए की शेष राशि न्यायालय में मामला निपटने के बाद अदा कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के आलोक में आयोग ने मामले को बंद करने का निर्णय किया।

5) पुलिस हिरासत में सुरेन्द्रन की मौत : केरल (मामला संख्या 13353/96–97/ रा.मा.अ.आ.)

13.29 आयोग को क्रिश्चन कल्चर्ल फोरम से 21 दिसम्बर 1996 को श्री सुरेन्द्रन, निवासी काझाकोट्टम, केरल की काझाकोट्टम में पुलिस हिरासत में दी गई यातना के कारण 19 दिसम्बर 1996 को हुई मौत के बारे में एक शिकायत मिली। पीड़ित को एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था किन्तु अपेक्षानुसार 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। क्रिश्चन कल्चर्ल फोरम ने आयोग से दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

13.30 आयोग के नोटिस के उत्तर में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में माना गया कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है। 17 अगस्त 1999 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने तद्नुसार केरल सरकार को निदेश दिया कि वह मृतक के निकट संबंधी को 3,00,000 रुपए की राशि अदा करे। आयोग ने यह भी कहा कि राज्य की सी. आई. डी. इस मामले में दोषी पुलिस कार्मिकों पर अभियोग चलाने की दृष्टि से अन्वेषण करे और इसके अतिरिक्त मौत के लिए उत्तरदायी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध

समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाए।

13.31 केरल सरकार ने इस आधार पर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एरनाकुलम में रिट याचिका संख्या 14275 में 17 अगस्त 1999 को इस आधार पर आयोग के आदेश को चुनौती दी की आयोग के पास ऐसे निदेश जारी करने का कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ये निदेश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 17 और 18 के उल्लंघन में जारी किए थे क्योंकि ऐसा बिना किसी समुचित जाँच के किया गया था और राज्य तथा पुलिस अधिकारियों जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, को कोई अवसर नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने 6 अगस्त 2002 के आदेश द्वारा पाया कि शव परीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु से पूर्व खरोंचे तथा सूजन सहित अनेक घाव दर्शाए गए हैं। चूंकि यह हिरासतीय मृत्यु का स्पष्ट मामला था। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने आयोग के निदेशों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

ख) हिरासतीय यातना

6) जमीर अहमद खान की हिरासत में मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 14071/24/2001–2002)

13.32 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 25 जुलाई 2001 को श्री ज़हीर अहमद खान की शिकायत का उल्लेख किया जिसमें उसके भाई ज़मीर अहमद खान को बुगरासी चौकी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक तथा दो कांस्टेबलों द्वारा 29 मार्च 2001 को अवैध रूप से बंदी बनाने का आरोप लगाया गया। यह भी आरोप था कि उसे पुलिस ने हिरासत में बुरी तरह पीटा और 30 मार्च 2001 की अपराह्न में उसे रिहा किया गया। यद्यपि उसके घावों की शासकीय अस्पताल में जाँच की गई फिर भी तथाकथित रूप से पुलिस ने उनके विरुद्ध शिकायत न करने की धमकी दी। इसलिए दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई।

13.33 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने अपनी मजिस्ट्रीयल रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि पुलिस ने ज़मीर अहमद को उसके घर से उठाकर हिरासत में उसकी पिटाई की और कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से उसे बंदी बनाया। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि बुगरासी चौकी का थानेदार अपनी शक्ति के दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी है और मजिस्ट्रेट ने उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने की सिफारिश की।

13.34 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने 7 दिसम्बर 2001 के अपने पत्र के माध्यम से संकेत दिया कि शिकायतकर्ता ने दोषी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के अंतर्गत एक मामला दायर किया है और मामला विचाराणाधीन है। न्यायालय में मामले के विचाराणाधीन होने के कारण उन्होंने कहा कि आगे कार्यवाही करना अनुचित होगा।

13.35 इस मामले पर विचार करने के बाद आयोग ने टिप्पणी की कि:

> "यह स्पष्ट है और इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि किसी फौजदारी अथवा दिवानी न्यायालय में राहत के लिए मामले का लंबित होना अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्थगन के लिए उचित कारण नहीं है। इसके अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई में कार्यवाही करने के लिए अपराधिक कार्रवाई में 'उचित संदेह के बिना साक्ष्य' की तुलना में अपेक्षित साक्ष्य का मानक 'अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएँ' लिए होता है। इस मामले में यह तथ्य कि मजिस्ट्रीयल जाँच से यह निष्कर्ष पहले ही दर्ज हो चुका है और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तथा आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत "तत्काल अंतरिम राहत" प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त है। इस धारा में मानव अधिकारों का उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला काफी दृढ़ता से इसके क्षेत्राधिकार में आता है।"

13.36 तद्नुसार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए। संबंधित विभागीय प्राधिकारियों को भी दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए निदेश दिया गया।

13.37 इस तथ्य के आलोक में कि उत्तर प्रदेश सरकार से निर्धारित अवधि के दौरान कोई उत्तर नहीं मिला। आयोग ने 27 मई 2002 की अपनी कार्रवाई में हिरासतीय यातना के पीड़ित को 20,000 रुपए की राशि तत्काल अंतरिम राहत के रूप में प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार से आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में उत्तर की कमी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को चार सप्ताहों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

13.38 उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को इस आधार पर अंतरिम राहत प्रदान किए जाने की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि पीड़ित को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं और

इसलिए कोई भी वित्तीय राहत अनुचित है। आयोग ने राज्य सरकार के विचार को निरस्त कर दिया और यह टिप्पणी की:

> "हिरासतीय यातना का मजिस्ट्रीयल जाँच में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है। पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्शायी गई संवेदनहीनता जिसमें सरकार ने कहा है कि राशि का भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि पीड़ित को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, अत्यधिक खेदजनक है। हिरासतीय यातना चाहे उसमें कोई बाहरी चोट न आई हो, कुछ न कुछ मुआवजे और दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उचित है। इसलिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि पीड़ित को दी गई उपयुक्त राशि के भुगतान की सिफारिश उचित है।"

13.39 उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी है। तथापि अंतरिम राहत के भुगतान के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

7) पुलिस की पिटाई से जगदीश कावले को आई गंभीर चोटे: महाराष्ट्र (मामला संख्या 1585/13/2001–2002)

13.40 आयोग को श्री सुधीर टी. धुर्वे, अधिवक्ता से 8 नवम्बर 2001 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि पौनी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र के श्री जगदीश कावले की थाना पौनी के पुलिस कर्मियों ने 2 मार्च 2001 को निर्दयता से पिटाई की। पीड़ित को गंभीर चोटें आई जिसमें उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई और उसे भंडारा के शासकीय अस्पताल में उपचार पर काफी पैसा खर्च करना पड़ा।

13.41 पुलिस अधीक्षक, भंडारा, महाराष्ट्र के नोटिस के जवाब में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि इस घटना में शामिल सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है और उसे वेतन वृद्धि को रोक कर दंडित किया गया है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के अधीन आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला न्यायालयाधीन है।

13.42 सहायक पुलिस निरीक्षक जिसे विभागीय कार्यवाही के लिए उचित माना गया था, के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले की दृष्टि से आयोग ने 12 सितम्बर 2002 को महाराष्ट्र सरकार को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया। उत्तर में गृह विभाग, महाराष्ट्र

सरकार ने कहा कि चूंकि पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्यवाही की है इसलिए तब तक तत्काल अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा जब तक न्यायालय में लंबित दोनों मामलो में निर्णय नहीं हो जाता। इनमें से एक मामला सहायक उपनिरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध और दूसरा पुलिस द्वारा अपने दोषी सहयोगी के विरुद्ध दायर किया गया है।

13.43 आयोग ने माना कि अंतरिम राहत की स्वीकृति किसी विचारण की प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर नहीं करती चाहे यह विचारण आपराधिक हो अथवा विभागीय और यह कि आयोग को इन मामलों में तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने की शक्ति है जिनमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया ठोस मामला बनता हो। सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा दिए गए गंभीर घावों के बारे में पीड़ित के दावे के समर्थन में प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 2 मार्च 2003 की अपनी कार्रवाई में सिफारिश की कि राज्य सरकार पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 50,000 रुपए की राशि प्रदान करे। राज्य सरकार को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के बाद दोषी सहायक उपनिरीक्षक को नोटिस देकर उससे उक्त राशि वसूल करने की अनुमति है। आयोग की सिफारिश के अनुपालन में महाराष्ट्र सरकार ने अंतरिम राहत के भुगतान के लिए आवश्यक संस्वीकृति जारी कर दी है।

8) कोटा में अध्यापक पर पुलिस की ज्यादती : राजस्थान (मामला संख्या 1603/20/2001–2002)

13.44 आयोग को कोटा के सरकारी स्कूल में अध्यापक श्री प्रेम चन्द से 10 अक्टूबर 2001 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 सितम्बर 2001 को उन्हें स्थानीय उपनिरीक्षक ने घर से उठाया, अवैध रूप से बंदी बनाया, झूठे केस में फंसाया, यातना दी और बंदी बनाए जाने की अवधि के दौरान खाना और पानी तक नहीं दिया गया।

13.45 पुलिस अधीक्षक कोटा को नोटिस जारी किए जाने पर आयोग को एक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें दर्शाया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता को समान नाम के कारण पुलिस द्वारा उठा लिया गया, वास्तव में वह व्यक्ति आपराधिक मामले में वांछित था। उपनिरीक्षक की ओर से इस गलती के लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई।

13.46 शिकायतकर्ता की अवैध बंदी को ध्यान में रखते हुए और मानव अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन के कारण आयोग ने 14 फरवरी 2003 की अपनी कार्रवाई में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को

छः सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया की क्यों न पीड़ित को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत अंतरिम राहत स्वीकृत कर दी जाए। 31 मार्च 2003 तक राजस्थान सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा थी।

ग) पुलिस द्वारा उत्पीड़न

9) पुलिस कर्मी की लापरवाही से इकरामुद्दीन की गलत तरीके से गिरफ्तारी : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 23239/24/1999–2000)

13.47 आयोग को श्री इकरामुद्दीन, निवासी जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से 14 जनवरी 2000 को लिखित शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि इकरामू, निवासी बड़ौत के विरुद्ध थाना बड़ौत में एक मामला दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान अभियुक्त को न्यायालय में पेश नहीं किया गया और उसके विरुद्ध गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिए गए। पुलिस ने इकरामू को गिरफ्तार करने की बजाय इकरामुद्दीन को 20 जून 1999 को उसके विरोध के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। उसे शपथ पत्र भरने के बाद न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस शपथ पत्र में यह कहा गया कि वह इस मामले में अभियुक्त नहीं है। इसलिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई और मुआवजा मांगा गया।

13.48 नोटिस जारी करने पर पुलिस अधीक्षक, बागपत ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि थाना बड़ौत के उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कर्त्तव्य अवहेलना के दोषी पाए गए हैं क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले समुचित रूप से सत्यापन नहीं किया और उन्होंने अपने रिकार्ड में गलत प्रविष्टि की। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जाँच आरंभ कर दी गई है।

13.49 इन तथ्यों के मद्देनज़र आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को बड़ी वित्तीय हानि तथा मानसिक पीड़ा हुई है जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण गलत तरीके से बंदी बनाने के कारण हुआ। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

13.50 कारण बताओ नोटिस के जवाब में विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें संकेत दिया गया कि दोषी पुलिस कर्मियों को निंदा करके दंडित किया गया

है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चूंकि पुलिस ने शिकायतकर्ता की न तो पिटाई की और न ही उसे कोई चोट आई है इसलिए वह किसी वित्तीय सहायता का अधिकारी नहीं है।

13.51 11 अक्टूबर 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को डेढ़ महीने तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया और उसे अपने आप को रिहा कराने के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़े। मामले की सभी परिस्थितियों के मद्देनज़र आयोग ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायतकर्ता को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत आठ सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए की राशि तत्काल अंतरिम राहत के रूप में देने का निदेश दिया।

10) एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नवीउल्लाह को झूठे मामले में फंसाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13501/24/2000–2001)

13.52 श्री पी.एस. छाबड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ललितपुर ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामले में अपने 20 जुलाई 2000 के निर्णय की प्रति भेजी जिसमें अभियुक्त नवीउल्लाह को बरी कर दिया गया है और कहा था कि अभियुक्त को पुलिस ने झूठे मामले में फंसा कर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। निर्णय में एक स्वतंत्र अन्वेषण कराए जाने का अनुरोध था जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा कराई जा सकती है ताकि दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

13.53 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में कि क्यों न उपर्युक्त निर्णय के निष्कर्षों के आधार पर अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जाँच के परिणाम स्वरूप थाना तालबेहात के निरीक्षक और उपनिरीक्षक को एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने का दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई है। तथापि अंतरिम राहत प्रदान करने के मामले में जवाब में कोई उल्लेख नहीं था।

13.54 13 जनवरी 2003 की अपनी कार्रवाई में इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने नवीउल्लाह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए की तत्काल अंतरिम राहत देने का निदेश दिया। राज्य सरकार को यह भी निदेश दिया गया कि वह दोषी जन सेवकों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही के परिणाम से आयोग को भी अवगत कराएँ।

न्यायिक हिरासत में लापरवाही के कारण मौत

11) शिबु की मौत – समय पर चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था में विलंब : केरल (मामला संख्या 136/11/2000–2001–एसीडी)

13.55 आयोग को श्री एम. उन्नीकृष्णनन नम्बूदिरी, निवासी पलक्कड़, केरल से 24 जून 2000 की उनकी शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि शिबु उर्फ श्री कुट्टन की उप जेल कोट्टायम में मृत्यु हो गई जब वह न्यायिक हिरासत में था। याचिका में आरोप था कि शिबु को छाती में दर्द था किन्तु जेल अधीक्षक और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने उसे अस्पताल में दाखिल करने में देरी कर दी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

13.56 पुलिस महानिदेशक, केरल को आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में एस.डी.एम., कोट्टायम ने 22 अप्रैल 2000 की अपनी मजिस्ट्रीयल जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि मृतक को अपराध संख्या 41/2000 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और 6 अप्रैल 2000 को उप जेल कोट्टायम में उसका रिमाण्ड लिया गया। 9 अप्रैल 2000 को मृतक की हालत खराब हो गई और उसे समय पर चिकित्सीय देखभाल के लिए नहीं ले जाया गया। 9 अप्रैल 2000 की रात को वह मर गया। उप जेल कोट्टायम के अधीक्षक को समुचित कदम न उठाने और विचाराणाधीन कैदी को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपने कर्मचारियों को निदेश न देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

13.57 20 नवम्बर 2000 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने माना कि शिबु समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध न कराने के कारण मर गया जो जेल के कारागार अधीक्षक की घोर लापरवाही दर्शाता है। इसलिए आयोग ने केरल सरकार को अपने कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए जेल अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का निदेश दिया और मुख्य सचिव, केरल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए का तत्काल अंतरिम मुआवजा अदा कर दिया जाए।

13.58 केरल सरकार ने 26 जून 2001 के एक अपने उत्तर में कहा कि मृतक की माता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है और न्यायालय ने इस मामले में सी.बी.आई. जाँच का निदेश दिया है। इसलिए सरकार ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि समय पर उपचार देने में जेल प्राधिकारियों की ओर से ढील बरती जाने की बात सी.बी.आई. की रिपोर्ट मिलने पर ही सिद्ध हो सकती है इसलिए किसी प्रकार के मुआवजे के भुगतान पर विचार करना जल्दबाजी होगी। इसलिए

आयोग को कारण बताओ नोटिस पर तब तक कोई निर्णय न लेने का अनुरोध किया गया जब तक सी.बी.आई. द्वारा केरल उच्च न्यायालय के निदेशानुसार न्यायालय में जाँच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

13.59 आयोग ने केरल सरकार द्वारा कही गई बात पर विचार किया और कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत के बारे में कानून स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत जन सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को हुई क्षति से संबंधित होनी चाहिए। आयोग का विचार था कि तत्काल अंतरिम राहत बिना किसी उचित संदेह अथवा सी.बी.आई. आदि द्वारा की जा रही जाँच के परिणामस्वरूप आपराधिक उत्तरदायित्व के सबूत पर निर्भर नहीं करता। तद्नुसार 14 जून 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने केरल सरकार को निदेश दिया कि वह मृतक के निकटम संबंधी को 50,000 रुपए की राशि अंतरिम राहत के रूप में दे। इसके अनुपालन में केरल सरकार ने 16 अक्टूबर 2002 की अपनी रिपोर्ट में संस्वीकृति की प्रति संलग्न की जिसे मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए का भुगतान करने के लिए जारी किया गया था।

12) विचाराणाधीन कैदी हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की लापरवाही के कारण हिरासत में मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 8437/24/1999–2000–सीडी)

13.60 आयोग को पुलिस अधीक्षक, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश से विचाराणाधीन कैदी हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की 19 अगस्त 1999 को हिरासत में हुई मौत की सूचना 20 अगस्त 1999 को प्राप्त हुई।

13.61 उत्तर प्रदेश सरकार को जारी नोटिस के जवाब में गृह सचिव, उत्तर प्रदेश ने अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रीयल जाँच कराई गई है और इसमें कहा गया है कि मृतक पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण मरा जबकि मृतक पुलिस हिरासत में न्यायालय में ले जाया जा रहा था। मजिस्ट्रीयल जाँच रिपोर्ट में दोषी पुलिस कर्मियों के नाम भी दिए गए। तथापि मजिस्ट्रीयल जाँच रिपोर्ट और शव परीक्षा रिपोर्ट जिसमें दर्शाया गया था कि मृतक की मौत "डूबने के कारण सांस रूकने से हुई" के निष्कर्षों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 23 मई 2001 की अपनी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश दिया कि इस मामले को अन्वेषण के लिए अपराध शाखा सी.आई.डी. को सौंप दिया जाए। आयोग ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को उपयुक्त अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाए।

13.62 चूंकि निर्धारित समय में राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, आयोग ने 14 जून

2002 की अपनी कार्रवाई में निष्कर्ष निकाला कि विचाराणाधीन कैदी हरजिन्दर की, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों में दर्ज कारण अर्थात् "पुलिस कर्मियों की लापरवाही और नज़रअंदाज़ी" से न्यायिक हिरासत में मौत हुई।

13.63 आयोग का विचार था कि राज्य विचाराणाधीन कैदी की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तद्नुसार आयोग ने सिफारिश की कि मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए।

13) जेल में मानक राम की हत्या और उसके बेटे को गंभीर चोटें: राजस्थान (मामला संख्या 263/20/98–99–एसीडी)

13.64 आयोग को श्री गुमना राम, निवासी जिला जोधपुर, राजस्थान से 26 अप्रैल 1998 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें मानक राम कैदी की 16 जनवरी 1998 को मंदौर खुली जेल के परिसर में भीम सिंह पुरोहित और अन्यों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था। अभियुक्त ने मानक राम के बेटे मांगी लाल पर भी हमला किया। उसका एक हाथ काट दिया गया था और उसके एक कान में भी गंभीर चोट आई थी। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की और मुआवजा देने के लिए कहा।

13.65 राजस्थान सरकार को जारी नोटिस के जवाब में आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि हत्या के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत थाना मंदौर में एक मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध एक आरोप पत्र दायर किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अभियुक्त ने खुली जेल में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और क्वार्टर में अपराध किया।

13.66 22 मई 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने निदेश दिया कि मृतक मानक राम के परिवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन निर्मित उक्त नियमों का नियम 12 (4) के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुबंध I का क्रम संख्या 20 के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा 2,00,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उक्त नियम के क्रम संख्या 19 के अंतर्गत मांगी लाल को उसका एक हाथ काटे जाने और एक कान में गंभीर चोट किए जाने के कारण हुई विकलांगता के लिए उसे 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान अपेक्षित है। 75 प्रतिशत राशि तुरन्त दी जानी है क्योंकि न्यायालय में अभियोग पत्र दायर हो चुका है। इसलिए आयोग ने राजस्थान सरकार को अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तत्काल भुगतान करने और 8 सप्ताहों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। जन सेवकों जो कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए उत्तरदायी

पाए गए थे, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की भी सिफारिश की गई। आयोग को रिपोर्ट मिली की राज्य सरकार द्वारा अंतरिम राहत के भुगतान संबंधी आयोग के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। दोषी जन सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने संबंधी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

चिकित्सीय लापरवाही

14) चिकित्सीय लापरवाही के कारण गर्भाशय का निकाला जाना : राजस्थान (मामला संख्या 1518/20/2000–2001)

13.67 आयोग को सुश्री संगीता कुमारी से 30 नवम्बर 2000 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि एक 24 वर्षीय महिला बिमला देवी जिसके पेट में पथरी होने का निदान हुआ था, को सवाई मानसिंह मेडिकल अस्पताल, जयपुर में दाखिल कराया गया था। 11 नवम्बर 2000 को उसका आप्रेशन किया गया और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि बिमला देवी को पथरी को निकालने के लिए एक बार फिर आप्रेशन कराना पड़ा। इसलिए उन्होंने पीड़ित के मानवाधिकारों की रक्षा करने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

13.68 राजस्थान सरकार को नोटिस दिए जाने पर उप सचिव, राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पीड़ित का गर्भाशय निकालने के लिए जिम्मेवार चिकित्सक तथा उस यूनिट के प्रभारी व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है और आरोप पत्र भेज दिए गए हैं।

13.69 उपर्युक्त के आलोक में आयोग ने 3 अप्रैल 2002 को निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित महिला को हुई क्षति के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने राजस्थान सरकार को छः सप्ताहों में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न श्रीमती बिमला देवी को 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाए और इस राशि की वसूली संबंधी चिकित्सको के वेतन से की जाए।

बच्चों/महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

15) पुलिस कार्मिकों द्वारा श्रीमती उषा किरण वाजपेयी पर अत्याचार : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 29929/24/2000–2001)

13.70 19 दिसम्बर 2000 को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमैंट ने अपने अध्यक्ष

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, सांसद के माध्यम से अटवाल सिंह चौहान, अधिवक्ता और अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ह्यूमन राइट्स डिपार्टमैंट, जालौन, उत्तर प्रदेश से इस आयोग को एक शिकायत भेजी गई। शिकायत के अनुसार 10 दिसम्बर 2000 को जब 37 वर्षीय श्रीमती उषा किरण वाजपेयी पल्स पोलियो दिवस पर अपनी ड्यूटी कर रही थी, शराब के नशे में चार कांस्टेबलों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके शील को भंग करने का प्रयास किया। जब उसने विरोध किया तो चारों कांस्टेबलों ने उसका पीछा करके उस पर गोली चलाई। कांस्टेबलों को गाँव वालों ने धर दबोचा और वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। पीड़ित महिला को झांसी मेडिकल कालेज अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उसकी जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ा।

13.71 मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी की चारों कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया और मजिस्ट्रीयल जाँच के बाद आरोप पत्र दायर करके उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई है। 26 दिसम्बर 2000 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत पीड़िता को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए।

13.72 पीड़िता के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसका पैर काटना पड़ा और उसे स्थाई अपंगता हो गई तथा उत्तर प्रदेश सरकार से कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर न मिलने के कारण आयोग ने 13 मई 2002 की अपनी कार्रवाई में निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़िता को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 5,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि राजस्थान सरकार ने बाद में सूचित किया कि 21 मार्च 2001 को पीड़िता को 1,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है और आयोग द्वारा 5,00,000 रुपए की अंतरिम राहत के बारे में अनुपालन रिपोर्ट 31 मार्च 2003 तक राज्य सरकार के विचाराधीन थी।

16) अधीक्षक, परिवीक्षाधीन गृह, देवघर द्वारा कैदियों पर अत्याचार: झारखंड (मामला संख्या 177/34/2001–2002)

13.73 आयोग को 6 मई 2001 को कुमारी सीता कुमारी से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें परिवीक्षाधीन गृह, देवघर जहाँ लड़कियाँ रखी जाती है, में कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि लड़कियों की समुचित देखभाल नहीं की जाती है और उन्हें खाना, कपड़ा और दवाईयों से वंचित रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप तथाकथित रूप से एक लड़की 2 फरवरी 2001 को मौत हो गई। शिकायत में आरोप था कि कुछ लड़कियों को अप्रैल 2001 के दौरान गृह के कर्मचारियों द्वारा पीटा

गया और परिणामस्वरूप एक लड़की गृह से भाग गई। उस लड़की ने उपायुक्त देवघर से शिकायत की और वहाँ रह रही लड़कियों को हो रही कठिनाईयों के बारे में बताया।

13.74 उपायुक्त देवघर को जारी नोटिस के जवाब में आयोग को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें पुष्टि की गई कि आरोप सत्य हैं। तद्नुसार परिवीक्षाधीन गृह के अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है। जाँच के दौरान खाने तथा अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई गई। जाँच से पता चला की अधीक्षक द्वारा वहाँ की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और पिटाई की जाती थी।

13.75 मानवाधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन के मद्देनज़र 3 दिसम्बर 2002 को आयोग ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न रिपोर्ट में नामित लड़कियों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत दी जाए। 31 मार्च 2003 को झारखंड सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा थी और आयोग द्वारा मामले पर कार्रवाई की जा रही थी।

17) टोंक में बाल श्रमिकों का शोषण : राजस्थान (मामला संख्या 817/20/2001–2002)

13.76 आयोग को श्री महावीर प्रसाद से 20 जुलाई 2001 को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि चटाई निर्माता श्री बाबू लाल बसवाल ने बाल श्रमिकों को नियुक्त किया हुआ है। उनका शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़क स्थितियों में उनसे काम लिया जा रहा है और मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे श्री बाबू लाल बसवाल के साथ काम करने के लिए अनुबंधित मजदूरी नहीं दी गई है।

13.77 जिला समाहर्त्ता, टोंक, राजस्थान को नोटिस जारी किए जाने पर आयोग को रिपोर्ट मिली कि कोई बाल श्रमिक उक्त स्थान का निरीक्षण करने के समय कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। यह निरीक्षण 25 जुलाई 2001 को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा किया गया था। तथापि जाँच से पता चला कि बाबू लाल के हथकरघे पर शिकायतकर्ता द्वारा कुछ बाल श्रमिकों को नियुक्त किया गया था और उन्हें अप्रैल, मई और जून की मजदूरी दी गई थी। 25 जुलाई 2001 को सक्षम न्यायालय में दावा याचिका दाखिल की गई है। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में श्री बाबू लाल बसवाल के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में बाल श्रम के 11 मामले दर्ज किए गए हैं।

13.78 बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1886 की धारा 3 के उपबंधों के विपरीत अनेक बाल श्रमिकों को रोजगार देने के बारे में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज होने के संबंध

में 2 मई 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, राजस्थान को निदेश दिया कि वह दोषी नियोक्ता से 20,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक की दर से चटाई बुनकर इकाई द्वारा नियुक्त बाल श्रमिकों की सूची तैयार करने और उक्त राशि को बालश्रम पुनर्वास और कल्याण निधि के नाम से ज्ञात निधि में जमा करायें। राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में उक्त निधि में 5,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक की दर से अंशदान करने का भी निदेश दिया। आयोग ने निदेश दिया कि इस प्रकार सृजित निधि एक आधारभूत निधि बनेगी और इसकी आय केवल संबंधित बच्चों के लिए प्रयोग होगी।

18) पुलिस की लापरवाही के कारण अवयस्क चन्द्रपाल की मौत : उत्तरांचल (मामला संख्या 11150/20/1999–2000)

13.79 29 जुलाई 1999 को आयोग को श्री कल्याण सिंह, निवासी गाँव भान, पौड़ी गढ़वाल से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके 14 वर्षीय पुत्र चन्द्रपाल को सहायक उप निरीक्षक ने 9 जून 1999 को अपने रिवाल्वर से गोली मारकर मार डाला।

13.80 नोटिस जारी किए जाने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल ने रिपोर्ट भेजी जिसमें सहायक उप निरीक्षक जो दिल्ली पुलिस के साथ तैनात था, द्वारा चन्द्रपाल की हत्या की बात स्वीकारी गई थी। इस तथ्य के मद्देनज़र कि चन्द्रपाल की मौत पुलिस कर्मी के कारण हुई मानी गई है, आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया।

13.81 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उप पुलिस आयुक्त सतर्कता दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि सहायक उप निरीक्षक अपनी सर्विस पिस्तौल भुवनेश्वरी मंदिर, जिला पौड़ी गढ़वाल ले गया था। उसे थाना लक्ष्मण झूला में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क के अंतर्गत दर्ज मामला संख्या 64/1999 में चन्द्रपाल की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया और उसे निलंबित कर दिया गया, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

13.82 मामले पर विचार करने पर आयोग ने 11 अक्टूबर 2002 की अपनी कार्रवाई में माना कि पुलिस उपायुक्त कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को निदेश दिया कि वह छः सप्ताहों के भीतर अधिनियम 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत के रूप में शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान करे।

19) बंधुआ बाल मजदूरी : आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 443/1/2001–2002/एफसी)

13.83 आयोग को 24 अगस्त 2001 की एक याचिका प्राप्त हुई जिसमें महबूब नगर, कृष्णा और निज़ामाबाद जिलों में कपास की खेतीबाड़ी, टाइल निर्माण इकाईयाँ, खानों और बीड़ी निर्मात्री इकाईयों में जोखिम भरे कार्य में नियुक्ति के माध्यम से अव्यस्क लड़कियों का शोषण और बालश्रम का आरोप लगाया गया था।

13.84 15 अक्टूबर 2001 को आयोग द्वारा जारी निदेशों के उत्तर में आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार से 19 जुलाई 2002 की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें संक्षेप में लिखा गया कि सरकार राज्य में वर्ष 2004 तक समयबद्ध तरीके से बालश्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है।

13.85 इसके बाद आयोग ने आंध्र प्रदेश में बालश्रम की स्थिति के बारे में अपने विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के. आर. वेणुगोपाल की टिप्पणियाँ प्राप्त की। अपनी रिपोर्ट में श्री वेणुगोपाल ने बंधुआ मजदूरों के रूप में प्रयोग किए जा रहे बच्चों की दो घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें जिला करनूल, आंध्र प्रदेश में उनके नियोक्ताओं ने उन्हें ज़ंजीरों में बांध कर रखा।

13.86 10 मार्च 2003 को आयोग ने रिपोर्ट और विशेष सम्पर्ककर्ता की टिप्पणी पर विचार किया।

13.87 आयोग ने राज्य सरकार से उसके द्वारा कार्य योजना पर आधारित अनुवर्ती कदमों के विवरण सहित योजना की प्रति भेजने के लिए कहा।

13.88 मामला आयोग के विचारार्थ है और बाल तथा बंधुआ मजदूरी का मुद्दा आयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

20) रूढ़ीवादी प्रथाओं के कारण बच्चों के अधिकारों का उल्लंघनः तमिलनाडु (मामला संख्या 558/22/2002–2003)

13.89 आयोग ने 22 अगस्त 2002 के इंडियन एक्सप्रेस में "एक मिनट के लिए 105 बच्चों को दफन किया गया, तमिलनाडु के मंत्री देखते रहे : मदुरै के मंदिर में दिल दहलाने वाली रस्म में अभिभावकों ने भाग लिया" शीर्षक से छपी खबर का स्वतः संज्ञान लिया।

13.90 खबर के अनुसार मदुरै से 46 किलोमीटर दूर पेरायूर गाँव में दो देवियों को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 105 बच्चों को "केवल एक मिनट" के लिए जिन्दा "दफन" किया गया। आरोप था कि बच्चों को पहले बेहोश किया गया और फिर कब्र में रखा गया, पूरी तरह से ढक दिया गया तथा 60 सैंकेडों के बाद बाहर निकाल लिया गया। यह सारी घटना तमिलनाडु सरकार के आवास तथा शहरी विकास मंत्री की आँखों के सामने हुई।

13.91 26 अगस्त 2002 को आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को नोटिस जारी किया और घटना की सूचना देने तथा इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने के लिए कहा।

13.92 16 अक्टूबर 2002 को आयोग ने तमिलनाडु सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया। आयोग ने देखा कि संबंधित मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है किन्तु विचार किया कि इस निन्दनीय प्रथा के लिए यह पर्याप्त जवाब नहीं है। आयोग ने जोर दिया कि इस प्रथा को न केवल प्रतिबंधित कर दिया जाए बल्कि ऐसे उपाय किए जाएं कि ऐसी घटना पुनः न हो सके। इसलिए आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से इस प्रथा को रोकने के लिए उपाय करने का संकेत दिया और इस प्रथा की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा।

13.93 12 मार्च 2003 को आयोग ने तमिलनाडु सरकार के उत्तर पर विचार किया। आयोग ने पाया कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसी प्रथा जिसमें जिन्दा व्यक्तियों को दफन करने की रस्म है, को समाप्त करने के लिए तमिलनाडु जीवित व्यक्ति को दफन करने की रस्म और प्रथा निषेध अधिनियम 2002 को पारित किया है।

13.94 आयोग ने आशा व्यक्त की कि अधिनियम को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाए और इस मामले को बंद कर दिया गया।

समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन

21) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार – पाँच दलितों की हत्या : हरियाणा (मामला संख्या 1485/7/2002–2003)

13.95 आयोग ने 17 अक्टूबर 2002 को इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित "हरियाणा में पाँच दलितों की हत्या" शीर्षक से छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 20 वर्ष

के पाँच दलित युवकों को 15 अक्टूबर 2002 को जिला जज्झर, हरियाणा में पीट–पीट कर मार डाला और दो को जला दिया गया। पीड़ित व्यक्तियों को पुलिस चौकी से भीड़ द्वारा खींच कर बाहर लाया गया जहाँ वे शरण लिए हुए थे और नगर मजिस्ट्रेट, जज्झर और बहादुरगढ़ के उप पुलिस अधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी तथा कम से कम 50 पुलिस कर्मियों के समक्ष बुरी तरह से पीटा।

13.96 मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को नोटिस जारी करने पर 23 अक्टूबर 2002 की एक रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक, हरियाणा प्राप्त हुई। जिसमें कहा गया कि 15 अक्टूबर 2002 को विरेन्द्र, तोता राम, राजू, दयाचन्द और कैलाश नामक पाँच व्यक्ति चमड़ा और गाय एक वाहन में लेकर गुड़गाँव जा रहे थे। वे दुलिना के पास रूके और सड़क के किनारे गाय की खाल उतारना शुरू कर दिया। लगभग 40–50 व्यक्ति जो वहाँ इकट्ठा हो गए थे, ने सोचा कि इन पाँचों ने गाय को मार डाला है और इसलिए उन्होंने उनको बुरी तरह पीटा। पाँचों व्यक्तियों को पुलिस चौकी दुलिना ले जाया गया और एक मामला दर्ज किया गया। इसी दौरान वहाँ लगभग 400–500 व्यक्तियों की भीड़ जमा हो गई और वे लोग हिंसक हो गए तथा पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकने लगे जिसके कारण कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। गुस्साई भीड़ ने पाँच व्यक्तियों को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बारे में जज्झर थाने में मामला दर्ज किया गया है और एक विशेष अन्वेषण दल को अन्वेषण के लिए गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने श्री आर. आर. बंसवाल, आई. ए. एस., आयुक्त, रोहतक को पूरी घटना की जाँच करने के लिए नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपए की अनुग्रह राहत की घोषणा की। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई।

13.97 13 जनवरी 2003 की कार्यवाही में आयोग ने 5 दिसम्बर 2002 की रिपोर्ट जो आयुक्त, रोहतक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, पर विचार किया। उसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया कि:

> "आरंभ में जब 50–60 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा थीं और स्थिति शांतिपूर्ण थी, पुलिस के पास लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटे गए पाँचों व्यक्तियों को स्थानांतरित करने तथा चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल भेजने का पर्याप्त समय था........
>
> पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया और मामले को साधारण ढंग से निपटाया.........
>
> उन्होंने हिंसक भीड़ के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही नहीं की और भीड़ को शांत करते रहे। उन्होंने जिला प्रमुख अर्थात् उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, झज्जर को सूचित भी नहीं किया..........

ड्यूटी मजिस्ट्रेटों ने अपनी ड्यूटी का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया"।

13.98 आयुक्त, रोहतक ने टिप्पणी की कि भीड़ ने पाँचों व्यक्तियों को मारकर मानवता की सभी सीमाओं को लांघते हुए जघन्य अपराध किया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कर्मी निर्दयी भीड़ से पाँच निर्दोष व्यक्तियों की बहुमूल्य जान बचाने में असमर्थ रहे। 31 मार्च 2003 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने टिप्पणी की कि उसके हस्तक्षेप से हरियाणा सरकार ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 5,00,000 रुपए का मुआवजा दिया और उन पाँचों व्यक्तियों पर निर्भर परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया। राज्य सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय किया। इन कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम/वर्तमान स्थिति तथा निर्भर व्यक्तियों जिन्हें राज्य द्वारा रोजगार दिया गया है, के बारे में विवरण मांगा है।

22) किसानों द्वारा आत्महत्या : आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 444/1/2001–2002/एफसी)

13.99 डॉ0 वाय. एस. राज शेखर रेड्डी, नेता विपक्ष, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने सितम्बर 2001 में एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें आरोप लगाया गया कि लगभग 117 किसानों ने आत्महत्या कर ली और जनवरी–सितम्बर 2001 के दौरान लगभग 160 व्यक्तियों ने आत्महत्या की। गत 5–6 वर्षों के दौरान आत्महत्याओं की कुल संख्या समाचार पत्र की खबर के अनुसार लगभग 2000 कही गई है। तद्नुसार आयोग को इस मामले पर श्री एम. श्याम प्रसाद से भी एक शिकायत प्राप्त हुई।

13.100 आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राहत के भुगतान, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर मंजूर करने, आवासीय विद्यालयों में बच्चों को दाखिला देने, वृद्धों को पेंशन देने, दो वर्ष के लिए ऋण को माफ करने जैसी आर्थिक योजनाओं और ब्याज की दरों में कटौती करने तथा ऋण स्वीकृत करने सहित विभिन्न लघु तथा दीर्घावधि उपायों की सूची प्रस्तुत की।

13.101 आयोग ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और इसके बाद याचिकाकर्ता की टिप्पणी प्राप्त की। मामले को आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के.आर. वेणुगोपाल को अपनी टिप्पणियों के लिए भेजा। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में श्री वेणुगोपाल ने बीजों और कीटनाशकों के निजी व्यापार को नियमित करने और उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के बारे में दूरगामी सुझाव दिए।

13.102 आयोग ने तत्पश्चात् निदेश दिया कि श्री वेणुगोपाल द्वारा दिए गए सुझावों का सार आंध्र प्रदेश सरकार को उसके विचार तथा उत्तर के लिए प्रेषित किया जाए।

13.103 आंध्र प्रदेश सरकार के विचारों की प्रतीक्षा है और मामला आयोग के समक्ष बना हुआ है।

सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

23) 32 राष्ट्रीय राइफल्स के कार्मिकों द्वारा हाओसिंगलून चांग्सन का अपहरण और हत्या : मणिपुर (मामला संख्या 19591/96–97/रा.मा.अ.आ.)

13.104 आयोग को श्री टी. लूनकिम, अध्यक्ष, मानवाधिकारों के लिए कुकी आंदोलन, मणिपुर से 19 मार्च 1997 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री हाओसिंगलून चांग्सन का मणिपुर के जिला चुड़ाचंद में 32 राष्ट्रीय राइफल्स के कार्मिकों द्वारा 7 मार्च 1997 को अपहरण किया गया और हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर गोलियों के अनेक घाव थे और यातना के निशान दिखाई पड़ रहे थे जब उसके शव को 32 राष्ट्रीय राइफल्स के कार्मिकों ने पुलिस को सौंपा।

13.105 गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किए जाने पर गृह मंत्रालय ने 3 फरवरी 1998 को रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि चांग्सन को उसके विरुद्ध विशेष सूचना के आधार पर 6 मार्च 1997 को पकड़ा गया था। उसने आतंकवादी गिरोह में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके कब्ज़े से एक हथियार भी बरामद किया गया। उसे 6 मार्च 1997 की रात को उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ उसने हथियार छिपा रखा था। घात के दौरान और आतंकवादियों से गोलीबारी में उसने भागने की कोशिश की और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में वह घायल हो गया। थाने में प्राथमिकी दायर की गई। मणिपुर सरकार से प्राप्त शव परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मृतक के शरीर के भिन्न–भिन्न भागों में 14 घाव थे। 14 गोली लगने के आंतरिक घाव और 13 बाहरी घाव थे।

13.106 आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक को लगे घाव उसके शरीर पर निकट से चलाई गई गोली के कारण थे न कि गोलीबारी में अंधेरे में लगी गोलियों के कारण, जैसा कि मृतक द्वारा सेना की हिरासत से भागने का प्रयास करने का आरोप है।

13.107 पूरी परिस्थितियों के मद्देनज़र आयोग ने सेना के अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी जाए।

13.108 रक्षा मंत्रालय से प्राप्त उत्तर पर विचार करके आयोग ने 8 अगस्त 2002 को निष्कर्ष निकाला कि हाओसिंगलून चांग्सन के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाए और इस बारे में निदेश जारी किए जाएँ।

अन्य महत्वपूर्ण मामले

24) बिजली का करंट लगने से मौत (मामला संख्या 17324/24/1999–2000)

13.109 आयोग को श्रीमती लीलावती, निवासी जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से 16 अक्टूबर 1999 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि 31 मई 1997 को उसके गाँव में बिजली का एक खंबा उस पर तथा उसके बेटे गोविन्द पर गिर गया जिसके परिणामस्वरूप उसके बेटे की मौत हो गई और उसे गंभीर चोटें आईं। उसके एक हाथ को काटना पड़ा और वह स्थाई रूप से अपंग हो गई। उसे मार्च 1999 में उसके बेटे की मौत के लिए केवल 20,000 हजार रुपए और उसको लगी चोटों के लिए 12,000 रुपए दिए गए। विद्युत विभाग की लापरवाही की स्वतंत्र जाँच के लिए तथा पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के लिए अनुरोध किया गया।

13.110 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को जारी नोटिस के जवाब में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि मुआवजे की राशि जुलाई 1996 के परिपत्र/दिशा निदेशों के अनुरूप है। तथापि रिपोर्ट में इस बात से इंकार किया गया कि बिजली का खंबा याचिकाकर्ता और उसके बेटे पर गिरा था। गोविन्द की मौत और शिकायतकर्ता को हुई स्थाई अपंगता पर कोई विवाद नहीं था। आयोग ने माना की यह तथ्य की विद्युत बोर्ड के नियमों के अनुसार कुछ मुआवजा दिया गया है, अपने आप में विद्युत विभाग द्वारा अपनी लापरवाही को स्वीकार करने का पर्याप्त सबूत है। आयोग ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि यह तथ्य याचिकाकर्ता और उसके बेटे के मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है इसलिए अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए।

13.111 चूंकि निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आयोग ने मत बनाया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम साहिल कुमारी और अन्य (एआईआर 2002 एससी 551) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कठोर देनदारी के सिद्धांत को इस मामले में लागू किया जा सकता है। इसलिए आयोग का विचार था कि शिकायतकर्ता श्रीमती लीलावती को उसके बेटे गोंविद की मौत के लिए 20,000 रुपए और शिकायतकर्ता की अपंगता के लिए 12,000 रुपए की राशि का मुआवजा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक अपर्याप्त है। 26 अगस्त 2002 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 को निदेश दिया कि वह अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत समुचित तत्काल अंतरिम राहत के रूप में दोनों मामलों में 2,00,000 रुपए की राशि का भुगतान करे। यह राशि शिकायतकर्ता को पहले से दी गई 32 हजार रुपए की राशि के अतिरिक्त थी। महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 के 31 दिसम्बर 2002 के पत्र द्वारा आयोग के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

25) मुम्बई हवाई अड्डे पर आवर्जन अधिकारी द्वारा श्री कुम्पंपदम थॉमन सकारिया का उत्पीड़न : महाराष्ट्र (मामला संख्या 263/13/2000–2001)

13.112 आयोग को भारतीय मूल के संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नागरिक श्री कुम्पंपदम थॉमन सकारिया से 25 फरवरी 2000 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया है कि वे 6 मार्च 1999 को अपने पिता जिनका केरल में स्वर्गवास हो गया था, के अंतिम संस्कार में भाग लेने मुंबई हवाई अड्डे पर आए थे। अपने पासपोर्ट और वीज़ा के बिल्कुल क्रम में होने के बावजूद उन्हें आवर्जन अधिकारी ने इस आधार पर उत्पीड़ित किया कि वीज़ा में प्रविष्टि से छेड़छाड़ की गई है। उन्हें केरल में उनके मूल गाँव जाने की अनुमति नहीं दी गई बल्कि मुंबई हवाई अड्डे से उन्हें संयुक्त राष्ट्र अमरीका वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप उन्हें अत्यधिक मानसिक पीड़ा और यातना छेलनी पड़ी और आर्थिक हानि हुई।

13.113 नोटिस जारी होने पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 19 अगस्त 1998 को श्री सकारिया को वाशिंगटन डी सी स्थित भारतीय दूतावास जारी वीज़ा में वीज़ा क्लर्क जो दूतावास में स्थानीय कर्मचारी था, द्वारा हाथ से तिथि में संशोधन किया गया था। चूंकि यह बिना किसी गलत भावना के मानवीय त्रुटि थी इसलिए मिशन उप प्रमुख ने 3 नवम्बर 1999 के अपने पत्र में शिकायतकर्ता को हुई असुविधा के लिए उनसे क्षमा याचना की। मंत्रालय ने कहा कि आवर्जन अधिकारी ने इस संदेह के आधार पर कार्य किया कि

श्री सकारिया ने वीज़ा में परिवर्तन किया है यद्यपि वे पहले भी बिना किसी समस्या के उसी वीज़ा पर भारत की यात्रा कर चुके थे।

13.114 आयोग ने टिप्पणी दी कि शिकायतकर्ता को उनकी कोई गलती न होने पर भी प्रवेश से इंकार कर दिया गया और वह भी तब जब वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने आए थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण अत्यधिक मानसिक पीड़ा, अपमान और वित्तीय क्षति को झेला। विदेश मंत्रालय को छः सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए।

13.115 दोषी जन सेवकों अर्थात् आवर्जन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की जाए।

13.116 संबंधित सरकारी विभागों से उत्तर प्राप्त होने पर आयोग ने दोहराया कि याचिकाकर्ता को उसकी गलती के बिना प्रवेश से इंकार किया गया जबकि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने आए थे। इसलिए आयोग ने याचिकाकर्ता की आहत भावनाओं को सांत्वना देने की आवश्यकता पर जोर दिया। याचिकाकर्ता को मामले की स्थिति से अवगत करा दिया गया। इसलिए आयोग ने सुनवाई की जिसमें सभी मंत्रालय और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

13.117 12 जून 2002 को आयोग ने सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों और मुंबई में आवर्जन के स्तर पर शामिल व्यक्तियों तथा जिनके कृत्य से यह दुःखद घटना घटी, के स्पष्टीकरण सुने। आयोग ने उन्हें संकेत दिया कि मुंबई में आवर्जन अधिकारियों के आचरण से आयोग उनके स्पष्टीकरण के आधार पर संतुष्ट नहीं है और इस मामले में वह सिफारिशें करेगा जब तक भारत सरकार इस मामले के तथ्यों के मद्देनज़र अपनी सोच पर पुनर्विचार नहीं करती और अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देती।

13.118 31 जुलाई 2002 को आयोग ने देखा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यशाली घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवर्जन अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को केरल में अपने मूल स्थान तथा भारत में अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुफ्त वापसी हवाई टिकट प्रदान करने का निर्णय किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संबंधित विभागों के परामर्श से रूपरेखा तैयार की जा रही है। कार्यवाही जारी है।

26) भुखमरी के कारण मौते रोकने के उपाय : उड़ीसा (मामला संख्या 37/3/97–एलडी)

13.119 पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में उड़ीसा के केबीके जिलों में भुखमरी के कारण मौतों के आरोपो से निपटने के लिए वर्ष 1996 से आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को इस मामले पर नज़र रखने के लिए कहे जाने का भी उल्लेख किया गया है।

13.120 वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा योजना, मृदा संरक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम और वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में केबीके जिलों में किए गए कुछ अंतरिम उपायों के बारे में किए गए प्रयास और उपलब्धियों का उल्लेख किया है।

13.121 वर्ष 2002–2003 के दौरान इस मामले को 2 सुनवाईयों में उठाया गया है। 10 अक्टूबर 2002 को हुई पहली सुनवाई में आयोग ने विशेष संपर्ककर्ता श्री चमन लाल की 14–22 नवम्बर 2001 के दौरान केबीके जिलों पर आधारित रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया। आयोग ने एक याचिकाकर्ता डॉ0 अमृता रंगास्वामी, निदेशक, सेन्टर फॉर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीफ, द्वारा वर्तमान मामले में निहित संवैधानिक अधिकार के स्वरूप तथा राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और उस अधिकार के मध्य विसंगति के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया।

13.122 सुनवाई के अंत में राज्य सरकार को निदेश दिया कि उठाए गए मुद्दों के बारे में व्यापक उत्तर प्रस्तुत करे और श्री जयंत दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, उड़ीसा सरकार से उठाए गए मुद्दों पर सर्वानुमति के लिए मुख्य सचिव, उड़ीसा तथा डॉ0 ए. रंगास्वामी और आयोग के विशेष संपर्ककर्ता के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा। तद्नुसार 5 दिसम्बर 2002 को भुवनेश्वर में बैठक आयोजित की गई जो काफी लाभदायक सिद्ध हुई।

13.123 7 जनवरी 2003 को आयोजित मामले की दूसरी सुनवाई में आयोग ने राज्य सरकार को दिए गए कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति पर संतोष व्यक्त किया और केबीके क्षेत्र में सूखे और कमी पुनरावृत्ति की समस्या के स्थाई समाधान के लिए दीर्घावधि उपाय सुझाए।

13.124 आयोग ने केबीके क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए 1995–96 में उड़ीसा सरकार द्वारा आरंभ की गई दीर्घावधि कार्य योजना जिसे बाद में बदल दिया गया और उसका नाम संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना (आरएलटीएपी) कर दिया गया। आरएलटीएपी ग्रामीण विकासः कृषि, बागवानी, झरना विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण रोजगार, सिंचाई, स्वास्थ्य, आपात कालीन खाद्य सामग्री, ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, ग्रामीण संपर्क और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण नामक 11 प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है। आरएलटीएपी को 1998–99 से 2006–07 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है। और इसके तीन उद्देश्य हैं : सूखा रोकना, विकास की पूर्णता और गरीबी उन्मूलन तथा केबीके क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार।

13.125 सुनवाई के अंत में आयोग ने विचार किया कि वह राज्य सरकार के इस अनुरोध को भारत सरकार को भेजना उपयुक्त होगा कि :

- आरएलटीएपी को दसवीं योजना के दस्तावेज का अटूट भाग बनाया जाना चाहिए और इसको समग्रता के साथ औपचारिक अनुमोदन दिया जाना चाहिए।
- दसवीं योजना अवधि के लिए निधियों की वर्षवार उपलब्धता दर्शायी जानी चाहिए मौजूदा व्यवस्था के तदर्थ स्वरूप को समाप्त करने के लिए निधियों को अग्रिम रूप से जारी किया।

13.126 आयोग ने राज्य सरकार के इस अनुरोध का समर्थन किया है कि उड़ीसा के केबीके क्षेत्र को कमी की पुरानी समस्या, भुख, अस्वास्थता, गरीबी और वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करने वाली बेरोजगारी के मद्देनज़र विशेष श्रेणी दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने याचिकाकर्ताओं के वकील श्री संजय पारिख के इस सुझाव का समर्थन किया कि कार्य योजना को खुले और पारदर्शी ढंग से निष्पादित करने के लिए उसकी निगरानी हेतु एक व्यापक तंत्र विकसित किया जाए।

भोजन का अधिकारः

13.127 डॉ0 अमृता रंगास्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के जवाब में आयोग ने विचार व्यक्त किया कि भोजन का अधिकार प्रतिष्ठा के साथ जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है और इस अधिकार को प्रभावशाली ढंग से साकार करने के लिए राज्य की बाध्यताओं के स्वरूप को समझने हेतु संविधान के अनुच्छेद 39 (क) और 47 के साथ अनुच्छेद 21 को पढ़ा जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 39 (क) जो देश के शासन में नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित है, में राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह ऐसी नीति बनाए कि राज्य के नागरिकों को पुरुष और महिलाओं को समान

रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 47 प्राथमिक उत्तरदायित्व के रूप में राज्य के लोगों के जीवन स्तर और पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य के कर्त्तव्य स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 21 में निहित भुख से आजादी का नागरिक का अधिकार अनुच्छेद 39 (क) और 47 में लिखित राज्य के उत्तरदायित्व की पूर्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। अनुच्छेद 39 (क) और 47 के अंतर्गत राज्य के उत्तरदायित्व के साथ अनुच्छेद 21 का पाठ सही स्थिति में भोजन की सुरक्षा का मुद्दा रखता है। इस प्रकार भोजन का अधिकार एक प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन व्यवस्थित संवैधानिक उपचार के रूप में प्रवर्तनीय है। संविधान की अपेक्षाएँ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी 1996 के अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र जिसमें भारत एक पक्षकार है, के अंतर्गत राज्य के उत्तरदायित्वों के अनुरूप हैं। अनुच्छेद 11, प्रतिज्ञा पत्र पर्याप्त भोजन सहित पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को स्पष्ट मान्यता देता है। आयोग का विचार था कि "देश के कुछ भागों में भुखमरी से हुई मौतें जन सेवकों की लापरवाही और कुकृत्यों तथा कुशासन का परिणाम है" और इसलिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों के अंतर्गत आयोग के लिए यह प्रत्यक्ष चिंता का कारण है।

13.128 आयोग ने आगे कहा कि भोजन का अधिकार का तात्पर्य समुचित पोषक स्तरों सहित भोजन के अधिकार से है। इसका यह भी तात्पर्य है कि राहत की मात्रा उन स्तरों की होनी चाहिए ताकि वास्तव में भोजन का अधिकार सुरक्षित हो सके और वह सैद्धांतिक अवधारणा ना बनी रहे। आयोग ने आगे कहा कि कमी और पीड़ा का लगातार बने रहना भुखमरी की आवश्यक स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे भुखमरी के कारण हुई मौतों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार इसके लिए सार्वजनिक नीतियों और राहत की संहिता में आवश्यक परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

13.129 "भोजन का अधिकार" के बारे में आयोग की कार्रवाई का विवरण अनुबंध–18 पर देखा जा सकता है।

घ) वार्षिक रिपोर्ट 2001–2002 में सूचित किए गए मामलों पर की गई कार्रवाई

13.130 आयोग के वार्षिक रिपोर्टों के अनेक पाठक गत वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किए गए मामलों के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी लेने में अपनी रूचि अभिव्यक्त करते रहे हैं और वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित मामलों के बारे में अद्यतन सूचना का खण्ड दिया गया है। सार रूप में स्थिति आगे के अनुच्छेदो में दर्शायी गई है।

1) हिरासतीय हिंसा के कारण संजय सीताराम म्हास्कर की मौत : महाराष्ट्र (मामला संख्या 210/13/98–99–एसीडी)

13.131 आयोग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि संजय सीताराम म्हास्कर को 8 अप्रैल 1998 को पुलिस ने उठाया और पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पिटाई किए जाने पर वह मर गया और उसके बाद यह दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि उसने लटक कर आत्महत्या कर ली। यह भी जोड़ा गया कि शव परीक्षा समुचित ढंग से नहीं की गई। आयोग के हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया जाए और मुआवजे का भुगतान किया जाए।

13.132 मामले पर विचार करने पर आयोग ने अपने 30 जुलाई 2001 के आदेश द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 3,00,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का निदेश दिया। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग के निदेशों का अनुपालन किया इसलिए 3 अक्टूबर 2002 को मामला बंद कर दिया गया।

2) राम किशोर की हिरासत में मौत – उत्तर प्रदेश प्रजापति समाज विकास परिषद की शिकायत (मामला संख्या 483/एलडी/93–94)

13.133 आयोग को उत्तर प्रदेश प्रजापति समाज विकास परिषद से शिकायत प्राप्त हुई कि मेसर्स गुडविल एंटरप्राइजेज, मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा नियुक्त चालक की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि राम किशोर ने 15 जुलाई 1993 को अपने नियोक्ताओं की ओर से मेरठ की कुछ पार्टियों से 1,50,000 रुपए की राशि उगाही थी। तथापि बाद में उसी दिन मोदी नगर में वह एक सशस्त्र डकैती का शिकार हो गया जिसमें उससे सारा पैसा छीन लिया गया। इसके बावजूद उसके नियोक्ताओं ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया। इस पूछताछ के दौरान थाने में उसको यातना दी गई। राम किशोर को जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को अनुरोध किए जाने के बावजूद रिहा नहीं किया गया। 23 जुलाई 1993 की रात को उसकी मौत हो गई। उसके बाद इस मामले को रफा दफा करने के लिए उसके शव को जिला अस्पताल गाजियाबाद ले जाया गया और मौत के कारण को शव परीक्षा रिपोर्ट में गलत ढंग से दिखाकर यातना के साक्ष्य को नष्ट किया गया। आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया, राज्य अपराध अन्वेषण प्रभाग द्वारा अन्वेषण कराने और मृतक की विधवा को मुआवजा दिलाने का आग्रह किया गया।

13.134 चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार को जारी कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला, आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 3,00,000 रुपए की राशि का मुआवजा देने का निदेश दिया। राज्य सरकार ने इस राशि के भुगतान के लिए आवश्यक संस्वीकृति जारी कर दी।

3) चिकित्सा उपचार में लापरवाही के कारण लल्लन की मौतः उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 28302/24/1999–2000)

13.135 आयोग को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जिला प्राधिकारियों द्वारा 27 मार्च 2000 को लल्लन की हिरासत में हुई मौत के कारण सूचित किया गया।

13.136 गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने इसे चिकित्सक तथा पुलिस की लापरवाही के कारण लल्लन की मौत होने का मामला माना। इसलिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान की जाए। आयोग ने चिकित्सक तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश भी की। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार से कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए आयोग ने 28 जनवरी 2002 के अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि देने और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ तथा अन्य दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निदेश दिया। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और मामले पर आयोग कार्रवाई कर रहा है।

4) पुलिस द्वारा दी गई यातना के कारण मनोज कुमार की मौतः उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 7955/96-97/रा.मा.अ.आ.)

13.137 आयोग को श्रीमती विजय लक्ष्मी से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उनके पुत्र मनोज कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन एक झूठे मामले में फंसाया गया और उसे पुलिस हिरासत में यातनाएँ दी गई जिसके कारण 8 अगस्त 1996 को उसकी मौत हो गई।

13.138 मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने कहा कि पीड़ित की मृत्यु हिरासत में हुई और उसके शरीर के विभिन्न भागों पर घावों

के निशान थे। आयोग ने देखा कि संबंधित चिकित्सक ने मनोज कुमार का अस्पताल में उपचार के दौरान जिम्मेवारी से काम नहीं किया। तद्नुसार उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 2,00,000 रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला इसलिए आयोग ने 24 सितम्बर 2001 के अपने आदेश द्वारा सिफारिश की कि राज्य सरकार मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000 रुपए की तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करे और यह भी निदेश दिया कि दोषी जन सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/अभियोजन प्रारंभ किया जाए। क्योंकि अनुपालन रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है इसलिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

5) पुलिस हिरासत में यातना के कारण शिशु रेबे की मौतः अरुणाचल प्रदेश (मामला संख्या 74/96-97/रा.मा.अ.आ.)

13.139 आयोग को 29 मार्च 1996 को पुलिस महानिरीक्षक, इटा नगर, अरुणाचल प्रदेश से शिशु रेबे नाम के व्यक्ति की मौत की सूचना प्राप्त हुई। उसे हत्या के आरोप में 10 मार्च 1996 को गिरफ्तार किया गया था और श्यांगटीगो थाने में बंद रखा गया था।

13.140 16 मार्च 2001 की अपनी कार्यवाही में आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग के निदेशों का अनुपालन किया था इसलिए 4 मार्च 2003 को मामला समाप्त कर दिया गया।

6) अवैध बंदीकरण और यातना के कारण नागेश्वर सिंह की मौतः बिहार (मामला संख्या 7482/95-96/रा.मा.अ.आ.)

13.141 आयोग को कामेश्वर सिंह, वैशाली जिला, बिहार से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसके भाई नागेश्वर सिंह की बिहार के विदुरपुर जिला थाने के बरौनी रेलवे पुलिस द्वारा दी गई हिरासतीय यातना के कारण 25 अगस्त 1993 को मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीड़ित को थाने में अवैध रूप से बंदी बनाया गया था और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।

13.142 पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ

कि व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में यातना के कारण हुई और आयोग ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की और मृतक पर निर्भर व्यक्तियों को अंतरिम राहत के रूप में 3,00,000 रुपए की राशि का मुआवजा मंजूर किया। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और मामले पर नज़र रखी जा रही है।

7) मधुकर जेटली को झूठे मामले में फंसाया जाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 2385/24/2000–2001)

13.143 अधिवक्ता, मधुकर जेटली, निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने 27 अप्रैल 2002 को यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अंतर्गत मामला संख्या 514/99 में झूठा फंसाया गया और अवैध रूप से बंदी बनाया गया। आयोग के नोटिस के उत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण प्रभाग की जाँच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जिसमें साबित हुआ कि शिकायतकर्ता को झूठा फंसाया गया था और शिकायतकर्ता श्रीमती रोहिणी चन्द्र के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182/211 के अधीन झूठा मामला दायर करने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों अन्वेषण अधिकारियों को पीड़ित को झूठे मामले में फंसाने और उससे एक हजार रुपए खसोटने का दोषी पाया गया।

13.144 आयोग ने 3 नवम्बर 2000 की अपनी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश दिया कि वह पीड़ित को पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाने और झूठे मामले में फंसाने के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करे। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को यह भी निदेश दिया गया कि वे दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा उनसे वसूली गई मुआवजे की राशि के बारे में भी सूचित करें।

13.145 उत्तर प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि पीड़ित को आयोग द्वारा निदेशित मुआवजा दे दिया गया है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

8) पुलिस द्वारा दया शंकर को यातना दी गई : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 791/24/2000–2001)

13.146 हरिद्वार, उत्तरांचल निवासी दया शंकर विद्यालंकार ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत की थी की जब वे 29 फरवरी 2001 को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का

प्रचार कर रहे थे तो एक कांस्टेबल ने उन्हें पीटा और परिणामस्वरूप उनका बायां कान बुरी तरह जख्मी हो गया तथा कान के पीछे की हड्डी टूट गई।

13.147 आयोग ने रेलवे मंत्रालय द्वारा याचिकाकर्ता को 10,000 रुपए की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। राशि का भुगतान कर दिया गया है।

13.148 रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 1 अप्रैल 2002 को मामला बंद कर दिया।

9) डी. एम. रेगे को अवैध रूप से बंदी बनाया गया और यातना दी गई: महाराष्ट्र (मामला संख्या 1427/13/98-99)

13.149 शेमराव विठ्ठल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, शाखा वरसोवा, मुंबई के अधिकारी डी. एम. रेगे ने आयोग को शिकायत की कि उसे बैंक में नकदी को छुपाने की घटना में पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाकर यातना दी गई और उन्होंने इस मामले में जाँच का अनुरोध किया।

13.150 नोटिस जारी किए जाने पर पुलिस उपायुक्त, जोन VII मुंबई से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता निर्दोष है और उसको बंदी बनाना तथा यातना देना अनुचित था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोषी कांस्टेबल को मामूली दंड दिया गया है और दोषी उपनिरीक्षक को स्थानांतरित कर दिया गया। आयोग ने पुलिस आयुक्त मुंबई को यह सुनिश्चित करने के लिए मामले की पुनः जाँच करने का निदेश दिया कि दोषी पुलिस कर्मियों को उनके द्वारा की गई गलती के अनुरूप दंड दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 30,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी जाए। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए उत्तर पर आयोग ने विचार किया और 10 अप्रैल 2001 के अपने आदेश में यह कहते हुए कि जन सेवकों की गलती साबित हो चुकी है, आयोग ने राज्य सरकार को शिकायतकर्ता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 रुपए की राशि दिए जाने का निदेश दिया। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग के निदेशों का अनुपालन कर दिया है इसलिए मामला बंद कर दिया गया।

10) पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाया जाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13161/24/98–99)

13.151 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी मोहम्मद आज़ाद की शिकायत पर कार्रवाई करते

हुए आयोग ने 1 नवम्बर 1999 की अपनी कार्रवाई में टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता के पुत्र को 16–27 नवम्बर 1998 तक पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बना कर रखा गया। आयोग ने शिकायतकर्ता को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 25,000 रुपए का भुगतान करने का निदेश दिया और सिफारिश की कि इस राशि को उत्तरदायी पुलिस उपनिरीक्षक तथा तीन अन्य पुलिस कर्मियों के वेतन से वसूला जाए।

13.152 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। तद्नुसार 21 जून 2002 को मामला बंद कर दिया गया।

11) समय पर चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण न्यायिक हिरासत में जसवीर सिंह की मौत के बारे में कानपुर नगर मानव अधिकार न्यायालय का संदर्भ : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 5190/24/1999–2000–सीडी)

13.153 आयोग को जसवीर सिंह नामक व्यक्ति की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के बारे में मानव अधिकार न्यायालय, कानपुर नगर से 9 मार्च 2000 का एक संदर्भ प्राप्त हुआ। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक को हिरासत में समय पर समुचित चिकित्सीय सहायता नहीं दी गई जिसके कारण आंत में रूकावट होने से उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने यह भी माना कि उक्त विचाराणाधीन कैदी की हिरासत में मौत उन जन सेवकों की लापरवाही का नतीजा है जिनकी हिरासत में मृतक उस समय था। न्यायालय ने मृतक के संबंधियों को 2,70,000 रुपए की राशि का समुचित मुआवजा देने के लिए निर्णय दिया। चूंकि ऐसे न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी उपबंध में ऐसा मुआवजा अथवा भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य संबद्ध कानून के अंतर्गत दोषी को दंड देने की विशेष शक्ति नहीं है इसलिए मानव अधिकार न्यायालय ने मुआवजे का मुद्दा राष्ट्रीय मानव अधिकार को भेज दिया।

13.154 आयोग ने मानव अधिकार न्यायालय कानपुर के विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय और मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार किया। 20 सितम्बर 2001 को आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि वह मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 2,70,000 रुपए का भुगतान करे। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि दोषी जन सेवको के विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन आरंभ किया जाए। 31 मार्च 2003 तक अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी और मामले पर नजर रखी जा रही है।

12) जेल में धीरेन्द्र सिंह की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 21808/24/1999–2000/सीडी)

13.155 आयोग ने जिला कारागार जौनपुर में 20 जनवरी 2000 को धीरेन्द्र सिंह नामक कैदी की हिरासत में हुई मौत की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि उस दिन जिला कारागार के मुख्य द्वार पर कुछ "असामाजिक तत्व" गए थे और उन्होंने जय प्रकाश सिंह नामक विचाराणाधीन कैदी के बारे में इस बहाने पूछताछ की कि वे उसे एक पत्र देना चाहते हैं। जय प्रकाश सिंह मुख्य द्वार पर गया जहां उस समय मृतक भी उपस्थित था। "असामाजिक तत्वों" ने जय प्रकाश सिंह पर गोली चलाई लेकिन वह बच कर भाग गया। तथापि एक गोली मृतक के पेट में लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक मुख्य द्वार पर दूध, डबलरोटी और कागज लेने गया था जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया था। इस मामले की जाँच के लिए एक विस्तृत मजिस्ट्रीयल जाँच कराई गई जो इस निष्कर्ष पर पहुंची की इसमें जेल अधिकारियों की लापरवाही है जिसके कारण धीरेन्द्र सिंह की मौत हुई।

13.156 कारागार प्रशासन की लापरवाही/त्रुटि के बारे में निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य सरकार को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए। चूंकि कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला। आयोग ने 3 जुलाई 2001 को आदेश दिया कि मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग के निदेशों का अनुपालन कर दिया था इसलिए मामला बंद कर दिया गया।

13) अवयस्क दलित बालिका का बलात्कार; कानून के अनुपालन में असफलता : हरियाणा (मामला संख्या 390/7/1998–1999/रा.मा.अ.आ.)

13.157 आयोग को फरीदाबाद, हरियाणा से शिकायत मिली जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी सात वर्षीय बच्ची का लेखराज नामक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया जिसे बाद में 10 वर्ष का

कठोर कारावास और 2,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी बच्ची पर किया गया अपराध अत्यधिक जघन्य स्वरूप का है और उसकी बच्ची को ठीक कराने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी क्योंकि वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक अपमान झेल रही है।

13.158 गृह सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि भुगतान अंतरिम राहत के रूप में किया गया है, आयोग ने टिप्पणी की कि अंतरिम राहत की मात्रा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत बनाए गए नियमों की अनुसूची में निर्धारित पैमाने के अनुसरण में किया जाना चाहिए। इस बात को रखते हुए कि राज्य सरकार उपर्युक्त नियमों की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम स्तर की राहत राशि तय कर सकती है। आयोग ने 18 मार्च 2002 के अपने आदेश में हरियाणा सरकार को पीड़ित व्यक्ति को 50,000 रुपए की न्यूनतम राशि का भुगतान करने का निदेश दिया। राज्य सरकार जिसने पहले पीड़ित को 6,250 रुपए दिए थे, ने बाद में 43,750 रुपए की शेष राशि का भुगतान कर दिया।

14) 12 वर्षीय बाल श्रमिक नौशाद की मौत : कर्नाटक (मामला संख्या 452/10/2000–2001)

13.159 बंगलूर के एक गैर सरकारी संगठन माया (मूवमेंट फॉर आल्टरनेटिव्स एण्ड यूथ अवेरनेस) ने आयोग को यह कहते हुए शिकायत की कि 12 वर्षीय बाल श्रमिक की 14 नवम्बर 2000 को रामानगरम कस्बे में स्लिक फिलेचर यूनिट के परिसर में 79 प्रतिशत तक जल जाने के कारण मृत्यु हो गई। यह आरोप लगाया गया कि मृतक की आयु को पुलिस ने बदल कर 17 वर्ष कर दिया। ऐसा उसके नियोक्ता को बचाने के लिए शव परीक्षा करने वाले चिकित्सक की मिली–भगत से किया गया था।

13.160 कर्नाटक सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि नियोक्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की गई है और यह भी कहा गया कि विक्टोरिया अस्पताल, बंगलूर के विरुद्ध उनके कदाचार के लिए विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय कार्रवाई के बारे में प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट की गहन संवीक्षा की गई और इन विषमताओं पर राज्य सरकार से टिप्पणी मांगी गई। मामला विचाराणाधीन है।

15) असम सरकार के राज्य मंत्री द्वारा बलात्कार (मामला संख्या 113/3/2000–2001)

13.161 आयोग ने कोकराझार असम के निवासी से प्राप्त शिकायत पर संज्ञान दिया कि उसकी

16 वर्षीय पुत्री का असम के राज्य मंत्री राजन मुशाहरे द्वारा 27 फरवरी 2000 को शांतिवन होटल, बेरोबिसा, पश्चिम बंगाल में बलात्कार किया गया। पीड़िता का एक महीने बाद पुनः बलात्कार किया गया और उसे इस मामले पर मुंह खोलने पर खतरनाक परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उसके बाद पीड़िता की माँ ने शिकायत दर्ज की और गोसांई गाँव थाने में मामला दर्ज किया गया। तथापि दोषी मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उनकी पुत्री गर्भवती हो गई।

13.162 आयोग ने मामले के बारे में यह पूछते हुए कि क्या मुख्यमंत्री का अपने राज्य मंत्री को मंत्री मंडल में बनाए रखने का प्रस्ताव है, और कहा कि उनका मंत्री मंडल में बने रहना कानून की भावना के विरुद्ध होगा। समाचार पत्र में छपी खबर में संकेत दिया गया कि मुख्यमंत्री ने आयोग की कार्रवाई को उचित नहीं माना तो आयोग ने दोहराया कि एक अभियुक्त का राज्य मंत्री मंडल में बने रहना कानून के विरुद्ध होगा और इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। आगे की जाँच के बाद और डीएनए परीक्षण से साबित हुआ कि मुशाहरे बच्चे का पिता है। असम सरकार ने आयोग को 20 मार्च 2002 को सूचित किया कि श्री मुशाहरे सहित सात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर हो चुके हैं जिनमें से पाँच को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

16) किसानों का उत्पीड़न और उन्हें अवैध रूप से बंदी बनाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 9480/24/1999–2000)

13.163 आयोग को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पत्रकार श्री लालजी यादव से यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्राप्त हुई कि अनेक किसानों जिनसे भूराजस्व लिया जाना था, को उनसे भूराजस्व की वसूली के लिए जिला आजमगढ़ के तहसील प्राधिकारियों ने कई दिनों तक लॉकअप में बंद करके रखा। यह भी आरोप लगाया गया कि बंदी किसानों को अच्छी तरह से खाना नहीं दिया गया और जानवरों जैसी हालत में रखा गया।

13.164 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें किसानों को लॉकअप में बंदी बनाने की बात स्वीकार की गई थी और कहा कि बंदियों के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आयोग ने कहा कि राजस्व प्राधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया और वे बंदीकरण की अवधि के दौरान समुचित भोजन की व्यवस्था करने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहे। इसलिए राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वह बंदी बनाए गए प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 10,000 रुपए की राशि का भुगतान करे। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

17) सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में प्रक्रिया : अर्द्ध सैनिक बलों के साथ अंतिम बार दिखाई पड़े मोहम्मद तय्यब अली का गायब होना (मामला संख्या 32/14/1999–2000)

13.165 आयोग को जिला इम्फाल (पूर्व) निवासी श्रीमती मीना ख़ातून से एक शिकायत प्राप्त हुई जो आयोग को मणिपुर राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति मोहम्मद तय्यब अली 25 जुलाई 1999 को गायब हो गए, इससे पूर्व उन्हें 17 असम राइफल बटालियन के मुख्यालय में ले जाया गया था। इसके बाद से वे दिखाई नहीं पड़े।

13.166 दिनांक 31 मई 2002 के आदेश में आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों की जाँच की और इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत आयोग को दी गई शक्तियों के क्षेत्राधिकार को परखा। आयोग ने सभी तथ्यों की जाँच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मोहम्मद तय्यब अली 17 असम राइफल्स की हिरासत में था और हिरासत में रखने वाले अधिकारी उसे कानूनी ढंग से प्रदान करने में असफल रहे। आयोग ने इसलिए 17 असम राइफल्स को श्री अली के गायब होने के लिए उत्तरदायी माना और शिकायतकर्ता तथा उसके बच्चों को 3,00,000 रुपए की अंतरिम राहत प्रदान की। रक्षा मंत्रालय ने आयोग के निदेशों के अनुपालन की सूचना दी और दिनांक 18 फरवरी 2002 को चैक द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। इसलिए मामले को बंद कर दिया गया।

18) सशस्त्र बलों द्वारा की गई गोलीबारी में मौत : मणिपुर (मामला संख्या 25/14/1999–2000)

13.167 आयोग ने समाचार पत्र की इस खबर पर स्वतः संज्ञान दिया कि 21 जुलाई 1999 को चुराचन्दपुर के लोअर लंका मार्ग पर भूमिगत कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आक्रमण के बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की अंधाधुंध गोलीबारी में एक अवयस्क तथा तीन अन्यों सहित कम से कम पाँच लोगों की मौत हो गई। इस मामले को मणिपुर मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाया गया। उसके बाद 22 जुलाई 1999 को आयोग के एक सदस्य ने घटना स्थल पर जाकर अध्ययन किया और मामले को इस आयोग को भेज दिया।

13.168 राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा घटनास्थल पर किए गए अध्ययन पर विचार करने

के बाद गृह मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग ने माना कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे तीन नागरिक मारे गए और एक अग्निशमन कर्मचारी और चार व्यक्ति घायल हुए। आयोग ने 28 सितम्बर 2001 के अपने आदेश द्वारा प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000 रुपए और चारों घायलों में से प्रत्येक को 25,000 रुपए की तत्काल अंतरिम राहत का भुगतान करने का निदेश दिया। 31 मार्च 2003 तक अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी।

19) अधिवक्ता जलील अंदराबी का मामला : जम्मू और कश्मीर (मामला संख्या 9/123/1995–एलडी)

13.169 यह मामला सुरक्षा बलों द्वारा श्रीनगर में अधिवक्ता जलील ए. अंदराबी का तथाकथित रूप से अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या किए जाने से संबंधित है। श्रीनगर बार एसोसिएशन के महामंत्री ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 32/96 दर्ज की और इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप किया।

13.170 जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले के परिणाम की प्रतीक्षा है।

20) बिजली का करंट लगने से मौत–राज्य का पूर्ण उत्तर–दायित्वः झारखंड (मामला संख्या 1509/4/2000-2001)

13.171 आयोग ने दुमका, झारखंड निवासी मकू मुरमुर की शिकायत पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप था कि उसके पति बाबू राम की बिजली का करंट लगने से 9 जुलाई 2000 को मौत हो गई। उसने कहा कि उसके पति की मौत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की लापरवाही का परिणाम थी।

13.172 आयोग ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया और राज्य के पूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाते हुए और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम शैल कुमारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विचार पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत के रूप में 2,00,000 रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट के मद्देनज़र 29 जुलाई 2003 को मामले को समाप्त कर दिया गया।

21) पुलिस की गोलीबारी में मोहिन्द्र सिंह की हत्या : जम्मू और कश्मीर (मामला संख्या 253/9/2000–2001)

13.173 आयोग को दिवंगत सरदार मोहिन्द्र सिंह, निवासी जम्मू और कश्मीर राज्य की पत्नी गुरमीत कौर से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के परिणामस्वरूप 5 फरवरी 2001 को प्रातः उसके पति की हत्या हो गई। यह कहा गया कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के जलूस पर गोलीबारी आरंभ कर दी और शिकायतकर्ता के पति को गोली लग गई जब वे अपने घर वापस आ रहे थे। जबकि वे जलूस में भाग नहीं ले रहे थे और वहाँ चल रही गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। ऐसी ही एक शिकायत पिपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जम्मू और कश्मीर के संयोजक श्री बलराज पुरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

13.174 आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस आयुक्त जम्मू के कार्यालय ने 22 दिसम्बर 2001 के अपने जवाब में कहा कि मृतक की मौत के हालातों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रीयल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी दौरान राज्य सरकार ने मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी है।

22) पुलिस की गोलीबारी में मौत : बिहार (मामला संख्या 2489/4/1999–2000 और 2314/4/1999–2000)

13.175 आयोग को 4 नवम्बर 1999 को बोकारो, बिहार में हुई पुलिस गोलीबारी में मारे गए दो निर्दोष व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए शिकायत प्राप्त हुई। तथाकथित रूप से ये हत्याएँ तब हुई जब 8 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया था। आरोप लगाया गया कि उप मंडलीय दंडाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने भीड़ के न भड़कने के बावजूद लाठीचार्ज का आदेश दिया और बाद में भीड़ में गोली चलाई जिससे दो व्यक्तियों की मौत हो गई।

13.176 आयोग से प्राप्त नोटिस के जवाब में पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि दोषी पुलिस कर्मियों को निलबिंत कर दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। आयोग ने 3 जनवरी 2002 को झारखंड सरकार को अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 2,00,000 रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

23) मानवाधिकारों के रक्षकों की सुरक्षा : ललित उन्याल को झूठे मामले में फंसाया जाना, उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 773/24/1999–2000)

13.177 आयोग को जिला बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासी ललित उन्याल से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि गाँव आऊ, थाना अटारा में 28 मई 1999 को निर्दोष दलित महिला शिव दुलारी और उसके पुत्र जगदीश पर अत्याचार किए गए। पीड़ितों को राजनाथी अवस्थी के कहने पर गालियाँ दी गई और बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई राहत नहीं दी गई और मंडल आयुक्त के आदेशों के बाद मजिस्ट्रीयल जाँच की गई और दोषी उपनिरीक्षक को निलंबित करके आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद आयोग को एक ओर शिकायत में श्री उन्याल ने कहा कि पुलिस उसको भी एक झूठे मामले में फंसा रही है क्योंकि उसने दलित महिला और उसके पुत्र के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के बारे में आयोग को शिकायत की है।

13.178 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) द्वारा अन्वेषण कराए जाने का निदेश दिया। सीआईडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने दोषी जन सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की और राज्य सरकार को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान कर दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। आयोग मामले पर नज़र रख रहा है।

24) निशक्त व्यक्तियों के अधिकार : आयोग ने नेत्रहीन मेडीकल छात्र श्री सी. एस. पी. आंका टोपो को एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता प्रदान की (मामला संख्या 1754/30/2000–2001)

13.179 1 सितम्बर 2000 को सी. एस. पी. आंका टोपो आयोग के पास आया और कहा कि उसे भारतीय चिकित्सा परिषद के "अनुमोदित दिशा निदेश" न होने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा मई 2001 में आयोजित एमबीबीएस की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने वार्षिक परीक्षा में बैठने से उसे रोकने के लिए संकाय द्वारा उसके बारे में गलत सूचना

देकर उत्पीड़ित किया यद्यपि वह कम्प्यूटर और स्कैनर की मदद से पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सामान्य पुस्तकों को पढ़ सकता है।

13.180 आयोग के हस्तक्षेप करने पर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारियों के साथ बार–बार विचार विमर्श करने के बाद श्री टोपो को एमबीबीएस की वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए एक रीति विधान तैयार किया गया। श्री टोपो परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए। आयोग ने देश में अन्य अपंग व्यक्तियों के लाभार्थ रीति विधान/दिशा निदेश तैयार करने के लिए इस मुद्दे के व्यापक पहलू पर विचार किया। इस उद्देश्य हेतु आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिकारियों से बातचीत शुरू की। मामला आयोग के विचाराधीन है।

प्रशासन और संभागीय सहयोग

अध्याय 14

14.1 आयोग की कुल संस्वीकृत संख्या 341 पदों पर बनी रही। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 289 अधिकारी और कर्मचारी पदासीन थे। आयोग के सचिवालय द्वारा रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जाते रहे। आयोग के लगातार बढ़ रहे कार्यभार के कारण अतिरिक्त कार्य से निपटने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेना आवश्यक हो गया। इस संबंध में सरकार ने आयोग को ऐसे 20 परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेने की विशेष अनुमति प्रदान की है। चूंकि आयोग को अपना संवर्ग तैयार करने और विकसित करने का कार्य करना है इसलिए आयोग में कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाएं जा रहे हैं। इनमें प्रतिनियुक्ति, पुनः रोजगार सीधी भर्ती द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति शामिल है। इसी दौरान आयोग में कार्यरत् कर्मचारियों को आयोग में समावेशन की प्रक्रिया जारी है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निरीक्षक, सहायक, निजी सहायक, निजी सचिव और स्टाफ कार चालकों के ग्रेड में स्थाई रूप से कर्मचारियों को समावेशित कर लिया गया है।

14.2 आयोग ने भारतीय तथा विदेशी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इन्टर्नशिप प्रणाली आरंभ की है ताकि वे आयोग में समय व्यतीत कर सकें। इस कार्यक्रम का विवरण अध्याय X में दिया गया है। कुछ इन्टर्नों को आयोग में लघु अवधि अनुबंध के लिए चुना गया है और उन्हें विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जिसमें उनकी रूचि है और जिसके लिए आयोग उनकी दक्षता की आवश्यकता समझता है।

क) विशेष संपर्ककर्ता/प्रतिनिधि

14.3 आयोग की मांग और संवेदनशील उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता के लिए विशेष

संपर्ककताओं की योजना वर्ष 2002–2003 के दौरान भी जारी रही। इस प्रकार श्री चमनलाल, श्री के. आर. वेणुगोपाल और सुश्री अनुराधा मोहित ने आयोग के विशेष संपर्ककताओं के रूप में कार्य करना जारी रखा और वे कारागार सुधार, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, निष्कता मामले सहित मानवाधिकारों से जुड़े प्रमुख मुद्दों, आगरा संरक्षण ग्रह के कार्य प्रणाली की निगरानी करने और आगरा, ग्वालियर और राँची में तीन मानसिक रोग अस्पतालों की देखभाल करने का कार्य करते रहे। श्री पी. जी. जे. नम्पूदिरी ने गुजरात में आयोग के विशेष संपर्ककर्ता तथा श्री ए. बी. त्रिपाठी ने उड़ीसा और झारखंड के विशेष संपर्ककर्ता के रूप में कार्य किया। श्री पी. जी. जे. नम्पूदिरी का कार्य गुजरात भुंकप और गोधरा त्रासदी के बाद गुजरात में हुई घटनाओं से जुड़े मुद्दों से संबंधित था। श्री ए. बी. त्रिपाठी ने हिरासत में व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मानव अधिकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।

ख) कोर समूह

14.4 पिछली रिपोर्टों में लोक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह और प्रख्यात वकीलों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का गठित कोर समूह तथा विकलांगता मुद्दों से संबंधित व्यक्तियों के कोर समूहों का विवरण प्रदान किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर समूहों ने आयोग को भेजे गए कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दी। आयोग कोर समूह के सदस्यों का आभारी है कि उन्होंने मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए बहुमूल्य योगदान दिया।

ग) राजभाषा का प्रयोग

14.5 आयोग में सहायक निदेशक के पर्यवेक्षण में राजभाषा अनुभाग कार्य कर रहा है। यह अनुभाग क्षेत्रीय तथा विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों और उत्तरों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2002–2003 के दौरान इस अनुभाग को लगभग 150 शिकायतें/अभ्यावेदन, शिकायतों के उत्तर/रिपोर्टें आदि हिन्दी में और 5519 पत्र, शिकायतें/अभ्यावेदन क्षेत्रीय भाषाओं में और 5 पत्र/अभ्यावेदन विदेशी भाषाओं में, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्राप्त हुए।

14.6 राजभाषा अनुभाग आयोग के मासिक न्यूज़ लेटर, वार्षिक रिपोर्ट और बजट दस्तावेज़ों के अनुवाद का कार्य भी कर रहा है। दैनिक पत्रों के अतिरिक्त आयोग के सभी दिशा निदेश/अनुदेश/आदेश अनुभाग द्वारा हिन्दी में भी अनुदित किए जाते हैं।

14.7 आयोग के कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 16–30 सितम्बर 2002 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

14.8 मानवाधिकारों पर हिन्दी में मौलिक लेखन तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद के लिए नकद पुरस्कार देने की एक योजना इस वर्ष भी जारी रही। आयोग ने हिन्दी में मानव अधिकारों के बारे में एक पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय किया है। हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन के लिए सलाहकार मंडल गठित किया जा चुका है। और इसकी पहली बैठक 25 मार्च 2003 को हुई। अनेक परियोजनाएँ जैसे प्रमुख अंतरर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और अन्य मानव अधिकार प्रतिज्ञा पत्रों का हिन्दी में अनुवाद पर कार्य जारी है।

घ) पुस्तकालय

14.9 आयोग का पुस्तकालय मुख्य रूप से आयोग में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अनुसंधान और संदर्भ परियोजन के लिए है। तथापि यह बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे इन्टर्नों, अनुसंधान छात्रों और अन्यों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। पुस्तकालय कर्मचारी नई दिल्ली स्थित लगभग सभी पुस्तकालयों से, अन्तर पुस्तकालय लोन सुविधा के माध्यम से संपर्क बनाए हुए है। इस समय पुस्तकालय में 7128 पुस्तकें हैं और इसमें 33 जर्नल, 22 पत्रिकाएँ और 23 समाचार पत्र (4 क्षेत्रीय समाचार पत्रों सहित) आते हैं। वर्ष 2002–2003 के दौरान पुस्तकालय में पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त पुस्तकों के अतिरिक्त मानवाधिकारों अथवा अन्य संबंद्ध विषयों पर 1255 नई पुस्तकें लाई गईं।

ङ) आदान–प्रदान और अन्य विचार–विमर्श

14.10 आयोग में इसके कार्य और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय तथा विदेशी आगंतुक और शिष्ट मंडल आते रहें। आयोग ने ऐसे विचार–विमर्श को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। इससे देश के समक्ष प्रमुख मानवाधिकार मुद्दों और आयोग की वचनबद्धता के बारे में आगंतुकों को सूचित करने में मदद मिली।

14.11 आयोग में आने वाले शिक्षाविदों, विद्वानों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अनेक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता/शिष्ट मंडल विदेश से विचार–विमर्श के लिए आयोग में आए। कुछ मामलों में ये विचार–विमर्श मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों

के साथ किए गए हैं। अन्य मामलों में ऐसे शिष्ट मंडल उन देशों से आए जो ऐसे संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रहे थे।

14.12 नई दिल्ली स्थित राजनयिक निगमों के सदस्यों के अनेक दौरों के अतिरिक्त वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग में आए व्यक्तियों की संख्या में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- श्री रयूड लुब्बर्स, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने 23 मई 2002 को आयोग का दौरा किया और अध्यक्ष तथा सदस्यों से मुलाकात की। जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें, शरणार्थियों के मुद्दे पर राष्ट्रीय विधायन तैयार करने की संभावित कोशिशें शामिल थीं।
- श्री मिगुअल अल्फोनसो मार्टिनेज़, मानव अधिकार संवर्धन और संरक्षण संबंधी उप आयोग के सदस्य ने 27 सितम्बर 2002 को आयोग से भेंट की।
- श्री जिन कोरस्टोन, सांसद के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मानव अधिकार संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के 15 सदस्यीय शिष्ट मंडल ने 8 अक्टूबर 2002 को आयोग का दौरा किया।
- डॉ0 सुरेन सेरेनदोर्ज, मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में मंगोलिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के शिष्ट मंडल ने 6 से 9 नवम्बर 2002 तक आयोग का दौरा किया।
- नेपाल के मानव अधिकार आयोग से एक शिष्ट मंडल ने 6 से 9 नवम्बर 2002 तक आयोग का अध्ययन दौरा किया।
- श्रीलंका की संसद की चुनी हुई समिति ने आयोग की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 7–10 मार्च 2003 के बीच आयोग का दौरा किया।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रहे वरिष्ठ सिविल सेवकों ने आयोग की कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 20 मार्च 2003 को आयोग का दौरा किया।
- यूरोपियन संघ के शिष्ट मंडल ने 17 मार्च 2003 को आयोग से भेंट की।

च) संगठनों को वित्तीय सहायता

14.13 आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसरण में मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। इस प्रयास के भाग के

रूप में आयोग सीमित पैमाने पर लेकिन ध्यानपूर्वक तैयार किए गए मापदण्डों के अनुसार मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यशालाएँ और परियोजनाएँ आयोजित करने के लिए संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा। आयोग द्वारा आयोजित/समर्थित कार्यशालाओं और परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैः–

- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर द्वारा "जातिवाद और सांप्रदायिकता से निपटने में कानून की भूमिका" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई,
- अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला परिसंघ, नई दिल्ली द्वारा "दहेज संबंधी मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर अगस्त 2002 में एक कार्यशाला आयोजित की गई,
- मानसिक स्वास्थ्य समिति, नई दिल्ली द्वारा "गुजरात हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण परामर्श" के बारे में एक परियोजना अगस्त 2002 में आयोजित की गई,
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर की साझेदारी में अगस्त 2002 में सांप्रदायिकता और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया,
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में सरकार में प्रबंधन संस्थान में सितम्बर 2002 में केरल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई,
- आयोग के दिशा निदेश और अनुदेशों का तमिल में अनुवाद पिपल्स वाच तमिलनाडु द्वारा किया गया,
- क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, वेलौर में तमिलनाडु के जेल अधीक्षकों के लिए फरवरी 2003 में एक कार्यशाला आयोजित की गई,
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में अनुसंधान परियोजना के लिए अधिवक्ता अध्ययनों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र पुणे में अध्ययन,
- विकंलांगों के अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय नेत्रहीन परिसंघ, नई दिल्ली में अनुसंधान परियोजना,
- कलकत्ता स्थित गैर सरकारी संगठन सेवक में मानसिक रोगियों के अधिकारों पर अनुसंधान परियोजना,
- आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यशैली के बारे में एक्शन एड द्वारा अनुसंधान परियोजना और
- मानव अधिकार शिक्षा के बारे में कर्नाटक महिला सूचना और अनुसंधान केन्द्र बंगलौर में परियोजना।

छ) निधियाँ

14.14 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 32 के अंतर्गत आयोग को केन्द्र सरकार द्वारा संसद की समुचित मूल्यांकन के बाद अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2002–2003 के दौरान आयोग को 732 लाख रुपए के मूल बजट अनुमान की तुलना में अनुदान सहायता के रूप में संशोधित अनुमानों के अंतर्गत गैर योजना और योजना वित्त पोषण में 860 लाख रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2002–2003 के लिए लेखा तैयार कर लिया गया है और लेखा परीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

14.15 आयोग के लेखे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (लेखे का वार्षिक विवरण) नियम 1996 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फोर्मेट में तैयार किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जनवरी 2003 के दौरान वर्ष 2001–2002 के लिए आयोग के लेखों की लेखा–परीक्षा की। लेखा–परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है। ज्यों ही यह प्राप्त होगा, प्रस्ताव है कि लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार 2001–2002 के लेखों को मुद्रित कर दिया जाएगा और सरकार को भेज दिया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपेक्षानुसार संसद के प्रत्येक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ज) मानवाधिकार भवन

14.16 आयोग को आईएनए क्षेत्र, नई दिल्ली के कार्यालय परिसर के ब्लॉक सी में अपने कार्यालय भवन 'मानवाधिकार भवन' के निर्माण हेतु भूमि आंबटित की गई थी। भवन की आधारशिला भारत के महामहीम उप राष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा 14 जनवरी 2003 को रखी गई थी।

14.17 भूमि और निर्माण की लागत के रूप में शहरी विकास मंत्रालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अब तक 62 लाख रुपए की राशि विमोचित की जा चुकी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भवन के विस्तृत आरेख को तैयार कर रहा है और वर्ष 2003–2004 के दौरान निर्माण आरंभ होने की संभावना है।

प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सार

अध्याय 15

15.1 इस रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशें और टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैः–

15.2 की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित 9 वीं रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में हुए विलंब से इसकी विषय वस्तु को सार्वजनिक करने में तदनुरूपी विलंब हुआ है। इस प्रक्रिया में आयोग के कार्य और चिंताओं के बारे में सामायिक तथा व्यापक सूचना से भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा भारत के सामान्य लोग एक बार वंचित रह गए है। इस विलंब से यह अर्थ भी निकलता है कि वर्तमान रिपोर्ट, गत रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, को संसद, जनता तथा इस आयोग को सूचित किए बिना लिखी गई है। **(पैरा 1.2)**

15.3 आयोग ने अपनी ओर से अपने अस्तित्व के प्रथम वर्ष से ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव करने की आवश्यकता महसूस की ताकि इस अधिनियम के उपबंध देश में मानव अधिकारों के ''बेहतर संरक्षण' के लिए ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि वास्तव में सहायक हों। आयोग के अस्तित्व में आने के छठे वर्ष तक प्राप्त हुए अनुभव के आलोक में आयोग ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी से अनुरोध करने की इच्छा व्यक्त की कि वे अधिनियम में संरचनात्मक परिवर्तनों और संशोधनों की आवश्यकता का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करें। इस सलाहकार समिति की सलाह पर आयोग ने फरवरी 2003 को ध्यानपूर्वक विचार किया और अधिनियम में संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को मार्च 2000 में केन्द्र सरकार को भेजा। ये प्रस्ताव 1999–2000 की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किए गए थे और वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इनका पुनः उल्लेख किया गया। आयोग के लिए यह बड़े दुख की बात है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ये प्रस्ताव,

सरकार के शब्दों में, ''बहुत संवदेनशील और दूरगामी परिणामों वाले है'' के बावजूद भी अभी विचारार्थ लंबित है। **(पैरा 2.3)**

15.4 आयोग की मुख्य चिंता अपनी स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वायतत्ता को बनाये रखना और इसे सुदृढ़ करना है। यह ''राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों'' (पेरिस सिद्धांत) जो अन्य बातों के साथ–साथ जून 1993 में वियना में आयोजित मानवाधिकारों के बारे में विश्व सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1993 के अपने संकल्प संख्या 48/134 द्वारा पृष्ठांकित है, के अनुसरण में गठित और कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थान की अनिवार्य विशेषता है।

जैसा कि अनुभव से ज्ञात हुआ है कि आयोग की स्वतंत्रता के केन्द्र में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आयोग का गठन करने वाले आयोग के अध्यक्ष तथा चार सदस्यों का चयन करने में अपनाए गए मानदण्डों से जुड़े संविधान के उपबंध रहे है जिनमें उनकी नियुक्ति की विधि (अधिनियम की धारा 4); पदमुक्ति (धारा 5); और कार्यकाल (धारा 6) शामिल है। जैसा कि अध्याय 1 में देखा गया है ये उपबंध राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम की धारा 3(3) की शर्तों के अंतर्गत ''पदेन सदस्य'' होते है, की नियुक्ति, पदमुक्ति तथा कार्यकाल उन आयोगों के संविधान और नियमों द्वारा शासित होते हैं जिनके वे अध्यक्ष हों। इस कारण से संसद ने अपनी विद्धता में ''पदेन सदस्यों'' की भूमिका को धारा 12(य) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों तक सीमित कर दिया है। अधिनियम के अंतर्गत उन्हें कोई और भूमिका नहीं सौंपी गई है। **(पैरा 2.5 और 2.6)**

15.5 किए गए सभी विशेष प्रयासों से आयोग यह नहीं कह सकता कि वह आयोग के पास भेजी गई शिकायतों से संतुष्ट है। शिकायतों पर कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हो सकता है और यह आवश्यक है कि आयोग द्वारा अपनाए गए कामकाजी तरीकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार समीक्षा होती रहे। इससे और लाभ हो सकता है यदि उचित क्षमता वाले मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हो और उन्हें सभी राज्यों में समुचित सहायता मिले और यदि अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालयों को इसी तर्ज पर गठित किया जाता है तथा उनकी सक्षमता और क्षेत्राधिकार से जुड़े मामलों को समुचित ढंग से तथा निश्चित रूप से स्पष्ट किया जाता है। **(पैरा 2.15)**

15.6 आयोग के लिए यह दुख की बात है कि उन कार्रवाईयों में विशेष रूप से 1 अप्रैल 2002 को आयोग की कार्रवाई के पैराग्राफ 21 में और 31 मई 2002 की कार्रवाई के पैराग्राफ 19, 20,

27, 29 और 64 में की गई मुख्य सिफारिशों और टिप्पणियों पर गुजरात सरकार से पूरा जवाब नहीं मिला। परिणामस्वरूप आयोग को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि आयोग ने अपनी कार्रवाईयों में जिन गंभीर आशंकाओं का उल्लेख किया था, के साथ साबित हुई। इसलिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की प्रारंभिक असफलता उन लोगों को न्याय दिलाने में भी बड़ी असफलता बनकर उभरी जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। **(पैरा 3.3)**

15.7 उस पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने 1 अप्रैल और 31 मई 2002 को आयोग की कार्रवाईयों में निहित सिफारिशों का उल्लेख करने के बाद ससम्मान टिप्पणी की कि,

> "................... अगर हमारा देश पीड़ितों, उनके परिवारों, उन पर निर्भर लोगों तथा अन्य व्यक्तियों अथवा पीड़ितों से जुड़े समूहों को तत्परता से तथा कारगर ढंग से न्याय देने में कमी रखेगा तो इसके कानून की नजर में न केवल इससे प्रभावित लोगों बल्कि हमारे देश की गरिमा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा न्यायपालिका सहित शासन से जुड़े संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे।" पत्र में आगे कहा गया :–
>
> "दुख की बात है कि आज तक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद पीड़ितों, देश तथा मोटे तौर पर विश्व को आश्वासित करने में लिए पर्याप्त नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि देश में सभी संस्थाएं पूर्ण एकजुटता और निष्ठा के साथ हाल ही में हुई गलतियों का उपचार करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।"
>
> पत्र में यह भी कहा गया है:–
>
> "समकालीन मानव अधिकार न्यायिक दूरदर्शिता की अपेक्षा है कि पीड़ितों को वैधानिक तंत्र सुलभ होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र और कारगर कदम उठाए जाएं कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के कृत्यों के दोषियों के विरूद्ध कारगर, अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, दीवानी और फौजदारी कार्रवाई हो तथा पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से मुआवजा मिले और यह मुआवजा हुए उल्लंघनों तथा क्षतियों की गंभीरता के मुआवजा हुए उल्लंघनों तथा क्षतियों की गंभीरता के समानुपात में हो तथा इसमें बहाली, मुआवजा, पुनर्वास, संतुष्टी और ऐसी घटना को न दोहराने की गारंटी शामिल हो।" **(पैरा 3.10)**

15.8 डॉ. न्यायमूर्ति ए.एस. आनन्द द्वारा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आयोग ने यह सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास जारी रखे कि गुजरात में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी लोगों को दंड मिले और हिंसा के शिकार लोगों की सुरक्षा और उनको मुआवजा दिलाने के मामले में न्याय का प्रयोजन पूरा हो। इस उद्देश्य से आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता के साथ तथा इस मामले में सहायता करने वाले अन्य लोगों के साथ बार–बार परामर्श किए गए और अनेक व्यवहारिक प्रस्ताव तथा उपाय तैयार किए गए ताकि स्थिति का आकलन हो सके और समुचित समाधान किया जा सके। **(पैरा 3.11)**

15.9 9 मई, 2003 गुजरात के नव–नियुक्त मुख्य सचिव तथा नई दिल्ली स्थित गुजरात के नव–नियुक्त मुख्य सचिव तथा नई दिल्ली स्थित गुजरात के रेजीडेंट कमिश्नर ने आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों से भेंट की। इस बैठक में आयोग ने मुख्य सचिव के साथ छः मुद्दे उठाए।

चूंकि आयोग ने मुख्य सचिव के पत्र में 9 मई 2003 को उनके साथ हुई चर्चा में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल न किए जाने की बात मानी इसलिए ऊपर पैराग्राफ 3.12 में सूचीबद्ध 6 बिंदुओं को तथा 3 जून 2003 को गुजरात के रेजीडेंट कमीश्नर के साथ हुई चर्चा के कार्यवृत को मुख्य सचिव को भेजा और उनसे पूरा जवाब मांगा गया। **(पैरा 3.13 और 3.16)**

15.10 इसी दौरान मुख्य सचिव तथा रेजीडेंट कमीश्नर के साथ हुए विचार विमर्श के साथ–साथ गुजरात में कुछ घटनाओं के बारे में परेशान करने वाली रिपोर्टों के मद्देनजर आयोग ने 21 मई 2003 को अपनी कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ–साथ पुलिस महानिदेशक गुजरात से यह बताने के लिए कहा कि "क्या न्यायालय अथवा जाँच आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले पीड़ितों और साक्षियों की, शारीरिक और मानसिक कुशलता प्रतिष्ठा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हों, तो स्वतंत्रतापूर्वक और निडरता से उन्हें अपना साक्ष्य देने में सक्षम बनाने हेतु उनको दी गई सुरक्षा का स्वरूप क्या है।" 3 जून 2003 को पुलिस महानिदेशक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई और आयोग ने 16 जून 2003 उस पर विचार किया। **(पैरा 3.17, 3.18 और 3.19)**

15.11 30 जून 2003 को आयोग ने अपनी कार्रवाई में कहा कि बेस्ट बेकरी मामले के सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। यह भी कहा जाएगा कि यह उन पाँच मामलों में से एक था जिनके बारे में आयोग ने अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को सौंपे जाने की सिफारिश की थी, बेस्ट बेकरी के प्रसंग में 14 व्यक्ति मारे गए थे जब सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उसमें आग लगा दी गई। सभी

अभियुक्तों को बरी किए जाने की सूचना मिलने पर आयोग ने तत्काल मुख्य सचिव गुजरात सरकार को विचारण न्यायालय के निर्णय की प्रति एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेजने का अनुरोध किया। आयोग ने मुख्य सचिव से गुजरात सरकार द्वारा इस दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तावित कदमों की सूचना देने के लिए कहा।

इसके बाद आयोग ने "बेस्ट बेकरी मामले में बरी किए जाने के आदेश में निहित मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग के एक दल को मामले के अभिलेखों की जाँच करने, निर्णय की परख करने तथा संबद्ध सामग्री की जाँच के बाद आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वडोदरा जाने के लिए तुरंत तैनात किया।"

इसके बाद 6 जुलाई 2003 को, गुजरात के मुख्य सचिव से आयोग की 30 जून 2003 की कार्रवाई के जवाब में कोई उत्तर न मिलने पर, आयोग ने कहा कि कारगर जाँच के लिए, बेस्ट बेकरी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत दायर आरोप पत्र की जाँच करने तथा निर्णय सहित विचारण न्यायालय के पूरे रिकार्ड की जाँच करने की आवश्यकता है।

दल ने 7 और 8 जुलाई 2003 को क्रमशः अहमदाबाद और वडोदरा का दौरा किया तथा बेस्ट बेकरी मामले से जुड़े सभी तथ्यों को नई दिल्ली लेकर वापिस आया। 11 जुलाई 2003 को बेस्ट बेकरी मामले की अभियोजन पक्ष की प्रमुख साक्षी शेख जहीरा बीबी हबीबुल्लाह, जिसके परिवार के सदस्य बेस्ट बेकरी में जलकर मर गए थे, ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर वक्तव्य देने का अनुरोध किया।

31 जुलाई 2003 को, बेस्ट बेकरी मामले में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के अनुरोध के जवाब में आयोग ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट की: "आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनियता और पीड़ितों के मानवाधिकारों के हनन से चिंतित होकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आज वडोदरा भेजे गए अपने दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में इस अनुरोध के साथ विशेष अनुमति याचिका दायर की है कि बेस्ट बेकरी मामले में विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्दकर दिया जाए और निष्पक्ष अभिकरण द्वारा जाँच कराने के निदेश दिए जाएँ तथा गुजरात राज्य के बाहर स्थित सक्षम न्यायालय में मामले का पुनर्विचारण कराया जाए।"

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ 31 जुलाई 2003 को दायर

विशेष अनुमति याचिका को भी दोहराया है कि :

- निष्पक्ष विचारण की अवधारणा एक संवैधानिक अनिवार्यता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 और 39 क सहित संविधान के विशिष्ट उपबंधों में तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न उपबंधों में स्पष्ट रूप से माना गया है।

- निष्पक्ष विचारण के अधिकार को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में मानव अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, इस प्रतिज्ञापत्र को भारत द्वारा पुष्टि की गई है और अब यह सांविधिक वैधानिक शासन का एक भाग है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (1) (क) के अंतर्गत मान्य है।

- निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में शामिल किया गया है और इस प्रतिज्ञापत्र का भारत भी एक पक्षकार है।

- जब भी कोई अपराधी बिना दण्ड के छूट जाता है तो समाज को हानि होती है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति हताश हो जाते हैं और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए न्यायालय का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह सच्चाई को उजागर करने के लिए और न्याय करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे ताकि अपराधी को सजा मिले।

- इसलिए न्याय के हित में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करके अपराधिक विचारणों में अपराध के साक्षियों और पीड़ितों के संरक्षण के संदर्भ में दिशा–निदेश और निर्देश निर्धारित किया जाना अनिवार्य है, जिनका पालन अभियोजन तथा विधि प्रवर्तक अभिकरणों और अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। ऐसा अपराधिक न्याय तंत्र की सक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।"

"आयोग ने चार अन्य गंभीर मामलों नामतः गोधरा कांड, चमनपुरा (गुलबर्गा सोसायटी) कांड, नरौडा पविया कांड ओर मेहसाना जिले के सदरपुरा मामले को गुजरात के बाहर विचारण के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत 31 जुलाई 2003 को पृथक आवेदन प्रस्तुत किया है।" **(पैरा 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 और 3.24)**

15.12 आतंकवाद की बुराई को देखते हुए इसमे कोई संदेह नहीं है कि राज्य को न केवल यह अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है कि वह अपने आपको और ऐसे कारनामों को अंजाम देने वालों को सजा दिलाए।

राज्य जिस प्रकार अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, वह समाज के चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है तथा इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि कोई राज्य मानव अधिकार तथा मानवीय प्रतिष्ठा के मुद्दों से किस ढंग से निपटता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में टिप्पणी की है कि :–

> ''आतंकवाद की चुनौती से नवीन विचारों और पद्धति से निपटना चाहिए। राज्य आतंकवाद, आतंकवाद से लड़ने का उत्तर नहीं है। राज्य आतंकवाद केवल आतंकवाद को विधिसंगत बनाएगाः यह राज्य, समुदाय और सबसे ऊपर कानून के शासन के लिए बुरा होगा। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके द्वारा तैनात विभिन्न अभिकरण कानून की सीमाओं में रहें और अपने आप में कानून न बन जाएं।''

इस विषय पर वाद–विवाद के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति चिंता रखने वाले लोगों ने बार–बार यह विचार रखा है कि आतंकवाद से निपटने के साधन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों सहित कानून के शासन के अनुरूप होने चाहिए।

इस विचार के आलोक में आयोग ने देश की अभिकरणों को हमेशा स्मरण कराया है कि वे संविधान, देश के कानून और देश की संधि बाध्यताओं के अनुरूप कार्य करें। इसके अलावा आयोग आतंकवाद अथवा विद्रोहग्रस्तता से प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त सभी शिकायतों के बारे में शीघ्रता से कार्रवाई करता रहा है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसे प्राप्त शक्तियों यद्यपि यह सीमित है, का पूरा प्रयोग करता रहा है। **(पैरा 4.4, 4.5, 4.6, 4.16)**

15.13 इन सकारात्मक घटनाओं के बावजूद भारत सरकार द्वारा जारी आकंड़ो के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान आतंकवादियों से जुड़ी 4038 घटनाएं हुई जिनमें गत वर्ष में 996 व्यक्तियों की तुलना में 1008 व्यक्ति मारे गए; सुरक्षाबलों के 453 जवान शहीद हुए जबकि गत वर्ष 536 जवानों ने अपनी बली दी थी इसमें 1707 आतंकवादी मारे गए जिनमें से 508 विदेशी थे।

आयोग को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य से 285 शिकायतें प्राप्त हुई

जिनमें से अनेक में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था प्रत्येक शिकायत के मामले में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को तथा रक्षा और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किए गए और उन्हें विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रत्येक मामले में रिपोर्ट की जांच करने के बाद आयोग के समुचित निदेश जारी किए। विगत की तरह शिकायतों में बलात गायब होने, अवैध रूप से बंदी बनाने और यातना देने, हिरासतीय मौत, न्यायिक बहिर हत्याएं और जाली मुठभेड़ों सहित विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए थे। **(पैरा 4.18 और 4.19)**

15.14 विशेष रूप से आयोग ने बलात और बिना इच्छा के गायब होने के आरोपों से जुड़ी शिकायतों का विश्लेषण किया। क्योंकि सम्मिलित संख्या और व्यक्तियों के बारे में दी गई रिपोर्टों और विवरणों में व्यापक अंतर था इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को विशेष रूप से निम्नलिखित के बारे में जानकारी देने के लिए कहाः–

i. क्या राज्य सरकार ने बलात अथवा अनिच्छा से गायब होने के आरोपों को दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित किया है और यदि हां तो इस तंत्र का स्वरूप क्या है;

ii. सरकार द्वारा दर्ज किए गए ऐसे आरोपों की संख्या, ऐसे आरोपों की जांच के लिए अब तक स्थापित तंत्र के ब्यौरे और ऐसी जांच के परिणाम;

iii. बलात अथवा अनिच्छा से गायब होने की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय; और

iv. गायब होने की ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की सजा दिलाने के लिए किए जा रहे उपाय तथा पीड़ित व्यक्तियों को न्याय देने के लिए की गई कार्रवाई।

आयोग राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर इन मामलों में कार्रवाई करने का इच्छुक है। आयोग ने गायब हुए व्यक्तियों के अभिभावकों का परिसंघ जिससे शिकायत प्राप्त हुई थी, से कहा है कि वह आोग को कुछ स्पष्टीकरण से तथा अतिरिक्त ब्यौरा दे जो भी उनके पास इस मामले में मौजूद है। आयोग ने सभी सबंधित से उन व्यक्तियों की संख्या और स्थान के बारे में सहयोग करने के लिए आग्रह किया है जो तथाकथित रूप से गायब है ताकि इस दुखद मुद्दे पर व्यापक कार्रवाई हो सके। **(पैरा 4.20)**

15.15 जहां तक जलील अद्रांकी, जिसका अपहरण कर लिया गया था और बाद में जिसकी मौत हो गई के मामले का संबंध है गत वर्ष के दौरान इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। यह मामला जम्मू कश्मीर उच्च न्यायाल के समक्ष विचाराधीन रहा। सेना को इस मामले में शामिल संदिग्ध अधिकारी

को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया है। आयोग ने एक बार फिर केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि इस दुखद मामले का समाधान करने के लिए कार्रवाई करे जो पूरे देश के लिए परेशानी का स्रोत बना हुआ है। **(पैरा 4.22)**

15.16 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग कश्मीरी पंडितों को पेश आ रही समस्याओं पर नजर रखने और उन्हें दूर करने के प्रयास करता रहा। लगभग 3,00,000 कश्मीरी पंडितों को घाटी में विघटनकारी गतिविधियां आरंभ होने के बाद से अपने घर–बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

यह भी स्मरणीय है कि आयोग की सिफारिश पर कश्मीरी पंडितों को पेश आ रही कठिनाईयों की जांच करने और उन्हें शीघ्रता से सुलझाने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति गठित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रयोजन हेतु आयोग ने समिति की सेवार्थ एक विशेष सम्पर्ककर्ता को भी नियुक्त किया था ताकि किए जा रहे प्रयासों की सूचना नियमिति रूप से आयोग को मिलती रहे।

आयोग तथा कश्मीरी पंडितों के लिए यह दुख की बात है कि वर्ष 2000–2001 में समिति नियमित रूप से बैठक नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे को आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ उठाया था। **(पैरा 4.23, 4.24 और 4.25)**

15.17 राज्य के कश्मीरी पंडित सम्मेलन के महासचिव ने समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों के साथ उन्हें पेश आ रही कठिनाईयों का विस्तार से वर्णन किया। विभिन्न समूहों द्वारा अभ्यावेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए जिनमें एक अभ्यावेदन जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिन्होंने अध्यक्ष को 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होने के बाद से पेश आ रही कठिनाईयों की जानकारी दी। उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार की जीवन के मौलिक अधिकार संबंधी दायित्व की व्याख्या की और कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों को प्रतिष्ठा सहित जीवन के अधिकार के अनुरूप जीने के लिए सहायता और सहयोग दे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करे बल्कि उनके आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को बहाल करे तथा अपनत्व की भावना को पुर्नजीवित करे। इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट उपाय निर्धारित किए गए जिनको शिविरों में रहन–सहन की स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने आवश्यकता है इनमें अन्य बातों के साथ–साथ जलापूर्ति

और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सक आपूर्ति, मधुमेह, हृदय रोग और मनौवैज्ञानिक रोगों जैसी बीमारियों के विशेष उपचार तथा शिविर विद्यालयों में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों से जुड़ी थी। शिविरों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय भी किया गया ताकि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को शीघ्रता से और विवेकपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। इस संबंध में यह नोट करना भी उचित है कि समिति को कश्मीरी पंडितों की शिकायतों और कठिनाईयों की जांच करने के लिए आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था। यह समिति कई महीनों से निष्क्रिय थी। इस समिति की पुनः बैठक हुई और आयोग के विशेष संपर्ककर्ता ने इसकी कार्रवाई में भाग लिया। **(पैरा 4.26 और 4.27)**

15.18 इस मामले में मीडिया रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों जिसमें पास में पुलिस पिकेट के बावजूद लोग मारे गए, पर स्वतः संज्ञान लेकर आयोग ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। आयोग ने 26 मार्च 2003 को जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक तथा सचिव गृह मंत्रालय को इस त्रासदी की रिपोर्ट देने और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा को बढ़ाने तथा मारे गए अथवा खौफजदा परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया। आयोग ने यह भी नोट किया कि एक बार फिर हिंसा के इस अवर्णनीय हादसे ने निर्दोष लोगों की जान ले ली है जो इस बात का सबूत है कि आतंकवादी वारदातों में शरीक लोगों का विवेक मर चुका है। आयोग ने स्पष्ट रूप से ऐसी वारदातों की निंदा की और मानवाधिकारों के दुश्मनों के रूप में उन कारनामों को करने वालों को लताड़ा। आयोग ने कहा कि यह हमला दोहरा निदंनीय है क्योंकि यह ऐसे समय किया गया है जब जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति और समझौते के लिए नए प्रयास जारी हैं और इस बारे में आतंकवादी तैयार नहीं है। **(पैरा 4.30)**

15.19 अफसोस की बात है कि आतंकवाद के गंदे हाथ देश में क्रूर वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए है। 25 सितम्बर 2002 को देश की पीड़ा में भागीदार बनते हुए आयोग ने 24 सितम्बर 2002 को गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में हुए मानवता विरोधी आतंकवादी हमले की निंदा की। यह हमला 25 सितम्बर 2002 की सुबह तक जारी रहा। आयोग ने कहा कि ऐसे अपराधिक कृत्य किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराए जा सकते। ये मानव अधिकार का खुला उल्लंघन करते हैं तथा इन जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून की पूरी शक्ति लगनी चाहिए। इस कार्रवाई में आयोग ने आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों और सुरक्षा बलों के जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं, विभिन्न समुदायों के नेताओं द्वारा दिए गए वक्तवयों जिनमें उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया था, की प्रशंसा की। आयोग ने कानून और व्यवस्था

बनाए रखने तथा गुजरात के सभी लोगों और पूरे देश के लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकारियों को सहयोग देने के लिए सभ्य समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस संबंध में प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निवर्हन में किसी प्रकार की रूकावट नहीं आनी चाहिए और न ही ऐसा कोई कार्य अथवा वक्तव्य देना चाहिए जो इस स्थिति को और भी बिगाड़ दे। **(पैरा 4.32)**

15.20 रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2002–2003 के दौरान मंत्रालय को सेना के जवानों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप वाली 60 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों के 18 मामलों में अन्वेषण पूरा कर लिया गया जबकि 31 मार्च 2003 तक 42 मामले अन्वेषणाधीन को 2 मामलों में आरोप सही पाए गए और दंड दिया गया। 1 मामला जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, अभियुक्त को 3 माह के कठोर कारावास की सजा के बाद सेवा से बरखास्त कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय से ठीक विपरीत गृह मंत्रालय ने 2002–2003 को पहली दो तिमाहियों के लिए आयोग को 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है और आगे की दो तिमाहियों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जिनमें अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप हो। 'शून्य' रिपोर्ट उन लोगों में गंभीरता की कमी का संकेत देती हैं जिन्होंने अर्ध–सैनिक बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन के आरोपों की निगरानी करनी है, यदि अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप वाली शिकायतों की संख्या कुछ दर्शाती है तो यह समझ से परे है कि ऐसी कोई शिकायत सीधे अर्ध–सैनिक बलों अथवा गृह मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई। इसलिए आयोग गृह मंत्रालय को इस मामले में अधिक सावधानी और संवेदनशीलता बरतने का आग्रह करता है जो कि अब तक कही दिखाई नहीं पड़ी है। **(पैरा 4.34)**

15.21 ऐसे मामलों में सच्चाई राज्य की हिरासत में होने वाले व्यकितयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब कोई गलती होती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि सच्चाई को छुपाने का अथवा इसमें संलिप्त लोगों की जिम्मेवारी को कम आंकने का प्रयास होता है। हैरानी तो तब होती है जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 36(1) के उपबंधों को लगाकर यह कहते हुए कम किया जाता है कि हिरासतीय मौत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से पहले किसी अन्य आयोग ने संज्ञान ले लिया है। जैसा कि आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी, ऐसी रणनीतियों को रोकने की दृष्टि की गई थी, ऐसी रणनीतियों को रोकने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 36(1) में आयोग द्वारा की गई सिफारिश की तर्ज पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में संशोधन करने में विलंब देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण में रूकावट है। **(पैरा 4.38)**

15.22 वर्ष 2002–2003 में आयोग को सूचित आंकड़ों में 183 मौतें पुलिस हिरासत में और 1157 मौतें न्यायिक हिरसत में हुई। इस प्रकार कुल 1340 मौतें हिरासत में हुई जबकि 2001–2002 में कुल 1307 मौते हुई थी, जिनमें से 165 मौते पुलिस हिरासत में 1140 न्यायिक हिरासत में तथा 2 मौते अर्ध–सैनिक बलों की हिरासत में हुई थी। वर्ष 2002–2003 में पुलिस तथा न्यायिक हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है यद्यपि यह चौंकाने वाली नहीं है फिर भी बेचैन करने वाली तो है। न्यायिक हिरासत में मौतों की संख्या को किसी अवधि में कारागार के कैदियों की कुल संख्या के संदर्भ में देखना हागा, ये आंकड़े एक बार फिर आयोग के इस विचार को सत्यापित करते हैं कि मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में बेहतर हिरासतीय प्रबंधन तथा पुलिस कार्मिकों को और गहन प्रशिक्षण दिलाए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाएं आयोजित की हैं। **(पैरा 4.40)**

15.23 अक्तूबर 1993 में आयोग की स्थापना के बाद से अब तक इसे पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की कुल 8596 रिपोर्टें मिली है। ऐसे 6552 मामलों का विश्लेषण दर्शाता है कि न्यायिक हिरात में हुई 80 प्रतिशत मौतें बीमारी और बुढ़ापे के कारण थी। शेष 20 प्रतिशत मौते विभिन्न कारणों से हुई जिनमें कुछ मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ना, कैदियों के बीच हिंसा अथवा आत्महत्या शामिल है। यही मामले हैं जिस पर पिछले वर्षों में आयोग ने कार्रवाई की है और ऐसी मौतों के पृथक मामलों में विशिष्ट निर्देष जारी किए है तथा कारागार की स्थितियों में सुधार के लिए कृत्रिम उपाय करने का आहवान किया है। जेलों का बेहतर रख–रखाव और संचालन, बेहतर प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारी वर्ग, चिकित्सा कर्मचारी और मानिसक रूप से बीमार लोगों से निपटने के लिए कारागारों की क्षमता में सुधार तथा कैदियों की रूग्नता संबंधी आयोग के विचारों से नियमित रूप से राज्य सरकारों को अवगत कराया गया है और इन मामलों में लगातार अनुवर्ती कार्रवाई हुई है। आयोग के विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारें कारागारों के बेहतर प्रबंधन की तरफ अधिक ध्यान दे। **(पैरा 4.44)**

15.24 29 मार्च 1997 को मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में आयोग द्वारा जारी दिशा–निदेश आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा जाली मुठभेड़ में पीपुल्स वार ग्रुप के सदस्यों की न्यायिक बहिर हत्याओं के आरोपों के बारे में आयोग की सुनवाई से तैयार किए गए थे। स्थिति की मानव अधिकार संबंधी जटिलताएं आयोग के लिए बड़ी चितां की बात है। हिंसा और आतंक की कातिलाना वारदातें जिसके लिए पीपुल्स वार ग्रुप उत्तरदायी है, की पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग का पक्का विचार है कि पुलिस द्वारा की गई न्यायिक बहिर हत्या के प्रत्येक मामले में आयोग के दिशा–निदेश के अनुसरण में पूरी जांच होनी चाहिए और जाली मुठभेड़ों के लिए दोषी लोगों को

न्याय के घेरे में लाना चाहिए। इस मामले को देखते हुए आयोग ने चिंतित नागरिकों की समिति के संयोजक श्री एस.एस. आर संकरन और राज्य के प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों जो नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के कार्य से जुड़े हैं, से संपर्क बनाए रखा है। स्पष्ट रूप से लंबे समय से चले आ रहे हिंसा के इस चक्र जिसने मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है को तोड़ने की आवश्यकता है। आयोग को मालूम है कि आतंकवाद और हिंसा का विघटनकारी स्वरूप जिसने बार–बार शांति के मार्ग में बाधा डाली है, ऐसा करना आसान नहीं होगा। फिर भी तमाम विषमताओं के बावजूद धैर्य आवश्यक है, इसलिए आयोग ने हर बार शांति की स्थापना के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया है। आयोग को आशा है कि ये प्रयास जारी रहेंगे और क्रूरतम भड़काने की घटनाओं के बावजूद सफल होंगे। **(पैरा 4.48)**

15.25 आतंकवाद के खतरे और बार–बार होने वाली आतंकवादी वारदातों के मौजूदा माहौल में आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट खतरों और कठिनाईयों के बावजूद संविधान तथा कानून का शासन बरकरार रहे। इस रिपोर्ट में विस्तार से दिए गए कारणों की वजह से आयोग इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि न्यायिक बहिर हत्याएं चलती रहें और इसे व्यवहारिक मापदंड के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जबकि यह सब उन लोगों के संबंध में हो रहा है जो तथाकथित रूप से आतंकवादी है। इसलिए आयोग यह आवश्यक समझता है कि वह ऐसी घटनाओं के बारे में सूचना मांगे जैसी नई दिल्ली में ''अंसल प्लाजा गोलीबारी की घटना''। इस घटना में भी आयोग ने महसूस किया कि दिल्ली पुलिस को पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच के बारे में आयोग के दिशा–निदेशों के अनुपालन की आवश्यकता है। **(पैरा 4.49)**

15.26 गुजरते हुए हर वर्ष के साथ आयोग के पास ऐसे सबूत बढ़ते जा रहे है कि यदि मानव अधिकारों की स्थिति को सुधारना है, यदि पुलिस के अन्वेषण कार्य को बाह्य प्रभावों से बचाना हैं और यदि पुलिस को जनता का विश्वास जीतना है जो देश में अपराधिक न्याय तंत्र के मुख्य तत्व के रूप में पुलिस के कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक है तो देश में प्रमुख पुलिस सुधार करना अनिवार्य है। **(पैरा 4.50)**

15.27 आयोग पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए इन घटनाओं का स्वागत करता है। तथापि जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने में मुख्य तत्व पुलिस के अन्वेषण कार्य में 'बाहय प्रभाव' का दखल बंद करना और पुलिस महानिदेशकों तथा दूसरे प्रमुख अधिकारियों को मनमर्जी से स्थानांतरित करने की 'लटकती तलवार' को हटाना है जो पुलिस को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के पुलिस के कार्य की क्षमता को कमजोर करते रहे हैं। **(पैरा 4.53)**

15.28 वर्ष 2002–2003 का अनुभव आयोग के पूर्ववर्ती मूल्यांकन की पुष्टि करता है। विश्वसनीयता के साथ अन्वेषण करने में असफलता से आमतौर पर न्याय दिलाने में असफलता होती है। इसलिए आयोग को पुलिस की ढील से हुई गलतियों की असंख्य शिकायते प्राप्त होती रही हैं। कोई भी देश जनता के विश्वास और सम्मान में आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तर को गिरने नहीं दे सकता। सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वाले संस्थान लोकतांत्रिक समाज के प्रतीक हैं और उतने ही महत्वपूर्ण है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की अच्छाई के लिए अपेक्षित मूल–सुधार राजनैतिक अथवा अन्य बाध्यताओं को ध्यान में न रखकर बिना किसी भेदभाव अथवा अंतर के कार्यान्वित किया जाए। **(पैरा 4.56)**

15.29 आयोग एक बार फिर आग्रह करता है कि उन पुलिस सुधारों को जिनकी आयोग ने विशेष रूप से सिफारिश की थी और जिनके बारे में अपनी पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में विस्तार से बताया गया है तथा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत अपने कागजातों में कहा गया है, को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किया जाए। आयोग अनुरोध करता है कि इस मामले को दलगत भावना से ऊपर उठकर देश में उच्चतम राजनैतिक स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि संविधान और कानून के शासन को आगे बढ़ाने में कार्य करने के लिए इसकी दूरगामी आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक सुधारों पर विचार और कार्यान्वयन किया जा सके। **(पैरा 4.57)**

15.30 फिर भी आयोग इन प्रकोष्ठों की निष्पादन क्षमता को कई कारणों से उचित नहीं पाता। कई अवसरों पर इनमें आधारभूत संरचना और कार्मिकों की गुणवत्ता में कमी पाई गई है। कई बार और अधिक गंभीरता से ये मानवाधिकारों के मामलों जो मुख्य रूप से इनके पथ–प्रदर्शक है, को आगे बढ़ाने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुए हैं। **(पैरा 4.60)**

15.31 इसलिए आयोग के विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि इन प्रकोष्ठों के प्रमुख के रूप में नियुक्त अधिकारी की गुणवत्ता और वचनबद्वता को महत्व दिया जाए तथा जिन्हें नियुक्त किया जाए उनके लिए आवश्यक सामग्री तथा कार्मिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये कोष्ठ राज्यों में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हैं इसलिए जितना बड़ा कारण है उसी के विचार से अनेक मानव भी हर प्रकार से उच्चतम स्तर के होने चाहिए। इस प्रकार आयोग सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हैं कि इन कोष्ठों की गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर बनाए रखी जाए। आयोग का विचार है कि देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में ये कोष्ठ संस्थागत ढांचे की श्रृंखला की मुख्य कड़ी बनाते हैं। **(पैरा 4.61)**

15.32 आयोग की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन में केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस तंत्र को सुदृढ़ करने तथा इसमें सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। बताया गया है कि 900 फास्ट ट्रेक न्यायालय काम कर हैं और ऐसे 421 न्यायालय जल्दी ही कार्य करने लगेंगे। आशा व्यक्त की गई है कि ये न्यायालय वर्ष 2000–2005 के दौरान लंबे समय से पड़े सत्र मामले, महत्वपूर्ण अपराधिक मामले तथा अन्य दीवानी मामले निपटा देंगें।

आयोग इन बातों का स्वागत करता है। तथापि यह देखना चाहेगा कि फास्ट ट्रेक न्यायालयों की संख्या में वृद्धि अपने आप में आपराधिक न्याय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। जहां तक मानव अधिकारों का संबंध है, आयोग ने देखा है और इस दस्तावेज में अन्यत्र विशेष रूप से दर्ज किया है कि अन्वेषण को समुचित ढंग से करने में असफलता, अभियोजन को अच्छी तरह से चलाने में असफलता तथा साक्षियों और पीड़ितों को संरक्षण देने में असफलता, निष्पक्ष विचारण में असफलता को जन्म दे सकती है। इसलिए आयोग के विचार में यह आवश्यक है कि सुधारों तथा देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए व्यापक सोच अपनाई जानी चाहिए। **(पैरा 4.63 और 4.64)**

15.33 आयोग का विचार रहा है कि जेल सुधारों संबंधी मुल्ला समिति द्वारा अनुशंसित नए कारागार अधिनियम को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है। यह अधिनियम मैनुअल के लिए अत्याधिक उचित और सामयिक वैधानिक आधार प्रदान कर सकता है। इसलिए आयोग केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। **(पैरा 4.90)**

15.34 आयोग यह फिर दोहराना चाहेगा कि देश में अपराध विज्ञान सेवाओं में कमी ने आपराधिक न्याय प्रशासन पर विपरीत प्रभाव डाला है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए गंभीर परिणाम हुए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों को एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इस बारे में आयोग की सिफारिशों को तीव्रता से कार्यान्वित करें। **(पैरा 4.95)**

15.35 आयोग ने जोर देकर कहा कि "आयोग अपने संविधान के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व को समझता है कि अधिनियम को मानव अधिकारों, संविधान और देश की संधि बाध्यताओं का उल्लंघन करके कार्यान्वित नहीं किया जाए।" इसके अलावा इस बात को नोट करते हुए कि "जब इसकी तुलना आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम से की जाती है" तो आतंकवाद निवारण अधिनियम में "कुछ ऐसे उपबंध है जो इसका संभावित दुरूपयोग होने में सुरक्षोपाए के रूप में कार्य करते है," आयोग ने कहा कि यह "आयोग का मत है कि ये सुरक्षोपाए

अपर्याप्त है।" इसलिए आयोग ने कहा कि "यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन का यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से प्रबोधन करे कि अधिनियम के उपबंधों का दुरूपयोग न हो अथवा मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।"

अधिनियम के उपबंधों के संभावित दुरूपयोग और मानव अधिकारों को उल्लंघन के बारे में आयोग की आशकाएं दुर्भाग्य से सच साबित हुई हैं। अनेक राज्यों से मीडिया में छपी रिपोर्टें अधिनियम के मनमाने और भेदभावपूर्ण प्रयोग की ओर इशारा करते है और बताते हैं कि इससे देश के युवा और वृद्ध सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है।

इस रिपोर्ट को लिखते समय तक यह स्पष्ट है कि देश के राजनैतिक नेतृत्व का बड़ा भाग जिस ढंग से इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है, पर बहुत चिंतित है। आयोग के लिए यह हैरानी की बात है क्योंकि आयोग ने बहुत पहले इसके संभावित परिणामों की चेतावनी दे दी थी। इस प्रकार आयोग ने इस बात को नोट किया है कि इस रिपोर्ट को लिखते समय तक भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री अरूण सहारिया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति स्थापित कर दी है। समीक्षा समिति के कार्य का प्रभाव आयोग के लिए ध्यान देने वाला होगा।

आयोग इस संबंध में यह भी याद कराना चाहता है कि 1994 में हितेन्द्र विष्णु ठाकुर तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे:

> "कोई भी सभ्य देश आतंकवाद को फलने–फूलने नहीं दे सकता किन्तु हमें अपराधी और आतंकवादी के बीच अंतर करना ही होगा। जबकि सभी आतंकवादी अपराधी है, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सभी अपराधी आतंकवादी है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि:

> "प्रत्येक आतंकवादी अपराधी हो सकता है किन्तु प्रत्येक अपराधी पर टाडा के कठोर उपबंधों को लागू करने के लिए ही आतंकवादी का लेबल नहीं लगाया जा सकता"

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 1987 के दुरूपयोग के बारे में न्यायालय के दूरदर्शितापूर्ण और अहतियाती शब्दों पर आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 को

कार्यान्वित करते समय ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि आतंकवादी और अपराधी के बीच का अंतर बहुत मामूली है और अधिनियम को मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग में लाया गया है अथवा इसके कठोर उपबंधो को तभी लागू किया गया है जब साधारण न्यायालय और सामान्य दंडात्मक कानून पर्याप्त नहीं है। **(पैरा 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 और 5.8)**

15.36 मसौदा विधेयक (घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002) के उपबंधों और स्थायी समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट की आयोग ने ध्यानपूर्वक जाँच की और अपने विस्तृत सुझाव 30 जनवरी 2003 को महिला और बाल विकास विभाग को भेज दिए जिन्हें इस रिपोर्ट के अनुबंध 5 पर देखा जा सकता है। **(पैरा 5.14)**

15.37 वर्ष 2000–2001 की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि भारत सरकार, बच्चों की बिक्री, बाल–वेश्यावृति और बाल अश्लीलता और सशस्त्र झगड़ों में बच्चों की अंतर्गस्तता से संबंधित बाल अधिकारों संबंधी कन्वेंशन के स्वचयनक प्रोटोकॉल 1 और 2 की जाँच करे और इसमें पक्षकार बने। 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन बताता है कि महिला और बाल विकास विभाग इस समय स्वचयनक प्रोटोकॉल 1 और 2 पर हस्ताक्षर करने से संबंधित के विचारों को महिला और बाल विकास विभाग को भेज दिया गया है। आयोग भारत सरकार से इन प्रोटोकॉलों की जाँच शीघ्रता से पूरी करने और आयोग द्वारा अनुशासित तर्ज पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता है। **(पैरा 5.15)**

15.38 आयोग ने 1949 के जेनेवा कन्वेंशनों के 1977 प्रोटोकॉलों की जाँच करने और अपनी टिप्पणी देने के लिए भारत सरकार से कहा था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि अतिरिक्त प्रोटोकॉलों की गहन जाँच की जा रही है और इस जाँच के पूरा होने के बाद इस विषय पर आयोग से बात की जाएगी। आयोग भारत सरकार से 1977 प्रोटोकॉलों की जाँच शीघ्र पूरी करने और आयोग को अपनी टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध करता है। **(पैरा 5.16)**

15.39 आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 1997 को यातना के विरुद्ध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। तथापि 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इस कन्वेंशन की पुष्टी नहीं हो पाई है इस विलंब से देश में तथा प्रमुख बाह्य मंचों पर संधि निकायों सहित गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसने गंभीर अपराधों के लिए वांछित अपराधियों के प्रत्यार्पण के लिए देश की कानून प्रवर्तन अभिकरणों की क्षमता पर बुरा प्रभाव डाला है। **(पैरा 5.17)**

15.40 आयोग दोहराना चाहेगा कि आयोग के विचार में कन्वेंशन की पुष्टी काफी लम्बे समय से लंबित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है संविधान का अनुच्छेद 21 इस क्षेत्र को कारगर ढंग से कवर करता है। इसके अतिरिक्त यातना के विरुद्ध अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसलिए, यह विलम्ब देश के लिए अपमानजनक है और मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के रूचि लेने वालों के लिए समझ से परे है। यह सरकार की इच्छा पर अनावश्यक लांछन लगाता है जो वास्तव में उचित नहीं हैं। **(पैरा 5.19)**

15.41 आयोग ने देश के समक्ष शरणार्थियों की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय विधायन की आवश्यकता और वास्तविक शरणार्थियों को आर्थिक प्रवासियों, अवैध रूप से देश आने वालों और अन्य विदेशियों में अन्तर करने पर जोर दिया है। आयोग ने आशा व्यक्त की है कि इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निश्चित समयावधि में पूरी कर ली जाएगी और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा इस विषय पर प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप होगी। आशा है कि यह विशेष रूप से शरणार्थियों के दर्जे से संबंधित 1951 के कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल के अनुरूप भी होगी। **(पैरा 5.20)**

15.42 आयोग की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन में भारत सरकार ने संकेत दिया है कि 1951 के कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दों की शरणार्थियों संबंधी राष्ट्रीय विधायन के मसौदे के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जाँच की जा रही है। यह बात आयोग को पिछले वर्ष बताई गई बात से अलग नहीं है। आयोग का विचार रहा है कि भारत सरकार इस मामले को अधिक प्राथमिकता दे क्योंकि शरणार्थियों के बारे में विद्यमान कानून, विनियमन और प्रथाएं मौजूदा समय में अपर्याप्त हैं तथा भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं। आयोग द्वारा अनुशंसित गुणवत्ता और विषयवस्तु वाले समुचित राष्ट्रीय विधायन का अभाव संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यक्रम की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार पर आई जिम्मेवारियों के साथ मेल नहीं खाता। **(पैरा 5.21)**

15.43 आयोग का पक्का विचार है कि वर्तमान संधि–तंत्र के अंतर्गत निःशक्तता के बारे में सुगठित और एकीकृत मानव अधिकार सोच विकसित नहीं की जा सकती और मानव अधिकार ढांचे के भीतर निशक्तता के मुद्दे को दर्जा, प्राधिकरण और दृश्यता देने के लिए एक व्यापक कन्वेंशन अपेक्षित है। आयोग के विचार में एक व्यापक संधि से पक्षकार देशों को स्पष्ट रूप से अपनी बाध्यताएं समझने में सहायता मिलेगी और देशों तथा सभ्य समाज दोनों को स्पष्ट ढंग से निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उन्हें पूरा करने का स्पष्ट उद्देश्य मिलेगा। इस विचार को लेकर आयोग ऐसे

सामाजिक अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में सोचता रहा है जो सभी राज्यों को अपने राष्ट्रीय विधायन में मानव अधिकार मानकों के समावेशन सहित मानव अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत एक कर्त्तव्य के रूप में मान्यता दे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 51 (ग) के उपबंधों से दिशा निदेश लेता है, जो कहता है कि नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में राज्य "एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अतंरराष्ट्रीय कानून तथा संधि बाध्यताओं के लिए सम्मान" विकसित करने का प्रयास करेगा। तद्नुसार आयोग ने निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के लिए व्यापक कन्वेंशन हेतु समर्थन जुटाने के लिए सक्रियता से कार्य किया है। इसने भारत सरकार को संधि तैयार करने की प्रक्रिया में रचनात्मक और अग्रगामी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया है। **(पैरा 5.31)**

15.44 आयोग का लगातार यह विचार रहा है कि संविधान में निहित मानवीय प्रतिष्ठा सहित जीवन का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुदृढ़ करने में सहायक होना चाहिए कि इस देश के लोग विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। **(पैरा 6.1)**

15.45 स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में आयोग की मुख्य चिंता माताओं और बच्चों दोनों पर माताओं में एनीमिया के दुष्प्रभाव रही हैं। इसलिए आयोग ने गर्भवती माताओं में लोह धातु की व्यापक कमी के मुद्दे को उठाया है जिसके कारण न केवल शिशु और माताओं की मृत्यु दर बढ़ी है बल्कि जन्म के समय कम वजन से जुड़ी विकास संबंधी विकालांगता विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में देखने में आती है। **(पैरा 6.7)**

15.46 महिलाओं और बच्चों के देह–व्यापार के बारे में कार्य अनुसंधान के माध्यम से आयोग एक प्रामाणिक आंकड़ा आधार तैयार करने का प्रयास कर रहा है ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों को सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रक्रिया में यह देह व्यापार में अंतर्निहित गंभीर खतरों के प्रति जनता और विधि प्रवर्तक अभिकरणों को सुग्राही बनाने तथा इनकी रोकथाम की आवश्यकता का प्रस्ताव करता है। आयोग का प्रयास है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना का लाभ लेकर कानूनों और विधि प्रवर्तक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा देह व्यापार से जुड़े लोगों को दंड दिया जाए, मुक्ति अभियान चलाए जाएं और पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित हों और इस उद्देश्य के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी जाए। **(पैरा 7.11)**

15.47 समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुकाबला करने के प्रयास जारी रखे। इस संबंध में आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य

मंत्रालय से संपर्क बनाए रखा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायधीश को विधि व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के बारे में पत्र लिखा। **(पैरा 7.29, 7.35 और 7.37)**

15.48 जनसंख्या नीति–विकास और मानव अधिकारों के बारे में परिसंवाद के अंत में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीतियाँ और उनका कठोर कार्यान्वयन दंडात्मक पद्धति दर्शाता है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसी पद्धति से महिलाओं सहित विशेष रूप से समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए परिसंवाद यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को जनसंख्या नीति से ऐसे भेदभावपूर्ण और दंडात्मक उपायों को निकाल देना चाहिए। **(पैरा 7.59)**

15.49 आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा अन्यों जिन्होंने इस परिसंवाद में भाग लिया, द्वारा अभिव्यक्त विचारों की सराहना करता है। आयोग इस मामले पर ध्यानपूर्वक नजर रखने की इच्छा रखता है ताकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नीतियों और कार्यक्रमों से महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को पत्र लिखकर परिसंवाद में की गई सिफारिशों और घोषणाओं का अनुपालन करने के लिए कहा है। **(पैरा 7.60)**

15.50 मध्य प्रदेश में एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में 1996–97 में उच्चतम न्यायालय के दिशा निदेशों के अनुसरण में बाल मजदूरी सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें 8739 बच्चे खतरनाक धंधों में और 3056 बच्चे गैर–खतरनाक धंधों में कार्यरत पाए गए। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि दमोह, रायसेन, सागर, टीकमढ़, जबलपुर और रेवा नामक जिले सबसे अधिक बाल मजदूरी वाले जिले हैं। खतरनाक धंधों में लगे सभी 8739 बाल मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। उनमें से केवल 6663 बच्चों को विद्यालयों में दाखिल कराया गया है। 3033 नोटिस, 3854 नियोक्ताओं के विरुद्ध जारी किए गए और उनसे 20,000 प्रति बाल मजदूर की दर से मुआवजे की वसूली करने की बात कही गई। तथापि 1537 नियोक्ताओं ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया। इसलिए इंदौर, धार, सागर, सिओनी और मंदसौर नामक छः जिलों 16,93,00,000 रुपए की कुल वसूली में से केवल 1,45,000 रुपए की ही वसूली हो पाई। **(पैरा 8.4)**

15.51 समीक्षा से पता चला कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत 1996 में आयोजित सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप खतरनाक व्यवसायों में 3570 बच्चे और गैर–खतरनाक व्यवसायों में 6375 बच्चे

कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा रिट् याचिका संख्या 465/86, एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी। दोषी नियोक्ताओं से 20,000 रुपए प्रति बाल मजदूर का जुर्माना वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई मुकदमा चलाया गया। बाल मजदूरी का पता लगाने और बालश्रम अधिनियम के प्रवर्तन के लिए 1997 के बाद कोई अभियान नहीं चलाया गया है यद्यपि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन जारी है। **(पैरा 8.9)**

15.52 बाल मजदूरी की स्थिति की समीक्षा से संकेत मिला कि 10 दिसम्बर 1996 को उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 3026 बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत पाए गए। जिनमें से केवल 2504 बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़ाया गया और 2070 को विद्यालयों में दाखिल किया गया। 1997 के सर्वेक्षण के बाद बाल मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए कोई सावधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। सितम्बर 2000 में आई एल ओ आई पी ई सी कार्रवाई कार्यक्रम आरंभ करने के लिए जयपुर में सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण से 5–7, 8–12 और 13–16 वर्ष की आयु समुह में 9673 कार्यरत बच्चों का पता लगा। सर्वेक्षण की अनुवर्ती कार्रवाई से आयोग को अवगत नहीं कराया गया। तथापि कहा गया कि बाल मजदूरों का पता लगाने के लिए जनवरी 2002 में नया सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। रिपोर्ट मई 2002 के अंत तक आयोग को भेजी जानी थी किंतु 31 मार्च 2003 तक भी प्राप्त नहीं हुई। दोषी नियोक्ताओं से 20,000 रुपए प्रति मजदूर की दर से जुर्माने की वसूली में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। 2701 मामलों में जारी वसूली प्रमाण पत्रों की तुलना में समीक्षा की तारीख तक केवल 60,000 रुपए की राशि वसूली गई है। अभियोजन को पहले की तरह नजर अंदाज किया जा रहा है। **(पैरा 8.11)**

15.53 बच्चों के कुल 23,382 प्रभावित परिवारों को उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में पुनः बसाया गया है। उनमें से 4594 (90.7 प्रतिशत) को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राहत दी गई थी। आयोग को सूचित किया गया है कि 6753 परिवारों के पास रोजगार के कुछ साधन थे। 4250 परिवार किसी प्रकार की सहायता लेने के लिए आगे नहीं आए और 5202 प्रवासी परिवार अपने मूल स्थानों को लौट गए। आयोग इसे अंकित मूल्य पर स्वीकार करने में मुश्किल मानता है। अभी भी 2583 परिवार बचते हैं जिनका पुनर्वास किया जाना है। कारपेट क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की संख्या 7502 थी जिनमें से आयोग की निगरानी के कारण 1775 परिवारों का पुनर्वास किया जा सका। **(पैरा 8.19)**

15.54 आरंभ से यह देखा जा सकता है कि बाल मजदूरी को समाप्त करने के प्रयास एक राज्य से दूसरे राज्य में गुणवत्ता और क्षमता की दृष्टि से भिन्न–भिन्न है। जबकि यह कहा जा सकता है कि आयोग की सतर्कता से कुछ मामलों में जानकारी बढ़ी है और उत्साहजनक परिणाम आए हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि सब प्रयासों के बावजूद और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बावजूद देश में बाल मजदूरी जारी है। अपनी पिछली रिपोर्ट में आयोग ने चिंता व्यक्त की थी कि इसके कई कारण है जिनमें बाल मजदूरी से जुड़े विद्यमान विधायन में अंतरनिहित कमियां शामिल हैं। चूंकि इस रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्र दर्शाए गए हैं जिनके बारे में आयोग महसूस करता है कि बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन करने की आवश्यकता है इसलिए उन सिफारिशों को इस रिपोर्ट में दोहराया नहीं जाएगा। आयोग का सबसे गहरा दुःख यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 39 (ड.), 39 (च) और 45 के साथ पठित अनुच्छेद 24 और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधियों, प्रमुख रूप से बच्चों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन, 1989 जिसमें भारत एक राज्य पक्षकार है, के उपबंधों की अनिवार्यता के बावजूद सक्षमत प्राधिकारियों द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। **(पैरा 8.21)**

15.55 चूंकि मौजूदा स्थिति असंतोषजनक है, आयेाग अपनी यह सिफारिश दोहराता है कि भारत सरकार को बाल मजदूरी से जुड़े कानूनों को तेजी और स्पष्टता के साथ लिखने के लिए कार्य करना चाहिए और देश के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए जैसा कि संविधान में वचन दिया गया है, राज्य सरकारों के समन्वय से निष्ठा से कार्य करना चाहिए। **(पैरा 8.22)**

15.56 20–21 अक्टूबर 2002 को बेटिहा पश्चिमी चम्पारन में समीक्षा बैठक की गई। राज्य के 38 में से 26 जिलों को बंधुआ मजदूरी वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। यद्यपि श्रम आयुक्त ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों और 115 उपमंडलीय मुख्यालयों में सतकर्ता समितियां बनी हुई हैं। लेकिन वास्तविक पुष्टि केवल 11 राज्यों और 16 उप–मंडलों से ही हुई है। विशेष सम्पर्ककर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने राज्य को दिसम्बर 2002 के अंत तक यह पुष्टि करने का निदेश दिया कि सतकर्ता समितियां वास्तव में सभी जिलों और उपमंडलीय मुख्यालयों में गठित कर दी गई है। यह दुःख की बात है कि आयुक्त एवम् सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग से उनके दिनांक 6 जनवरी 2003 के पत्र द्वारा प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट पुष्टि करती है कि सतकर्ता समितियां केवल 11 जिलों और 20 उपमंडलीय मुख्यालयों में गठित की गई है। **(पैरा 8.30)**

15.57 झारखंड के बनने के बाद और बंधुआ मजदूरी प्रथा (निषेध) अधिनियम 1976 के प्रवर्तन से बिहार में अब शामिल क्षेत्र में कुल 7995 बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया है। 31 मार्च 2002 तक उनमें से 7780 मजदूरों को पुनः बसाया जा चुका था। शेष में से 115 लापता बताए गए। 1986 के बाद राज्य में किसी बंधुआ मजदूर का पता नहीं लगाया गया। वर्ष 2001 में बिहार से बाहर (उत्तर प्रदेश और गुजरात) में 15 बच्चों सहित 37 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया जो अपने मूल जिलों को लौट गए। उन सभी को भारत सरकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत पुनः बसाया गया है। 2001–2002 में 50 प्रवासी बंधुआ मजदूर वापस आए जिनमें से 38 उत्तर प्रदेश और 12 दिल्ली में आए थे। उनका पुनर्वास किया जा रहा है। आयोग ने 1994–1999 की अवधि के दौरान मुक्त कराए गए बिहार के 143 प्रवासी मजदूरों की सूची सरकार को भेजी थी जिनका पुनर्वास आरंभ नहीं किया गया है। आयोग ने संतोष व्यक्त किया कि इस समूह के 114 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है। इनमें से छः का पुनर्वास हो चुका है। शेष 108 का पुनर्वास किया जा रहा है। 6 जनवरी 2003 की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट दर्शाती है कि 42 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य का हिस्सा संबंधित जिलों को जारी किया जा चुका है। वर्ष 2002–2003 में (30 सितम्बर 2002 तक), 272 बंधुआ मजदूरों का जिला बेटिहा में पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया तथा 2002–2003 में उत्तर प्रदेश में 22 प्रवासी मजदूरों को वापस लिया गया जिनका पुनर्वास किया जा रहा है। **(पैरा 8.31)**

15.58 7 जुलाई 2001 को आयोजित की गई समीक्षा जिसका उल्लेख वर्ष 2001–2002 की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था, में दर्शाया गया कि 70 में से 57 जिलों और कुल 299 उपमंडलों में से 190 उपमंडलों में सतकर्ता समितियां विद्यमान थी। आयोग को संतुष्टि है कि कुल मिलाकर 70 जिलों और कुल 296 उपमंडलों में से 287 में सतकर्ता समितियां विद्यमान हैं (पहले उपमंडलों की संख्या गलती से 299 दर्शायी गई थी) 6 स्थानों पर उपमंडलीय समितियों के गठन का प्रस्ताव सरकार के अनुमोदनार्थ लंबित है। शेष 3 उपमंडलों के बारे में जिला मजिस्ट्रेटों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा हैं तथापि आयोग खेद के साथ कहता है कि अब तक राज्य में सतकर्ता समितियों ने कहीं भी किसी बंधुआ मजदूर का पता नहीं लगाया है। जब भी ऐसे मामलों का पता चलता है यह केवल गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल अथवा आयोग इस संबंध में प्राप्त याचिकाओं के उत्तर में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुआ है।

आयोग ने देखा है कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को कानून के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए अनिवार्य कार्रवाई किए बिना उनके मूल जिलों को भेज दिया जाता है। कई मामलों में मुक्ति आदेश भी जारी नहीं किए जाते हैं और मूल जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को कोई सूचना नहीं दी

जाती है। आयोग के बार–बार हस्तक्षेप करने से मामले में सुधार हुआ है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय इस तथ्य से अवगत है कि प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास का कार्य किसी अभिकरण द्वारा कारगर ढंग से नहीं किया जा रहा है। आयोग अपनी सावधिक रिपोर्टों के माध्यम से इस मामले को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि पता लगाए गए और मुक्त कराए गए मजदूरों के पुनर्वास का कार्य अत्याधिक धीमा है। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब इसका कारण बताया जाता है। तथापि यह देखा गया है कि राज्य सरकार स्वयं केन्द्र को आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में देरी करती रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुनर्वास अनुदान के समतुल्य भाग में प्रयोजन के लिए किए गए बजटीय आबंटनों की समय पर पुष्टि नहीं की है। यही कारक हैं जो केन्द्रीय अनुदान के विमोचन में विलंब का कारण बनते हैं।

आयोग ने टिप्पणी की कि गुजारा भत्ता के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 1000 रुपए का तत्काल अनुदान अदा नहीं किया गया क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में इसके लिए अनिवार्य राहत उपायों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए डॉ0 न्यायमूर्ति के रामास्वामी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 13 जून 2002 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को पत्र लिखे किन्तु 31 मार्च 2003 तक इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। **(पैरा 8.34, 8.35, 8.37 और 8.38)**

15.59 आयोग ने श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित बंधुआ मजदूरी वाले 13 (अब 16) राज्यों को निदेश दिया है कि वे 31 दिसम्बर 2001 तक पता लगाए गए और पुनर्वर्सित बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तथा 1 जनवरी 2002 के बाद से पता लगाए गए और पुनर्वर्सित बंधुआ मजदूरों का तिमाही विवरण भेजें। अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अरूणाचल प्रदेश नामक छः राज्य ही नियमित रूप से यह सूचना भेज रहे हैं। हरियाणा और पंजाब ने आरंभिक स्थिति रिपोर्टें भेजी थी लेकिन अब वे तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से नहीं भेज रहे हैं। आयोग को खेद है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुजरात, अरूणाचल प्रदेश और केरल की सरकारों ने नियमित रूप से कहा है कि उनके राज्यों में यह समस्या नहीं है। **(पैरा 8.39)**

15.60 मुख्य सचिवों और शीर्षस्थ सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठकों में राज्यों द्वारा भेजी गई

सूचना की गुणवत्ता और परिशुद्धता की जाँच की गई और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए अपनाई गई रणनीति में सुधार करने तथा बंधुआ मजदूरों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के अभियोजन की माँग की। विशेष सम्पर्ककर्ता ने रणनीति के रूप में उन क्षेत्रों से जहाँ काम धीमा चल रहा है के संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को इन समीक्षा बैठकों में बुलाया। विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रयास का मुख्य जोर उच्च स्तर पर नीति को प्रभावित करना रहा है ताकि सरकार के विभिन्न विभागों के नीतिगत प्रयासों को एक बिन्दु पर केन्द्रित करने और उन्हें कारगर ढंग से समन्वित किया जा सके। उन्होंने इस कार्य के लिए उत्तरदायी सभी विभागों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया और उसके बाद यह मूल्यांकन किया कि वे अपनी नीतिगत वचनबद्धताओं को कैसे कार्यान्वित कर रही है। इस प्रकार यह प्रयास बहुपक्षीय था और शासन के किसी एक स्तर तक सीमित नहीं था। नियमानुसार शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, श्रम, ग्रामीण विकास, सहयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और राजस्व विभागों में जो अपने आप में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के लिए शीर्षस्थ विभाग हैं में समकेन्द्रता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ऋण का महत्व और गैर–सरकारी संगठनों की अंतग्रस्तता सहित गरीबी उन्मूलन रणनीतियां विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रयास के केन्द्र में रही है। विशेष सम्पर्ककर्ता का यह विचार है कि इस परिमाण की समस्या के लिए नीतिगत उत्तर आवश्यक है और इसलिए नीति निर्माताओं के साथ सम्पर्क आवश्यक है। यह सम्पर्क न केवल राज्यों में सरकार के वरिष्ठ सचिवों के बार–बार परिवर्तन के कारण बल्कि मुख्य सचिवों के स्तर पर भी निरंतर आवश्यक है। गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता ने क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान उनसे नियमित रूप से चर्चा की और आयोग के कार्य में उनसे परामर्श और सहयोग मांगा। राज्य में बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु कर्नाटक सरकार को तैयार करने के लिए 2001 में सफल प्रयास हेतु श्री वेणुगोपाल ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वे तमिलनाडु में बालश्रम के उन्मूलन के लिए इसी प्रकार की कार्य योजना तैयार करें। इस प्रयास के एक भाग के रूप में नवम्बर 2002 में उन्होंने कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न संबद्ध सूचना तमिलनाडु सरकार को भेजी। आयोग को प्रसन्नता है कि तमिलनाडु में योजना तैयार की जा रही है।

यह स्मरणीय है कि विशेष सम्पर्ककर्ता के प्रोत्साहन से तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2000 में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए मैनुअल तैयार किया था। विशेष सम्पर्ककर्ता ने इसके बाद सरकार से आग्रह किया कि वह तमिलनाडु में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए एक नमूना व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करे। इसका मसौदा 7 नवम्बर 2002 में पूरा किया गया और आयोग के सूचनार्थ 3 दिसम्बर 2002 को विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा आयोग के मुख्य सचिव को भेजा गया। यह योजना उच्चतम न्यायालय के अधिदेश के कारगर और सत्यापनीय कार्यान्वयन को सम्पन्न करेगी।

यह संसाधनों के उच्च स्तर को गतिशील बनाने के लिए बहुमूल्य यंत्र सिद्ध होगी। **(पैरा 8.42, 8.43, 8.47, 8.48 और 8.49)**

15.61 गत दो वार्षिक रिपोर्टों में, बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में आयोग के विचारों को विस्तार से बताया गया था। आयोग ने मत व्यक्त किया था कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाना और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों का भाग होना चाहिए अथवा इसके लिए अलग से समुचित विधायन लाना चाहिए ताकि संबंधित मुद्दों को न्याय मिल सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने यह मामला कई मौकों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उठाया और अपने विचारों से उन्हें पुनः अवगत कराया।

आयोग को इन मामलों में हो रहे लम्बे विलम्ब के कारण अफसोस है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की शर्तों के अधीन, आयोग ने विचाराधीन विधायन से जुड़े मुद्दों पर बार–बार अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। आयोग के लिए यह समझना कठिन है कि मसौदा विधेयक को आयोग के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तद्नुसार, आयोग ने अपने महासचिव से इस मामले को अपने समकक्ष अधिकारी के साथ मामले पर बात करने और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

15.62 भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग विभिन्न स्तर की शारीरिक मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक निःशक्तता स्थाई अथवा अस्थाई रूप से झेल रहे हैं। वे सामान्यतयः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मूलभूत संरचनात्मक तथा दृष्टिकोणीय निःशक्तता का सामना कर रहे हैं जिससे समान स्तर पर अधिकार प्राप्त करने में उनको क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आयोग का ठोस विचार है कि निःशक्त लोगों में विकास सहित राष्ट्र जीवन में व्यापक योगदान करने का सामर्थ्य है। बशर्ते कि उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और योग्यता में अंतर को पहचाना जाए। इसलिए आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त व्यक्तियों के मानवाधिकारों को उन्हें मुहैया कराया जाए, सुविचारित पद्धति अपनाई है। इस प्रयास में उन्हें सहायता देने के लिए आयोग ने श्रीमती अनुराधा मोहित, पूर्व उप–मुख्य आयुक्त, (निःशक्त व्यक्ति), भारत सरकार को निःशक्तता से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता के रूप में नियुक्त किया है। **(पैरा 8.56)**

15.63 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अंतः गृह निःशक्तता नीति तथा कार्रवाई कार्यसूची अपनाई है। इस नीति का दूरगामी उद्देश्य आयोग के कार्य के सभी पहलुओं में निःशक्तता को समाविष्ट

करना है और इसके साथ–साथ मानवाधिकारों पर आधारित निःशक्तता मापदण्डों और मानकों को बढ़ावा देना है। केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा हस्तक्षेप के लिए आलोचनात्मक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और सिफारिशों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाई गई कार्रवाई के साथ भेजा गया। आयोग इस तथ्य के प्रति सजग है कि लिंग, जाति, अवस्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर जैसे अन्य कारकों के साथ निःशक्तता जटिल बाधा उत्पन्न कर सकती है जिससे बहुपक्षीय धरातल पर भेदभाव हो सकता है। यदि निःशक्त व्यक्तियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग करने के सक्षम बनाना है, ऐसे भेदभाव से मुकाबला करने की रणनीति समान रूप से व्यापक होनी चाहिए। **(पैरा 8.57)**

15.64 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अनेक सिफारिशें की है। इन सिफारिशों को राज्यों और केन्द्र के सक्षम प्राधिकारियों को भेज दिया गया है और इन सिफारिशों की रूप–रेखा नीचे दी गई है:

- राज्य नीतिः यह संकेत दिया गया कि राज्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 'निःशक्तता राज्य नीति और कार्रवाई कार्यसूची' विकसित करनी चाहिए:–

- संविधान तथा निःशक्तता से जुड़े कानूनों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करना;

- निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए भिन्न–भिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित संसाधनों का भरपूर उपयोग करना;

- सभी निःशक्त व्यक्तियों को मूलभूत सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए मूलभूत संरचना का समान रूप से विकास करना।

- रूकावट रहित मूलभूत संरचनाः भारत सरकार और राज्य सरकारों को निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्मित वातावरण, परिवहन तंत्र, संचार, सूचना और प्रसारण तथा सार्वजनिक सुविधाओं की रूकावट रहित सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सुलभ मूलभूत संरचना के बारे में राष्ट्रीय/राज्य नीतियां तैयार करने और अपनाने के लिए कहा गया है।

- स्पष्ट समेकनः यह कहा गया कि सभी मंत्रालय/विभाग तथा विशेषज्ञता–प्राप्त संस्थान महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष समूहों के लिए अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में निःशक्तता चिंताओं को समेकित करें।

- कानूनों का कार्यान्वयनः राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों और स्थानीय प्राधिकारियों को निःशक्तता अधिनियम 1995 के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के

लिए योजनाएं, नियम, विनियमन तैयार करने और उन्हें लागू करने तथा प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि बेमेल और निदांकारी उपबंधों को हटाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।

- शोषण रोकना: यह भी कहा गया कि सरकार निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाने तथा भिक्षावृत्ति का संचालन कर रहे माफिया गिरोहों द्वारा विकलांगों का शोषण रोकने के लिए स्थितियां पैदा करे। केन्द्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी, गैर–सरकारी संगठनों तथा जन–संपर्क माध्यमों को धन इकट्‌ठा करने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्तियों की नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने से रोकने के लिए कदम उठाएं।

- न्यूनतम मानक: यह प्रस्ताव किया गया कि निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं देने वाले संस्थानों की कार्य प्रणाली को विनियमित करने, मानकीकृत करने, निगरानी करने और उनका पर्यावेक्षण करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

- सामाजिक सुरक्षा: यह आग्रह किया गया कि सरकारों को सभी स्तरों पर, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे निःशक्त व्यक्तियों के लिए वास्तविक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। **(पैरा 8.59)**

15.65 आर आई एम पी ए एस और आई एम एच एच आगरा में नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाओं में काफी सुधार आया है। तथापि अब भी वे जी एम ऐ में उपलब्ध नहीं है जहां क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी के कारण पर्याप्त मनो नैदानिक सुविधाएं और समुचित व्यवहारीय तकनीक विकसित नहीं हो पाई। आयोग के बार–बार निदेशों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार निदेशक का पद भरने में असमर्थ रही है और संस्वीकृत संख्या में मनोचिकित्सक, क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। **(पैरा 8.70)**

15.66 जबकि यह लगता है कि अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों को समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों की श्रेणी में विलय करने के कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं और उन्हें समुचित लाभ दे रहे हैं किन्तु आयोग को कहना पड़ रहा है कि अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों के अधिकारों का उल्लंघन जारी है। स्पष्ट है कि ऐसी वस्तुस्थिति अभी भी है जिसमें इन समूहों के व्यक्तियों को स्वैच्छिक और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस

स्थिति पर आयोग को चिंता है और आयोग चाहता है कि इस मामले को लगातार उठाया जाए। **(पैरा 8.86)**

15.67 आयोग दोहराना चाहेगा कि इस अस्वीकार्य प्रथा को समाप्त करने की दृढ़ इच्छा उच्चतम राजनीतिक स्तर से आनी चाहिए जिसके बिना सिर पर मैला ढोना सब कानूनों के बावजूद जारी रहेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए ताकि इस अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को समाप्त किया जा सके। देश में प्रत्येक मानव को प्रतिष्ठा के साथ जीने की संवैधानिक गारंटी के मद्देजनर यह आग्रह अनिवार्य है। कुछ राज्यों ने जोर दिया कि शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहीय शौचालयों में बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होगी और सुझाव दिया कि भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्त्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने जोर देकर कहा कि राज्यों तथा केन्द्र सरकार को अपने संसाधनों को समूहबद्ध करना चाहिए ताकि मैला ढोने की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। **(पैरा 8.90 और 8.92)**

15.68 यह स्मरणीय होगा कि आयोग ने 'कौम', 'जाति' और 'खानदान' पर आधारित भेदभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे और अपने मत पर डटा रहा कि जबकि "राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के विषयों पर विचारों का आदान–प्रदान मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में संरचनात्मक योगदान दे सकता है" फिर भी "सर्वोपरि यह राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और नैतिक अनिवार्यता" है कि "कौम", "जाति" और 'खानदान' के आधार पर भेदभाव देश में समाप्त हो और भेदभाव के प्रति संविधानिक गारण्टी को कड़ाई से कार्यान्वित और प्रतिष्ठित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस वक्तव्य और उद्देश्य के अनुसरण में आयोग ने श्री के. बी. सक्सेना, (सेवानिवृत्त) आई.ए.एस. से इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में अध्ययन करे। तद्नुसार श्री के.बी. सक्सेना ने अध्ययन किया और "अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार का निवारणः नीति और निष्पादनः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए सुझाए गए हस्तक्षेप और पहल" शीर्षक से 25 नवम्बर, 2002 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने श्री के. बी. सक्सेना द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चर्चा की और इसके बाद तय किया कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने हेतु आयोग में विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। प्रकोष्ठ गठित हो चुका है और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। **(पैरा 8.109)**

15.69 आयोग का विचार है कि सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार पर रखने के मामले को आचरण नियमों के संशोधन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नियमों पर जोश से निगरानी रखनी चाहिए

यदि हमें बच्चों को घरेलू कामों में नियुक्त करने की बुरी प्रथा का अंत करना है। आयोग के ध्यान में अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से ऐसी घटनाएं आई हैं कि सरकारी कर्मचारी संशोधित नियमों का अभी उल्लंघन कर रहे है। ऐसी घटनाओं में आयोग ने मामलें को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग को इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। **(पैरा 9.5)**

15.70 इस योजना में श्री सक्सेना ने मुसाहारों की सहायता के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसाहारों को इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से घर और सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेयजल, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का कल्याण, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, भूमि आबंटन, दक्षता विकास, पंचायत और अत्याचारों से निपटने के तरीकों के लिए अपेक्षित योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

श्री सक्सेना द्वारा तैयार कार्य योजना पर विचार करने के बाद आयोग ने सिफारिश की कि इसे भारत सरकार और बिहार सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाए। इस मामले पर आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। **(पैरा 9.8 और 9.9)**

15.71 गत वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के महत्व पर आयोग के विचारों का उल्लेख किया गया था। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि मसौदा योजना उपलब्ध होने पर, गृह मंत्रालय एक संगोष्ठी का आयोजन करेगा जिसमें आयोग के एक प्रतिनिधी को इस योजना को पारित करने हेतु अंतिम रूप देने के लिए चर्चा करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। चूंकि यह मामला काफी लम्बे समय से लंबित है, आयोग आग्रह करता है कि मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करने का कार्य अब शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। **(पैरा 10.2)**

15.72 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, 2000–2001 के 'की गई कार्रवाई के ज्ञापन' में यह कहा गया है कि "मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" शैक्षिक संस्थानों, नौकरशाही तथा पुलिस द्वारा अपनाई गई है। कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न प्राधिकारियों ने पहले ही मानव अधिकार शिक्षा जानकारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है। आयोग इन बातों का स्वागत करता है और आशा व्यक्त करता है कि मानव अधिकार शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना ध्यानपूर्वक और विधिपूर्वक आगे बढ़ेगी और समाज के बड़े वर्गों को शामिल कर पाएगी। **(पैरा 10.4)**

15.73 जन–जाग्रति कार्यक्रम के बारे में, मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में 'दूरदर्शन' तथा 'आकाशवाणी' को शीर्षस्थ मीडिया यूनिटों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। इसलिए आयोग ने, इस कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई आरम्भ कराने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मामलों को उठाया है। आयोग के महासचिव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने हेतु सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मुलाकात की। संयुक्त सहयोग के लिए अनेक कार्य बिन्दु उभरकर सामने आए। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, दूरदर्शन के समाचार कार्यक्रमों में मानव अधिकार मुद्दों को अपेक्षाकृत अधिक रूप से कवर करना, मानव अधिकारों से जोड़कर सामाजिक मुद्दों और समस्याओं पर रेडियो और टी वी स्पॉट्स तैयार करना, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मानव अधिकारों के बारे में पुस्तिका तैयार करना, मानव अधिकार के मुद्दों पर पोस्टर आदि बनाना शामिल है। आयोग के अधिकारियों और दूरदर्शन, आकाशवाणी, श्रव्यता और दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समूह का गठन किया जाना है जो, मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए लघु अवधि तथा दीर्घावधि आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आयोग द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दों और उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करेगा। **(पैरा 10.5)**

15.74 आयोग रा0 मा0 अ0 आ0 1993 के उपबंध के अनुसार राज्य सरकारों को राज्य मा0 अ0 आयोगों को गठित करने के प्रयासों पर नजर रखता रहा है। आयोग को प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मा0 अ0 आ0 गठित किया है अब ऐसे आयोग असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश (निर्धारित और पुनः गठित) जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में स्थापित है। आयोग इस आशा को दोहराना चाहेगा कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक रा0 मा0 अ0 आ0 गठित नहीं किए है, वे शीघ्र ही ऐसा कर लेगें। राज्य मा0 अ0 आ0 का अस्तित्व मानव अधिकारों के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। ये आयोग अपनी संविधानिक दायित्वों को पूरा करने में संबंधित सरकारों को सहायता करते हैं। **(पैरा 12.1)**

15.75 रा0 मा0 अ0 आ0 से विचार विमर्श करते हुए कुछ राज्य मा0 अ0 आयोगों ने उनको पेश आ रही वित्तीय तथा अन्य कठिनाईयों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। मा0 अ0 संरक्षण अधिनियम 1993 में देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए आयोगों के नेटवर्क को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर एक–दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अभिकल्पना की गई है। मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत रा0 मा0 अ0 आयोगों के समक्ष मुद्दों के बारे में सिफारिशे करने की स्थिति में नहीं है। इस आलोक

में रा0 मा0 अ0 आ0 ने एक ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। यह ढांचा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत रा0 मा0 अ0 आ0 और राज्य आयोगों के बीच अंतर्संस्थागत संबंधों को शासित करेगा और रा0 मा0 अ0 आ0 को अधीक्षता की शक्तियां प्रदान करेगा। सशक्त आयोग एक–दूसरे को मजबूत करेंगे और बेहतर शासन तथा मानवीय समाज के सृजन में सहायक होंगे। इसलिए यह पूरे देश के हित में है कि केन्द्र और राज्य सरकारें आयोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग दें कि अधिनियम की स्कीम का सम्मान हो और उसके उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। आयोगों को एक ऐसे औजार के रूप में देखा जाना चाहिए जो मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में योगदान करेगा और सरकारों के कार्य का अनुपूरक होगा क्योंकि लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करना राज्य की बाध्यता है। आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखने का आग्रह करता है। **(पैरा 12.3)**

15.76 आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर–पूर्वी राज्यों असम और मणिपुर ने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित कर लिए हैं तथा क्षेत्र के अन्य राज्य सैद्धान्तिक रूप से ऐसे आयोगों के पक्ष में हैं। तथापि वित्तीय और प्रशासनिक कारण उनमें रूकावट डाल रहे हैं और यह सोचने की आवश्यकता है कि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्य किस प्रकार एक अथवा अधिक मानव अधिकार आयोग गठित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है यद्यपि ऐसे आयोग गठित होने से क्षेत्र का बहुत लाभ होगा। इसलिए गृह मंत्रालय से एक बार फिर संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने का आग्रह किया जाता है ताकि उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। इन राज्यों के लोगों की भलाई देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। **(पैरा 12.4)**

15.77 यह आयोग के लिए दुख की बात है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के वचन को अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया गया है। जबकि अनेक राज्यों में ऐसे न्यायालय अधिसूचित किए है फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन अपराधों को मानव अधिकार अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपनी ओर से आयोग ने अधिनियम की धारा 30 में संशोधन का प्रस्ताव किया है जो 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध 1 में देखा जा सकता है। अफसोस है कि इस प्रस्ताव पर किसी निश्चित कार्रवाई के अभाव में ये न्यायालय अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर पाए हैं जिनके लिए इन्हें नामित किया गया था। इसलिए आयोग केन्द्र सरकार को इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों को इस समय पेश आ रही कठिनाईयों से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए यद्यपि इनके समाधान के लिए स्पष्ट सिफारिशे की जा चुकी है। **(पैरा 12.5, 12.6 और 12.7)**

15.78 आयोग दोहराना चाहेगा की यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आयोग द्वारा रिपोर्ट के लिए किए गए अनुरोधों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें तत्परता से कार्यवाही करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर बिना किसी विलंब के कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इस तथ्य पर आधारित है कि आयोग को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसलिए यह उनके लिए अनिवार्य है कि वे अधिनियम में अभिकल्पित स्थिति के अनुसार मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मामलों के निपटान हेतु तत्परता से और कुशलतापूर्वक प्रयासों में आयोग को सहायता दे। **(पैरा 13.8)**

15.79 अन्वेषण प्रभाग के कार्यभार और कार्य के स्वरूप के मद्देनज़र आयोग ने इस प्रभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या और सेवा की स्थिति के बारें में वर्ष 2001–2002 की अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की है। चूंकि ये मामले अभी नहीं निपटे इसलिए आयोग अपनी इस आशा को दोहराता है कि इन पर सकारात्मक रूप से और शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी। **(पैरा 13.13)**

(ए0 एस0 आनन्द)
अध्यक्ष

(सुजाता वी मनोहर)	(वीरेन्द्र दयाल)	(वाई भास्कर राव)	(आर0 एस0 काल्हा)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

नई दिल्ली
14 नवम्बर 2003

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा का भारत के प्रधानमंत्री को सम्बोधित दिनांक 3 जनवरी 2003 का पत्र

संलग्नक 1

गोपनीय

अ.शा. पत्र सं0 3/सी पी/2003 3 जनवरी, 2003

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

विगत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मैंने और मेरे साथियों ने अपने दायित्वों के निर्वहन में दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशों का अनुसरण किया है। पहला, हमारे संविधान, कानूनों तथा संधि पत्रों के तहत अपेक्षित अपनी पूर्ण शक्ति और निष्ठा के साथ देश में मानव अधिकारों का प्रोत्साहन और संरक्षण। दूसरा, ऐसा इस ढंग से करना जिससे हमारे देश के सम्मान में और अधिशासन की इसकी संस्थाओं में देश और विदेश में विश्वास में संवृद्धि हो।

क्योंकि मैं कुछ ही समय पश्चात् अपने कार्यालय का कार्यभार त्याग करने वाला हूँ इसलिए यह उपयुक्त नहीं होगा यदि मैं उस स्थिति के बारे में अपनी गहन और सतत चिन्ता से आपको अवगत न कराऊँ जिनके हमारे देश – इसके लोगों और संस्थानों – वे निहितार्थ जो राजनीतिक विचारों से परे हैं – किन्तु जो प्रत्यक्षतः हमारे उन सिद्धान्तों का उल्लंघन करती है जिनसे इस आयोग के कार्य को मार्गदर्शित किया है, की ख्याति और कल्याण के लिए व्यापक निहितार्थ हैं।

मैं गुजरात में मानव अधिकारों की स्थिति का उल्लेख कर रहा हूँ जो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस को दुःखद रूप से जलाने के फलस्वरूप पैदा हुई जिसकी वजह से

अबोध व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई और बाद में उस राज्य में हत्याएँ, लूटपाट, बलात्कार और आगजनी हुई।

ये गंभीर घटनाएं, जिनकी वजह से आपको, राष्ट्र को और विश्व को बहुत दुःख हुआ और धक्का पहुँचा, अब भी मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से अन्य परिप्रेक्ष्यों : राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, के अलावा, एक क्षुब्धकारी स्थिति पैदा कर रही हैं।

इस आयोग की दृष्टि से, हम इस बात से अत्यंत चिन्तित है कि क्या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गोधरा में काण्ड किया और जो बाद में घटित हुए मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं, मुकदमा चलाया जाएगा और उस सीमा तक उन्हें सजा दी जाएगी जो हमारे संविधान, कानून और संधि दायित्वों के अन्तर्गत अपेक्षित है। इसी प्रकार, हम इस बात से भी चिन्तित हैं कि क्या पीड़ितों और नातेदारी व समुदाय के कारण उनसे संबंधितों को उन सभी कानूनी व अन्य उपचारों का पूर्ण रूप से लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी जो उन्हें इन्हीं संविधियों अैर संलेखों के तहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जैसा कि इस आयोग की दिनांक 1 अप्रैल और 31 मई 2002 की कार्यवाहियों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसकी प्रतियाँ मैंने आपको पहले भिजवाई थी, उन बातों को मैं इस पत्र में नहीं दोहराऊगाँ क्योंकि उनका पूर्ण रूप से उन कार्यवाहियों में उल्लेख किया गया है।

तथापि मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि यदि हमारा देश पीड़ितों, उनके नजदीकी परिवारों, आश्रितों व उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों अथवा वर्गों को तुरंत व प्रभावी ढंग से न्याय दिलाने में असमर्थ रहा तो वह कानून का एक गंभीर उपहास होगा जिसके न केवल उन लोगों के लिए जो उनसे सीधे ही प्रभावित हैं बल्कि हमारे देश की ख्याति और अधिशासन की इसकी प्रणालियों के लिए भी गंभीर परिणाम होंगे जिसमें न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शामिल है।

खेद की बात है कि इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद, अभी तक पीड़ितों, देश व पूरे विश्व को आश्वस्त करने के लिए काफी कुछ नहीं किया गया है कि राज्य की एजेन्सियां घटित हुई घटनाओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य कर रही है।

और न ही, मुझे कहने में दुख हो रहा है, राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति नानावती–शाह आयोग की नियुक्ति से इस संबंध में भय दूर हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, मेरे विचार में, उपयुक्त कदम उठाने में और देरी से घटित हुई दुर्घटना और गंभीर हो जाएगी। इससे दीर्घावधिक शान्ति और

मेल–मिलाप की संभावनाएं भी और सम्भव व समान गंभीर रूप से देश पर उन लोगों को छूट देने के आरोप लगाए जा सकते हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान और कानूनों तथा अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का हनन किया है जिनका सम्मान करने के लिए हमारा देश बाध्य है।

मानव अधिकार संबंधी हमारे पर्याप्त अनुभव और जानकारी के फलस्वरूप, प्रधानमंत्री जी, अन्य बातों के अलावा, आप पूर्णतः जानते हैं कि विगत वर्षों के दौरान मानव अधिकार न्यायशास्त्र के कार्यक्षेत्र ओर सीमा में अपार वृद्धि हुई है। विशेष रूप से इस न्यायशास्त्र का दो दिशाओं में विकास हुआ है। प्रथमतः शासन को न केवल उसके अपने अभिकर्ताओं के कार्यों के लिए बल्कि बड़ी मात्रा में मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर उसके कार्यक्षेत्र में काम करने वाले शासन–भिन्न अभिकर्ताओं के कार्यों के लिए भी अधिकाधिक जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरे, जब प्रतीत हो कि शासन के अभिकर्ताओं ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के कतिपय पीड़ित वर्गों के समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त रूप से कदम नहीं उठाए हैं अथवा प्रतीत हो कि ऐसे उल्लंघनों में लिप्त व्यक्तियों को छूट प्रदान की है, उभरते न्यायशास्त्र ने अन्तरर्राष्ट्रीय मंचों और अधिकरणों के सम्मुख जवाबदेही पर जोर दिया है।

मुझे शायद यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश की परम्पराएँ जिनपर हम ठीक ही गर्व कर सकते हैं और जो बड़ी सावधानी के साथ पिछले वर्षों के दौरान विकसित और दृढ़ हुई हैं – गुजरात में घटित मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघनों के कारण उत्पन्न चुनौती पर खरी नहीं उतरे।

मैं काफी समय से इस मामले के संबंध में, विशेष रूप से आयोग में आने वाले भारतीय और विदेशी दर्शकों द्वारा मुझे बताई गईं कुछ बातों के बारे में, आशंकित हूँ। ऐसे सभी अवसरों पर मैंने उनसे उन्हें उपलब्ध राष्ट्रीय प्रथाओं की सुदृढ़ता और प्रजातान्त्रिक समाधान के प्रभावी और निष्पक्ष कामकाज पर बल दिया है। मैंने उनसे यह भी कहा कि वे कुछेक व्यक्तियों द्वारा आयोग पर किए जाने वाले कुछ असंयमी और बिना जानकारी के प्रहारों से भ्रमित न हों, जिनमें मिडिया के कतिपय वर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि वे देश की आम–जनता की राय अथवा आपकी सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करते।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थितियों में, हमारे देश के नेतृत्व और शासन प्रणाली को चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक कि न्याय न हो और बड़े पैमाने पर उल्लंघनों के लिए उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए और उन्हें दण्डित न किया जाए; और जब तक कि पीड़ितों और उनसे जुड़े व्यक्तियों को कानून के तहत उन्हें उपलब्ध उपचार उपलब्ध न कराए जाएं।

समकालीन मानवाधिकार न्यायशास्त्र के तहत यह अपेक्षित है कि पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया तत्काल सुलभ हो; कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए किए गए अथवा न किए गए कार्यों के लिए दोषियों के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, नागरिक व दाण्डिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय किए जाएं; कि पीड़ित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से क्षतिपूर्ति की जाए; क्षतिपूर्ति घटित उल्लंघनों और क्षति की गंभीरता के अनुरूप हो उसमें हर्जाना, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, संतुष्टि तथा उन घटनाओं के पुनः घटित न होने की गारंटी शामिल हो।

अपना पद त्याग करने से पहले इस मामले के बारे में मैं, प्रधानमंत्री जी, आपके शासनाध्यक्ष होने के नाते तथा प्रसंगाधीन मुद्दों की आपकी गहन और शाश्वत समझ वाले व्यक्ति के रूप में, अपनी तीव्र वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं अत्यंत आभारी रहूंगा यदि आप स्थिति पर नजर रखेंगे और सक्षम प्राधिकारियों को, राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देष देंगे कि इस आयोग की पिछली सिफारिशों में विस्तारपूर्वक निर्धारित व इस पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार न्याय किया जाए। मुझे विश्वास है कि इस अत्यावश्यक प्रयास में आपके व्यक्तिगत रूप से ध्यान की मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि मेरे उत्तराधिकारी व आयोग में मेरे साथियों द्वारा भी अत्यंत सराहना की जाएगी।

मुझे विश्वास है कि मैं उन सभी व्यक्तियों की शुभकामनाओं से जिनके दिल में हमारे देश का सर्वोत्तम हित छिपा है, चाहे वे भारत के अन्दर हों अथवा अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में विद्यमान हैं यह भी कहना चाहूँगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है।

अन्त में, प्रधानमंत्री जी नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी बहुत–बहुत शुभकामनाएं और व्यक्तिगत सम्मान के साथ।

आपका

(जे. एस. वर्मा)

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के प्रधानमंत्री,
7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली

वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग को सूचित हिरासतीय मौतों की राज्यवार स्थिति

संलग्नक 2

राज्य	01.04.2002 से 31.3.2003 तक पंजीकृत हिरासत में मौतों के मामले		
	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	कुल
आंध्र प्रदेश	112	10	122
अरुणाचल प्रदेश	2	2	4
असम	13	15	28
बिहार	153	4	157
छत्तीसगढ़	29	3	32
गोआ	1	0	1
गुजरात	34	17	51
हरियाणा	41	6	47
हिमाचल प्रदेश	2	0	2
जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0
झारखण्ड	41	6	47
कर्नाटक	49	16	65
केरल	50	4	54
मध्य प्रदेश	36	1	37
महाराष्ट्र	117	26	143
मणिपुर	1	0	1
मेघालय	3	3	6
मिज़ोरम	2	0	2
नागालैण्ड	0	0	0
उड़ीसा	41	1	42
पंजाब	65	9	74
राजस्थान	55	6	61
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	51	17	68

राज्य	01.04.2002 से 31.3.2003 तक पंजीकृत हिरासत में मौतों के मामले		
	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	कुल
त्रिपुरा	1	1	2
उत्तरांचल	7	1	8
उत्तर प्रदेश	169	16	185
पश्चिम बंगाल	49	16	65
संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान निकोबार	0	0	0
चण्डीगढ़	3	0	3
दादर नगर हवेली	0	0	0
दमन एवं दिप	0	0	0
दिल्ली	30	2	32
लक्षद्वीप	0	0	0
पाण्डिचेरी	0	1	1
कुल	**1157**	**183**	**1340**

वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए लम्बित पुलिस मुठभेड़ों के मामलों का राज्यवार विवरण

संलग्नक 4

क्र. सं0	राज्य का नाम	वर्ष 2001–2002 में लंबित मामलों	वर्ष 2002–2003 में वर्ष 2001–02 से संबंधित निर्णीत मामलों की संख्या	वर्ष 2001–02 से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष 2002–2003 से संबधित लम्बित मामलों की संख्या	31.3.03 को लम्बित कुल मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	2	1	1	7	8
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	2	2
4	बिहार	2	1	1	4	5
5	गोआ	0	0	0	0	0
6	गुजरात	0	0	0	1	1
7	हरियाणा	0	0	0	1	1
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
9	जम्मू तथा कश्मीर	1	0	1	0	1
10	कर्नाटक	0	0	0	1	1
11	केरल	0	0	0	1	1
12	मध्य प्रदेश	1	0	1	1	2
13	महाराष्ट्र	2	0	2	9	11
14	मणिपुर	0	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	0	1	1
16	मिज़ोरम	0	0	0	0	0
17	नागालैण्ड	0	0	0	0	0
18	उड़ीसा	0	0	0	0	0
19	पंजाब	1	0	1	0	1
20	राजस्थान	0	0	0	1	1
21	सिक्किम	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	0	0	2	2

क्र. सं0	राज्य का नाम	वर्ष 2001–2002 में लंबित मामलों	वर्ष 2002–2003 में वर्ष 2001–02 से संबंधित निर्णीत मामलों की संख्या	वर्ष 2001–02 से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष 2002–2003 से संबधित लम्बित मामलों की संख्या	31.3.03 को लम्बित कुल मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	41	17	24	38	62
25	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1
26	अण्डमान निकोबार	0	0	0	0	0
27	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0
28	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0
29	दमन एवं दिप	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	2	2	0	6	6
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0
33	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
34	झारखण्ड	3	1	2	0	2
35	उत्तरांचल	0	0	0	2	2
	कुल योग	**55**	**22**	**33**	**78**	**111**

घरेलू हिंसा से सुरक्षा विधेयक, 2002 – रा.मा.अ.आ. द्वारा सुझाए गए संशोधन

संलग्नक 5

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
अध्याय 1 **प्रारंभिक** **1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ** 1) इस अधिनियम को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2002 कहा जा सकता है। 2) यह पूरे भारत पर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, लागू है। 3) यह उस तारीख से लागू होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। **2. परिभाषाएँ** इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो – क) "दुःखी व्यक्ति" का अर्थ है कोई महिला जो प्रतिवादी है अथवा उसका रिश्तेदार है और जिसका आरोप है कि उसके साथ प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा की गई है;	**अध्याय 1** **प्रारंभिक** **1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ** 1) इस अधिनियम को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2002 कहा जा सकता है। 2) यह पूरे भारत पर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, लागू है। 3) यह उस तारीख से लागू होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। **2. परिभाषाएँ** इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो – क) "दुःखी व्यक्ति" का अर्थ है कोई महिला अथवा बच्चा जिसका प्रतिवादी के साथ कोई घरेलू संबंध है अथवा रहा है और जिसके साथ प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा की गई है।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	उप–धारा 2 (क) के पश्चात् नई उप–धारा 2 (ख) जोड़ना जो निम्न प्रकार पढ़ी जाएगी: (ख) "घरेलू संबंध" का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध जो किसी भी निम्नलिखित तरीके से, एक साथ रहते हें अथवा किसी मिले–जुले परिवार में किसी समय एक साथ रहे हों : ● वे एक दूसरे के साथ विवाहित हैं अथवा विवाहित थे, जिसमें किसी कानून, रीति–रिवाज, धर्म अथवा दस्तूर अथवा अवैध विवाह शामिल है: ● वे एक साथ रहते हैं अथवा किसी समय एक साथ रहे हैं; ● वे, सगोत्र विवाह, गोद लेने के माध्यम से संबद्ध हैं अथवा परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में परिवार के सदस्य हैं भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (ख) उप–धारा 2 (ग) हो जाएगी और निम्न प्रकार पढ़ी जाएगी :	
(ख) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो इसकी धारा 4 में किया गया है।	(ग) "घरेलू हिंसा" के अन्तर्गत कोई कार्य करना अथवा न करना सम्मिलित है, जो ऐसी प्रकृति का है कि उससे घरेलू संबंधों में दुखी व्यक्ति अथवा किसी	● घरेलू हिंसा के अर्थ को व्यापक बनाने की जरूरत है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि हिंसा का कार्य करने वाले भारत सरकार द्वारा यथा

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कल्याण को नुकसान, हानि पहुँचेगी अथवा नुकसान अथवा हानि पहुँचने की संभावना है, और इसके अनतर्गत शारीरिक यातना, योनाचार, मौखिक और मानसिक यातना और आर्थिक यातना शामिल है। इसके अर्न्गत धारा 4 के अन्तर्गत आने वाला आचरण भी शामिल है। **व्याख्या** ● "शारीरिक दुरुपयोग" के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य अथवा आचरण सम्मिलित है जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे दुःखी व्यक्ति के जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को शारीरिक दुःख, नुकसार अथवा खतरा हो अथवा उसके स्वास्थ्य अथवा विकास को बाधा पहुँचे तथा इसके तहत आक्रमण, दाण्डिक भय और दाण्डिक बल शामिल है। ● "यौन यातना" के अन्तर्गत यौन प्रकृति का ऐसा कोई भी आचरण शामिल है जिसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के सम्मान को कोई यातना पहुँचे, उत्पीड़न, आकर्षक अथवा अन्यथा उल्लंघन होता हो। ● किसी बच्चे की "यौन यातना" के अन्तर्गत यौन प्रकृति का ऐसा कोई भी	प्रस्तावित धारा के सीमित कार्यक्षेत्र का उपयोग करके दण्ड से बच न सके। हिंसा किसी व्यक्ति पर मात्र कोई कार्य करने से नहीं की जा सकती बल्कि कोई कार्य न करने से भी की जा सकती है। उन मामलों को भी शामिल करने की जरूरत है जहाँ किसी कार्य को करने अथवा न करने से वस्तुतः कोई नुकसान अथवा हानि नहीं होती बल्कि उससे अन्यथा किसी महिला अथवा बच्चे को नुकसान अथवा हानि पहुँचने की संभावना है।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	कार्य अथवा आचरण सम्मिलित है जिससे किसी घरेलू संबंध में किसी बच्चे को यातना पहुँचे, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे और उसका उल्लंघन हो। ● "मौखिक और मानसिक यातना" के अंतर्गत अपमान, उपहास, अपमानजनक आचरण अथवा गाली–गलौज शामिल है, विशेष रूप से बच्चे को अथवा नर बच्चे को जन्म न देना अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट न पहुँचाने की बार–बार धमकी देना जिसमें व्यथित व्यक्ति का कोई हित हो। ● "आर्थिक यातना" के अन्तर्गत उन सभी आर्थिक अथवा वित्तीय संसाधनों का हनन सम्मिलित है जिसका व्यथित व्यक्ति किसी कानून या प्रथा के तहत हकदार हो चाहे वह न्यायालय के किसी आदेश के अन्तर्गत अथवा अन्यथा देय हो अथवा जिसकी व्यथित व्यक्ति को किसी जरूरत के कारण आवश्यकता हो, जिसमें मात्र व्यथित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए पारिवारिक जरूरतों तक, यदि कोई हो, सीमित नहीं है, स्त्रीधन व्यथित व्यक्ति की सम्पत्ति, संयुक्त रूप से अथवा अलग–अलग धारित, चल अथवा अचल परिसम्पत्तियाँ, मूल्यवान वस्तुतएं, शेयर, प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य सम्पत्ति जिसका व्यथित व्यक्ति पारिवारिक संबंध के कारण उपयोग करने का हकदार हो अथवा जो व्यथित व्यक्ति अथवा उसके बच्चों के उचित उपयोग के लिए जरूरी हो तथा साथ ही व्यथित व्यक्ति और उसके बच्चों का अनुरक्षण शामिल हैं।	● दुरुपयोग की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसके अन्तर्गत न केवल शारीरिक बल्कि यौन संबंधी और मानसिक यातना भी शामिल की जा सके। यह लाभप्रद होगा क्योंकि इसके अन्तर्गत उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर वैवाहिक बलात्कार के पहलू को भी शामिल किया जा सकेगा। मौखिक यातना को शामिल करने से महिलाओं को उत्पीड़क के हाथों किए जाने वाले उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	तद्नुसार प्रस्तावित भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2(ग) उप–धारा 2 (घ) हो जाएगी।	
(ग) "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ प्रथम श्रेणी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा उस इलाके में, जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट है, जैसी भी स्थिति हो,	"मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ प्रथम श्रेणी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा उस इलाके में, जहाँ व्यथित रहता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट है, जैसी भी स्थिति हो।	
	भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (घ) तद्नुसार उप–धारा 2 (ड.) बन जाएगी	
(घ) "मौद्रिक राहत" का अर्थ वह हर्जाना है जिसका कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च और हुए नुकसान को पूरा करने के लिए, सुरक्षा आदेश चाहने वाले आवेदन–पत्र की सुनवाई के दौरान किसी स्तर पर आदेश दे।	(ड.) "मौद्रिक राहत" का अर्थ प्रतिवादी द्वारा वह हर्जाना है जिसका कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च और हुए नुकसान को पूरा करने के लिए, सुरक्षा आदेश चाहने वाले आवेदन–पत्र की सुनवाई के दौरान किसी स्तर पर आदेश दे।	(ड.) प्रतिवादियों को आर्थिक अदायगी करने के लिए जिम्मेदार ठहराने से उनपर वित्तीय दबाव पड़ेगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू हिंसा के संबंध में रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकांश मामले समाज के माध्यम। निम्न वर्ग से होते हैं जिन मामलों में सजा की बजाए आर्थिक देनदारी को अधिक भारी समझा जाता है इसलिए ऐसी देयता का अधिक प्रतिरोधक होगा और इस प्रकार ऐसे मामलों की बारम्बारता में कमी आएगी।
	भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (ड.) उप–धारा 2 (च) बन जाएगी	
(ड.) "अधिसूचना" का अर्थ हे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।	च) "अधिसूचना" का अर्थ है सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना	
(च) "निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित"।	भारत सरकार विधेयक की उप–धारा (च) उप–धारा 2 (छ) बन जाएगी	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
(छ) "सुरक्षा अधिकारी" का अर्थ है एक ऐसा अधिकारी जिसे धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।	च) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (छ) उप–धारा 2 (ज) बन जाएगी (ज) "सुरक्षा अधिकारी" का अर्थ है एक ऐसा अधिकारी जिसे धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।	प्रावधान को और अधिक भार प्रदान करने के उद्देश्य से यह परिवर्तन किया गया है।
(ज) "सुरक्षा आदेश" का अर्थ है धारा 14 के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश। (झ) "रिश्तेदार" के अन्तर्गत शामिल हैः रक्त, विवाह अथवा गोद लेने के जरिए सम्बद्ध और प्रतिवादी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति	भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (ज) उप–धारा 2 (झ) बन जाएगी 1) "सुरक्षा आदेश" का अर्थ है धारा 14 के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (झ) को हटा दिया जाए क्योंकि इस उप–धारा में कही गई बात उप–धारा 2 (ख) में शामिल हो गई है, अर्थात् घरेलू संबंध	"रिश्तेदार" शब्द को हटा दिया जाए क्योंकि इसका स्थान आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अन्तर्गत धारा 2 (ख) में "घरेलू संबंध" शब्द ने ले लिया है।
(ञ) "प्रतिवादी" का अर्थ हैः कोई व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति का रिश्तेदार है अथवा रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने मौद्रिक राहत की मांग की है अथवा मजिस्ट्रेट अथवा सुरक्षा अधिकारी के समक्ष जैसी भी स्थिति हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।	ञ) "प्रतिवादी" का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसका व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध रहा है अथवा कोई व्यक्ति जो घरेलू हिंसा करने अथवा उसकी धमकी देने में ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने मौद्रिक राहत की मांग की है अथवा मजिस्ट्रेट अथवा सुरक्षा अधिकारी के समक्ष, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।	ञ) इसका उद्देश्य धारा का कार्यक्षेत्र बढ़ाना है ताकि हिंसा की धमकी के कारण किसी महिला को मानसिक यातना देने से रोका जा सके। मात्र कृत्य को ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा करने में मदद देने/उकसाने को भी दण्डनीय बनाने से हिंसा के कृत्य में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी हतोत्साहित होगी।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	भारत सरकार विधेयक की उप–धारा 2 (ट) को निम्न प्रकार पुनः लिखा जा सकता है।	
(ट) ''सेवा प्रदाता'' का अर्थ है कोई स्वैच्छिक एसोसिएशन जो किसी भी तरीके से, जिसमें कानूनी सहायता, चिकित्सीय, वित्तीय अथवा अन्य सहायता शामिल है, महिलाओं के अधिकारों और हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो।	(ट) ''प्रत्यायित सेवा प्रदत्त'' का अर्थ है सरकारी, गैर सरकारी, स्वैच्छिक और धर्मार्थ संगठन अथवा एसोसिएशन अथवा संस्थान, जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु कार्यरत हो और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो और घरेलू हिंसा के पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता, आश्रय, परामर्श सेवाएं, कानूनों और वित्तीय सहायता अथवा अन्य सहायता प्रदान कर रहा हो।	(ट) परिभाषा का विस्तार किया गया ताकि विधेयक में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों को शामिल किया जा सके कि आपदग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रभाव का सामना करने के दौरान कुछ सहायता प्राप्त हो सके। अनेक स्वैच्छिक और धर्मादा संगठनों के उभरने से, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में काफी सक्रिय हैं, और उनके शामिल किए जाने से, घरेलू हिंसा के पीड़ितों को उपलब्ध सहायता प्रणाली का विस्तार होगा। तथापि, इन सेवा प्रदाताओं को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि वे पीड़ितों को न केवल प्रभावी और विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने में अधिक मददगार होंगे बल्कि उन्हें जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है।
	उप–धारा 2 (ट) के बाद उप–धारा (ठ), (ड.) और (ठ) शामिल करनाः	
	(ठ) ''न्यायालय'' का अर्थ है कोई भी न्यायालय जो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और जहां ऐसा कोई न्यायालय विद्यमान नहीं है, मूल क्षेत्राधिकार वाला कोई प्रधान न्यायालय अथवा कोई अन्य न्यायालय अथवा लोक अदालत अथवा कोई अन्य प्राधिकरण जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के	(ठ) "अधिनियम" में "न्यायालय" की परिभाषा शामिल करने की जरूरत है ताकि पीड़ित को यह जानकारी हो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में वे किससे सम्पर्क करें। इससे, एक प्रकार से, उन्हें जल्द न्याय की मांग और प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	जरिए, उसके तहत विनिर्दिष्ट सभी अथवा किन्हीं मामलों का निपटान करने के लिए सक्षम न्यायालय के रुप में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा कोई भी न्यायालय शामिल हैं, जहां राहत के लिए याचिका दायर की जाए।	
	(ड) "बच्चे" के अन्तर्गत कोई भी गोद लिया गया, सौतेला अथवा अपनाया बच्चा अथवा कोई अन्य नाबालिग, अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु का, बच्चा शामिल है जिसका घरेलू संबंध हो अथवा जिसकी परिवार में भागीदारी हो।	(ड) बच्चे की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है जिससे कि गोद लिए गए अथवा सौतेले अथवा अपनाए गए बच्चों आदि के हितों और अधिकारों की रक्षा की जा सके।
	(ट) "परिवार में भागीदारी" का अर्थ है एक ऐसा परिवार जहां व्यथित व्यक्ति रहता है अथवा किसी समय अकेले ही अथवा प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध के रुप में रहा हो और इसमें संयुक्त रुप से अथवा या तो व्यथित व्यक्ति अथवा प्रतिवादी के स्वामित्त्व वाली सम्पत्ति शामिल है अथवा भू–खण्ड सहित सम्पत्ति जिसके संबंध में या जो व्यथित व्यक्ति का या प्रतिवादी का अथवा दोनों का कोई अधिकार शीर्षक, हित अथवा इक्विटी हो।	(ट) "परिवार में भागीदारी" शब्द का प्रयोग धारा 2 (ख) में पहले किया गया है जिसमें "घरेलू संबंध" की परिभाषा दी गई है। इसकी परिभाषा यहां इसलिए की गई है ताकि उन प्रावधानों को समझने में सुविधा हो जहां इस शब्द का प्रयोग किया गया है।
3. अधिनियम किसी अन्य कानून की अप्रतिष्ठा के रूप में नहीं इस अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त प्रावधान होंगे और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों की अप्रतिष्ठा के रुप में नहीं।	**3. अधिनियम किसी अन्य कानून की अप्रतिष्ठा के रुप में नहीं** इस अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त प्रावधान होंगे और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों की अप्रतिष्ठा के रूप में नहीं।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
अध्याय 2 4. **घरेलू हिंसा**	अध्याय 2 4. **घरेलू हिंसा**	
(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिवादी का कोई भी आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, यदि वह	(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिवादी का कोई भी आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, यदि यह धारा 2(ग) के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। प्रतिवादी का आचरण निम्नलिखित स्थिति में भी घरेलू हिंसा होगाः	(1) इसके अन्तर्गत घरेलू संबंध की परिभाषा शामिल होनी चाहिए जैसी कि पहले आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन के तहत धारा 2 (ख) में परिभाषित है ताकि अधिनियम में तालमेल सुनिश्चित हो सके।
(क) आदतन आक्रमण करता है और आचरण की निर्दयता के जरिए व्यथित व्यक्ति का जीवन असहनीय बना देता है चाहे ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत न आता हो, अथवा	(क) व्यथित व्यक्ति को अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है; अथवा	
(ख) व्यथित व्यक्ति को अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है; अथवा	(ख) अन्य प्रकार से व्यथित व्यक्ति को आघात अथवा नुकसान पहुँचाता है।	
(ग) अन्य प्रकार से व्यथित व्यक्ति को आघात अथवा नुकसान पहुँचाता है।		
(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में वर्णित किसी बात से घरेलू हिंसा नहीं होगी यदि प्रतिवादी द्वारा आचरण के दौरान अपनाया गया मार्ग उसके अपने बचाव के लिए अथवा उसकी अपनी अथवा किसी अन्य की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उचित था।	धारा 4 (2) को बिल्कुल हटा दिया जाए।	(4) 2 इस उपधारा को हटाना महत्वपूर्ण है अपराधकर्ता को पीडित के विरुद्ध कोई अत्याचार करने के लिए कोई बहाना देने से बचा जा सके। यह उप–धारा, जैसी कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित है, काफी विस्तृत है और इसे दण्ड से बचने के लिए तोड़ा–मोड़ा जा सकता है। संसद की स्थायी समिति ने इस विचार का समर्थन किया है।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
अध्याय 3 **सुरक्षा अधिकारी**	**अध्याय 3** **सुरक्षा अधिकारी** **भारत सरकार विधेयक की धारा 5 को निम्न प्रकार फिर से लिखा जा सकता है:**	
5. सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति	5. सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और अर्हताएं–	5 सुरक्षा अधिकारी के लिए न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख करने की जरूरत है ताकि केवल उन्हीं अधिकारियों को पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा जा सके जो ऐसे अपराधों से निपटने में समर्थ हों। इसके अलावा, उन्हें सत्ता में समुचित रूप से उच्च पदों पर रखा जाना चाहिए ताकि वे स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकें।
(1) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले में इतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जितने वह आवश्यक समझे और उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिसके अन्दर सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करेगा।	(1) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले में इतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जितने वह आवश्यक समझे और उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी। जिनके अन्दर सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियाँ का प्रयोग और निष्पादन करेगा। विद्यमान जिला आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों को जो दर्जे में वरिष्ठ हों, सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुरक्षा अधिकारी के रूप किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य में दो विख्यात स्वैच्छिक सामाजिक कार्य संगठनों के संयुक्त परामर्श की जाएगी जिसका किसी राजनीतिक दल के साथ कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो।	
(2) सुरक्षा अधिकारी के पास यथा निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए।	(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्त किया जाने वाला सुरक्षा	(2) संवेदनशीलता का तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति ही ऐसा

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	अधिकारी महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदी हो और उसके पास ऐसी अर्हताएं हों कि वह अपना कर्त्तव्य निभाने में समर्थ हो।	कृत्य घटित होने पर पीड़ित को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में होगा जो पीड़ित के साथ हमदर्दी बरत सके।
(3) सुरक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथा निर्धारितानुसार होंगी।	(3) सुरक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथा निर्धारितानुसार होंगी।	
6. सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य	**धारा 6 को निम्नानुसार पुनः लिखा जा सकता हैः** **6. सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य और कार्यः**	
(1) जांच पड़ताल किए जाने के बाद यदि सुरक्षा अधिकारी को या तो स्वमेव अथवा धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका कर्त्तव्य निम्नानुसार होगाः–	(1) जांच पडताल किए जाने के बाद यदि सुरक्षा अधिकारी को या तो स्वमेव अथवा धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि कार्रवाई की जानी चाहिए उसका कर्त्तव्य निम्नानुसार होगाः	सुरक्षा अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ अधिनियम में विस्तृत कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके दो प्रभाव होंगे। क्योंकि एक और तो कार्यों की सूचीबद्ध करने कि अधिकारियों को अपने दायित्वों से बचने से रोका जा सकेगा औा दूसरी ओर उनके द्वारा मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग के अवसर कम होंगे।
(क) व्यथित व्यक्ति को धारा 9 के अन्तर्गत सुरक्षा के लिए आवेदन करने के अधिकार की जानकारी देना।	(क) व्यथित व्यक्ति की धारा 9 के अन्तर्गत सुरक्षा के लिए आवेदन करने के अधिकार की जानकारी देना;	
(ख) जिस क्षेत्र में व्याथित व्यक्ति रहता है इस क्षेत्र के सेवा प्रदाता के बारे में जानकारी देना ताकि वह ऐसे सेवा प्रदाता से सहायता और मदद की मांग कर सके।	(ख) जिस क्षेत्र में व्यथित व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र के प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता के बारे में जानकारी देना ताकि वह ऐसे प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता से सहायता और मदद की मांग कर सके।	
(ग) व्यथित व्यक्ति को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सेवाओं की उसकी हकदारी की जानकारी देना;	(ग) व्यथित व्यक्ति को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सेवाओं की उसकी हकदारी की जानकारी देना;	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
(घ) ऐसे कर्तव्य निष्पादित करना जो निर्धारित हों अथवा जिनका निष्पादन करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाए।	(घ) ऐसे कर्त्तव्य निष्पादित करना जो निर्धारित हों अथवा जिनका निष्पादन करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाए।	
	(ड.) सुरक्षा अधिकारी न्यायालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय द्वारा और इस अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा।	(ड.) सुरक्षा अधिकारी के कार्यों पर न्यायालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के प्रत्वधान को शामिल करना जरूरी है क्योंकि इससे उसके कर्त्तव्यों के पालन के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे प्रस्तुत अथवा भेजे गए आवेदन पत्र या अनुरोध का विचारार्थ स्वीकार करना भी सुरक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।	(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे प्रस्तुत अथवा भेजे गए आवेदन पत्र या अनुरोध को विचारार्थ स्वीकार करना भी सुरक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।	
(3) उप–धारा (2) के तहत कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर सुरक्षा अधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर, व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी की स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष ढंग से, इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत का सदभावनापूर्ण समझौता कराने की दिशा में मदद करेगा।	(3) उप–धारा (2) के तहत कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सुरक्षा अधिकारी व्यथित व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी की स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष ढंग से, इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत का सदभावनापूर्ण समझौता कराने की दिशा में मदद करेगा।	
(4) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं होता है जैसा कि उप–धारा (3) में उल्लिखित है तो सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसी इच्छा प्रकट की जाए।	(4) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं होता है जैसा कि उप–धारा (3) में उल्लिखित है तो सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसी इच्छा प्रकट की जाए।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	(5) सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेगा कि पुलिस तथा प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता के कार्यकलापों में इस प्रकार समन्वय करेगा कि व्यथित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित हो; (क) इस क्षेत्र में प्रत्यायोजित सेवा प्रदाताओं के बारे में सूचना सहज रूप से उपलब्ध हो जो उसे अपेक्षित प्रत्यायोजित सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाने में समर्थ हो सके। (ख) यदि व्यथित व्यक्ति चाहे तो उसे किसी वैकल्पिक निवास स्थान तक अथवा आश्रय के किसी सुरक्षित स्थान तक परिवहन की सुविधा सहज उपलब्ध हो। (ग) निकटतम अस्पताल और चोट के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता हेतु परिवहन की सहज उपलब्धता यदि सहायता की मांग की जाए। (घ) अपना सामान इकट्ठा करने में, जिसमें स्त्रीधन अथवा अन्य कोई सम्पत्ति जिसे उसे लौटाने अथवा वापसी बहाली का न्यायालय के आदेश द्वारा, पुलिस की सहायता से, शामिल है, सहायता प्राप्त करने मे समर्थ हो सके। (ड.) इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेशों के लिए न्यायालय तक पहुँच सुलभ हो सके।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
7. सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ	**7. सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ**	
(1) एक सुरक्षा अधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के अन्दर, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त होंगी।	(1) एक सुरक्षा अधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के अन्दर, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त होंगी।	
(2) सुरक्षा अधिकारी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अथवा इस अधिनियम के तहत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय, किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है।	(2) सुरक्षा अधिकारी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अथवा इस अधिनियम के तहत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय, किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है।	
(3) इस अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत सुरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच–पड़ताल आयोजित करने के प्रयोजनार्थ एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।	(3) इस अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत सुरक्षा अधिकारी, इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच पड़ताल आयोजित करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।	
8. सुरक्षा अधिकारी को जानकारी और देयता का निराकरण	**8. सुरक्षा अधिकारी को जानकारी और देयता का निराकरण**	
(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास विश्वास करने का कारण हो कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य किया गया है, किया जा रहा है अथवा किए जाने की संभावना है, सुरक्षा अधिकारी को सूचना दे सकता है।	(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास विश्वास करने का कारण हो कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य किया गया है, किया जा रहा है, अथवा किए जाने की संभावना है, सुरक्षा अधिकारी को सूचना दे सकता है।	
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ सदभावना के साथ दी गई सूचना के लिए किसी व्यक्ति की, कोई सिविल अथवा आपराधिक, देनदारी नहीं होगी।	(2) उप–धारा (1) के प्रयोजनार्थ सदभावना के साथ दी गई सूचना के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता की, कोई सिविल अथवा आपराधिक, देनदारी नहीं होगी।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
अध्याय 4 **सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया** **9. मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र** (1) व्यथित व्यक्ति, जो घरेलू हिंसा का शिकार है अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अथवा सुरक्षा अधिकारी धारा 14 के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के वास्ते मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। (2) उप–धारा (1) के अन्तर्गत आवेदन–पत्र में ऐसे रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए अथवा यथा संभव उसके जैसा हो (3) मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा जो आवेदन के विचारार्थ मजिस्ट्रेट द्वारा आवदेन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी। **10. नोटिस तामील करना** (1) धारा 9 के तहत तय तारीख का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा, जो उसे प्रतिवादी पर किसी अन्य व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार इस प्रकार से तामील कराएगा जैसा कि निर्धारित हो। (2) ऐसे रूप में एक घोषणा, जैसी कि नोटिस की तामील के संबंध में सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, इस	**अध्याय 4** **सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया** **9. मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र** (1) व्यथित व्यक्ति जो घरेलू हिंसा का शिकार है अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अथवा सुरक्षा अधिकारी धारा 14 के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के वास्ते मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। (2) उप–धारा (1) के अन्तर्गत आवदेन–पत्र मे ऐसे रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए अथवा यथासंभव उसके जैसा हो। (3) मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा जो आवेदन के विचारार्थ मजिस्ट्रेट द्वारा आवदेन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी। **10. नोटिस तामील करना** (1) धारा 9 के तहत तय तारीख का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा जो उसे प्रतिवादी पर व किसी अन्य व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार इस प्रकार से तामील कराएगा जैसा कि निर्धारित हो। (2) ऐसे रूप में एक घोषणा, जैसी कि नोटिस की तामील के संबंध में सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, इस	 खण्ड 9 (1) को संशोधित किया जाना चाहिए जैसा कि संसद की स्थायी समिति ने सुझाया था। धारा 23 में प्रस्तावित रा. मा. अ. आ. संशोधन इसी मुद्दे को कवर करता है

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
बात का सबूत होगा कि ऐसा नोटिस मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार प्रतिवादी पर व अन्य किसी व्यक्ति पर तामील किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो।	बात का सबूत होगा कि ऐसा नोटिस मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार प्रतिवादी पर व अन्य किसी व्यक्ति पर तामील किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो।	
11. परामर्श	**11. परामर्श**	
(1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, प्रतिवादी को अथवा व्यथित व्यक्ति को, या तो अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से, किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अनिवार्य परामर्श प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है।	(1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, प्रतिवादी को अथवा व्यथित व्यक्ति को, या तो अलग–अलग अथवा सयुक्त रूप से, किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अनिवार्य परामर्श प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है। **प्रत्योजित सेवा प्रदाता**	(1) परामर्श प्राप्त करने का पूरा प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा यदि उसे किसी व्यक्ति पर थोपा जाए। जब तक कि कोई व्यक्ति परिवर्तन लाने की इच्छा के साथ खुले दिमाग से उसे प्राप्त नहीं करता है तब तक परामर्श का कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार, परामर्श प्राप्त करने का काम पीड़ित पर और साथ ही प्रतिवादी पर ही छोड़ दिया जाए, बजाए इसके कि उसे अनिवार्य बनाया जाए जैसा कि भारत सरकार द्वारा सुझाया गया है। इस मत की संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश में समर्थन किया गया है।
(2) जिस मामले में मजिस्ट्रेट ने उप–धारा (1) के तहत कोई निर्देश जारी किया है, वह दो महीने के अन्दर, मामले की सुनवाई की अगली तारीख निश्चित करेगा।	(2) जिस मामले में मजिस्ट्रेट ने उप–धारा (1) के तहत कोई निर्देश जारी किया है वह दो महीने के अन्दर मामले की सुनवाई की अगली तारीख निश्चित करेगा।	
12. कल्याण विशेषज्ञ की सहायता	**12. कल्याण विशेषज्ञ की सहायता**	
इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट अपने कार्यों के निपटान में सहायता के प्रयोजन से। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकता है, अधिमानतः महिला की, जहां उपलब्ध हो, चाहे पक्षकारों से संबंधित हो या नहीं, परिवार कल्याण प्रोत्साहन में कार्यरत व्यक्ति सहित, जैसा वह उपयुक्त समझे।	इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट अपने कार्यों के निपटान में सहायता के प्रयोजन से, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकता है, अधिमानतः महिला की, जहां उपलब्ध हो, चाहे पक्षकारों से संबंधित हो या नहीं, परिवार कल्याण प्रोत्साहन में कार्यरत व्यक्ति सहित, जैसा वह उपयुक्त समझे	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
13. कार्यवाही केमरा में आयोजित की जाएगा	**13. कार्यवाही केमरा में आयोजित की जाएगी**	
कार्यवाही केमरा में आयोजित की जा सकती है, यदि मजिस्ट्रेट यह समझे कि ऐसा करना परिस्थितियों की वजह से आवश्यक है, और इस प्रकार आयोजित की जाएगा यदि कोई भी पक्षकार ऐसा चाहे।	कार्यवाही केमरा में आयोजित की जा सकती है, यदि मजिस्ट्रेट यह समझे कि ऐसा करना परिस्थितियों की वजह से आवश्यक है और इस प्रकार आयोजित की जाएगी यदि कोई भी पक्षकार ऐसा चाहे।	इस परिवर्तन का संसद की स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया है।
14. सुरक्षा आदेश पारित करना	**14. सुरक्षा आदेश पारित करना**	14. चूंकि "घरेलू हिंसा", "प्रतिवादी" आदि की अवधारण का पहले अधिनियम में विस्तार किया गया है, इसलिए उन परिवर्तनों को इस धारा विशेष में भी शामिल करने की भी बाद में जरूरत है। इस धारा में किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का ससंद की स्थायी समिति ने समर्थन किया है।
(1) मजिस्ट्रेट, आवेदन पत्र के पक्षकारों के साथ सुनवाई करने के बाद और इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश द्वारा सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है:–	(1) मजिस्ट्रेट, आवेदन पत्र के पक्षकारों के साथ सुनवाई करने के बाद और इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है–	
(क) घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से बचना; अथवा	(क) प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश द्वारा सुरक्षा आदेश पारित करेगाः–	
	(i) घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से बचना, जिसमें घरेलू हिंसा के कार्य करने में मदद देना और उकसाना शामिल है; अथवा	(ii) शादी वाले मकान में सुरक्षा के संबंध में एक विशिष्ट निर्देश जोड़े जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित शादी वाले घर में आश्रय समाप्त होने की धमकी के अधीन है और इसलिए प्रतिवादी के आचरण की अनदेखी करती है। इस उप–धारा को शामिल करने से पीड़ित को लिए न केवल रिहायश बल्कि उसके शादी वाले घर में सुरक्षित रिहायश सुनिश्चित होगी।
	(ii) व्यथित व्यक्ति की रियाहयश में प्रवेश करने से बचना; अथवा व्यथित व्यक्ति के रोजगार स्थल में प्रवेश करने से बचना अथवा यदि व्यथित व्यक्ति कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में; अथवा अन्य कोई स्थान जहां व्यथित व्यक्ति प्रायः जाता रहता है; अथवा	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	(iii) किसी परिसम्पति के अन्तरण, दोनों पक्षकारों द्वारा या तो अकेले ही अथवा सयुक्त रूप से प्रयुक्त या धारित बैंक लाकरों के प्रचालन से बचना; जिसमें उसका अपना स्त्रीधन अथवा व्यथित व्यक्ति द्वारा या तो अलग अथवा संयुक्त रूप से धारित कोई अन्य सम्पति शामिल है।	
	क) आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों व व्यक्तियों के साथ, जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू हिंसा से बचाने में सहायता करते हैं, हिंसा करने से बाज आए; अथवा	
ख) ऐसे मौद्रिक राहत प्रदान करे जिसे मजिस्ट्रेट न्यायोचित समझे और सुरक्षा आदेश के अन्दर अवधि का विनिर्देश करे जिसके अन्दर प्रतिवादी द्वारा व्यथित व्यक्ति को ऐसी मौद्रिक राहत की राशि अदा की जानी है; अथवा	ख) ऐसे मौद्रिक राहत प्रदान करे जिसे मजिस्ट्रेट न्यायोचित समझे, सुरक्षा आदेश के अन्दर अवधि का विनिर्देश करे जिसके अन्दर प्रतिवादी द्वारा व्यथित व्यक्ति को ऐसी मौद्रिक राहत की राशि अदा की जानी है; अथवा	इसे शामिल किए जाने का संसद की स्थायी समिति ने समर्थन किया है।
ग) ऐसा अन्य निर्देश पारित करे जो आवश्यक समझा जाए।	ग) शादी वाले घर में व्यथित व्यक्ति की रिहायश के संबंध में उचित निर्देश पारित करना जिसमें यह निर्देश शामिल है कि प्रतिवादी शादी वाले घर में अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश न करे अथवा शादी वाले घर में रहने वाले व्यथित व्यक्ति को परेशान न करे।	
	(घ) ऐसा अन्य निर्देश पारित करे जो आवश्यक समझा जाए।	
(2) धारा 11 के अध्यधीन, इस अधिनियम के तहत आवदेन पत्र की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को आवेदन पत्र फाइल करने की तारीख से तीन	(2) घारा 11 के अध्यधीन इस अधिनियम के तहत आवेदन पत्र की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को आवेदन पत्र फाइल करने की तारीख से तीन	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
महीने के अन्दर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।	महीने के अन्दर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।	
(3) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में सभी गवाही प्रतिवादी की उपस्थिति में ली जाएगी अथवा यदि प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दे दी गई हो तो उसके वकील की उपस्थिति में और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन मामलों के संबंध में निर्धारित ढंग से दर्ज की जाएगी।	(3) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में सभी गवाही प्रतिवादी की उपस्थिति में की जाएगी अथवा यदि प्रतिवादी के व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दे दी गई हो तो उसके वकील की उपस्थिति में और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन–मामलों के संबंध में निर्धारित ढंग से दर्ज की जाएगी।	
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिवादी जानबूझकर नोटिस की तामील से बच रहा है अथवा जानबूझकर न्यायालय में उपस्थिति की उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए एकतरफा कार्यवाही कर सकता है।	बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिवादी जानबूझकर नोटिस की तामील से बच रहा है अथवा जानबूझकर न्यायालय में उपस्थिति की उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए इकतरफा कार्यवाही कर सकता है।	
(4) सुरक्षा आदेश की एक प्रतिलिपि सुरक्षा अधिकारी को और आवेदन पत्र के पक्षकारों को भेजी जाएगी।	(4) सुरक्षा आदेश की एक प्रतिलिपि सुरक्षा अधिकारी को और आवेदन पत्र के पक्षकारों को भेजी जाएगी।	
(5) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि धारा 9 के तहत प्रस्तुत आवदेन पत्र में वर्णित परिस्थितियां ऐसी है जिनकी वजह से मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना न्यायोचित है तो मजिस्ट्रेट एक अन्तरिम सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है जिसमें प्रतिवादी को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य मना करने का निर्देश दिया गया हो और मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को कारण बताओं नोटिस भी दे सकता है कि क्यो उसे ऐसी अवधि तक के लिए	(5) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि धारा 9 के तहत प्रस्तुत आवदेन पत्र में वर्णित परिस्थितियां ऐसी है जिनकी वजह से मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी की घरेलू हिंसा से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना न्यायोचित है तो मजिस्ट्रेट एक अन्तरिम सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है जिसमें प्रतिवादी को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य मना करने का निर्देश दिया गया हो और मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को कारण बताओं नोटिस भी दे सकता है कि क्यों उसे ऐसी अवधि	रा. मा. अ. आ. भी आपतिक राइट के लिए संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों का समर्थन करता है।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
जिसे मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझे, घरेलू शान्ति बनाए रखने के लिए जमानतियों के बगैर अथवा उनके साथ बॉड निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जाए।	तक के लिए, जिसे मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझे, घरेलू शांति बनाए रखने के लिए जमानतियों के बगैर अथवा उनके साथ बॉड निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जाए।	
15. सुरक्षा आदेश की अवधि और फेर बदल	**15. सुरक्षा आदेश की अवधि और फेर बदल**	
(1) धारा 14 के अन्तर्गत दिया गया सुरक्षा आदेश प्रारंभ में ऐसी अवधि के लिए लागू रहेगा जिसे मजिस्ट्रेट निश्चित करे किन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं।	(1) धारा 14 के अन्तर्गत दिया गया सुरक्षा आदेश प्रारंभ में ऐसी अवधि के लिए लागू होगा जिसे मजिस्ट्रेट निश्चित करे किन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं।	
(2) सुरक्षा आदेश, लिखित में कारण बताए जाने पर, व्यथित व्यक्ति द्वारा अथवा प्रतिवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर, बदला, संशोधित, भिन्न अथवा रद्द किया जा सकता है बशर्ते कि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थितियां बदल गई हैं जिनकी वजह से ऐसा बदलाव, संशोधन, भिन्नता अथवा रद्द करना अपेक्षित है जैसी भी स्थिति हो।	(2) सुरक्षा ओदश, लिखित में कारण बताए जाने पर, व्यथित व्यक्ति द्वारा अथवा प्रतिवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर बदला, संशोधित, भिन्न अथवा रद्द किया जा सकता है बशर्ते कि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि परिस्थितियां बदल गई है जिनकी वजह से ऐसा बदलाव, संशोधन, भिन्नता अथवा रद्द करना अपेक्षित है, जैसी भी स्थिति हो।	
अध्याय 5	**अध्याय 5**	
विविध	**विविध**	
	भारत सरकार विधेयक की धारा 16 से पहले नई धारा जोड़ना जो इस प्रकार पढ़ी जाएगी:	
16. अपील	**16. याचिका**	जैसा कि धारा से स्पष्ट है यह परिवर्तन घरेलू हिंसा के मामलों की उन परिस्थितियों में भी रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सुझाया गया है जहां पीड़ित खुद
मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित व्यक्ति अथवा प्रतिवादी पर जैसी भी स्थिति हो, आदेश तामील किए	कोई भी व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा के विरूद्ध राहत के वास्ते न्यायालय में आवेदन कर	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
जाने की तारीख से तीस दिन के अन्दर सेशन न्यायालय में अपील की जा सकेगी।	सकता है। किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद याचिका व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है बशर्ते कि याचिका व्यथित व्यक्ति की लिखित सहमति से पेश की जाए यह भी शर्त है कि ऐसी लिखित सहमति उन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं होगी यदि याचिका दायरकर्ता एक प्रत्योजित सेवा प्रदाता अथवा एक सुरक्षा अधिकारी हो और जहां व्यथित व्यक्ति : क) नाबालिक है; ख) ऐसी प्रकृति और इस सीमा तक किसी मानसिक विकृति से पीड़ित हो कि उससे उचित रूप से स्वयं आवेदन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती; ग) अचेत अथवा अन्यथा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो यह भी शर्त है कि प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता अथवा सुरक्षा अधिकारी न्यायालय के समक्ष पेश होने का हकदार होगा और सम्बोधन करेगा यदि ऐसा प्रत्योजित सेवा प्रदाता एक याचिकाकर्ता हो अथवा जहां याचिकाकर्ता प्रत्यायोजित सेवा प्रदाता को प्राधिकृत करें। भारत सरकार विधेयक की धारा 16 धारा 17 बन जाएगी और निम्न प्रकार पढ़ी जाएगी	ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि कुछेक कारकों से जहां कुछ बाधाएं है जैसे कि आयु, मानसिक क्षमता, भौगोलिक क्षेत्र आदि। ऐसा भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए किया गया है जहां आधे से अधिक महिलाएं अशिक्षित हैं और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	17. अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अथवा किसी अन्य कानून में उल्लिखित किसी बात के बावजूद, न्यायालय के प्रत्येक निर्णय अथवा आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है।	अपील के संबध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिए गए समय व अन्य प्रक्रियात्मक सीमाओं में ढील दी जा सकती है न्याय की सुकर बनाने के बजाए अधिक बाधाए पैदा हो सकती हैं।
17. सुरक्षा अधिकारी एक लोक सेवक होना चाहिए। प्रत्येक सुरक्षा अधिकारों को इस अधिनियम के तहत कार्य करते समय अथवा कार्य का अभिप्राय करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में एक लोक सेवक समझा जाएगा।	भारत सरकार विधेयक की धारा 17 18 हो जाएगी **18. सुरक्षा अधिकारी एक लोक सेवक होना चाहिए** प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को इस अधिनियम के तहत कार्य करते समय अथवा कार्य का अभिप्राय करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के शर्तों में एक लोक सेवक समझा जाएगा।	
	भारत सरकार विधेयक की धारा 18 धारा 19 हो जाएगी	
18. प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए दण्ड प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश अथवा अन्तरिम सुरक्षा आदेश का उल्लंघन एक अपराध होगा और उसके लिए किसी भी प्रकार की ऐसी अवधि तक की जो एक वर्ष तक हो सकती है, सजा दी जाएगी अथवा जुर्माना किया जाएगा जो बीस हजार रूपए तक का हो सकता है अथवा दोनों सजाए दी जा सकती है।	19 प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा ओदश अथवा अन्तरिम सुरक्षा आदेश का उल्लंघन एक अपराध होगा और उसके लिए किसी भी प्रकार की ऐसी अवधि तक की जो एक वर्ष तक हो सकती है, सजा दी जाएगी अथवा जुर्माना किया जाएगा जो बीस हजार रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है।	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
19. सुरक्षा अधिकारी द्वारा कर्तव्य पालन न करने के लिए दण्ड यदि कोई सुरक्षा अधिकारी, मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा आदेश में यथा निर्देर्शित कर्तव्यों का, पर्याप्त कारणों के बगैर, पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा मना करता है तो उसे किसी भी प्रकार की ऐसी अवधितक की जो एक वर्ष तक हो सकती है, सजा दी जाएगी अथवा जुर्माना किया जाएगा जो बीस हजार रूपए तक का हो सकता है अथवा दोनों सजाए दी जा सकती हैं।	**भारत सरकार विधेयक की धारा 19 धारा 20 जो जाएगी** **20. सुरक्षा अधिकारी द्वारा कर्तव्य पालन न करने के लिए दण्ड** यदि कोई सुरक्षा अधिकारी, मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा आदेश में यथा निर्देर्शित कर्तव्यों का, पर्याप्त कारणों के बगैर, पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा मना करता है तो उसे किसी भी प्रकार की ऐसी अवधि तक की, जो एक वर्ष तक हो सकती है, सजा दी जाएगी अथवा जुर्माना किया जाएगा जो बीस हजार रूप्ए तक का हो सकता है अथवा दोनों सजाए दी जा सकती है।	
20. सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कोई अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जब तक कि राज्य सरकार अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई शिकायत दर्ज न की जाए।	**भारत सरकार विधेयक की धारा 20 धारा 21 हो जाएगी** **21. सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान** सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कोई अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जब तक कि राज्य सरकार अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई दर्ज न की जाए।	
21. सदभावना के साथ की गई कार्रवाई का संरक्षण इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन सदभावना के साथ की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही की वजह से पहुंची अथवा संभावित किसी भी क्षति के लिए सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद,	**भारत सरकार विधेयक की धारा 21 धारा 22 हो जाएगी** **22. सदभावना के साथ की गई कार्रवाई का संरक्षण** इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना के साथ की गई	इस संशोधन की ससंद की स्थायी समिति की सिफारिश द्वारा समर्थन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।	अथवा की जाने वाली कार्यवाही की वजह से पहुंची अथवा संभावित किसी भी क्षति के लिए सुरक्षा अधिकारी अथवा प्रत्यायोपित सेवा प्रदाता के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।	
	धारा 22 के बाद नई धारा जो उन जो निम्न प्रकार होगी	
	23. क्षेत्राधिकार (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा आदेश जारी करने और अथवा अपराधों पर विचारण का क्षेत्राधिकार किसी भी न्यायालय का हो सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में : (प) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से रहता है, व्यवसाय करता है अथवा नियुक्त है; अथवा (पप) प्रतिवादी रहता है, व्यवसाय करता है अथवा नियुक्त है; अथवा (पपप) कार्रवाई करने की वजह पैदा हुई। (ख) इसके अधीन किया गया कोई आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा।	23) इस अभिवृद्धि से मामलों को सही मंच पर रिपोर्ट करने में सुविधा होगी क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं में अपने शादी वाले घर को छोड़ने की प्रवृति होती है और वे अपने माता–पिता के घर में वापस आ जाती है। क्षेत्राधिकार का प्रश्न सामान्यतः उन परिस्थितियों में उठता है जबकि किसी अपराध के कृत्य के समय पीड़ित व्यक्ति एक स्थान पर रहता है और रिपोर्ट करने के समय अन्य स्थान पर रहता है। इस अभिवृद्धि से विचारण हेतु न्यायालय का क्षेत्राधिकार दोनों में से किसी का भी हो सकता है और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पीड़ित के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकती है।
22. नियम बनाने की शक्तियां (1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के संचालन हेतु नियम बना सकती है।	**भारत सरकार विधेयक की धारा 22 धारा 24 हो जाएगी।** **24. नियम बनाने की शक्तियां** (1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
	प्रयोजनो के संचालन हेतु नियम बना सकती है।	
(2) विशेष रूप से, और ऊपर वर्णित शक्ति की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियमों में सभी अथवा किन्ही निम्नलिखित मामलों के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :	(2) विशेष रूप से और ऊपर वर्णित शक्ति की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियमों में सभी अथवा किन्ही निम्नलिखित मामलों के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्	
(क) सुरक्षा अधिकारी, उसके अधीनस्थ स्टॉफ की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा शर्ते तथा उनके कर्तव्य;	(क) सुरक्षा अधिकारी, उसके अधीनस्थ स्टॉफ की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा शर्तें तथा उनके कर्तव्य।	
(ख) धारा 6 के तहत सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य;	(ख) धारा 6 के तहत सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य।	
(ग) फार्म निर्धारित करना जिसमें धारा 9 की उप–धारा के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है;	(ग) फार्म निर्धारित करना जिसमें धारा 9 की उप–धारा के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।	
(घ) वह फार्म और पद्धति जिसमें सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 10 के तहत प्रतिवादी व अन्य व्यक्तियों को नोटिस दिया जा सकता है; और	(घ) वह फार्म और पद्धति जिसमें सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 10 के तहत प्रतिवादी व अन्य व्यक्तियों को नोटिस दिया जा सकता है।	
(ड) इस अधिनियम के संबंध में अथवा इससे संबंधित कोई अन्य मामला ।	(ड) इस अधिनियम के संबंध में अथवा इससे संबंधित कोई अन्य मामला।	
(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, जितना जन्द हो सके, उसके बनाए जाने के बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जिसमें एक सत्र अथवा दो सत्र अथवा अधिक निरन्तर सत्र शामिल हो सकते हैं, और यदि उस सत्र को अथवा	(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, जितना जल्द हो सके, उसके बनाए जाने के बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जिसमें एक सत्र अथवा दो सत्र अथवा अधिक निरन्तर सत्र शामिल हो सकते हैं और यदि उस सत्र अथवा	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
उपरोक्त निरंतर सत्रों के तुरंत बाद समाप्त होने वाले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होने पर अथवा दोनों सदनों के इस बात पर सहमत होने पर कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद नियम का प्रभाव केवल ऐसे संशोधित रूप में होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो; इसलिए, तथापि कोई ऐसा संशोधन अथवा रद्दकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रभाव डाले बिना होगा।	उपरोक्त निरन्तर सत्रों के तुरंत बाद समाप्त होने वाले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होने पर अथवा दोनों सदनों के इस बात पर सहमत होने पर कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद नियम का प्रभाव केवल ऐसे संशोधित रूप में होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, इसलिए, तथापि कोई ऐसा संशोधन या रद्दकरण इस नियम के तहत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रभाव डाले बिना होगा।	
उद्देश्यों और कारणों का विवरण	**उद्देश्यों और कारणों का विवरण**	
1. घरेलू हिंसा निःसन्देह एक मानव अधिकार का मुद्दा है और विकास के लिए गम्भीर रूप से बाधक है। 1994 के वियना सहमति पत्र और बेजिंग कार्रवई प्लेटफार्म (1995) देनों मे इस बात को स्वीकार गया है। "सेदाव" (महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर अभिसमय) संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति और इसकी सामान्य सिफारिश सं XII (1989) में सिफारिश की गई है कि राज्य पक्षकारों को किसी भी प्रकार की विशेष रूप से परिवार के अन्दर होने वाली हिसा के विरूद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।	1. घरेलू हिंसा निःसन्देह एक मानव अधिकार का मुद्दा है और विकास के लिए गम्भीर रूप से बाधक है। 1994 के वियना सहमति पत्र और बेजिंग कार्रवई प्लेटफार्म (1995) देनों मे इस बात को स्वीकार गया है। "सेदाव" (महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर अभिसमय) संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति और इसकी सामान्य सिफारिश सं XII (1989) में सिफारिश की गई है कि राज्य पक्षकारों को किसी भी प्रकार की विशेष रूप से परिवार के अन्दर होने वाली हिसा के विरूद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।	
2. घरेलू हिंसा की बात सर्वत्र व्यापक है किन्तु अधिकाशतः सार्वजनिक रूप से अदृश्य रहती है। इस समय किसी महिला पर उसके पति अथवा उसके	2. घरेलू हिंसा की बात सर्वत्र व्यापक है किन्तु अधिकाशतः सार्वजनिक रूप से अदृश्य रहती है। इस समय किसी महिला पर उसके पति अथवा उसके	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
रिश्तेदारों द्वारा की गई हिंसा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498 क के तहत एक अपराध है। सिविल कानून के तहत इस बात पर पूर्ण रूप से गौर किया नहीं गया है।	रिश्तेदारों द्वारा की गई हिंसा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498 क के तहत एक अपराध है। सिविल कानून के तहत इस बात पर पूर्ण रूप से गौर नहीं किया गया है।	
3. सिविल कानून के तहत एक उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से, जिसका आशय परिवार का परिरक्षण करना और साथ ही घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है, विधान का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में उल्लिखित प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं:	3. सिविल कानून के तहत एक उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से, जिसका आशय परिवार का परिरक्षण करना और साथ ही घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है, विधान का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में उल्लिखित प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं:	
(i) यह व्यवस्था की जा रही है कि पीड़ित के रिश्तेदार का कोई आचरण जिससे उस पर आदतन आक्रमण होता हों, अथवा उसका जीवन दयनीय बनता हो या चोट पहुंचती हो या नुकसान पहुंचता हो अथवा जिसकी वजह से उसे अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य होना पड़े, घरेलू हिंसा होगी।	(i) यह व्यवस्था की जा रही है कि पीड़ित के रिश्तेदार का कोई आचरण जिससे उस पर आदतन आक्रमण होता हों, अथवा उसका जीवन दयनीय बनता हो या चोट पहुंचती हो या नुकसान पहुंचता हो अथवा जिसकी वजह से उसे अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य होना पड़े, घरेलू हिंसा होगी।	
(ii) प्रथम श्रेणी का जूडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा का संज्ञान ले सकता है और सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है जिसमें महिला के रिश्तेदार को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से रोका जाए अथवा मौद्रिक राहत की अदायगी करे, जो परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए अथवा कोई अन्य निर्देश जारी कर सकता है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे।	(ii) प्रथम श्रेणी का जूडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा का संज्ञान ले सकता है और सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है जिसमें महिला के रिश्तेदार को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से रोका जाए अथवा मौद्रिक राहत की अदायगी करे, जो परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए अथवा कोई अन्य निर्देश जारी कर सकता है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे।	
(iii) मजिस्ट्रेट, महिला के रिश्तेदार से, एक अन्तरिम और तात्कालिक उपाय के रूप	(iii) मजिस्ट्रेट, महिला के रिश्तेदार से, एक अन्तरिम और तात्कालिक उपाय के रूप	

भारत सरकार द्वारा विधेयक में यथा वर्णित प्रावधान	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन, बड़े अक्षरों में टाइप	प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य
में, घरेलू शान्ति बनाए रखने के वास्ते, जमानतियों के साथ अथवा उनके बगैर एक बॉड निष्पादित करने के लिए भी कह सकता है।	में, घरेलू शान्ति बनाए रखने के वास्ते, जमानतियों के साथ अथवा उनके बगैर एक बॉड निष्पादित करने के लिए भी कह सकता है।	
(iv) रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करना एक अपराध होगा और जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।	(iv) रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करना एक अपराध होगा और जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा अथवा जुमाना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।	
(v) मजिस्ट्रेट को आवेदन करने और उसके अन्य विधिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए घरेलू हिंसा की शिकार महिला की मदद करने के वास्ते सुरक्षा अधिकारी की पद्धति प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।	(v) मजिस्ट्रेट को आवेदन करने और उसके अन्य विधिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए घरेलू हिंसा की शिकार महिला की मदद करने के वास्ते सुरक्षा अधिकारी की पद्धति प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।	
(vi) राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु एक प्रावधान किया जा रहा है और उनके पास ऐसी अर्हताएं होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए; और	(vi) राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु एक प्रावधान किया जा रहा है और उनके पास ऐसी अर्हताएं होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए; और	
(vii) सुरक्षा अधिकारी, भारातीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थों में एक लोक सेवक होगा, और यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित कर्तव्यों का निवर्हन करने में असमर्थ रहता है या मना करता है तो उसका कृत्य एक अपराध होगा जिसके लिए उसे एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।	(vii) सुरक्षा अधिकारी, भारातीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थों में एक लोक सेवक होगा, और यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित कर्तव्यों का निवर्हन करने में असमर्थ रहता है या मना करता है तो उसका कृत्य एक अपराध होगा जिसके लिए उसे एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।	
4. विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त करना है।	4. विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त करना है।	

राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के नाम निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 27 दिसंबर, 2002

संलग्नक 6

अ.शा. पत्र सं0 11/8/2002–पीआरपीएण्डपी 27 दिसंबर, 2002

प्रिय मुख्यमंत्री जी,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों की समस्याओं के विषय में अत्याधित चिंतित है। इस विषय में आयोग का प्रयास रहा है कि निःशक्तों के प्रति दृष्टिकोण में निदर्शनात्मक परिवर्तन आये जो दया–भाव से प्रेरित न होकर अधिकार भावना पर आधारित हो। इस भावना के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने हाल में निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनेकानेक कानूनों/कार्यक्रमों के परिपालन की समीक्षा की है।

निःशक्तता राज्यों की विषयसूची में होने के कारण, यह राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि निःशक्तों के मानवाधिकारों को क्षेत्र में विकासपरक कार्यसूची को केन्द्रीय मंच पर अवस्थापित करे। किन्तु आयोग के ध्यान में यह मुद्दा लाया गया है कि निःशक्तों से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी रही है। अतः आयोग ने कुछेक प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिन पर आपके ध्यान देने की आवश्यकता है, यथाः–

- नीतियाँ तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कार्यदल का गठन।
- 'राज्य निःशक्तता तथा कार्य–योजना' का प्रतिपादन।
- निःशक्त व्यक्ति से संबद्ध समस्त विभागों की योजनाओं का ऊर्ध्वाधर एकीकरण।

- निःशक्त व्यक्तियों को सरकारी तथा निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर मुहैय्या करना।
- निःशक्तता निधि के प्रावधानों के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा–रहित अवसंरचना का सृजन।
- प्रशासकों तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं की क्षमता का सृजन/संवेदनशील बनाना।
- उन सभी नियमों तथा विनियमों की पुनरावलोकन जिनमें निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के भरपूर उपभोग के हेतु विभेदकारी प्रावधान हैं, अथवा जिनमें सामर्थ्यकारी उपबंधों का अभाव है।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की प्रावधानों को लागू करना।

आप यदि इन मुद्दों पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य की निःशक्ता कार्य योजना तैयार कर दी जाए तथा उसे समयबद्ध रीति से कार्यन्वित कर दिया जाये और निःशक्त व्यक्तियों के लिए वर्तमान योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने की व्यवथा सुनिश्चित की जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

सादर,

आपका

(जे. एस. वर्मा)

प्रेषितः

भारत के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री तथा
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संघ के मंत्रियों के नाम आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2002

संलग्नक 7

अ.शा. पत्र सं0 11/8/2002–पीआरपीएण्डपी 31 दिसंबर, 2002

प्रिय मंत्री जी,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में अत्याधित चिंतित है। इस विषय में आयोग का प्रयास रहा है कि निःशक्तों के प्रति दृष्टिकोण में निदर्शनात्मक परिवर्तन आये जो दया–भाव से प्रेरित न होकर अधिकार भावना पर आधारित हो। इस भावना के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने हाल में निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनेकानेक कानूनों/कार्यक्रमों के परिपालन की समीक्षा की है।

निःशक्तता अधिकार संबंधी मुद्दा है अतः सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह निःशक्तों के मानवाधिकारों को सरकार की विकासपरक कार्यसूची के केन्द्रीय मंच पर अवस्थापित करे। किन्तु आयोग के ध्यान में यह मुद्दा लाया गया है कि मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों द्वारा निःशक्तों से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुपालन की गति अपर्याप्त रही है। आयोग ने कुछेक प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिन पर आपके ध्यान देने की आवश्यकता है, यथाः–

- निःशक्तता अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निःशक्तों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने तथा बाधा रहित भव संरचना के सृजन की योजना के लिए कार्यदल का गठन।
- निःशक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए योजनाओं का प्रतिपादन तथा युक्तिकरण।

- गैर–सरकारी संगठनों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा निःशक्तों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम मानकों का निर्धारण।
- निःशक्त से संबद्ध समस्त विभागों की विकासात्म योजनाओं में सशक्ता के परिप्रेक्ष्य का ऊर्ध्वाधर एकीकरण।
- निःशक्तता ग्रस्त बाल–भिखारियों का पुनर्वास।
- निःशक्तता से पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा।
- उन सभी विधियों–नियमों तथा विनियमों की पुनरावलोकन जिनमें निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के भरपूर उपयोग हेतु विभेदकारी प्रावधान हैं, अथवा जिनमें सामर्थ्यकयी उपबंधों का अभाव है।

आप यदि इन मुद्दों पर अपना व्यक्ति ध्यान देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि निःशक्त व्यक्तियों को विधि द्वारा मान्य सभी अधिकार उन्हें अविलम्ब तथा गंभीरतापूर्वक उपलब्ध हो जाये, तो मैं आपका आभारी हूंगा।

सादर,

आपका

(जे. एस. वर्मा)

प्रेषितः

संलग्न सूची अनुसार

सूची

1. श्री प्रमोद महाजन
संसदीय कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री
1081, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन,
केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली – 110 003
फैक्स सं0 23372021

2. श्री शांता कुमार
ग्रामीण विकास मंत्री
कमरा सं0 98, कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110 001
फैक्स सं0 23385876

3. श्री मुरली मनोहर जोशी
मानव संसाधन विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास मंत्री
कमरा सं0 301, 'सी' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001
फैक्स सं0 23382365

4. श्री अनन्त कुमार
शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
कमरा सं0 104 'सी' विंग निर्माण भवन,
नई दिल्ली – 110 001
फैक्स सं0 23019089

5. श्री सत्य नारायण जातिया
सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्री
कमरा सं0 202, 'सी' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110 001
फैक्स सं0 23381902

6. सैय्यद शहनवाज़ हुसैन
नागर विमानन मंत्री
कमरा सं0 232, बी. ब्लाक
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
फैक्स सं0 24610345

7. श्री नितीश कुमार
रेलवे मंत्री
239, रेल भवन, नई दिल्ली – 110 001
फैक्स सं0 23382637, 23387333

8 श्रीमती सुषमा स्वराज
सूचना एवं प्रसारण मंत्री
कमरा नं0–560, 'ए' विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
फैक्स सं0 23782118

9 श्री शत्रुघ्न सिन्हा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
कमरा नं0–150–ए, निर्माण भवन
नई दिल्ली
फैक्स सं0 23016648

10 श्री के0 जे0 कृष्णामूर्ति
विधि एवं न्याय मंत्री
कमरा नं0 401 'ए' विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
फैक्स सं0 23384241

11 मेजर जनरल (सेवानिवृत) श्री बी0सी0 खन्डूरी
राज्य मंत्री सडक परिवहन एवं राजमार्ग
1, परिवहन भवन
नई दिल्ली
फैक्स सं0 23719023

12 श्री विजय गोयल
राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं
राज्य मंत्री सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री कार्यालय
161, साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली
फैक्स सं0 23016857

कार्य–स्थलों पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न विषय पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के नाम आयोग के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2002

संलग्नक 8

अ.शा. पत्र सं0 3/3/2001–पीआरपीएण्डपी 15 नवम्बर, 2002

प्रिय मुख्य न्यायमूर्ति जी,

आप जानते ही है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न की समस्या से निपटना सर्वोच्च न्यायालय की चिन्ता का विषय रहा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' नामक वाद के निर्णय में इस विषय की गहन समीक्षा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रतिपादित किये गये थे। इन मार्गदर्शन सिद्धान्तों में अन्य बातों के अलावा नियोक्ताओं तथा कार्य स्थलों पर तथा अन्य संस्थाओं में तैनात अन्य व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कानून के अनुपालन हेतु सभी आवश्यक कदम उठायें। इसमें नियोक्ताओं पर यह अनिवार्यता भी आरोपित की गई है कि वे 'परिवाद तंत्रों' को भी सक्रिय करें जिसमें" शिकायत समिति की स्थापना भी शामिल है।

तथापि आयोग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा इन दिशा निदेशों का अनुपालन करना अभी शेष है 'नैसर्गिक रुप से आयोग सभी कार्य–स्थलों पर 'विशाखा' निर्णय के निष्ठापूर्वक अनुपालन को लेकर आयोग की चिंता नैसर्गिक है।

हाल ही में आयोग ने इस विषय पर विचार विमर्श करने हेतु अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की थी, इस बैठक में इस बिन्दु की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया कि 'विशाखा दिशा–निर्देशों'

को अभी सारतः अनुपालन नहीं किया गया है तथा सभी स्तरों पर न्यायपालिका को इन दिशा निर्देशों का लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि न्यायालय भी महिलाओं की कार्य स्थली हैं। बैठक में इस मुद्दे को उठाने के अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस आशय का पत्र भी आयोग को लिखा है।

अतः आपके सुयोग्य नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय यदि इस मुद्दे पर सविस्तार विचार करे और न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर विशाखा निर्णय के अनुपालन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाता है तो आयोग अनुग्रहीत होगा।

निजी हार्दिक सम्मान सहित,

आपका

(जे. एस. वर्मा)

न्यायमूर्ति श्री जी. बी. पटनायक
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
5, कृष्ण मेनन मार्ग
नई दिल्ली – 110 001
(फैक्स सं0 3015908)

दिनांक 9–10 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित जनसंख्या नीति विकास तथा मानवाधिकार विषयक संवाद में स्वीकृत सिफारिशें

संलग्नक 9

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के सकल्पनात्मक ढांचे को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिपादित की जाने वाली राज्य–सापेक्ष जन संख्या नीतियां।
- संवैधानिक आदेशों के आलोक में जनसंख्या नीति की प्रक्रियाओं में अधिकार–आधारित संवाद का समावेश आवश्यक है।
- नीति से समान अवसर वातावरण का सृजन होना अपेक्षित है।
- जनसंख्या नीति की पुनरीक्षा के प्रस्तावों में ऐसा आधारभूत परिवर्तन अपेक्षित है जिसमें व्यक्तियों को साधारणतया तथा महिलाओं को विशेषतया मात्र साधन न समझा जाए अपितु ऐसे मानव कारक समझा जाए जिन्हें अपनी पसंद तथा क्षमता के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता हो।
- जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु अपनाये गये साधनों में साम्या सुनिश्चित की जाएं और साम्यता की अवहेलना न हो।
- समाज, नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम–व्यवस्था पत्रों के स्तर पर प्रजनन–अधिकारों की समझ को रहस्यमय न बनने दिया जाए।
- सभी जनसंख्या नीतियों की समीक्षा मानव अधिकारों के संरक्षण तथा प्रवर्धन की दृष्टि से सुनिश्चित की जाए।
- जनसंख्या नीति तथा विधायी ढांचे यथा विवाह हेतु कानूनन आयु आदि में स्पष्टता तथा समानुपातता होनी चाहिए।

- विवाह तथा जन्म का पंजीकरण अनिवार्य बनाना।
- समर्थक वातावरण, सहायक विकास, अन्तः वर्गीय समन्वय स्थापित करके जनसंख्या को स्थिर किया जा सकता है।
- सम्प्रदाय में ही नहीं अपितु नीति के निर्धारण कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी कारको के व्यवहार में परिवर्तन।
- महिला–सशक्तीकरण को जनसंख्या स्थिरीकरण का साधन मात्र न मानकर, साध्य ही मानना चाहिए।
- अधिकार–परक परिप्रेक्ष्य में नीति–निरुपन की प्रक्रिया में नागरिक समाज तथा सामाजिक समूह को शामिल करना।
- कार्यक्रम की वास्तविकताओ में मानवाधिकारों का समावेष महत्वपूर्ण है यथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं तक बेहतर पहुंच, सूचना की उपलब्धता पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। जैसा ईरान में अनुभव किया गया है स्वास्थ्य सेवा में निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं तथा जनसंख्या स्थिरीक्षण में परिमाणात्मक सफलता मिली है।
- मानवाधिकार ढांचे की भीतर हतोत्साहित करने वाले तत्वों के विषयपरक मूल्यांकन हेतु राज्य सरकारों के साथ सार्थक विचार–विमर्श।
- दो बच्चे का मानदण्ड, जो महिलाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अशक्तीकरण के लिए जिम्मेवार है, की गहन समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- शोषित तथा हाशिये में प्रक्षिप्त व्यक्तियों के अधिकारों को साम्या तथ्या समानाधिकार की दृष्टि से सुनिश्चित करने हेतु साधनों के आबंटन में आमूल परिवर्तन।
- नीतियों में इस तथ्य को मान्यता दी जाए कि युवा वर्ग काम–क्रियाओं में सक्रिय हो तथा उन्हें प्रजनन–स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा अधिकारों का एहसास हो।
- मुख्य धारा में निश्चय निर्धारण में जिम्मेवारी पैदा करने हेतु नीतियों का सृजन मानवाधिकार–नीतियों से प्रेरित होना चाहिए।

जनसंख्या नीति–विकास और मानव अधिकार परिसंवाद में अंगीकृत घोषणापत्र (नई दिल्ली, 9–10 जनवरी 2003)

संलग्नक 10

परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) ने संयुक्त रूप से "जनसंख्या नीति–विकास और मानवाधिकार" पर 9 और 10 जनवरी 2003 को इण्डिया हेबीटेट सेन्टर, नई दिल्ली में दो दिन की एक परिचर्चा आयोजित की। परिचर्चा में भाग लेने वालों ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनसंख्या नीतियां तैयार और कार्यान्वित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की और इन जनसंख्या नीतियों और संबंद्ध मानव अधिकार मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की:

देश के जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के वास्ते केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई एक जनसंख्या नीति अपनाने के महत्व को स्वीकार करना।

यह भी स्वीकार करना कि जनसंख्या नीतियां समग्र संधारणीय विकास लक्ष्यों का एक भाग होना चाहिए, जिनसे सभी संबंधितों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक समर्थनकारी परिवेश प्रोत्साहित हो। इसलिए जनसंख्या नीतियों को तैयार करने में एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन हेतु विविध हितधारियों के बीच एक सतत और प्रभावी चर्चा करने और सरकार तथा सिविल सोसायटी के सभी स्तरों को शामिल करते हुए भागीदारी कायम करने की जरूरत है।

भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तैयार करने में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करना जिनसे आर्थिक और सामाजिक विकास के अपने महत्वांकाक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने, शिक्षा

और आर्थिक सशक्तता के माध्यम से, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधारने, अच्छी कोटि की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने और इस प्रकार उनके कलयाण में वृद्धि करने तथा जनसंख्या स्थिरीकरण व प्रजनन दरों में कटौती करने के एक अनिवार्य सहवर्ती के रूप में उन्हें समाज में उत्पादक परिसम्पत्ति बनने के अवसरों और विकल्पों की व्यवस्था करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि होती है।

चिन्ता के साथ यह बात नोट की गई कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीतियों में कुछ दृष्टियों से, प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों के इस्तेमाल के जरिए एक दबावपूर्ण दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना के अनुरूप नहीं है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से विशेष रूप से समाज के मार्जिकृत और कमजोर वर्गों में, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, मानवाधिकार प्रभावित होते हैं।

यह भी नोट किया गया कि दो बच्चों के मापदण्ड के प्रचार से और प्रोत्साहनों व हतोत्साहनों के उपयोग के जरिए व्यक्तिगत प्रजनन निर्णय को हेरा–फेरी अथवा दबाव से लोगों के स्वैच्छिक सुविज्ञ विकल्प और मानवाधिकारों के सिद्धान्त का, विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार गर्भनिरोधकों के लक्ष्यों के उपयोग से ग्राहियों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा अनावश्यक दबाव डाला जाता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से मांग की गई कि तैयार की गई अथवा प्रस्तावित जनसंख्या नीतियों में से भेदभावपूर्ण/दबाव डालने वाले उपायों को समाप्त किया गया। उन राज्यों द्वारा भी, जहां ऐसे उपाय नीति का एक भाग नहीं है किन्तु फिर भी उन्हें कार्यान्वित किया जाता है, इन भेदभावपूर्ण उपायों को समाप्त करने की जरूरत हैं।

बल दिया गया कि ऐसी स्थिति में जहां महिलाओं का दर्जा निम्न हे और पुत्र की प्राथमिकता विद्यमान है, दबावपूर्ण उपायों से महिलाओं के दर्जे में और गिरावट आती है और नुकसानदेह प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है जैसे कि मादा भ्रूण हत्या और बाल हत्या।

इस बात की पुष्टि की गई कि प्रजनन अधिकारों को अलग–अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज मार्जिनकृत वर्गों के सशक्तिकरण के अभिन्न अंग है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका को प्राथमिकता प्रदान करना इन अधिकारों के प्रयोग और प्रजनन दरों में कटौती तथा जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है।

इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के सम्मान और निष्ठा के आधार पर निर्धारित प्रजनन अधिकार के अन्तर्गत अनेक पहलू सम्मिलित हैं, जैसे कि :

- सुविज्ञ निर्णय–निर्माण का अधिकार, भेदभाव के भय से मुक्त;
- नियमित सुलभ, वहनीय, अच्छी कोटि की और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार;
- मेडिकल सहायता का अधिकार तथा अलग–अलग युगलों के लिए उपयुक्त जन्म नियंत्रण विधियों को चुनने के लिए परामर्श;
- यौन तथा प्रजनन सुरक्षा का अधिकार, लिंग आधारित हिंसा से मुक्त।

इस बात पर बल दिया गया कि सभी स्तरों पर क्षमता–निर्माण पहलों का मुख्य उद्देश्य अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य को विभिन्न कार्यक्रमों में समाविष्ट किया जाए।

इस बात पर भी बल दिया गया कि जनसंख्या स्थिरीकरण के किसी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु, हतोत्साहनों पर आधारित बलपूर्वक दृष्टिकोण की अपेक्षा एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण कहीं अधिक प्रभावी है।

इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि नीतियों और सरकारों द्वारा उनके कार्यान्वयन को मानवाधिकार पहलुओं का मानीटरन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नीति प्रक्रियाएं अधिकारों की संरचना के अनुरूप हों जैसा कि भारत के संविधान, राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में उल्लिखित है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई कि इस विषय पर देशज कानूनों से प्रजनन अधिकारों का उचित उपयोग प्रोत्साहित हो, ऐसी नुकसानदेह प्रथाओं को रोका जाए जिनसे ऐसे अधिकारों के उचित प्रयोग को धक्का पहुंचे और जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य के साथ सम्मान के साथ जीने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहें तथा मानव अधिकारों तथा विकास में प्रतिपादित जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आबंटन सुनिश्चित हो।

श्री के. बी. सक्सेना द्वारा प्रस्तावित मुसाहरों के लिए कार्रवाई योजना

संलग्नक 11

आवास

1. अधिकांश मुसाहरों की अपनी कोई भूमि नहीं होती है। वे इस जमीन के मालिक भी नहीं होते जिसपर उनके छप्पर की झोपड़ी बनी होती है। आमतौर पर ये झोपड़िया उन भू–स्वामियों की भूमि पर बनी होती है जिनके लिए वे बन्धुआ मजदूरों के रूप में काम करते हैं जिन्हें मृदुभाषा में संलग्न मजदूरों के रूप में जाना जाता है। उनमें से कुछेक की छप्पर वाली झोपड़िया सरकारी भूमि पर होती हैं।

(क) ''बिहार सुविधा प्राप्त वास–भूमि काश्तकारी अधिनियम'' के तहत उस भूमि का मालिकाना हक, जिस पर सुविधा प्राप्त व्यक्ति का रिहायशी मकान स्थित है, निर्धारित प्रक्रिया पालन करने के बाद उसके कब्जेदार को प्रदान किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। भूमिहीन ग्रामीण निर्धन होने के नाते मुसाहार इस लाभ के हकदार होंगे। सम्भवतः राज्य सरकार यह दावा कर सकती है कि ऐसे अधिकार काफी समय पहले प्रदान किए जा चुके हैं। इस दावे की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि पूरे राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्धन लोग हैं, जिनमें मुसाहार भी शामिल हैं, जिन्हें ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं जिसका कारण राजस्व अधिकारियों की उदासीनता और कभी–कभी उन भू–स्वामियों और स्थानीय राजस्व अधिकारियों की सांठ–गांठ का होना है, जिनकी जमीनों पर ऐसे घर स्थित होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस प्रयोजन से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू कर सकती है जिससे न केवल मुसाहरों को बल्कि अन्य ग्रामीण गरीबों को भी लाभ हो सकता है। इसकी प्रगति का मानीटरन करने के लिए जिलों का दौरा करने के वास्ते अपने विशेष रिपोर्टरों को कहकर रा. मा. अ. आ. अपना दबाव बनाए रख सकता है।

(ख) जिन मुसाहरों ने अपनी झोपड़िया सरकारी जमीन पर बना रखी है उन जमीनों को उन्हें आबंटित किया जा सकता है क्योंकि अनुसूचित जाति होने के नाते मुसाहर भू आबंटन में प्राथमिकता के हकदार हैं।

(ग) जहां ऐसी झुग्गियां उन जमीनों पर स्थित है जो भू अभिलेखों के अनुसार आम उपयोग के लिए निश्चित

होने की वजह से आबंटित नहीं की जा सकती अथवा नियमों में ढील देने के बाद भी आबंटित नहीं की जा सकती, तो सरकार ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे कब्जेदारों को भूमि के वैकल्पिक भू–खण्ड आबंटित कर सकती है।

(घ) कुछ ऐसे भी मुसाहर हो सकते हैं जिनकी न तो अपनी खुद की झुग्गी है और न ही कोई भूमि। ऐसे मुसाहरों को भूमि की न्यूनतम मात्रा में हकदारी की जमीन आबंटित की जा सकती है जिससे कि वे अपने मकान निर्मित कर सकें। बिहार सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन गृहहीन व्यक्ति एक रिहायशी मकान बनाने के लिए कम से कम 2 डेसिमल भूमि के हकदार हैं।

(ड) यदि किसी इलाके में मुसाहरों को उनकी हमदारी के मुताबिक हिरायशी मकान के निर्माण हेतु आबंटन के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है तो राज्य सरकार उनकी वर्तमान बस्ती के आस–पास जमीन अधिग्रहीन कर सकती है और मुसाहरों को रिहायश की गांरटी प्रदान कर सकती है।

इन्दिरा आवास योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय मुसाहरों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है क्योंकि वे बिहार राज्य में गरीबों के बीच सर्वाधिक कमजोर है। ऐसे विशेष आबंटन के बगैर, बड़ी संख्या में मुसाहरों के स्कीम के तहत शामिल करना कठिन होगा क्योंकि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला आबंटन स्कीम के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार थोड़ा–थोड़ा वितरित किया जाता है।

मुसाहरों के लिए सुअरों का पालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप है और कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करने के अलावा आय सृजन का एकमात्र स्त्रोत है। यह पशु प्रोटीन का भी एक स्त्रोत है। शूकर स्थल बहुत गन्दे होते हैं। मुसाहरों के लिए इन्दिरा आवास योजना को विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए ताकि रिहायशी झुग्गी के परिसर के अन्दर ही एक शूकर वास बनाए रखने के वास्ते एक स्वच्छ और स्वस्थप्रद व्यवस्था की जा सकती है।

जवाहर रोजगार योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के लाभार्थ (और अनु. जनजातियों के लाभर्थ, जैसी भी स्थिति हो), निधियों का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत विनिर्धारित किया जाए। इन निधियों का उपयोग मुसाहरों की कालोनी में प्रारंभिक नाली व्यवस्था शुरू करने और गांव की मुख्य सड़क के साथ मुसाहरों को मिलाने के लिए किया जा सकता है। नाली व्यवस्था अनिवार्य है जिससे कि रूके हुए पानी और गन्दगी से स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां पैदा न हो। जहां न तो नाली व्यवस्था की और न ही जोड़े जाने की जरूरत हो वहां निधियों का उपयोग प्रत्येक मुसाहर के परिवार के सामने और पिछवाड़े में फलदार वृक्षों के रोपण के लिए किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वच्छता स्कीम के अन्तर्गत कुछ प्रतिशत में मुसाहरों की बस्तियों को सर्वसाधारण और शौचालयों के निर्माण के साथ कवर किया जा सकता है जिनका उपयोग और रख–रखाव एक समुदाय के रूप में स्थानीय मुसाहरों द्वारा किया जा सकता है।

पेय जल

जहां मुसाहर बस्तियों में उनके इर्द–गिर्द कोई सुरक्षित और आश्वस्त पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा जहां उपलब्ध स्रोत जातिगत हिन्दुओं द्वारा आरोपित प्रतिबन्धों के कारण बाधित है, वहां ए आर डब्ल्यु एस पी स्कीम के अन्तर्गत पेयजल स्रोत (हैण्ड पम्प) की व्यवस्था की जा सकती है जिनका उपयोग मुसाहरों द्वारा और साथ ही उनकी बस्तियों के आस–पास रहने वाले अन्यों द्वारा भी किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसी बस्तियों का विनिर्धारण कर सकती है और मामला भारत सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के साथ उठा सकती है। रा.मा.अ.आ. विभाग पर विशेष आबंटन के लिए दबाव डाल सकता है।

पोषाहार

प्रत्येक मुसाहर बस्ती को आई सी डी एस कार्यक्रम द्वारा कवर किया जाना चाहिए ताकि मुसाहरों के बच्चों को खाद्य पूरक उपलब्ध हो सके। आमतौर पर प्रत्येक गांव के लिए एक आंगनवाड़ी होती है जिसमें उस ब्लाक को जिसके अन्दर गांव स्थित है, उसे आई सी डी एस के अन्तर्गत कवर किया जाता है। तथापि, आमतौर पर ऐसा होता है कि ऐसे केन्द्र गांव की ऊंची जाति के लोगों के खण्ड में स्थित होते है और निम्न जातियों के विशेष रूप से अनु–जातियों के बच्चें, वहां जाने से डरते हैं। जहां कही ऐसी स्थिति विद्यमान हो, वहां मुसाहर खण्ड के लिए एक लघु आंगनवाड़ी केन्द्र की अनुमति दी जा सकती है जिसका प्रबंध मुसाहर महिलाओं द्वारा खुद किया जा सकता है। बहुत से मामलों में, जिनमें बिहार भी शामिल है, आई सी डी एस केन्द्र उचित रूप से नहीं चलते क्योंकि राज्य सरकार द्वारा खाद्य पूरक के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित नहीं की जाती। इसलिए, राज्य सरकार से कम से कम मुसाहर बस्तियों के लिए, उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए, निधियां आबंटित करने का अनुरोध किया जा सकता है। मुसाहर बस्तियों के लिए आई सी डी एस केन्द्र के संचालन के लिए प्रक्रियाएं राज्य सरकार और महिला तथा बाल विकास विभाग के बीच तय की जा सकती है। तथापि, मुसाहरों को पेश आने वाली समस्याओं को देखते हुए, एक लघु आंगनवाड़ी कायम करने के लिए सहमत होने के वास्ते महिला और बाल विकास विभाग पर दबाव डाला जा सकता है।

शिक्षा

स्कूल में दाखिल होने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन की व्यवस्था, चाहे नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में, को जोरदार ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी मुसाहर बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और बदले में कुछ खाद्य प्राप्त करें। मुसाहर बच्चे लड़के आमतौर पर पशु चराने के काम में लगे होते हैं और बालिकाएं अपनी माताओं की खेती के काम में मदद करती हैं। अभिनव स्कूल पद्धति, जिसके अन्तर्गत आर्थिक कार्यों की उनकी कार्यतालिका अव्यवस्थित नहीं होती, मुसाहर बच्चों के लिए ''सर्वशिक्षा अभियान'' के तहत शुरू की जा सकती है। जहां कही स्कूलों की घर से दूरी, सामाजिक प्रतिबंधों आदि की वजह से मुसाहर बच्चों को स्कूल जाने में बाधाएं हों, वहां राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार व कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार ई जी एस जैसी स्कीम प्रारंभ की जा सकती है। इस बात को देखते हुए कि मुसाहरों में लड़कियों के बीच साक्षरता स्तर, बहुत कम होता है, एम एस जे एण्ड ई उनके लिए, अनु. जाति लड़कियों के बीच निम्न साक्षरता वाले पाकेटों के लिए अपने विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत शैक्षिक कम्प्लेक्स स्थापित कर सकता है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुसाहर लड़के और लड़कियों को कम से कम उनकी संख्या के अनुपात में विद्यमान रिहायशी स्कूलों में प्रवेश प्राप्त हो । भविष्य में, राज्य सरकार के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत मुसाहर लड़के और लड़कियों के लिए और अधिक रिहायशी स्कूल खोले जाएं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी ऐसे स्कूल स्थापित करने के वास्ते निधियों हेतु आग्रह किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उन इलाकों में मुसाहर लड़के और लड़कियों के होस्टलों की मंजूरी दे सकता है जहां आस–पास में वांछित स्कूल सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं।

स्वास्थ्य

प्रत्येक मुसाहर कालोनी से कम से कम एक पुरूष/महिला को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें छः मास को प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे कि वे सरकारी स्वास्थ्य यूनिट सुलभ न होने की स्थिति में प्रारंभिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल करने में समर्थ हो सकें। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण का काम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है क्योंकि मुसाहर महिलाओं के बीच मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर को रोकने में इसका गहरा प्रभाव होगा। इसे परिवार कल्याण विभाग के आर सी एच कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शुरू किया जा सकता है। पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण का काम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र के अन्दर अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यकुशलता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय की उपयुक्त केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुसाहर कालोनियों में कार्यक्रमों में निकटतम सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी मदद कर सकते हैं।

महिलाएं

विद्यमान कार्यक्रमों के अन्तर्गत बचत, उधार और स्वः रोजगार हेतु मुसाहर महिलाओं के स्वयं सेवी समूहों का आयोजन किया जा सकता है। इन समूहों का आयोजन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। और उन्हें उधार (क्रेडिट) सहायता हेतु महिला कोष के साथ जोड़ा जा सकता है। ये स्वयं सेवी समूह उनके विरूद्ध हिंसा और राहत प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क करने में मदद कर सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग इस कार्यक्रम का प्रायोजन कर सकता है। महिला और बाल विकास विभाग की वित्तीय सहायता से 50 मुसाहर परिवारों के बीच एक गैर–सरकारी संगठन पहले से ही कार्य कर रहा है। मुसाहर आबादी वाले प्रत्येक जिले को ऐसी परियोजनाओं के अन्तर्गत कवर किया जाना चाहिए जिनका कार्यान्वयन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया जाए।

अच्छे कार्य का रिकार्ड और मुसाहरों के लिए सहानुभूति रखने वाले सक्षम गैर–सरकारी संगठनों को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास आदि जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा मुसाहर महिलाओं के बीच कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेष रूप

से उन इलाकों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाना चाहिए जहां मुसाहार महिलाओं को गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है। इस व्यवस्था में ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास विभाग व अन्य संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों का अभिसरण किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा

वर्ष के अधिकांश भाग में, विशेष रूप से ऐसे मौसम में जबकि भू–मालिकों के फार्मों पर कोई काम उपलब्ध नहीं होता, ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसे सभी मुसहार ग्रामों में, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय मामलें मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम की तरह ही एक ग्रामीण बैंक स्कीम शुरू करने के लिए कहा जा सकता है। इस स्कीम का प्रबंधन मुसाहरों द्वारा खुद ही किया जा सकता है। इस प्रायोजन हेतु उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वे अन्न ऋण की वसूली करने और उसे पुनः परिचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रयोगात्मक आधार पर कम से कम कुछ गांवों में यह स्कीम चलाई जा सकती है और इस परियोजना को चलाने के लिए कुछ गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिनका बाद में अन्य इलाकों में अनुकरण किया जा सकता है। यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम को शुरू करने के लिए तैयार न हो तो राज्य सरकार से ऐसा करने का अनुरोध किया जा सकता है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि कार्य करने के लिए खाद्य कार्यक्रम रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत ऐसी अवधियों में शुरू किया जाए जब कि फार्म काम उपलब्ध नहीं होता। यह एक वार्षिक कार्यक्रम होना चाहिए और स्थानीय अधिकारीगण उपयोगी परियोजनाएं तैयार कर सकते हैं जिनसे उत्पादक रोजगार पैदा होगा। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनी रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत किया जा सकता है। किन्तु इस समय बिहार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर नहीं है और स्कीम केवल सूखा प्रभावित राज्यों में लागू है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्कीम का कार्यक्षेत्र बिहार में अत्यंत मार्जिनकृत कमजोर समूहों तक बढ़ाने का अनुरोध किया जा सकता है।

निर्धनता उपशमन

प्रधानमंत्री की स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत और/अथवा राष्ट्रीय अनु. जाति विकास वित्त निगम के अन्तर्गत, मुसाहरों के लिए आय सृजन हेतु समूह स्कीमें प्रारंभ की जा सकती है। इन स्कीमों के अन्तर्गत परिचित कार्यकलापों को आयोजित किया जा सकता है जिनके प्रबंधन के बारे में विश्वास हो। सक्षम गैर–सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण, परियोजना निर्माण और प्रबंधन तथा विपणन में मदद दे सकते हैं।

निर्धनता उपशमन हेतु महिलाओं के स्वयं सेवी समूहों का वित्त पोषण महिला और बाल विकास विभाग की महिला कोष स्कीम के अन्तर्गत किया जा सकता है। ऐसी मदद उपलब्ध कराने में ऐसे समूहों की सहायतार्थ अच्छे गैर–सरकारी संगठनों का चयन किया जा सकता है।

विनियमन

बन्धुआ मजदूर, बाल मजदूर, न्यूनतम मजदूरी, एक समान पारिश्रमिक अधिनियम, साहूकार अधिनियम आदि से संबंधित विद्यमान कानूनों का कठोरतापूर्वक प्रवर्तन करने की जरूरत है। इस प्रयोजन हेतु प्रर्वतन

तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है। तथापि, कानून के प्रवर्तन में बाधक कारक यह है कि विस्तृत प्रथाओं के कम पर्याप्त कार्य अवसरों के साथ एकीकृत रूप से से जोड़ा जा रहा है जिससे वे भेद्य बन जाते है। इसलिए, इस समस्या का समाधान करने का एक अधिक प्रभावी तरीका पहले पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करना और साथ–साथ विनियामक प्रावधान लागू करना है। अन्यथा, पीड़ित खुद भी सहयोग नहीं करेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

मुसाहार समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को पुरानी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कवर किया जाना चाहिए। इस समय, स्कीम के अन्तर्गत कवर किए गए लोगों की संख्या लगता है स्थिर हो गई है तथा बड़ी संख्या में पात्र गरीब लोग कवर नहीं किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार से उन्हें कवर को सुकर बनाने के वास्ते राज्य के लिए आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया जा सकता है। इसी बीच, ऐसे अभावग्रस्त मुसाहरों के लिए, जिनमें आजीविका कमाने की क्षमता नहीं है और उनकी देखभाल करने के लिए परिवार नहीं है, अन्नपूर्णा स्कीम को कार्यान्वित किया जा सकता है।

भूमि का आबंटन

जहां कही व्यवहार्य हो, राज्य सरकार, भूदान भूमि, सरकारी भूमि अथवा अधिकतम सीमा भूमि के तहत, उपलब्ध हुई भूमि को मुसाहरो को खेती योग्य भूमि आबंटित कर सकती है। स्थानीय मुसाहर खुद यह विनिश्चित करने की स्थिति में हो सकते हैं कि कौन सी भूमि आबंटित की जा सकती है। भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र सबंधित पक्षकारों द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने की वजह से रूका पड़ा है, यदि न्यायालयों द्वारा इस भूमि को छुड़ाए जाने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाए तो यह भूमि पुनः वितरण हेतु उपलब्ध हो सकती है।

दक्षता विकास

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अच्छे गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) का चयन कर सकती है जिन्हें मुसाहरों के लिए दक्षता विकास और स्वःरोजगार कार्यक्रम संचालित करने का भरोसा हो। दक्षता विकास कार्यक्रमों में निम्नलिखित पर बल दिया जाएगाः नए व्यवसायों में मुसाहरों की रोजगार उपयुक्तता बढ़ाना, विद्यमान व्यवसायों में अधिक आय सृजन काम की तलाश में उत्प्रवास करने पर उनके दर्जे का अन्नयन, उन्हें अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के रूप में तैयार करना और उन्हें देशज कच्ची सामग्री से विपणन योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना एक छत्र एन जी ओ का भी विनिर्धारण किया जा सकता है, जो राज्य में, विशेष रूप से सर्वसाधारण सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यकलाप के इस क्षेत्र में एन जी ओ और स्वयं सेवी समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बीच समन्वय कर सकता है।

पंचायत

मुसाहर समुदाय से ग्राम और ब्लाक पंचायत के लिए चुने गए सभी सदस्यों को किसी सक्षम स्थानीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण के लिए निधियों की व्यवस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा सकती है।

अत्याचार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पी सी आर अधिनियम 1955 और अनु. जाति/अनु. जनजाति (पी ओ ए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु अपनी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक बड़े मुसाहर ग्राम के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की व्यवस्था कर सकता है जो अत्याचारों के शिकार लोगों की ऐसे मामलों को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने और विकास लाभ सुलभ कराने में मदद करेगा। इन कार्यकर्ताओं को विकास के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता भी मुसाहर परिवारों के बीच जागरूकता पैदा करने का काम कर सकता है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का उपयोग राज्य विभाग और कानून तथा व्यवस्था एजेन्सियों द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। अधिकारियों तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सहभागी आयोजना

ऊपर वर्णित, सामाजिक कार्यकर्ताओं का उपयोग ग्राम विशिष्ट मुसाहर समस्याओं और अपनी कालोनी के मुसाहर परिवारों के परामर्श से उनकी परस्पर प्राथमिकताकरण के बारे में तुरन्त सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने में सशक्त बनाया जा सकता है। ये समस्याएं प्रमुख रूप से चिन्ता के उन प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होनी चाहिए जो उनके दिन–प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है। उनमें से कुछेक निम्नलिखित हैं:

विकास

क. आय सृजन

i) भूमि की सुलभता
ii) भू–आधारित पारम्परिक व्यवसाय
iii) भूमि से इतर आधारित परम्परिक व्यवसाय
iv) गैर–परम्परागत व्यवसायों में स्वःरोजगार
v) मजदूरी रोजगार अवसर
vi) श्रम कानूनों का प्रवर्तन

ख. सेवाएं

i) आवास
ii) पेयजल
iii) सफाई
iv) पोषाहार
v) स्कूल सुविधा
vi) स्वास्थ्य सुविधा
vii) दक्षता विकास

viii) सामाजिक सहायता

ix) कल्याण सुविधाएं

संरक्षण

1. गंभीर शोषण वाले मामले
2. ऐसे मामले जहां वैध हकदारी से वंचित रखा जा रहा है
3. शारीरिक हिंसा के मामले
4. सामाजिक उत्पीड़न के मामले
5. आन्तर–समुदाय सामाजिक समस्याएं

प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य सरकार किसी युवा भा. प्र. से. अधिकारी को मात्र मुसाहर विकास कार्य के लिए नियुक्त कर सकती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मुसाहर संरक्षण और विकास हेतु एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करने के लिए अच्छे काम का रिकार्ड करने वाले एक सक्षम एन जी ओ का विनिर्धारण कर सकता है और इस प्रयोजनार्थ उसे वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। एक मुसाहर विकास एजेन्सी प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जो एक रजिस्ट्रर्ड सोसायटी हो तथा मुसाहरों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय करें।

सामजिक संस्थान

मुसाहरों ने उत्तरजीविता, शोषण, मानसिक पीड़ा और दबाव को सहन करने की एक उल्लेखनीय भावना प्रदर्शित की है। इससे अपार सांस्कृतिक दृढंता का पता चलता है। इन सामाजिक लक्षणों का उनकी सामाजिक शक्ति/प्रगति हेतु दोहन करने की जरूरत है। दिल्ली में एक एन जी ओ इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहा है और इस प्रयोजनार्थ एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने में मदद कर सकता है।

प्रचालन की प्रक्रिया

रा. मा. अ. आ., एक व्यपहार्य कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसके कार्यान्वयन की पद्धति निर्धारित करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कर सकता है। इस बैठक में ऐसे 3–4 एन जी ओ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना वांछनीय होगा जिन्हें बिहार मे मुसाहरों के लिए और उनके साथ कार्य करने का लंबा अनुभव हो। विकल्प के तौर पर, कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप देने के बाद रा. मा. अ. आ. का विशेष रिपोर्टर, बिहार का दौरा कर सकता है और एन जी ओ के साथ यह पता लगाने के लिए एक बैठक आयोजित कर सकता है कि उससे किसी प्रकार की सहायता और निविष्टियां प्राप्त हो सकती हैं और इस कार्रवाई योजना में वे कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के एशिया–प्रशान्त मंच की सातवीं वार्षिक बैठक के अन्त में वक्तव्य

संलग्नक 12

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया–प्रशान्त मंच की सातवीं वार्षिक बैठक

11 से 13 नवम्बर 2002, नई दिल्ली, भारत

अन्त में वक्तव्य

प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया–प्रशान्त मंच की सातवीं वार्षिक बैठक जिसमें भारत, आस्ट्रेलिया, फिजी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, न्यूजीलेण्ड, फिलिपीन्स, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका और थाईलैण्ड के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शामिल है, 11 से 13 नवम्बर 2002 तक नई दिल्ली में आयेजित हुई।

2. मंच ने बैठक आयोजित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मानव अधिकारों हेतु उच्च आयुक्त के संयुक्त कार्यालय का इसके सह–प्रयोजन हेतु और भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड की सरकारों का उनकी वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। मंच ने श्री ब्रायन बुर्देकिन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के विशेष सलाहकार के रूप में उनके असाधारण कार्य हेतु धन्यवाद व्यक्त किया। मंच ने भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आयुक्तों और स्टाफ तथा मंच के सचिवालय की बैठक आयोजित करने में उनके कार्य के लिए प्रयासों के प्रति भी सराहना व्यक्त की।

3. मंच ने आस्ट्रेलिया, म्यांमार, न्यूजीलैण्ड, थाईलैण्ड और तिमोर–लेस्ते की सरकारों, अफगानिस्तान, इरान, न्यूजीलैण्ड और फिलीस्तीन के संस्थानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों से प्रेक्षकों के रूप में प्रतिनिधियों की भागीदारी का स्वागत किया।

4. भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा और राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संस्थानों के एशिया–प्रशान्त मंच के अध्यक्ष और मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के विशेष सलाहकार श्री ब्रायन बुर्देकिन ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। प्रारम्भिक अभिभाषणों में प्रख्यात वक्ताओं ने शासन व्यवस्था और अच्छे अधिशासन के एक अनिवार्य तत्व के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानव अधिकारों की महता को स्वीकार किया। इस प्रयोजन हेतु मानव अधिकारों के संरक्षण व प्रोत्साहन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर पुनः बल दिया गया। आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और देह व्यापार व अयोग्यता से जुड़े मानव अधिकार मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

निष्कर्ष

1. मंच द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि राष्ट्रीय संस्थानों की संरचना और दायित्व, संयुक्त राष्ट्र महासभा (संकल्प 48/134) द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय संस्थानों के दर्जे से संबंधित सिद्धातों, जिन्हें आमतौर पर "पैरिस सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है, के अनुरूप होने चाहिए। इस आधार पर इसने मलेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को मंच के पूर्ण सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया जिन्हें मिलाकर इसकी सदस्यता 12 संस्थानों तक पहुंच गई।

2. मंच ने "एसोसिएट सदस्यता" श्रेणी की जांच करने वाले एक चर्चा पत्र पर विचार किया। मंच से एसोसिएट सदस्यता के लिए आवेदनों पर विचार करने के वास्ते दो मार्गदर्शक मापदण्डों पर सहमति व्यक्त की: अर्थात् एक व्यापक अधिदेश रखने की आवश्यकता; और संयुक्त राष्ट्र के प्रति सदस्य देश से केवल एक संस्थान को प्रवेश देने की वांछनीयता।

3. मंच ने विचार व्यक्त किया कि मानव अधिकार संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी को सुदृढ करना महत्वपूर्ण है। बैठकों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्रेक्षकों के रूप में भाग लेने के लिए संगत संस्थानों/संगठनों को निमत्रंण पत्र जारी किए जाएंगे।

4. मंच ने भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को (वार्षिक बैठक के वर्तमान मेजबान संस्थान के रूप में) मंच के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुना। श्रीलंका के राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग (पिछली वार्षिक बैठक के लिए मेजबान संस्थान के रूप में) और नेपाल के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अगली वार्षिक बैठक के लिए मेजबान संस्थान के रूप में) को भी उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए सर्वसम्मति से चुना गया।

5. मंच ने आस्ट्रेलिया, फिजी, नेपाल और फिलिपीन्स से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थानों की अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के चार क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में चयन किया। फिजी मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समिति प्रत्यापन उप समिति में भी सेवा करेगा।

6. मंच ने मंच सदस्य संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की उद्घाटन बैठक का भी स्वागत किया। मंच ने बैठक के परिणामों को नोट किया जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कारगर और कुशल कामकाज में मदद करने के वास्ते उपायों की जांच और कार्यान्वित करने के लिए कार्य दल की स्थापना करना शामिल है। मंच ने यह भी अनुरोध किया कि सचिवालय को मंच के लिए नए अधिशासन और प्रबंधन नीतियों के विकास में मंच परामर्शदाताओं की सहायता करनी चाहिए।

7. मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के विशेष सलाहकार ने राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सतत प्रतिबद्धता पर बल दिया। मंच के उपाध्यक्ष ने पिछले वर्ष के दौरान मंच के कार्यकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई और मंच से सचिवालय के कार्य के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ने, मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गैर–सरकारी संगठनों के साथ व्यावहारिक सहयोग कार्यकलाप आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के महत्व पर बल दिया।

8. मंच परामर्शदाताओं ने मृत्यु दण्ड और इन्टरनेट पर बाल अश्लील साहित्य पर न्यायविदों की सलाहकार परिषद की रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मंच परामर्शदाताओं ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनेक मंच परामर्शदाताओं ने सलाहकार परिषद की सिफारिशों के सफल कार्यान्वयन का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया। मंच परामर्शदाताओं ने मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए विश्व भर में आतंकवाद का मुकाबला करने में कानून की व्यवस्था की प्रमुखता के मुद्दे पर न्यायविदों की सलाहकार परिषद के लिए एक नया संदर्भ तैयार करने का निर्णय किया तथा सचिवालय से मंच के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ संदर्भादीन विषयों का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया।

9. मंच ने असमताओं वाले लोगों के अधिकारों के संबंध में एक नया अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा की। मंच संस्थानों ने संभव नए अभिसमय के विकास में स्वतंत्र

रूप से भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के निमंत्रण के प्रति सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर सहमति जाहिर की। मंच ने बैठक में प्रस्तुत चर्चा पत्र में दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उनके कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय उच्चायुक्त की रिपोर्ट का स्वागत किया और आगे कार्रवाई करते समय सचिवालय बैठक में सभी भागीदारों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा।

10. मंच ने मानव व्यवसाय के मुद्दे पर विचार किया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के विचार और तथा इस मुद्दे पर न्यायविदों की सलाहकार परिषद की रिपोर्ट शामिल है। मंच ने सलाहकार परिषद के न्यायविदों को उनकी विशेषज्ञता तथा उनकी रिपोर्ट के व्यापक कार्यक्षेत्र के लिए धन्यवाद दिया जिसमें निम्नलिखित के संबंध में मदें सम्मिलित थीः (i) अनुसमर्थन (ii) कार्यान्वयन (iii) प्रवर्तन (iv) पीड़ित सुरक्षा (v) अनुसंधान और नीति (vi) शिक्षा और सहयोग। मंच सदस्य संस्थान सलाहकार परिषद की सिफारिशों की निकट रूप से जांच करेंगे तथा उनके कार्यान्वयन पर अगली वार्षिक बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मंच ने सचिवालय से इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में मदद करने का भी अनुरोध किया। मंच ने, इस मुद्दे पर एकट्ठा कार्य करने के लिए भारत और नेपाल के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयुक्तों के समझौते का भी स्वागत किया। मंच ने इस विषय पर विचार और टिप्पणियां तैयार करने में मानव व्यापार के पीड़ितों के मानव अधिकारों को और अधिक स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने की जरूरत के संबंध में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय उच्चायुक्त के साथ सम्पर्क बनाए रखने का भी अनुरोध किया। मंच ने मंच सदस्य संस्थानों के अन्दर मानव व्यापार पर प्रमुख मुद्दों के नेटवर्क के पुनर्बलन की भी सिफारिश की।

11. मंच ने लगभग बारह महीनों के समय में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया–प्रशान्त मंच की आठवीं वार्षिक की मेजबानी करने के लिए नेपाल के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कृपा पूर्वक पेशकश को साभार स्वीकृत कर लिया तथा आवश्यक होने पर एक सम्भाव्य वैकल्पिक मेजबान के रूप में कार्य करने के लिए आस्ट्रेलियाई मानव अधिकार और एक समान अवसर आयोग की कृपापूर्वक पेशकश को भी नोट किया।

12. इसी प्रकार मंच ने मंगोलिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कोरिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2004 में नौवीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की पेशकश को धन्यवाद के साथ नोट कर लिया।

बैठक के संबध में एक रिपोर्ट शीघ्र ही मंच के वेबसाइट डबल्यू डब्ल्यू डबल्यु.एशिया पेसिफिक फोरम. नेट पर उपलब्ध होगी।

1.4.2002 को विचाराधीन मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण

संलग्नक 13

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार हेतु शेष मामले			
		शिकायतें	हिरासत मौत की सूचना	मुठभेड़ की सूचना	कुल
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	182	3	0	185
2	अरुणाचल प्रदेश	21	1	0	22
3	असम	60	0	0	60
4	बिहार	554	2	0	556
5	गोआ	13	0	0	13
6	गुजरात	123	2	0	125
7	हरियाणा	291	2	0	293
8	हिमाचल प्रदेश	31	0	0	31
9	जम्मू तथा कश्मीर	107	0	0	107
10	कर्नाटक	152	3	0	155
11	केरल	70	0	0	70
12	मध्य प्रदेश	457	1	0	458
13	महाराष्ट्र	297	7	1	305
14	मणिपुर	18	0	0	18
15	मेघालय	5	0	0	5
16	मिज़ोरम	9	0	0	9
17	नागालैण्ड	8	0	0	8
18	उड़ीसा	186	1	0	187
19	पंजाब	183	1	0	184
20	राजस्थान	346	0	0	346
21	सिक्किम	6	0	0	6
22	तमिलनाडु	371	3	0	374
23	त्रिपुरा	10	0	0	10
24	उत्तर प्रदेश	6683	6	1	6690
25	पश्चिम बंगाल	135	1	0	136
26	अण्डमान निकोबार	1	0	0	1
27	चण्डीगढ़	16	0	0	16
28	दादर नगर हवेली	1	0	0	1
29	दमन एवं दिप	1	0	0	1
30	दिल्ली	535	0	1	536
31	लक्षद्वीप	1	0	0	1
32	पाण्डिचेरी	21	0	0	21
33	छत्तीसगढ़	71	1	0	72
34	झारखण्ड	194	0	0	194
35	उत्तरांचल	386	0	0	386
36	विदेशी	7	0	0	7
37	पूर्ववर्ती बकाया (2000–2001 तक)				
	योग	**11552**	**34**	**3**	**11589**

जिन मामलों में राज्य प्राधिकारियों से रपट प्राप्त हो गयी है या प्रतीक्षित है			
शिकायतें	हिरासतीय मौत के मामले	मुठभेड़ मौत के मामले	कुल
6	7	8	9
254	146	2	402
10	9	0	19
64	48	0	112
1492	159	2	1653
14	0	0	14
175	92	0	267
424	44	0	468
31	3	0	34
172	14	1	187
127	86	0	213
83	29	0	112
686	51	1	738
565	164	2	731
29	0	0	29
5	0	0	5
0	2	0	2
6	1	0	7
190	31	0	221
159	96	1	256
304	56	0	360
5	0	0	5
201	100	0	301
11	5	0	16
5421	289	41	5751
132	65	0	197
1	0	0	1
20	6	0	26
1	0	0	1
2	0	0	2
520	42	2	564
2	0	0	2
9	0	0	9
27	14	0	41
68	24	3	95
96	12	0	108
1	0	0	1
			31923
11307	**1588**	**55**	**44873**

कुल योग = **11589+44873 = 56462**
(स्तंभ 5 + स्तंभ 9)

वर्ष 2002–03 में मामलों के निपटान का राज्यवार विवरण

संलग्नक 14

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आंरभ में ही खारिज	निदेश देकर निपटान
	1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	284	102
2	अरूणाचल प्रदेश	13	1
3	असम	54	21
4	बिहार	1791	454
5	गोआ	20	8
6	गुजरात	408	121
7	हरियाणा	998	474
8	हिमाचल प्रदेश	63	17
9	जम्मू तथा कश्मीर	67	89
10	कर्नाटक	261	76
11	केरल	86	35
12	मध्य प्रदेश	1151	335
13	महाराष्ट्र	823	472
14	मणिपुर	13	5
15	मेघालय	6	3
16	मिजोरम	1	1
17	नागालैण्ड	5	8
18	उड़ीसा	381	146
19	पंजाब	281	65
20	राजस्थान	1199	282
21	सिक्किम	5	1
22	तमिलनाडु	469	151
23	त्रिपुरा	17	4
24	उत्तर प्रदेश	14310	12921
25	पश्चिम बंगाल	338	135
26	अंडमान निकोबार	5	1
27	चंडीगढ़	42	10
28	दादरा नगर हवेली	5	2
29	दमन दियू	1	2
30	दिल्ली	1408	586
31	लक्षद्वीप	2	0
32	पांडिचेरी	17	7
33	छत्तीसगढ़	206	47
34	झारंखण्ड	683	141
35	उत्तरांचल	685	524
36	विदेशी	30	15
	योग	**26128**	**17262**

रिपोर्ट प्राप्ति के बाद निर्णीत			कुल
शिकायतें	हिरासत मौत के मामले	मुठभेड़ में मौत के मामले	
4	5	6	7
511	38	0	935
14	1	0	29
101	8	0	184
1812	38	0	4095
19	1	0	48
198	13	0	740
1176	17	0	2665
37	1	0	118
166	0	0	322
362	14	0	713
257	16	0	394
937	12	0	2435
991	47	0	2333
30	1	0	49
8	3	0	20
4	0	0	6
10	0	0	23
529	25	0	1081
451	16	0	813
907	10	0	2398
1	0	0	7
1009	8	0	1637
12	2	0	35
25743	65	2	53041
290	18	1	782
6	0	0	12
15	1	0	68
1	0	0	8
0	0	0	3
1195	11	0	3200
0	0	0	2
12	0	0	36
151	18	0	422
418	16	0	1258
1060	0	0	2269
5	0	0	50
38438	**400**	**3**	**82231**

वर्ष 2002–2003 में रिपोर्ट प्राप्ति के बाद निपटाये गए मामलों का राज्य/संघ राज्य वार विवरण

संलग्नक 15(क)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गुमशुदगी	मिथ्या अभिप्राप्ति	हिरासत में हिंसा
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2	15	23
2	अरूणाचल प्रदेश	1	0	1
3	असम	1	2	0
4	बिहार	9	97	22
5	गोआ	0	0	2
6	गुजरात	1	12	4
7	हरियाणा	3	87	14
8	हिमाचल प्रदेश	0	1	1
9	जम्मू तथा कश्मीर	6	1	1
10	कर्नाटक	0	15	15
11	केरल	2	10	19
12	मध्य प्रदेश	5	68	17
13	महाराष्ट्र	143	35	15
14	मणिपुर	0	0	1
15	मेघालय	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0
17	नागालैण्ड	0	0	0
18	उड़ीसा	1	9	8
19	पंजाब	1	16	2
20	राजस्थान	1	40	20
21	सिक्किम	0	0	0
22	तमिलनाडु	5	57	20
23	त्रिपुरा	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	69	2139	477
25	पश्चिम बंगाल	2	4	4
26	अंडमान निकोबार	0	1	0
27	चंडीगढ़	0	2	0
28	दादरा नगर हवेली	0	0	0
29	दमन दियू	0	0	0
30	दिल्ली	2	38	6
31	लक्षद्वीप	0	0	0
32	पांडिचेरी	0	0	2
33	छत्तीसगढ़	0	20	3
34	झारखण्ड	2	21	13
35	उत्तरांचल	7	93	16
36	विदेशी	0	0	0
	योग	**263**	**2783**	**706**

अवैध गिरफ्तारी	गैरकानूनी निरोध	कार्रवाई में चूक	कथित झूठी मुठभेड़	अन्य पुलिस ज्यादती
6	7	8	9	
9	26	58	6	103
1		1		1
1	1	2		20
2	29	492	8	336
	1	1		4
3	6	29		38
25	73	322		262
	1	10		5
1	2	10	1	54
4	13	42	1	87
3	25	33		64
7	36	227	5	219
10	13	115	5	142
2	1	1		6
		0		3
		0		2
10		0		0
4	9	72	1	93
16	5	60		113
2	20	218	1	183
		0		0
19	67	129	1	232
		1	1	2
450	2516	7410	78	6828
	6	65	4	41
		1		0
		2		6
		0		0
		0		0
12	13	313		402
		0		0
	1	4		1
1	5	28		31
3	6	89	1	86
27	108	243	5	257
		0		1
612	**2983**	**9978**	**118**	**9622**

वर्ष 2002–2003 के दौरान निस्तारित रिपोर्ट–मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

संलग्नक 15(ख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	महिला अनादर	यौन उत्पीड़न
	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	3	3
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	1
4	बिहार	12	11
5	गोआ	0	0
6	गुजरात	1	3
7	हरियाणा	1	11
8	हिमाचल प्रदेश	0	1
9	जम्मू तथा कश्मीर	0	1
10	कर्नाटक	0	1
11	केरल	2	0
12	मध्य प्रदेश	2	2
13	महाराष्ट्र	2	2
14	मणिपुर	0	0
15	मेघालय	0	0
16	मिजोरम	0	0
17	नागालैण्ड	0	0
18	उड़ीसा	3	6
19	पंजाब	2	2
20	राजस्थान	8	7
21	सिक्किम	0	0
22	तमिलनाडु	5	25
23	त्रिपुरा	0	0
24	उत्तर प्रदेश	60	66
25	पश्चिम बंगाल	4	3
26	अंडमान निकोबार	0	0
27	चंडीगढ़	0	0
28	दादरा नगर हवेली	0	0
29	दमन दियू	0	0
30	दिल्ली	9	5
31	लक्षद्वीप	0	0
32	पांडिचेरी	0	0
33	छत्तीसगढ़	1	0
34	झारखण्ड	2	4
35	उत्तरांचल	1	5
36	विदेशी	0	0
	योग	**118**	**159**

बलात्कार व हत्या	दहेज मौत या प्रयास	दहेज मांग	महिला शोषण	महिला से बलात्कार
13	14	15	16	17
2	5	3	3	7
				1
1				1
6	96	20	23	42
4	1	1	1	1
21	18	20	8	13
		1	2	
	1			1
6	2	5	1	4
	3	1	1	2
14	31	7	6	19
8	8	5	1	6
2				
5	10	5	5	8
2	3	3		
9	31	6	19	21
5	6	1	1	5
	1			
168	575	331	96	239
3	10	1	7	6
	1			
26	10	11	5	4
	3	3	1	6
1	12	2	8	8
6	18	22	12	6
289	**845**	**448**	**200**	**400**

वर्ष 2002–2003 के दौरान निस्तारित रिपोर्ट–मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

संलग्नक 15(ग)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बाल प्रथा	बाल विवाह	बंधुआ मजदूरी	कैदियों का उत्पीड़न
	18	19	20	21	22
1	आंध्र प्रदेश		1	3	3
2	अरूणाचल प्रदेश				
3	असम				
4	बिहार	4		5	29
5	गोआ				
6	गुजरात			2	6
7	हरियाणा		1	17	25
8	हिमाचल प्रदेश				
9	जम्मू तथा कश्मीर				1
10	कर्नाटक	1		7	17
11	केरल				4
12	मध्य प्रदेश	2		2	14
13	महाराष्ट्र	3		2	31
14	मणिपुर				
15	मेघालय				
16	मिजोरम				
17	नागालैण्ड				
18	उड़ीसा	3			6
19	पंजाब			42	22
20	राजस्थान	1	3	5	15
21	सिक्किम				
22	तमिलनाडु	2	1	5	20
23	त्रिपुरा				
24	उत्तर प्रदेश	31	18	63	182
25	पश्चिम बंगाल				4
26	अंडमान निकोबार				
27	चंडीगढ़				1
28	दादरा नगर हवेली				
29	दमन दियू				
30	दिल्ली	2	2	2	38
31	लक्षद्वीप				
32	पांडिचेरी				
33	छत्तीसगढ़				5
34	झारखण्ड	1			4
35	उत्तरांचल			6	7
36	विदेशी				
	योग	**50**	**26**	**161**	**434**

जेल में चिकित्सा सुविधाओं की कमी	जेलों की स्थिति	अनु.जा./अनु.ज.जा. पर अत्याचार	साम्प्रदायिक हिंसा	अन्य	कुल योग
23	24	25	26	27	
	2	8	2	224	511
	0	0		8	14
	0	0		71	101
9	46	17		497	1812
1	0	1		9	19
	4	2	3	76	198
	13	14		228	1176
	0	1		14	37
	0	0		86	166
	13	5	1	122	362
	1	3		84	257
	13	13		228	937
3	10	10	1	421	991
	0	0		17	30
	0	0		5	8
	0	0		2	4
	0	0		0	10
	5	7		269	529
1	7	3		151	451
1	20	37	1	238	907
	0	0		1	1
2	7	33	6	355	1009
	0	1		6	12
23	67	353	6	3498	25743
1	3	3		119	290
	0	0		4	6
	0	0		3	15
1	0	0		0	1
	0	0		0	0
	8	5		282	1195
	0	0		0	0
	0	0		4	12
2	1	3		38	151
	4	11		140	418
	5	12	1	203	1060
	0	0		4	5
44	**229**	**542**	**21**	**7407**	**38438**

1.4.2003 को लम्बित मामलों का राज्यवार विवरण

संलग्नक 16

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार के लिए लम्बित मामले			
		शिकायतें	हिरासत में मौतों की सूचना	मुठभेड़ में मौतों की सूचना	कुल
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	101	4	0	105
2	अरूणाचल प्रदेश	8	0	0	8
3	असम	16	2	0	18
4	बिहार	803	5	0	808
5	गोआ	3	0	0	3
6	गुजरात	168	1	0	169
7	हरियाणा	488	0	0	488
8	हिमाचल प्रदेश	36	0	0	36
9	जम्मू तथा कश्मीर	29	0	0	29
10	कर्नाटक	85	1	0	86
11	केरल	34	1	0	35
12	मध्य प्रदेश	349	1	0	350
13	महाराष्ट्र	373	5	2	380
14	मणिपुर	3	0	0	3
15	मेघालय	2	0	0	2
16	मिजोरम	1	0	0	1
17	नागालैण्ड	2	0	0	2
18	उड़ीसा	133	1	0	134
19	पंजाब	238	2	0	240
20	राजस्थान	483	2	0	485
21	सिक्किम	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	253	3	0	256
23	त्रिपुरा	7	0	0	7
24	उत्तर प्रदेश	4884	3	2	4889
25	पश्चिम बंगाल	125	3	0	128
26	अंडमान निकोबार	2	0	0	2
27	चंडीगढ़	12	0	0	12
28	दादरा नगर हवेली	2	0	0	2
29	दमन दियू	0	0	0	0
30	दिल्ली	504	0	1	505
31	लक्षद्वीप	2	0	0	2
32	पांडिचेरी	11	1	0	12
33	छत्तीसगढ़	87	0	0	87
34	झारखण्ड	230	1	0	231
35	उत्तरांचल	231	0	0	231
36	विदेशी	17	0	0	17
	योग	**9722**	**36**	**5**	**9763**

राज्य सरकारो से प्राप्त/प्रतीक्षित रपट हेतु लम्बित मामले			
शिकायतें	हिरासत में मौतों की सूचना	मुठभेड़ में मौतों की सूचना	कुल
6	7	8	9
541	229	8	778
20	13	0	33
144	66	2	212
3010	275	5	3290
24	0	0	24
351	131	1	483
1205	76	1	1282
73	4	0	77
259	14	1	274
322	139	1	462
156	66	1	223
1157	76	2	1235
1135	262	11	1408
44	0	0	44
16	3	1	20
3	4	0	7
7	1	0	8
457	48	0	505
582	154	1	737
1141	105	1	1247
6	0	0	6
619	160	2	781
24	5	0	29
15437	413	62	15912
404	110	1	515
3	0	0	3
34	8	0	42
3	0	0	3
2	0	0	2
2196	63	6	2265
2	0	0	2
11	0	0	11
125	29	0	154
538	54	2	594
545	20	2	567
12	0	0	12
30608	**2528**	**111**	**33247**

कुल योग **= 9763+33247 = 43010**
(स्तंभ 5 + स्तंभ 9)

वर्ष 2002–03 के दौरान पंजीकृत मामलों/सूचनाओं का राज्यवार विवरण

संलग्नक 17

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतें
	1	2
1	आंध्र प्रदेश	613
2	अरूणाचल प्रदेश	24
3	असम	140
4	बिहार	4028
5	गोआ	37
6	गुजरात	699
7	हरियाणा	2487
8	हिमाचल प्रदेश	130
9	जम्मू तथा कश्मीर	178
10	कर्नाटक	507
11	केरल	172
12	मध्य प्रदेश	2082
13	महाराष्ट्र	1917
14	मणिपुर	35
15	मेघालय	21
16	मिजोरम	4
17	नागालैण्ड	14
18	उड़ीसा	837
19	पंजाब	921
20	राजस्थान	2555
21	सिक्किम	6
22	तमिलनाडु	1141
23	त्रिपुरा	39
24	उत्तर प्रदेश	40612
25	पश्चिम बंगाल	681
26	अंडमान निकोबार	8
27	चंडीगढ़	72
28	दादरा नगर हवेली	11
29	दमन दियू	3
30	दिल्ली	3796
31	लक्षद्वीप	3
32	पांडिचेरी	23
33	छत्तीसगढ़	374
34	झारखण्ड	1375
35	उत्तरांचल	1745
36	विदेशी	64
	योग	**67354**

हिरासत मौत की प्राप्त सूचना				मुठभेड़ में मौत की प्राप्त सूचना	कुल
पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	रक्षा/अर्ध सैना	हिरासत बलात्कार		
3	4	5	6	7	8
10	112	0	0	7	742
2	2	0	0	0	28
15	13	0	0	2	170
4	153	0	0	4	4189
0	1	0	0	0	38
17	34	0	0	1	751
6	41	0	0	1	2535
0	2	0	0	0	132
0	0	0	0	0	178
16	49	0	0	1	573
4	50	0	0	1	227
1	36	0	0	1	2120
26	117	0	0	10	2070
0	1	0	0	0	36
3	3	0	0	1	28
0	2	0	0	0	6
0	0	0	0	0	14
1	41	0	0	0	879
9	65	0	1	0	996
6	55	0	0	1	2617
0	0	0	0	0	6
17	51	0	0	2	1211
1	1	0	0	0	41
16	169	0	1	41	40839
16	49	0	0	2	748
0	0	0	0	0	8
0	3	0	0	0	75
0	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	3
2	30	0	0	6	3834
0	0	0	0	0	3
1	0	0	0	0	24
3	29	0	0	0	406
6	41	0	0	0	1422
1	7	0	0	2	1755
0	0	0	0	0	64
183	**1157**	**0**	**2**	**83**	**68779**

उड़ीसा के केबी के जिलों में भुखमरी से हुई मौतों के आरोप के संबंध में 17 जनवरी 2003 को आयोजित आयोग की कार्यवाही से उद्धहरण

संलग्नक 18

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

सरदार पटेल भवन
नई दिल्ली

......

मामला सं 37/3/97–एलडी
दिनांक 17 जनवरी 2003

शिकायतकर्ता का नाम : श्री चतुरानन मिश्रा

कोरम

न्यायमूर्ति श्री जे. एस वर्मा, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी मनोहर, सदस्य

श्री वीरेन्द्र दयाल, सदस्य

कार्यवाही

खाद्य का अधिकार

इस मामले के संबंध में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डॉ0 अमृता रंगा स्वामी, निदेशक, प्रशासन राहत अध्ययन केंन्द्र (सी एस ए आर), ऐसी स्थिति में सन्निहित अधिकार की प्रकृति का मूलभूत मुद्दा उठाती रही है जिसमें मृत्यु भूखमरी अथवा लम्बें कु–पोषण के कारण होती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारत के संविधान और भारत की राहत संहिताओं और केन्द्रों के बीच द्विभाजन है तो राहत प्रशासन को प्रशासित करते है। उन्होंने दलील दी है कि यद्यपि संविधान में खाद्य के अधिकार को जीवन के मूलभूत अधिकारों का एक अभिन्न अंग माना गया है तथापि कोड और संहिताएं कुल मिलाकर 1910 के माडल अकाल कोड की एक प्रतिकृति है जिसके अन्तर्गत राहत शासन की ओर से एक कृपालता के रूप में प्रशासित होती है और ''लाभप्राप्त'' का दर्जा एक शासन मिसारान के प्राप्तकर्ता के रूप में रहता है।

आयोग ने डॉ0 रंगास्वामी की प्रस्तुति पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत आजादी की गांरटी दी गई है। इन अनुच्छेद में ''जीवन'' अभिव्यक्ति की विवेकपूर्ण ढंग से व्याख्या की गई है कि जीवन का अर्थ मानवीय सम्मान है और न कि मात्र उत्तरजीविता अथवा पशुवत जीवन। इसे ध्यान में रखते हुए शासन वे सभी न्यूनतम जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति मानवीय सम्मान के साथ रह सके, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कार्य की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियां, शोषण के विरूद्ध संरक्षण आदि। आयोग की राय में खाद्य का अधिकार सम्मान के साथ जीवन में अन्तर्निहित है और अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 39 (क) और 47 के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि शासन के दायित्व की प्रकृति को समझा जा सके जिससे कि इस अधिकार का कारगर पालन सुनिश्चित हो सके। एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित संविधान के अनुच्छेद 39(क) में जो देश के अधिशासन के लिए मूलभूत है, यह अपेक्षित है कि राज्य अपनी नीतियां ऐसी प्रप्ति की दिशा में निर्देशित करें कि नागरिकों को पुरूषों और स्त्रियां, समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। अनुच्छेद 47 में अपने लोगों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठाने की राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में सम्मिलित भूख से मुक्त होने का नागरिक का अधिकार, अनुच्छेद 39 (क) और 47 मे निर्धारित राज्य के दायित्वों की पूर्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। अनुच्छेद 39 (क) और 47 के साथ अनुच्छेद 21 को पढ़ने से खाद्य सुरक्षा का मुद्दा सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत होता है, इस प्रकार खाद्य का अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बनाया गया है जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उपलब्ध संवैधानिक उपचार के जरिए

लागू किया जा सकता है। संविधान की आवश्यकताएं पहले हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय इकरारनामों के तहत राज्य का दायित्व है जिसका भारत एक पक्ष है। वह इकरारनामा, अनुच्छेद 11 में, प्रत्येक के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त रहन–सहन स्तर के अधिकार को, जिसमें पर्याप्त खाद्य सम्मिलित है, स्वीकार करता है।

इसलिए इसका अर्थ है कि भूख से मुक्त रहने का एक मूलभूत अधिकार है। भूखमरी का अर्थ इस अधिकार से पूर्णतः वंचित रहना और उल्लंघन है। चूंकि देश के कुछ पाकेटों से रिपोर्ट की गई भूखमरी मौतें अब अनिवार्य रूप से कुशासन का परिणाम है जो लोक सेवकों द्वारा किए गए अथवा न किए गए कार्यों का फल है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत आयोग के लिए वे प्रत्यक्षतः चिंता के विषय हैं। देखा गया है कि के बी के जिलों जैसे क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी की स्थितियों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः लम्बी भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित होते हैं। चाहे मेडिकल दृष्टि से उनकी मौत को भुखमरी से नहीं जोड़ा जा सकता तथापि दुखद वास्तविकता यही है कि वे प्रायः लम्बे कुपोषण लम्बी पीड़ा के कारण मरते हैं जिससे वे अन्य बातों के साथ मलेरिया और पेचिस जैसी सामान्य बीमारियों का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस तथ्य को देखते हुए स्थिति और भी दुखद है कि भारतीय खाद्य निगम के अन्नागार पूरे–भरे पड़ें हैं – एक मामला – जो इस समय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

इसलिए आयोग डॉ0 रंगास्वामी के इस मत से सहमत है कि भुखमरी के सबूत के रूप में मौतों पर जोर देने की वर्तमान प्रथा गलत है और इसे हटाए जाने की जरूरत है। इसलिए आयोग की राय में, जहां तक राज्य को दायित्वों का संबंध है, स्पष्टतः नीति निहितार्थ विद्यमान है। खाद्य के अधिकार का अर्थ उपयुक्त पोषण स्तर तक खाद्य का अधिकार है। इसका यह भी अर्थ है कि कठिनाईग्रस्त लोगों को राहत की मात्रा से उन स्तरों की पूर्ति होनी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि खाद्य का अधिकार वस्तुतः सुरक्षित है और मात्र एक सैद्धांतिक संकल्पना नहीं है।

आयोग याचिकाकर्ता की इस बात से भी सहमत है कि आश्रयहीनता और कठिन परिस्थिति जारी रहने को भुखमरी की विद्यमानता हेतु आवश्यक परिस्थितियों के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए इस संबंध में सरकारी नीतियों और रहत कोषों में प्राचलन बदलाव लाए जाने की सहवर्ती जरूरत है।

डॉ. रंगास्वामी ने स्वीकार किया कि उड़ीसा राज्य ने आश्रयहीनता के उपशमन के उद्देश्य से राहत प्रशासन का उद्देश्य संशोधित किया है। तथापि उसने कृपालुता के दायरे से नागरिक के अधिकार के रूप में प्राचल बदलाव नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि भारत सरकार आपदा

के बारे में भारत सरकार की वर्तमान अवधारणा और साथ ही इसकी विद्यमाना के मौसम से राहत केवल अल्पावधि तक सीमित है। इसके विपरीत, खाद्य और पोषाहार के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण का होगा कि राहत उपायों के लाभार्थियों को "दावा धारक" के रूप में माना जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, भुखमरी की आशंका वाली कठिन–परिस्थितियों की विद्यमानता एक आघात है जिसके लिए राज्य पर दण्ड आरोपित करना अपेक्षित है। दण्ड का दावा अलग–अलग दावों के आधार की बजाए कुल मिलाकर प्रभावित समूहों के लिए किया जाएगा। आयोग को इस राय में कुछ वजन नजर आता है। वस्तुतः आयोग का मत है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत की गई समाधान व्यवस्था व्यक्तियों पर ही नहीं समूहों पर भी लागू होती है।

डॉ. रंगास्वामी के तदनुसार उड़ीसा राहत कोड के पैराग्राफ 163, 164, 168 और 169 में संशोधन करने का सुझाव दिया ताकि उस कोड को भारत के संविधान के अनुरूप बनाया जा सके। उन्होंने विशिष्ट रूप से प्रस्ताव किया कि इसे निम्नलिखित की प्राप्ति के उद्देश्य पुनः तैयार किया जाना चहिए :

(i) कृपालुता के दायरे से अधिकार के दायरे तक प्राचल बदलाव;

(ii) कार्य परिणाम के मूल्यांकन से भूख के मूल्यांकन तक बदलाव;

(iii) राज्य–हस्तक्षेप के समय को भूख मौसम में बदलना; और

(iv) भुखमरी और निराश्रय के लिए संज्ञान की शर्ते तय करना।

आयोग को सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उड़ीसा राहत कोड में संशोधन के बारे में डॉ. रंगास्वामी द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा और करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त (ए पी सी) की अध्यक्षता में व अधिकारियों तथा गैर–सरकारी सदस्यों के साथ एक समिति गठित की है।

आयोग के विचारों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह चाहेगा कि समिति के काम में तेजी से प्रगति हो और यह चाहेगा कि इसे भी उसके प्रयासों से अवगत रखा जाए। इन प्रयासों के परिणामों के, उड़ीसा के लिए और उसके उदाहरण के आधार पर, शेष भारत के लिए भी, दूरगामी प्रभाव होगें।

डॉ0 रंगास्वामी ने भारत सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं :

(i) प्रदान की जाने वाली राहत तय करने के लिए वर्तमान मापदण्ड को संशोधित करने की

जरूरत उन्होंने प्रस्ताव किया है कि प्रदान की जाने वाली राहत "डाली" पर्याप्त पोषाहार जरूरतों की दृष्टि से निर्धारित की जानी चाहिए और न कि मौद्रिक दृष्टि से निर्धारित की जाए। इससे, बढ़ती लागत के साथ मेल खाते हुए आवश्यक परिव्यय का स्वतः संशोधन सुनिश्चित होगा।

(ii) छोटे किसानों के लिए सहायता प्रदान करने का मानदण्ड इस ढंग से संशोधित करना कि उसे निराश्रयता के उपशमन से जोड़ा जाए तथा कठिनाईग्रस्त उत्प्रवास, फसलों, श्रम और भूमि की मजबूरन बिक्री को रोका जाए और दरिद्रता के विरूद्ध संरक्षण।

आयोग इन सुझावों में कुछ महत्व देखता है जिससे आपदा राहत के लिए वस्तुतः आवश्यक संसाधनों की मात्रा और उनके उपयोग की विधि के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से गम्भीर प्रश्न उठते हैं। इसलिए आयोग का डॉ. रंगास्वामी से अनुरोध है कि वे इन विचारों का और खुलासा करें और आयोग को एक पत्र प्रस्तुत करें ताकि भारत सरकार के विचार उनके बारे में प्राप्त किए जा सकें।

इन कार्यवाहियों के अन्त में आयोग यह टिप्पणी करना चाहेगा कि इसका आयोजन ऐसे समय पर किया जा रहा है जबकि विश्व भर में यह मांग की जा रही है कि गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए, मानव के सम्मान और उसके मूल्य पर एक धब्बा है, राज्य और सिविल सोसायटी द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम डी जी) में पहला और अग्रणी यह वर्ष 2015 तक विश्व के गरीबों और भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को सभी शासनाध्यक्षों और सरकारों द्वारा आधा करने की शपथ लेता है। हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए इस संबंध में भारत की विशेष जिम्मेदारी है। आज इस युग में अत्यंत गरीबी और भूख की विद्यमानता असहनीय है क्योंकि यह न केवल मानव अधिकारों के विरूद्ध है बल्कि इससे राज्य के अन्दर शान्ति और सामन्जस्य स्थापित करने की संभावनाएं भी कम होती है। इन सभी कारणों से आयोग इन सुनवाईयों में उठाए गए मुद्दों के साथ आने वाले समय में गहराई से जुड़ा रहेगा।

आयोग एक बार फिर इस मामले की सुनवाई के दौरान इसके सामने प्रस्तुत हुए विद्धान काउन्सलों से प्राप्त सर्वाधिक समर्थ और रचनात्मक योगदान के लिए अपनी अत्यंत सराहना व्यक्त करता है: याचिकाकर्ता की ओर से संजय पारीख, उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से श्री जयन्त दास और श्री राज कुमार मेहता और संघ सरकार की ओर से श्री अजय कुमार वाली। आयोग, सी आर ए आर की निदेशक डॉ0 अमृता रंगास्वामी का भी उनकी दूरदर्शिता और विचारों के लिए पुनः आभार प्रकट करता है जो उन्होंने इस मामले में आयोग के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए।

इन कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि, भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को, दिनांक 28.4.1997 और 26.7.1997 के आदेशों के अनुसरण में याचिका (सिविल) सं. 42/97 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के वास्ते, भेज दी जाए।

(न्यायमूर्ति जे एस वर्मा)
अध्यक्ष

(न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर)
सदस्य

(वीरेन्द्र दयाल)
सदस्य

1.4.2002 को बकाया मामलों की राज्य–वार संख्या

विवरण के लिए संलग्नक 13 देखें

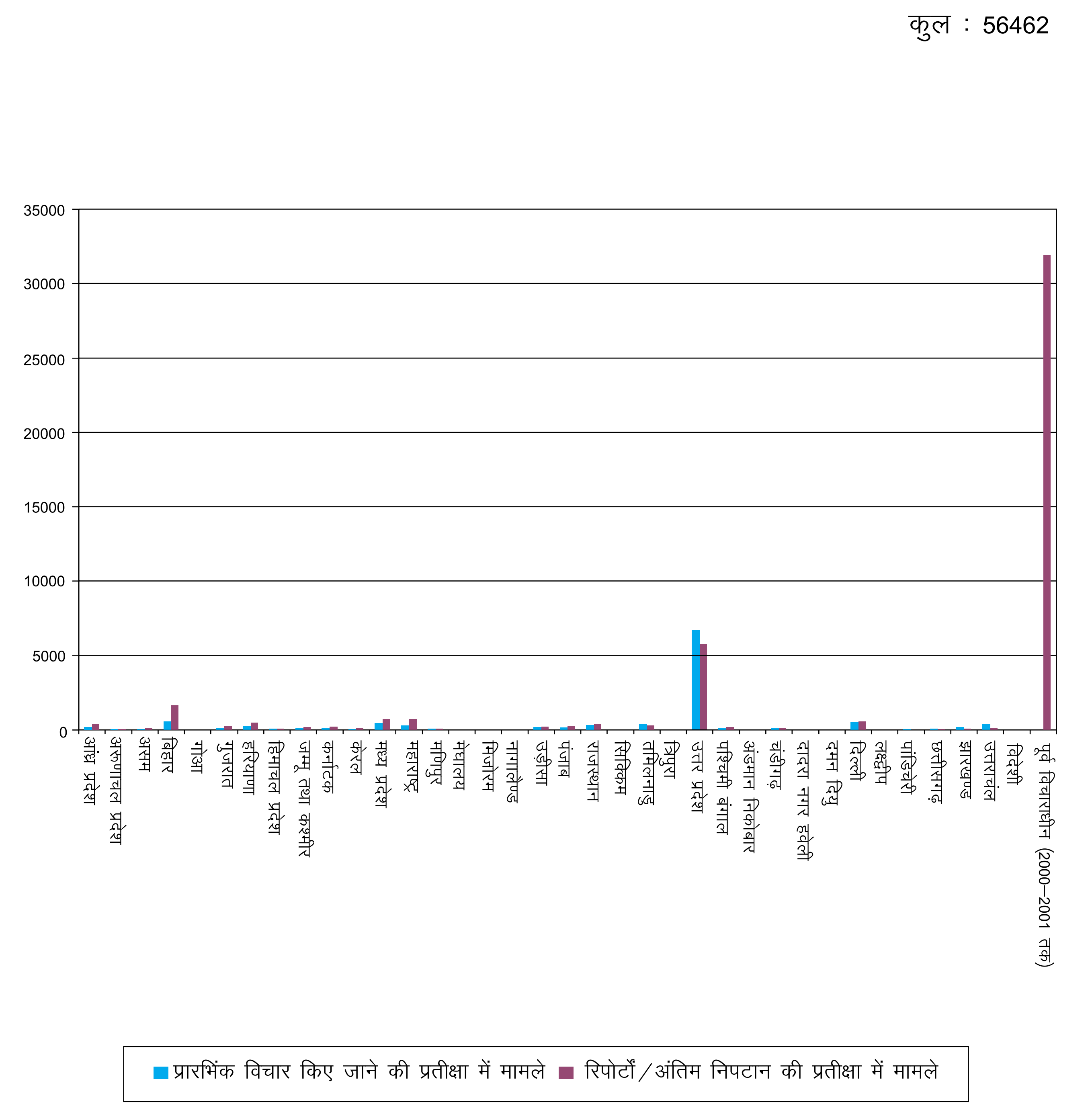

वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

विवरण के लिए संलग्नक 14 देखें

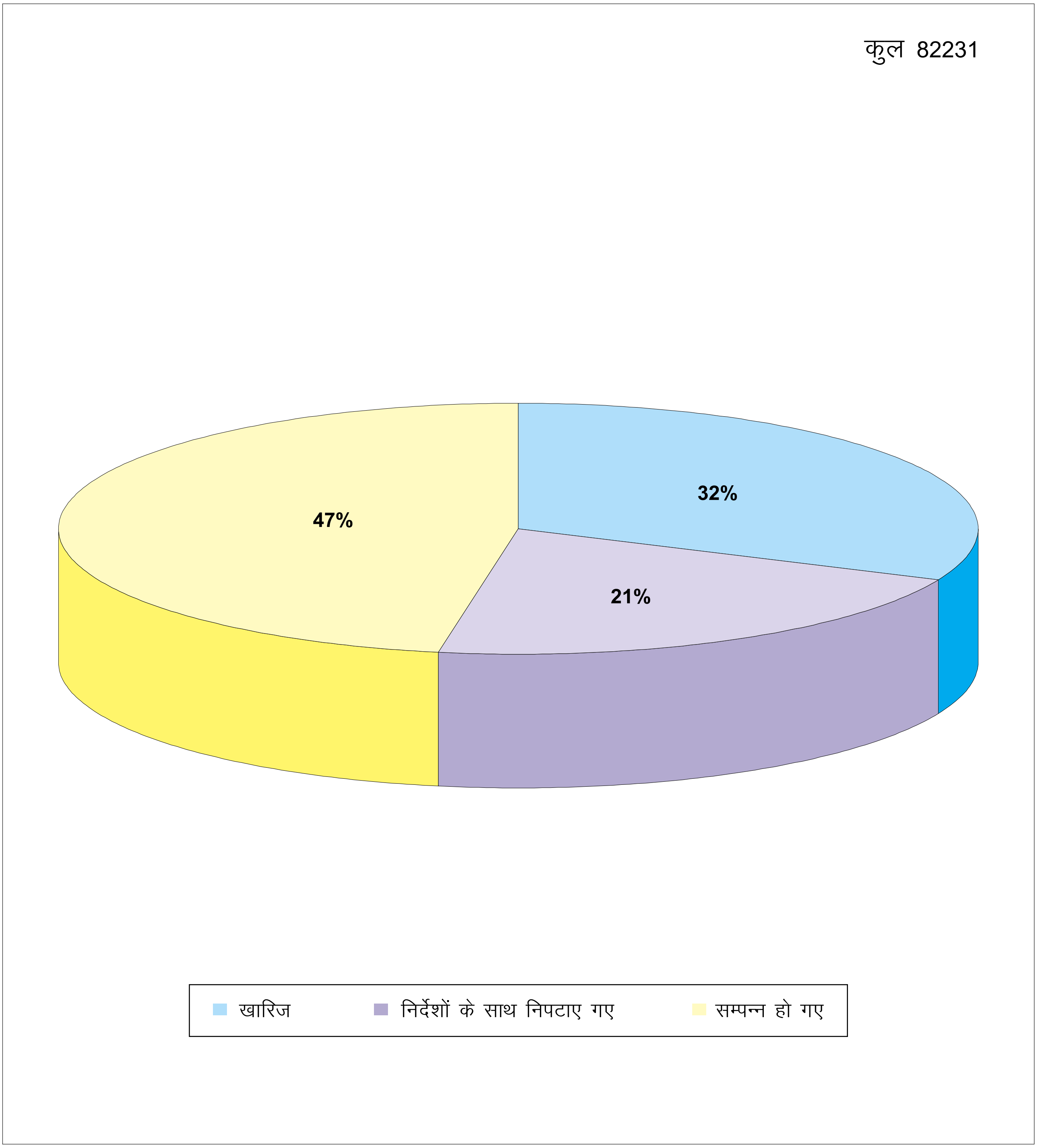

वर्ष 2002–2003 के दौरान निर्देशों के साथ निपटाए गए मामले 1 प्रतिशत की अधिक दर से निर्देशों के साथ निपटाए गए

विवरण के लिए संलग्नक 14 देखें

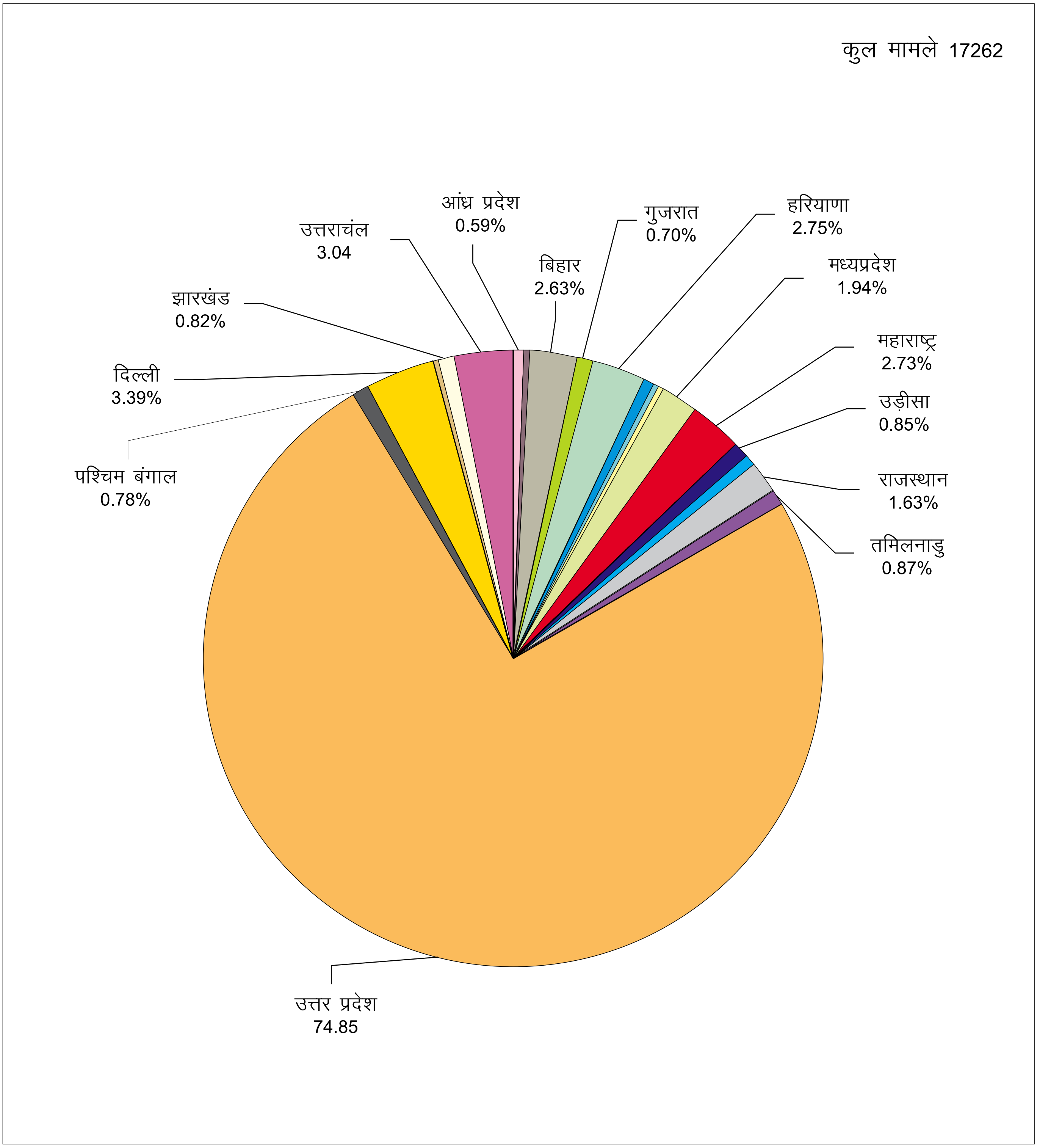

वर्ष 2002–2003 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की संख्या

विवरण के लिए संलग्नक 15(क) से 15 (ग) देखें

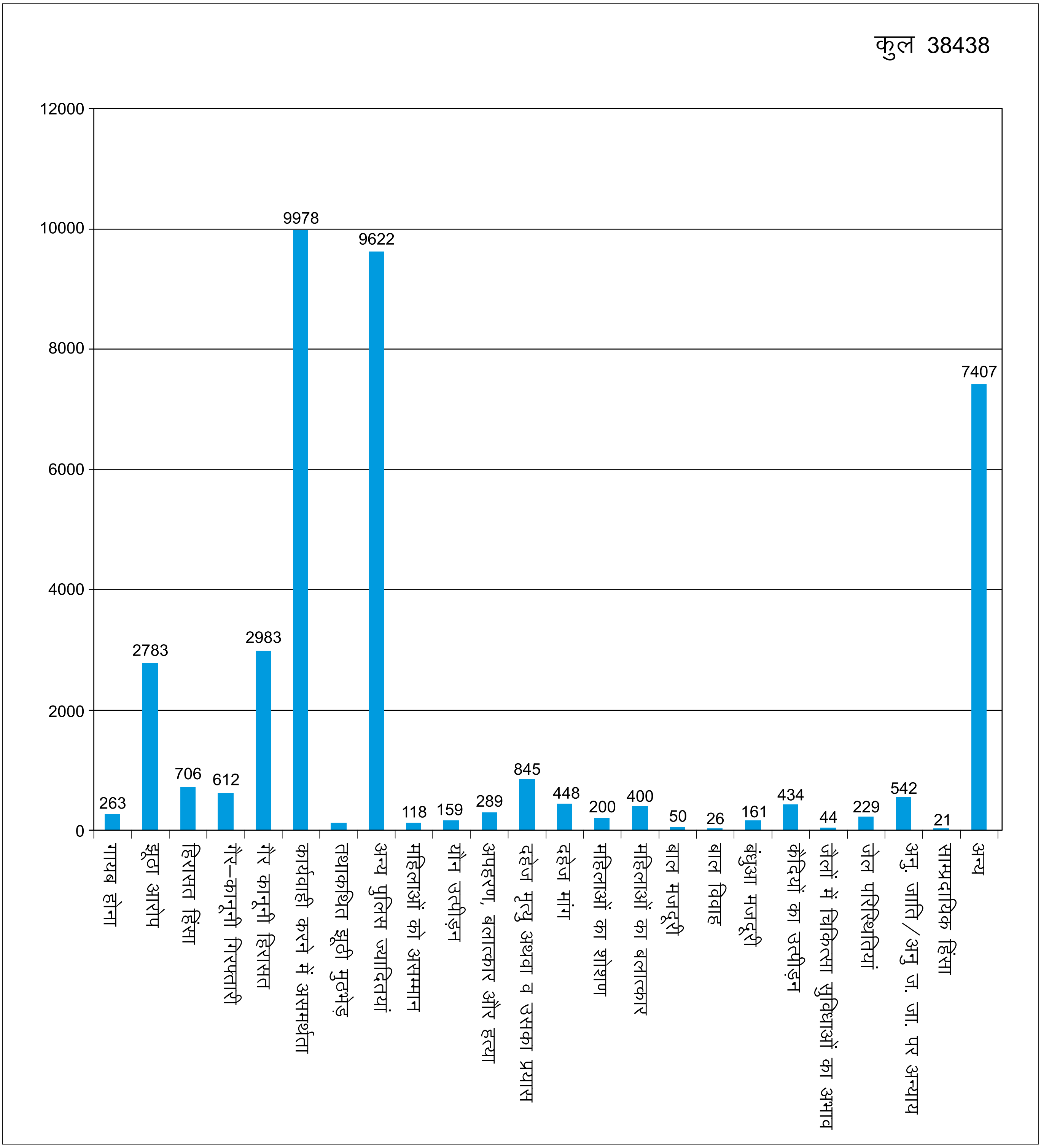

वर्ष 2002–2003 के खारिज किए गए मामले 1 प्रतिशत से अधिक दर के साथ खारिज किए जाने वाले मामले

विवरण के लिए संलग्नक 14 देखें

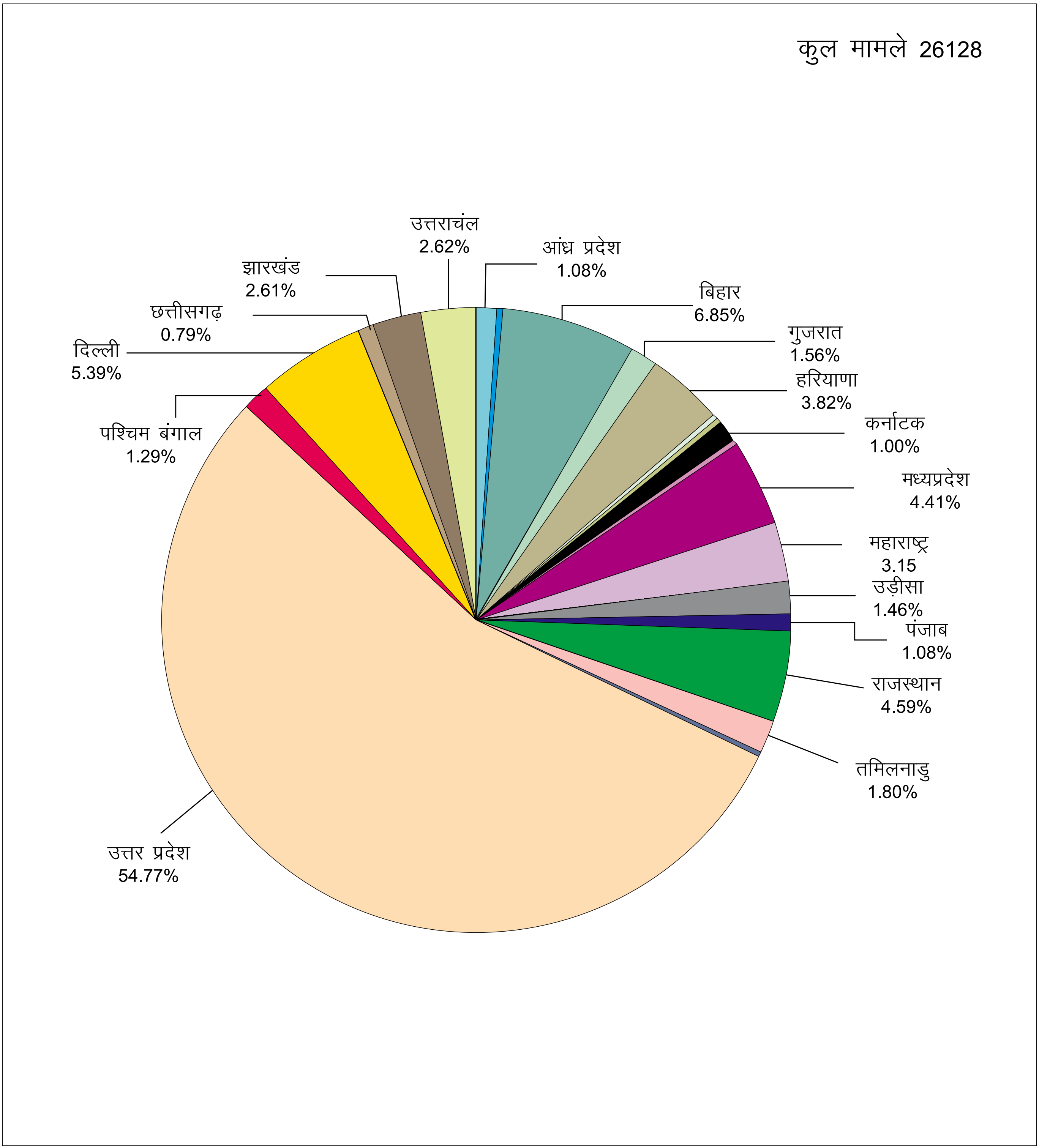

वर्ष 2002–2003 के दौरान हिरासत में मौत/बलात्कार से संबंधित पंजीकृत सूचनाओं की राज्य–वार सूची

विवरण के लिए संलग्नक 17 देखें

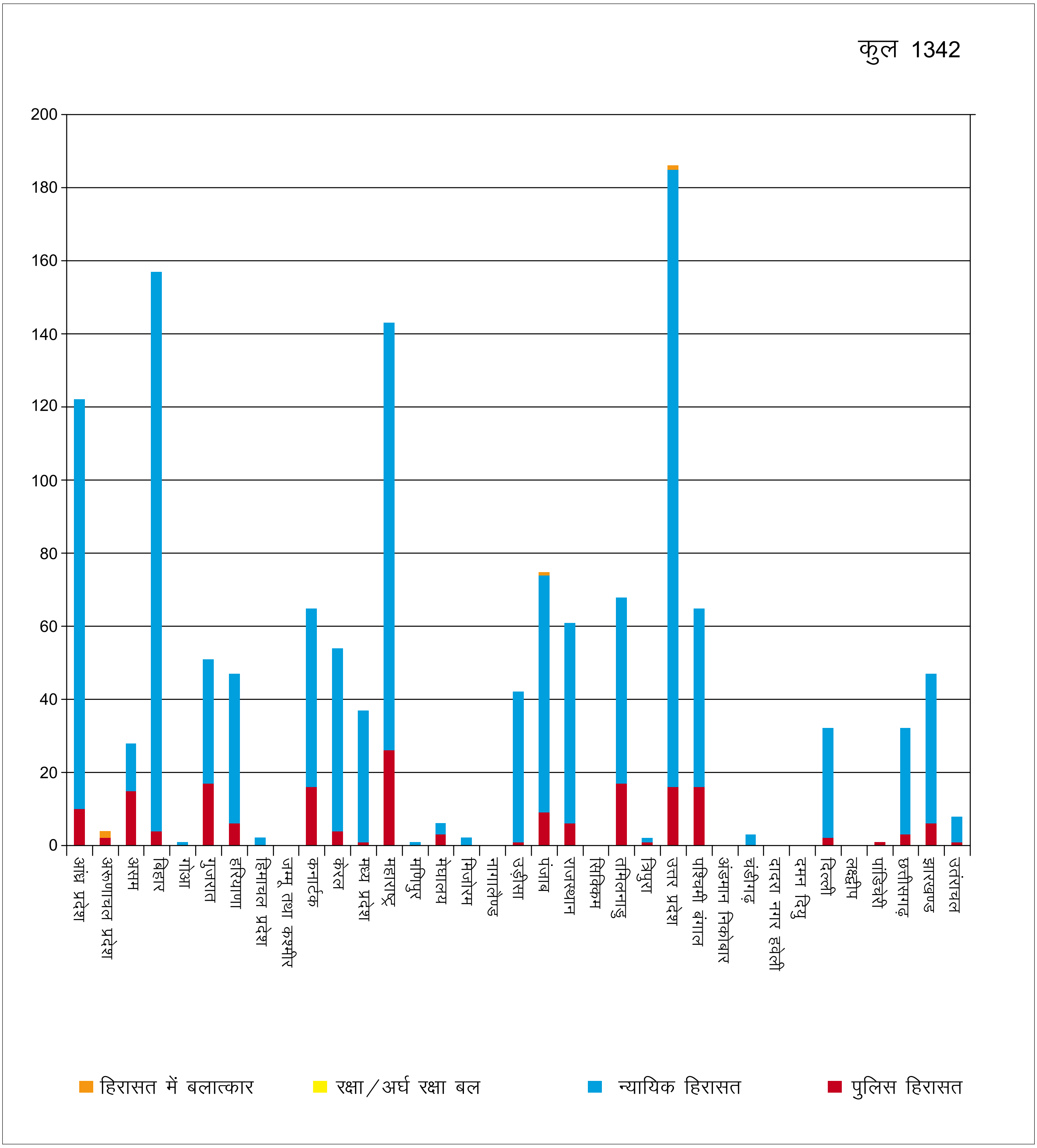

31.3.2003 को बकाया मामलों की राज्य–वार संख्या

विवरण के लिए संलग्नक 16 देखें

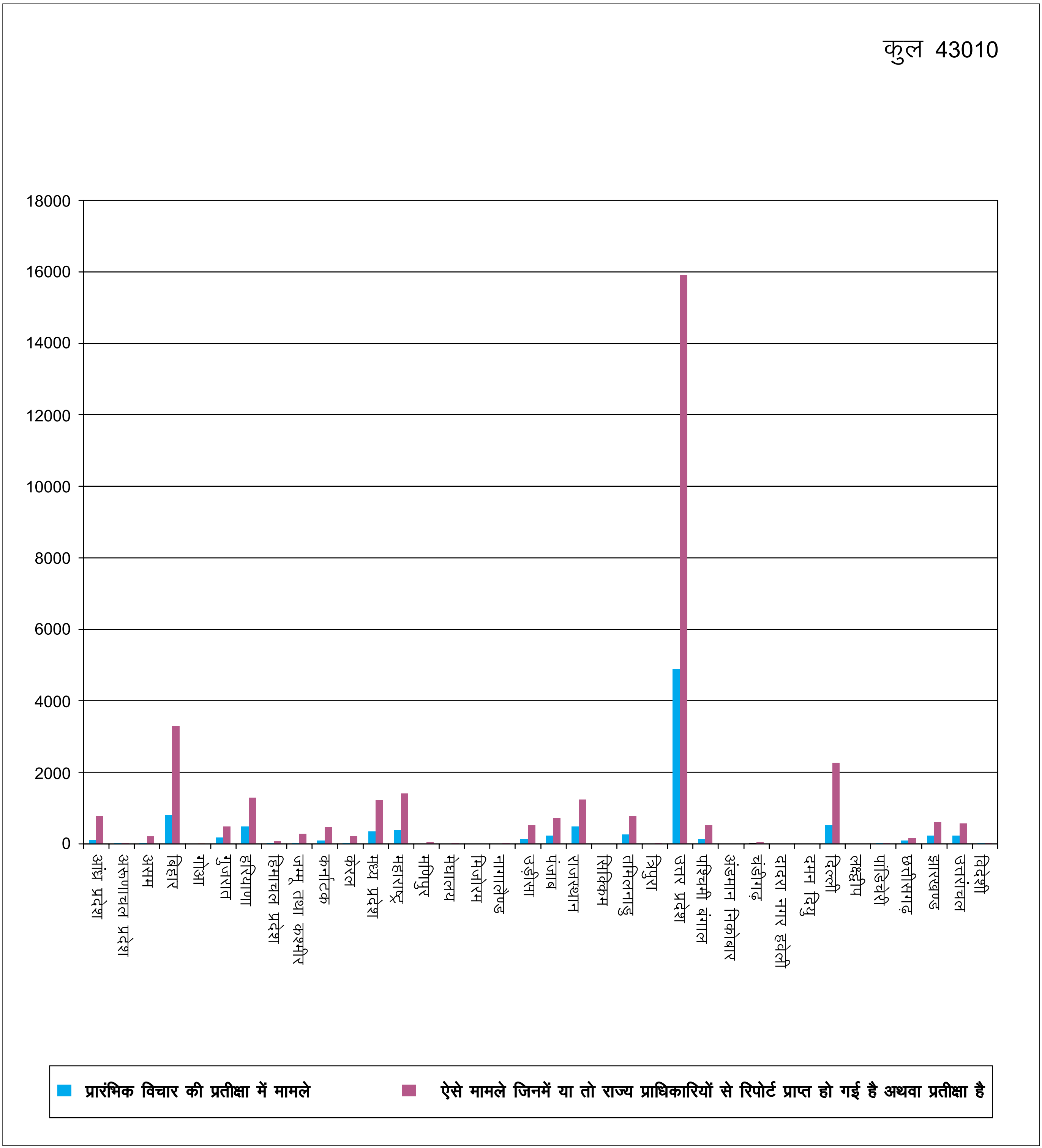

वर्ष 2002–2003 के दौरान पंजीकृत मामलों/सूचनाओं की राज्यवार सूची

विवरण के लिए संलग्नक 17 देंखे

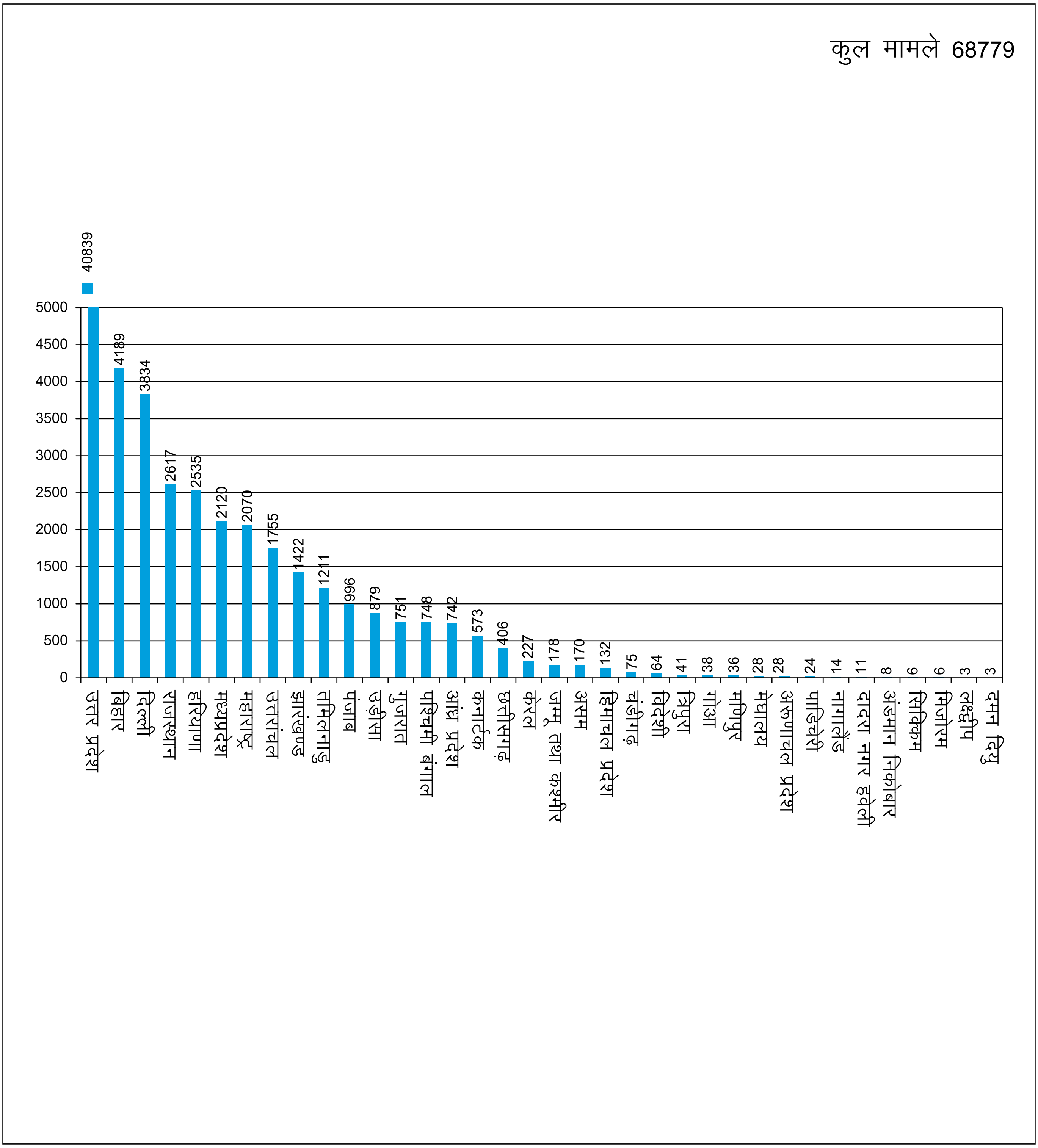

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
सरदार पटेल भवन
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001

फैक्स : 91-11-23340016, 23344113
ई–मेल : nhrc@ren.nic.in
वेब : www.nhrc.nic.in

Printed by Viba Press, 51611300, 9810049515